C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XI, Fifth Session, 2015/1937 (Saka)
No. 10, Tuesday, August 4, 2015/ Shravana 13, 1937 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
[*]Starred Question Nos. 203 to 205[e] and 207 to 208[ee]	12-61
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 210 to 222	62-109
Unstarred Question Nos. [ee]2302 and 2303, 2305 to 2339, 2342 to 2375, 2377 to 2461, 2463 to 2473, 2475 to 2489, 2491 to 2530	110-644

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

[e] Starred Question No. 206 was transferred to the Ministry of Health and Family Welfare vide Bulletin Part I dated 04.08.2015

[ee] Starred Question No. 209 and Unstarred Question Nos. 2301, 2304, 2340, 2341, 2376, 2462, 2474 and 2490 were deleted due to suspension of Members under rule 374A as recorded in Bulletin Part I dated 04.08.2015

FELICITATIONS BY THE SPEAKER

Congratulations to Indian contingent for winning medals at the Special Olympics World Summer Games, 2015 in Los Angeles, The United States of America from 26 July to 2 August, 2015 645

PAPERS LAID ON THE TABLE 645-649

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

3rd Report 650

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Shri Ramvilas Paswan 650

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture

Dr. Sanjeev Balyan 650

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Textiles

Shri Santosh Kumar Gangwar 651

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment

Shri Thawar Chand Gehlot 651

(v) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st and 3rd Reports of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers

Shri Hansraj Gangaram Ahir 651

(vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 183rd Report of the Standing Committee on Home Affairs on `Problems being faced by Refugees and Displaced persons in J&K', pertaining to the Ministry of Home Affairs

Shri Kiren Rijiju 652

(vii) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture

Dr. Sanjeev Balyan 652

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Need to extend special category status to the successor State of Andhra Pradesh 654-659

(ii) Re: Situation arising due to failure to establish a separate High Court in Telangana 684-688

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to take necessary steps for implementation of proposed industrial area development scheme at Soniyana, Tehsil Gangrar, Chittorgarh district, Rajasthan

Shri C. P. Joshi 661

(ii) Need to run special train between Muzaffarpur and Delhi.

Shri Ajay Nishad 662

(iii) Need to ensure distribution of Methane Gas produced in Shahdol district, Madhya Pradesh in the State on priority basis and also provide adequate compensation and employment to farmers whose land has been acquired for production of the Gas

Shri Dalpat Singh Paraste 663

(iv) Need to strengthen security to protect the people as well as Public Sector Undertakings from naxal attacks in Giridih Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Ravindra Kumar Pandey 664

(v) Need to reopen Sports Authority of India Training Centre at Bavdi in Sikar Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Sumedhanand Saraswati 665

(vi) Need to reopen closed sugar mills in Basti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Harish Dwivedi 666

(vii) Need to take corrective measures to improve the services of BSNL and MTNL

Shri Parvesh Sahib Singh Verma 667

(viii) Need to provide adequate civic, educational and employment opportunities in villages under Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ajay Mishra Teni 668

(ix) Need to undertake repair and maintenance of road between Gulabpura and Uniyara in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan declared as National Highway No. 148D

Shri Subhash Chandra Baheria 669

(x) Need to provide better services of Railways in North Eastern States of the country

Shri Kamakhya Prasad Tasa 670

(xi) Need to make river Ami in Uttar Pradesh pollution free

Shri Sharad Tripathi 671

(xii) Need to set up North Maharashtra Development Board for overall development of the region

Shri A.T. Nana Patil 672

(xiii) Need to increase the procurement price of Copra by NAFED

Shri C. Mahendran 673

(xiv) Need to depute Central Industrial Security Force (CISF) at Mullaperiar Dam in Kerala

Shri M. Udhayakumar 674

(xv) Need to declare the class XII CBSE result of compartmental examination in mathematics as Generally Passed for the candidates who appeared at the said Examination

Shri Balabhadra Majhi 675

(xvi) Need to regulate the functioning of private coaching institutes in the country

Shri Krupal Balaji Tumane 676

(xvii) Need to grant special category status to Andhra Pradesh

Shri Kesineni Srinivas 677

(xviii) Need to return Rs. 1274 crore arbitrarily deducted from the state account of the Government of Telangana and transferred to the Income Tax Department by RBI

Shri B. Vinod Kumar 678

(xix) Need to increase the annual income limit of parents of students belonging to Scheduled Castes to enable them to pursue Post-Matric education

Shri Radheshyam Biswas 679

(xx) Need to increase the Minimum Support Price for paddy

Shri Dushyant Chautala 680

(xxi) Regarding the proposal of Airports Authority of India to shift Bagdogra Airport

Shri Prem Das Rai 681

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 2012-13 689-751

Shri Jagdambika Pal 689-696

Shri Kalikesh N. Singh Deo 697-700

Shrimati R. Vanaroja 701-705

Shri Prataprao Jadhav 706-708

Shri Om Birla 709-712

Dr. Ravindra Babu 713-715

Shri Bhairon Prasad Mishra 716-718

Shri Gopal Shetty 719-723

Shri Sanjay Haribhau Jadhav 724-726

Shri Daddan Mishra 727-729

Shri V. Elumalai 730-731

Shri Thota Narasimham 732-733

Shri Jugal Kishore 734

Shri G. Hari 735-736

Shri Prem Singh Chandumajra 737-738

Shri Suresh Prabhu 739-750

Demands - Voted 751

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL, 2015 752-753

Motion to Introduce 752

Motion to Consider 753

Clauses 2, 3 and 1 753

Motion to Pass 753

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) AMENDMENT BILL, 2014

Shri Thaawar Chand Gehlot 754, 803-804

Motion to Consider 755

Shri Virender Kashyap 756-776

Dr. K. Gopal 761-767

Shri Balabhadra Majhi 768-771

Shri Malyadri Sriram 772-775

Dr. Varaprasada Rao Velagapalli 776-778

Shri Rattan Lal Kataria 779-780

Shri Arvind Sawant 781-783

Dr. Kirit P. Solanki 784-785

Sadhvi Savitri Bai Phule 786-789

Shri Ajay Mishra Teni 790-792

Dr. Ravindra Babu 793-794

Shri Nana Patole 795-796

Shrimati Rama Devi 797-799

Dr. Yashwant Singh 800-802

Clauses 2 to 13 and 1 805-809

Motion to Pass 809

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 847

Member-wise Index to Unstarred Questions 848-854

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 855

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 856

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, August 4, 2015/Shravana 13, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri A.P. Jithender Reddy, Shri Y.V. Subba Reddy and Shri Dushyant Chautala.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Dushyant Chautala, please understand, the matter raised by you cannot be discussed as it is on Speaker's ruling. You cannot discuss it here under this notice.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can change the notice and give it under some other rule. If you want a discussion for representatives or on democracy, you can give the notice in any other way.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The other matters, I know, are very important. Shri Jithender Reddy and all the others, I will let you know.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can raise it in some other way or after Question Hour. In 'Zero Hour', I will allow you to raise it.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am not allowing it now and I have disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats. After Question Hour, I will allow everything.

… (*Interruptions*)

<u>11.02 hrs</u>

At this stage, Shrimati Kavitha Kalvakuntla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, do not do like that.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, प्रश्न काल के बाद, शून्य काल में मैं आपको सबसे पहले बोलने का मौका दूंगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने कुछ लिख कर ही नहीं दिया है कि किस विषय पर बोलना है। How can I allow you?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: After Question Hour, I will allow you.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you also after Question Hour. Now let us take up Question Hour.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Dharmendra Yadav, I will allow you also. You can raise it in 'Zero Hour'. I will allow him also, but not now.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल के बाद मैं आप सबको बोलने का मौका ज़रूर दूंगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, प्लीज़ बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

11.03 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q NO. 203 – Shri Pratap Simha.

(Q.203)

SHRI PRATAP SIMHA : Madam, the Minister has given a detailed reply and I am quite satisfied with the reply. … (*Interruptions*)

Ira Singhal, Renu Raj, Nidhi Gupta and Vandana Rao are the new stars of India. All four UPSC toppers are women. Among them, Ira Singhal is not just a star, she is also an inspiration for many differently-abled students across the nation. … (*Interruptions*)

With 62 per cent disability, if Ira can top one of the toughest examinations in the world, every disabled student can excel if they are given equal opportunity to study and forum to work. … (*Interruptions*) Our hon. Minister for Social Justice, Shri Thaawar Chand Gehlot has said "Ira would be an appropriate brand ambassador for the disability department".… (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN : We are walking out in protest.… (*Interruptions*)

11.05 hrs

At this stage, Shri P. Karunakaran and some other hon. Members left the House.

… (*Interruptions*)

SHRI PRATAP SIMHA : Madam, according to a survey on status of disability in higher education, out of 15,21,438 students studying in various colleges and universities across the country, there are only 8,449 students with disabilities, which is mere 0.56 per cent of the total students.… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदया, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।...(व्यवधान)

11.06 hrs

At this stage, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yadav and some other hon. Members left the House

SHRI PRATAP SIMHA : Even twenty years after the enactment of Disability Act, 1995, the actual implementation is only 0.5 per cent as against the mandated quota of three per cent. What does it reflect? Does it not raise many questions?…(*Interruptions*)

11.07 hrs

At this stage, Shri Varaprasad Rao Velagapalli and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: I have told you that I will allow you to speak in Zero Hour. You can raise your issue during that time but not like this. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI PRATAP SIMHA: I would like to know from the Minister the steps he has taken after assuming the office.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can raise your matter and then the Government can reply. Please go back to your seats. I have told you that you can raise whatever matter you wish to during Zero Hour.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं तो आपको स्पेशल स्टेटस देने वाली नहीं हूँ। Please understand it.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you to raise the issue but not like this. Reddy ji, you know it. Please go back to your seat. You can raise the matter in Zero Hour and if the Government wish they can respond but I will allow you after Question Hour.

… (*Interruptions*)

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने यह बात कही है कि विकलांगजन भी मानव संसाधन का अभिन्न अंग है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You know that I will allow you.

… (*Interruptions*)

श्री थावर चंद गहलोत : उनको पढ़ने लिखने की और अन्य वर्गों की बराबरी में जो सुविधायें मिलती हैं, वे उनको भी मिलें।...(व्यवधान) इस प्रकार की भावना उन्होंने व्यक्त की है, निश्चित रूप से यह सराहनीय है। ...(व्यवधान) मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमने सात प्रकार की स्कॉलरशिप विकलांगजनों को पढ़ने-लिखने के लिए दी है।...(व्यवधान) इसके अलावा विकलांगता को दूर करने की दृष्टि से चिकित्सा सुविधा, रीहैबिलिटेशन की दृष्टि से प्रशिक्षण, स्वावलंबन की दृष्टि से वित्त विकास निगम की ओर से कम ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।...(व्यवधान) जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, उनको काक्लीअर इम्प्लांट, 6 लाख रूपए तक का खर्चा हमारा मंत्रालय देता है और हम ऐसी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं।...(व्यवधान) मोटराइज्ड ट्राई साइकिल देते हैं, आवागमन बाधामुक्त हो, इस दृष्टिकोण से भी बहुत सारी योजनायें कार्यान्वित की हैं और इसकी जानकारी मैंने प्रश्न में विस्तृत रूप से दी है। ...(व्यवधान)

SHRI PRATAP SIMHA : Madam, according to 2001 census, there are 21 million disabled persons across India. There is a provision to give unemployment allowance under MNREGA. I have raised this question in each and every vigilance committee meeting but the response is disappointing. Why not the Government strictly direct the officials to give unemployment allowance to the disabled persons in rural India?… (*Interruptions*)

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, जहाँ तक विकलांगों की संख्या का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के मान से 2 करोड़ 68 लाख उनकी संख्या है। हमने इन सब लोगों को स्वावलंबन की दृष्टि से प्रशिक्षण देना, उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराना और नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था

भारत सरकार के मंत्रालयों में की है। राज्य सरकारों ने भी अलग-अलग प्रतिशत के हिसाब से उनको नौकरियों में अवसर देने का प्रयास किया है। जहाँ तक मनरेगा में काम का सवाल है, निश्चित रूप से जहाँ जैसी उपलब्धता होती है, उनको काम मिलता है, ऐसी मेरी जानकारी है।

SHRI K. ASHOK KUMAR : Madam, under the National Overseas Scholarship for Students with Disabilities Scheme the Government is providing financial assistance to students with disabilities for pursuing higher education abroad. The scheme is effective from 1st April, 2014. I would like to know how many students have been benefited since the scheme started and also the field of study.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, वैसे प्रश्न का जो उत्तर परिचालित किया है, उसमें यह विस्तृत जानकारी है। आप कहें तो मैं सातों योजनाओं की जानकारी दे सकता हूँ और कितने-कितने लाभार्थी उसमें हैं और कितनी-कितनी धनराशि दी है, मैं वह उपलब्ध करा दूँ। आप कहें तो मैं अभी पढ़कर सुना दूँ।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री परेश रावल।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats. I will allow you to speak. This is not the way.

… (*Interruptions*)

SHRI PARESH RAVAL : Madam, thank you very much for giving me this opportunity… (*Interruptions*)

I would like to know from the hon. Minister whether the Government has proposed to give scholarships to the students direct into their bank accounts and within a certain time… (*Interruptions*)

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, हमने छात्रवृत्ति की व्यवस्था डायरैक्ट बैनिफिट योजना के अंतर्गत कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। हमने छात्रों के अकाउंट नंबर मंगाए हैं और उनकी छात्रवृत्ति डायरैक्ट उनके अकाउंट में ही भेजी जा रही है।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) : Thank you Madam Speaker for giving me this opportunity.

First of all, I would like to congratulate the hon. Minister for implementing various schemes for the welfare of differently abled-students. In Visakhapatinam District of Andhra Pradesh, Mr. Haribabu and myself have distributed assets worth nearly Rs.3 crore to Rs.4 crore to the disabled people. I would request the hon. Prime Minister to please increase the budget for this Department. It is because throughout the country many people are waiting for help from the Government of India… (*Interruptions*). I would also request the hon. Minister to increase the scholarship amount. What is being given at present is not sufficient because the market prices are very high. If the Minister is having any details of the scholarships given to differently abled-students of Andhra Pradesh under different schemes, he may enlighten the House… (*Interruptions*).

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, वैसे उत्तर में राज्यवार जानकारी दी है कि किस राज्य को कितनी छात्रवृत्ति की धनराशि दी है और कितने बैनिफिशरीज़ हैं। उसके बाद भी अगर माननीय सदस्य आंध्र प्रदेश की जानकारी अलग से जानना चाहेंगे तो मैं दे दूँगा। …(व्यवधान)

दूसरा प्रश्न उनका यह था कि क्या छात्रवृत्ति में वृद्धि करेंगे? निश्चित रूप से हमने इस पर विचार किया है। कुछ योजनाएँ जैसे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अक्तूबर, 2014 से ही प्रारंभ की है, उससे पहले यह छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। इसके अलावा विकलांग जनों के लिए बहुत सारी सुविधाएँ हमने 2014-15 में ही प्रारंभ की हैं और हम विचार कर रहे हैं कि इन सब छात्रवृत्तियों को एक जैसा करेंगे और इसमें विस्तार भी करेंगे। अभिभावकों की जो आय लिमिट है, उसका भी युक्तियुक्तकरण करेंगे। …(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूँगा कि जब से इस देश में माननीय मोदी जी की सरकार आई है, इन्होंने सारे लोक सभा क्षेत्रों में विकलांग जनों की सुविधा के लिए बहुत सारी योजनाएँ शुरू की हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो निःशक्त बच्चे हैं, इनकी शिक्षा के लिए विशेष शिक्षक की ज़रूरत होती है। उत्तर प्रदेश में देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकलांगजन पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर विशेष शिक्षकों की बहुत कमी है। भारत सरकार की योजना के तहत हर तीस

बच्चों पर एक विशेष शिक्षक की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार इनकी नियुक्ति नहीं कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या कोई व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जब तक ये निःशक्त लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिलेगा। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो प्रत्येक 30 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश में इनकी जो बहुत कमी है, इसकी भरपाई के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे? …(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, हमारे विभाग से जो योजनाएं संचालित की जाती हैं, वे राज्य सरकार के निकायों द्वारा या एन.जी.ओज़. के माध्यम से की जाती हैं और ये प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से ही आते हैं। जब-जब प्रस्ताव आते हैं तो हम इन मापदण्डों का ध्यान रखते हैं और हमारी ओर से औचक जांच-पड़ताल भी करते हैं। हम राज्यों से समय-समय पर आग्रह भी करते हैं कि जो नियम, कायदे, कानून या नोर्म्स बने हुए हैं, उनका अनुपालन भी करें। माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार से इस सम्बन्ध में सम्पर्क करूंगा, पत्र-व्यवहार करूंगा और प्रयास करूंगा कि जो समस्या है, उसका समाधान हो जाये।

HON. SPEAKER: Hon. Members, I am again requesting you to go back to your seats. I will allow you to speak on the issue after the Question Hour and then if it is possible, the Government can also reply. But this is not the way.

… (*Interruptions*)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हमारे आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों ने जिस विषय की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित किया है, उस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आन्ध्र प्रदेश के साथ न्याय होगा। हम किसी भी सूरत में आन्ध्र प्रदेश के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं और साथ ही तेलंगाना के सम्बन्ध में भी हमारी अभी-अभी लॉ मिनिस्टर से बात हुई है, इसके पहले भी हमारी लॉ मिनिस्टर से बातचीत हुई है। लॉ मिनिस्टर इसका समाधान निकालने के लिए अपनी तरफ से प्रयत्नशील हैं, इसलिए आन्ध्र प्रदेश के और तेलंगाना के, दोनों सम्मानित सदस्यों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से प्रयत्नशील है और जहां भी आवश्यक होगा, बातचीत करके यह एन्श्योर करने की कोशिश करेगी, ताकि किसी के साथ इनजस्टिस न होने पाये।

HON. SPEAKER: After the Home Minister has said this, you please go back to your seats. ऐसा नहीं होता है, कोई लिखित में यहां बात नहीं होती। प्लीज़, ऐसे मैं यहां से आपसे बात नहीं करूंगी।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have to go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, I request the Members of the TRS also to go back to their seats. Now, you have to go back to your seats. This is not the way.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Question No. 204. Shri N. Kristappa.

(Q. 204)

SHRI N. KRISTAPPA : Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity to raise a Supplementary Question during the Question Hour. I would also like to thank the hon. Minister for giving such a detailed answer.

Madam, I appreciate the effort of the Government for linking the PDS with the Aadhar system which is useful for the proper implementation of the PDS in the country. But it has come to my notice that some people belonging to the poorest of the poor sections who are engaged in agriculture and lost their fingers were not allowed to register with Aadhar. In spite of continuous efforts by the State Governments to cover them with Aadhar, still there are a number of people who are not covered under Aadhar and are unable to avail of other Government schemes like ration etc. I would like to know as to how many of them are yet to be linked to PDS with Aadhar in the country. What plans does the Government to have to solve this issue?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्षा जी, जैसा कि सदन को मालूम है कि अभी दो तरह के सिस्टम हैं। एक सिस्टम है, जिसमें पी.डी.एस. पुराने आधार पर लागू है और सरकार ने 2013 में एक नया कानून बनाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके मुताबिक लागू है। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लागू है, उसमें अन्त्योदय परिवार के लोगों को 35 किलो पर महीना दो रुपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल मिलता है और जो पुराना सिस्टम है, उसमें ए.पी.एल. है, बी.पी.एल. है, अन्त्योदय है। अन्त्योदय के लोगों को दो रुपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल 35 किलो पर मंथ मिलता है। जो बी.पी.एल. परिवार के लोग हैं, उनको 4.15 रुपये किलो गेहूं और 5.65 रुपये किलो चावल मिलता है, वह 35 किलो मिलता था।

तीसरा, ए.पी.एल. कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको 6.10 रुपये और 8.10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनाज मिलता था।...(व्यवधान) जो नया सिस्टम बना है, उस सिस्टम के मुताबिक पहले जो प्लानिंग कमीशन था, उसने यह निर्धारित कर दिया कि इसका लाभ देहातों में 75% लोगों को मिलेगा और शहरों में 50% लोगों को मिलेगा और सभी को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं, तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाएगा।...(व्यवधान) लेकिन, जिन राज्यों में यह नया सिस्टम लागू हो जाएगा, वहां ए.पी.एल., बी.पी.एल. खत्म हो जाएगा और सिर्फ अंत्योदय योजना रहेगी।...(व्यवधान) अभी तक पूरे देश में

तेरह राज्यों ने फूड सिक्यूरिटी एक्ट को लागू किया है।...(व्यवधान) इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, चंडीगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल हैं और अभी-अभी लक्षद्वीप ने इसे लागू किया है।...(व्यवधान) इसे राज्य सरकारें तय करती हैं कि रूरल एरिया में किनका नाम होगा, शहरी एरिया के अंतर्गत किनका नाम होगा और अंत्योदय में किनका नाम होगा। यह सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I request all of you to go to your seats. कल जो बातें यहां हो रही थीं, आप सब उसे जानते हैं। जब आप यहां सांसद बनकर आते हैं, तो आपके बैग में जो कॉपी दी जाती है, उसमें there is a rule book. ये जो रूल्स बनाए गए है, यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इसके लिए पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है। उस कमेटी के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं। उसके अनुसार हाउस को चलाना है। इसलिए यह समझते हुए भी आप यहां आकर कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, जान-बूझकर रूल तोड़ना चाहते हैं। मिनिस्टर ने भी आपको आश्वासन दिया है। मैंने भी आपको कहा है कि मैं आपको बोलने का समय दूंगी। हाउस प्रश्न उठाने के लिए होता है। उसके बाद सरकार से आश्वासन लेने के लिए होता है। उसके बाद जो भी कुछ होता है, उसे बैठकर आपस में तय करना होता है। अगर किसी को जान-बूझकर रूल्स के अगेंस्ट चलना हो, I have no objection. The Speaker is not the only person who is responsible for the rules. यह आप सबके द्वारा बनाए गए रूल्स हैं। कल तक आपकी यह बात नहीं थी। आज अचानक आप यहां इसे लेकर आए हैं। I want to make it clear that I will allow you to raise the issue after the Question Hour. Still the Government has responded. आप जान-बूझकर रूल्स को चैलेंज करना चाहते हैं। रूल्स आपके ही द्वारा बनाए गए हैं। आप इसको चैलेंज करते रहें। Again I am requesting you to go to your seats. I will allow you to raise the issue after the Question Hour. You please go to your seats.

Shri Kristappa, please ask your second supplementary.

SHRI N. KRISTAPPA : Hon. Speaker, a few State Governments including the State Government of Andhra Pradesh is implementing the Electronic Point of Sales system to distribute food grains under the PDS.

The Government of Andhra Pradesh has saved the exchequer up to 25 to 30 per cent through the EPOS system, and helped to weed out bogus ration cards in the State, which was causing huge loss to the Government for the past ten years.

I would like to know from the hon. Minister, through you, whether there is any proposal to implement the EPOS system throughout the country to weed out bogus ration cards and to save the public money.

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, फूड सिक्यूरिटी एक्ट जब लागू हो जाएगा, तो बोगस कार्ड का मामला स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कहा है कि लाभार्थियों के नामों का चयन करके बेवसाइट पर डाल दिया जाएगा।...(व्यवधान) उनके नामों को उनके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा।...(व्यवधान) उसमें प्रत्येक व्यक्ति को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिलेगा। इसके अलावा, अभी जो वर्तमान पद्धति है, इसमें हमने राज्यों के लिए तीन बार समय बढ़ाया है। पहली बार, तीन महीने का समय बढ़ाया, फिर छः महीने का समय बढ़ाया, उसके बाद फिर छः महीने का समय बढ़ाया गया है। लेकिन, अभी तक तेरह राज्यों को छोड़कर कहीं और फूड सिक्यूरिटी एक्ट लागू नहीं हो पाया है।...(व्यवधान) इसलिए मैं समझता हूं कि यदि फूड सिक्यूरिटी एक्ट लागू हो जाता है तो इन सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा।...(व्यवधान)

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में जो कालाबाजारी, धांधली और जमाखोरी होती है, उससे निपटने के लिए हम राज्य सरकार पर निर्भर रहते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन उसके परिणाम हमें अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ...(व्यवधान) आज भी हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं और सरकार के पास जो कंप्लेंट्स आती हैं, उनमें हमें कुछ कमी नहीं दिखाई दे रही है। ...(व्यवधान) महाराष्ट्र में वर्ष 2012 में 9 कंप्लेंट्स आई थीं, वर्ष 2013 में 20 कंप्लेंट्स आई थीं, वर्ष 2014 में 25 और वर्ष 2015 में 4 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या ऐसी कोई निगरानी समिति हम बनाना चाहेंगे कि वह राज्यों को कंट्रोल करे? ...(व्यवधान) इसी के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहती हूं कि जैसे पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने सिलेण्डर की सब्सिडी डायरेक्ट ग्राहकों के खाते में दी है, क्या हम ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं कि यह योजना भी ऐसे ही लागू हो जाए कि पैसा डायरेक्ट पैसा उन गरीब लोगों के खाते में चला जाए?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, जहां तक पीडीएस में धांधली का मामला है, उस पर हम लोग भी पूरी तरह से चिंतित हैं। ...(व्यवधान) यह टोटली राज्य सरकार का काम है। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार का काम है कि हम अनाज को खरीदते हैं, खरीदकर के एफसीआई के गोदाम तक ले जाते हैं और एफसीआई के गोदाम से लेकर उनको वितरण करने का काम राज्य सरकार का होता है। ...(व्यवधान) किनको वितरण

करना है, कौन लाभार्थी है, कैसे वितरण होता है, यह सारी की सारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ...(व्यवधान) राज्य सरकार से हम रिपोर्ट लेते हैं। ...(व्यवधान) नियम कानून के तहत जो पंचायत स्तर है, जो डीलर है, दुकान से लेकर राज्य तक नए कानून के मुताबिक खाद्य आयोग बनाना चाहिए। ...(व्यवधान) हम लोगों ने यह भी कहा है कि एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन करो कि सामान कहां जाता है, कैसे जाता है, यह पता चले और डिपो को ऑनलाइन करो। ...(व्यवधान) हम लोग हर गोदाम में सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। ...(व्यवधान) यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।...(व्यवधान) हम लोग सिर्फ उनसे जानकारी हासिल करते हैं। ...(व्यवधान) हमने दो बार मंत्रियों की बैठक बुलाई, अधिकारियों की बैठक भी लेते हैं। ...(व्यवधान) यह बात सही है कि शिकायतें हैं। उन शिकायतों के संबंध में हम लोग सिर्फ राज्य सरकार को जानकारी देने का काम करते हैं। ...(व्यवधान)

दूसरा, डॉयरेक्ट सब्सिडी का मामला है। डायरेक्ट सब्सिडी के मामले को लेकर हम लोगों ने तीन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इन तीन राज्यों में चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दादर एवं नागर हवेली है, इन तीन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट है। हमने एक सप्ताह पहले बैठक ली थी। उसमें दिक्कत यह है कि जहाँ-जहाँ मान लेते हैं कि हम डॉयरेक्ट पेमेंट करेंगे तो एक तो पहली बात है कि यदि 90 परसेंट लोगों को मिल गया और 10 परसेंट लोगों को नहीं मिला तो हंगामा होना शुरू हो जाएगा। नम्बर दो, जहाँ-जहाँ हम डॉयरेक्ट पेमेंट करेंगे, वहां हम गरीब को सीधे उनके बैंक के खाते में पैसा दे देंगे। बैंक के खातें में तो पैसा देंगे, लेकिन उस पैसे से अनाज खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा है, अच्छा अनाज खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा है, इसको कैसे देखा जाएगा। ...(व्यवधान) नम्बर तीन, जब हम डायरेक्ट पैसा उनको देंगे तो फिर फेयर प्राइस शॉप का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, डीलर का क्या होगा?

चौथी बात, जो हमने इतने गोडाउंस बना रखें हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमें गोडाउंस में सामान रखना पड़े, चूँकि लाभार्थी कहीं से भी सामान खरीद सकता है, कोई सामान खरीद सकता है तो ये सारी समस्याएं हैं। ...(व्यवधान) इन समस्याओं को देखने के लिए हम लोगों ने तीन राज्यों में, जो छोटे-छोटे राज्य हैं, जो अर्बन एरिया हैं, रूरल एरिया में तो हमको लगता है कि निकट भविष्य में यह संभव नहीं है। ...(व्यवधान) हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान) लेकिन जो अर्बन एरिया है, वहाँ हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन तीन स्टेट्स में इस मुद्दे को लिया है और उसकी सफलता कितनी होती है, उसके आधार पर हम डायरेक्ट सब्सिडी को फर्दर बढ़ाने की बात सोचेंगे। ...(व्यवधान)

श्री नारणभाई काछड़िया : अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाने के बाद भी आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कालाबाजारी, अनियमितता के कारण गरीब मजदूर, किसान को समय पर

राशन नहीं मिलता है। देश में बहुत ऐसी घटनायें हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में उक्त प्रकार की घटनाओं में लिप्त पाये जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, राज्यवार ब्योरा क्या है और उनके लिए क्या-क्या कार्रवाई की गयी है? …(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि पिछले तीन सालों में क्या-क्या कार्यवाई की गयी है, कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाई की गयी है, उनका विवरण ऑलरेडी जवाब में दिया हुआ है। …(व्यवधान)

DR. P. VENUGOPAL : We hear a lot about food grains being wasted and allowed to rot in several parts of the country because of lack of storage facilities and godowns. If these food grains are diverted at a subsidized cost to other States where it is needed, the people living below poverty line could be helped.

As far as Tamil Nadu is concerned, my leader and the Chief Minister, hon. *Amma* has started *Amma's Unavagam,* that is, *Amma's* Canteen, to help the poor and needy. There are 299 *Amma Unavagams* running in various parts of Tamil Nadu. The Government of Tamil Nadu is planning for more such Canteens. Hon. *Amma* is also giving 20 kg. of rice to 1.69 crore old-age persons free of cost. So, instead of allowing the food grains to rot, the Government of India may allocate such food grains to Tamil Nadu so that the same could be used for helping the poor and to implement these welfare measures.

May I know from the hon. Minister whether the Government would come forward to allocate more food grains to Tamil Nadu?…(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि दो तरह के नियम हैं। एक नियम फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के बाद का है, जिसमें 13 राज्य हैं लेकिन तमिलनाडु नहीं है और जो बचे हुये हैं, वे पुराने सिस्टम से चल रहे हैं। इनमें ए.पी.एल., बी.पी.एल. और अंत्योदय के परिवारों को हम सुविधा देते हैं, उनके अलग-अलग रेट्स हैं जो मैंने पहले बताया है। अब उसके अलावे कोई राज्य सरकार फ्री में देना चाहे या और फिर कुछ करना चाहे तो वह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। भारत सरकार जितनी सब्सिडी दे रही है, वह काफी है। हम 1,31,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी फूड ग्रेन के ऊपर दे रहे हैं। यह अच्छी बात है कि तमिलनाडु की सरकार सबको फ्री में राशन दे रही है, लेकिन एक्सट्रा बर्डन राज्य सरकार को वहन करना होता है और ऐसे कई राज्य हैं। …(व्यवधान)

श्री अभिषेक सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कई बार जब आर्थिक और सामाजिक जनगणना होती है तो उनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार छूट जाते हैं लेकिन अपने-अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्रों में दौरे के दौरान ऐसे विषय सामने आते हैं, तो क्या केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना है, जिसमें गरीबी की रेखा की सर्वे सूची में छूटे हुए परिवारों को किसी तरह से शासन का कोई लाभ मिल सके? ...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इसकी योजना है, हमने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया है, केन्द्र सरकार ने उसमें अपनी कोई जवाबदेही नहीं रखी है। यदि किसी राज्य में 100 में 80 प्रतिशत लोगों को गांव में सुविधा देनी है, फूड सिक्योरिटी के तहत वह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह किनको दे, वह जनगणना के आधार पर दे, वह जनगणना के आधार पर नहीं दे। यह बिल्कुल राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जो फूड सिक्योरिटी के तहत राज्य नहीं हैं, वहां यह नियम है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में वर्ष 2011 के जनगणना के मुताबिक हम चलते हैं। जो बढ़ी हुयी जनगणना है, वह राज्य सरकार को देखना है कि बी.पी.एल. परिवार के लोग छूट तो नहीं गये हैं, जो बी.पी.एल. परिवार के लोग छूट गये हैं, उन्हें जोड़ दें। हम अनाज तो देते ही हैं। हम अनाज में कमी नहीं कर रहे हैं। इस पर बहुत डिसकसन हुयी है, इसलिए हम लोगों ने इसे राज्य सरकार के ऊपर छोड़ रखा है।

(Q. 205)

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE : Madam Speaker, I congratulate the Government of India, particularly the Department of Pharmaceuticals for launching the Uniform Code of Pharmaceutical Marketing Practices (UCPMP) from 1st January, 2015 which was pending for many years. It is a good move from the Government to control and detect malpractices and illegal collusion between doctors and pharmaceutical companies. I want to know from the Government as to why the Uniform Code of Pharmaceutical Marketing Practices is voluntary and not mandatory. Anything voluntary in India will not work or serve the purpose especially in the field of business. I want to know, through you, from the Minister what action the Department of Pharmaceuticals will take to make the Uniform Code mandatory and what action will be taken by the Department against the pharmaceutical companies and doctors who are not following the Uniform Code of Pharmaceutical Marketing Practices. How many companies have come under this Code in the last six months?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है और हमने उसका जवाब भी दिया है। यह पूछा गया है कि इसे स्वैच्छिक क्यों रखा गया है। माननीय सदस्या ने यह भी माना है कि देश में इस पर पहली बार कुछ काम हो रहा है। इस पर सरकार विचार कर रही है। हमारे मंत्रालय ने इस पर जनवरी में विचार किया। हमने 31 अगस्त तक संबंधित कम्पनियों की एसोसिएशन्स को मौका दिया है कि वे ऐसी शिकायतों पर कुछ काम करें, विशेषकर डाक्टर्स के खिलाफ जो बात बताई गई है कि प्रलोभन दिया जाता है और बड़े उपहार, विदेश यात्रा के रूप में अपनी कम्पनी की महंगी दवाइयां बेचने का प्रयास होता है। इस पर हमारा मंत्रालय अकेले काम करने में सक्षम नहीं है। इसमें डाक्टरों का संबंध होने से हम इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय से भी सम्पर्क कर रहे हैं। हमारी इसी 29 जुलाई को संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग हुई। कुछ सुझाव मांगे गए हैं। उसके बाद हमारा मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करके इस पर ठोस कोड बनाने पर विचार कर रहा है ताकि कम्पनियां प्रलोभन देकर डाक्टरों के माध्यम से अपनी महंगी दवाइयां बेचने का प्रयास नहीं करें। हमारा मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE : Madam, the Minister has not answered about the collusion between doctors and pharmaceutical companies. Actually some pharmaceutical companies are selling spurious and adulterated medicines. I want to know from the Minister as to what action the Government will take to curb this practice.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, अगर कहीं नकली दवाइयां गलत रास्ते से बेची जाती हैं तो हमारे मंत्रालय का एनपीपीए उस पर काम करता है। जो भी शिकायत आती है, उस पर संबंधित कम्पनियों या कहीं गलत तरीके से किसी स्टोर में दवाइयां बिक रही हैं तो कार्यवाही की जाती है।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN : Madam Speaker, the Government of Tamil Nadu headed by our able leader *Puratchi Thalaivi Amma* is implementing the Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme for the poor through which all the poor people can take medical treatment free of cost in all the hospitals, including private hospitals. Further, in order to make drugs available at an affordable cost, our Amma has opened Amma Pharmacy throughout the State through which all the medicines will be sold at an affordable cost on no profit, no loss basis. I want to know from the hon. Minister whether such a pharmacy on the line of Amma Pharmacy will be opened in all the States to make available all the medicines at an affordable price.

Further, we find unethical marketing practice like online trading of medicines. This will affect lakhs of people engaged in selling medicines. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government will take suitable measure to prevent such online trading in the pharmaceutical industry.

Thank you, Madam.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, जिस तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए जनऔषधि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चलाया है, उसी तरीके से भारत सरकार भी काम करने जा रही है। जेनरिक औषधि और जनऔषधि स्कीम में सुधार करके फिर से देश में लांच करने का मंत्रालय का विचार है। यह स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट भी चला रही है और भी कई राज्यों में चलाई जा रही है। आपके माध्यम

से जो प्रश्न पूछा गया है, जो भी इस तरह की शिकायतें आती हैं, हम उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं और शिकायत मिलने पर हम उस आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदया, जब दवाईयों की बात आती है, यह बहुत अह्म हिस्सा है क्योंकि गरीब आदमी आज भी महंगी दवाई न खरीद पाने के कारण लाचार है। जब यूनिफार्म कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ फर्मासूटिकल्स प्रोडक्ट की बात आती है, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब बताया कि सरकार मोनिटरिंग करने में सक्षम नहीं है। जब कोका कोला और अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर पेस्टिसाइड कंट्रोल की बात आई थी तब उस समय एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने का काम किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री जी अनंत कुमार जी सदस्य थे। क्यों नहीं फर्मासूटिक्लस कंपनी की मार्केटिंग के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाकर यह दिशानिर्देश हर विभाग को दिया जाए कि गरीब आदमी तक भी सस्ते दाम पर दवाई देने का काम करें। देश के हर गरीब आदमी तक मोनेटरी बेनिफिट देकर महंगी दवाइयां खरीदी जाती हैं इसे भी कम करने का काम किया जाए।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, डॉक्टरों द्वारा महंगी दवाइयां देने की सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन मंत्रालय के मंत्री अनन्त कुमार जी ने इस संबंध में 29 जुलाई को एक मीटिंग बुलाई थी, इसमें एमसीआई के डॉयरेक्टर भी आए थे। सदस्य ने जो कहा है हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, निश्चित ही हमारा मंत्रालय गरीब लोगों से लूट न हो, चाहे नकली दवा की बात हो या महंगी दवा का प्रश्न हो हम इसी पर काम करने जा रहे हैं।

श्री डी.एस.राठौड़ : महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारत में महंगी दवाइयों के मुकाबले में सस्ती जेनरिक दवाइयों को ज्यादा प्रचारित करने के बारे में कोई योजना है, यदि हां तो इसकी जानकारी दें।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, हमारा मंत्रालय जनऔषधि स्कीम 2015 लागू करने जा रहा है। हम उसकी पॉलिसी बना रहे हैं, जेनरिक औषधि दवाइयां सस्ती होती हैं, उसका स्टैंडर्ड मेनटेन करते हुए गरीब लोगों के लिए जगह-जगह पर स्टोर खोलने के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। हम यह स्कीम इसी वर्ष शुरू कर रहे हैं, सदस्य की इच्छा के अनुसार ही देश की गरीब जनता को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए हम जनऔषधि स्टोर खोलने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 207, श्री ई अहमद -- उपस्थित नहीं।

श्री सुधीर गुप्ता।

(Q. 207)

श्री सुधीर गुप्ता : अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रश्न के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि आपने वर्ष 2013-14 और 2015 में पाकिस्तान के 7798 नागरिकों और बंगला देश के 246 नागरिकों को दीर्घावधि वीजा प्रदान किया है। ...(व्यवधान) इस वर्ष आपके पास 441 नागरिकों के आवेदन पेंडिंग हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके अलावा जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है, उनकी संख्या कितनी है और ऐसे लोगों को आप क्रमशः देश से बाहर करने के लिए कौन सी योजना पर काम कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने पिछले साल की संख्या कोट की है। हमने टास्क फोर्स बनाकर जो एप्लीकेशन्स रिसीव नहीं की हैं, उनकी संख्या हम यहां अभी नहीं दे पायेंगे। ...(व्यवधान) लेकिन माननीय सदस्य चाहें, तो हम पूरी जानकारी एकत्र करके उन्हें दे सकता हूं। देश के बाहर हमारा जो मिशन है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री में उस मिशन को जो मेन्ड करता है, उसके माध्यम से हम यह सारा प्रौसैस करते हैं। ...(व्यवधान) हमने पिछले एक साल में इस बारे में काफी स्टेप्स उठाये हैं खासकर बंगलादेश और पाकिस्तान के स्पेशली रिलिजस माइनोरिटीज कुछ विशेष घटना के कारण यहां आते हैं, उन्हें हम एक ह्यूमन टच देते हैं, अदरवाइज हम लोग लॉंग टर्म वीजा देने, सिटीजनशिप देने में धर्म या कोई और आधार नहीं देखते हैं। ...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से लोग विस्थापित होकर भारत में आयें तो उन्हें नागरिकता प्रदान की गयी। उसी तरह अफगानिस्तान और बंगलादेश से बहुत सारे हिन्दू, बुद्धिस्ट और सिख विस्थापित हुए, जिन पर रिलिजिस पर्सिक्यूशन हुआ, जिन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए वहां से त्याग करके भारत में शरण ली, वे लोग नागरिकता के लिए इंतजार कर रहे हैं। ...(व्यवधान) क्या भारत सरकार उन्हें नागरिकता देने के बारे में कोई विचार कर रही है? ...(व्यवधान) क्या ऐसा कोई विचार है? विशेषकर वर्ष 1971 में बंगलादेश से जो लोग विस्थापित होकर यहां आयें, उनमें से कई लोगों को असम अकॉर्ड के माध्यम से मान्यता दी गयी। ऐसे बच्चे-बच्चियों की शादियां भी हो गयीं और उनके बाल-बच्चे भी हो गये। ...(व्यवधान) वे अपनी नागरिकता मांग रहे हैं, लेकिन उनकी नागरिकता लंबित पड़ी है और नागरिकता नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी करने या और कोई काम करने में बहुत असुविधा आ रही है। ...(व्यवधान) क्या इस पर भारत सरकार गौर फरमायेगी? ...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, यह सवाल बहुत वाजिब है और इस तरह की घटनाएं बहुत देखने में आयी हैं। खासकर बंगलादेश से जो लोग आते हैं, उनमें से ज्यादातर विदाउट डाक्यूमैंट्स आते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं, वे डाक्यूमैंट्स के साथ आते हैं, लेकिन उनका डाक्यूमैंट्स ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम इनवैलिड हो जाता है या किसी कारण से वह रिन्यू नहीं हो पाता। …(व्यवधान) लेकिन हम इस पर गौर करके स्पेशल कदम उठा रहे हैं। …(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने पिछले एक साल से यह प्रौसैस बहुत ईजी कर दिया है। उसे हमें फास्टर और ट्रांसपेरेंट भी कर दिया है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस के लिए हमने टास्क फोर्स का गठन भी किया है। इसके माध्यम से सिटिजनशिप स्टेटस एक्वायर करने या लॉंग टर्म वीजा प्राप्त करने में हमने बहुत ईजी प्रौसैस कर दिया है। इसके अतिरिक्त कोई और समस्या भी सामने आती है, तो उसका अध्ययन भी हम कर रहे हैं, ताकि स्पेशली रिलिजस माइनोरिटीज जो अंडर रिलिजस पर्सिक्यूशन के डर से आते हैं, उनकी हम खास मदद कर सकें।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : The hon. Member, Shri Ahuluwalia ji has asked a question regarding granting citizenship to the people who are coming to India after partition. In Assam and in interim Tripura, there are more than four lakh people who are called 'D' Voters, that is, Doubtful Voters. They are coming in the wake of election because of a provision. … (*Interruptions*) They are still not getting citizenship. Some of those who are coming from West Pakistan are given citizenship but not to the Bengali Hindus, who are coming from that area. I think, there is a commitment from the Government also. I would like to know whether the Government is thinking something to grant citizenship to these people. These Hindu Bengalis are coming because they have been facing a lot of troubles. … (*Interruptions*) They may not come with documents because they flew away. … (*Interruptions*) They have no documents. They cannot come with any document. They are seeking citizenship simply. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering the plight of these Bengali Hindus residing in Assam, Tripura, Bengal and Bihar sympathetically. … (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, acquisition of Indian citizenship, under the Citizenship Act, 1965, is by way of five processes – by birth, by descent, by naturalisation, by registration and by acquiring territory. Anybody falls into the ambit of these five categories is automatically given the Indian citizenship. But there is a procedure. I want to tell the hon. Member that those people who do not possess any kind of document are branded as illegal migrants. Now, there is no provision for providing citizenship to illegal migrants. Still we are taking certain steps … (*Interruptions*)

श्री एस.एस.अहलुवालिया : बिना डाक्युमेंट के क्या होगा?...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Let the Minister complete his reply first.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you. Let him complete first.

… (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, all the issues being raised by the hon. Members are very much under the consideration of the Ministry of Home Affairs. Since we have not yet declared any policy, it is difficult for me to make a statement in this august House. Otherwise, this issue is very much under the consideration. We are very much concerned about the issues being raised by the hon. Members. … (*Interruptions*)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हजारों लोग अफगानिस्तान से आए थे, उनको पहले तो कह दिया गया कि हम सिटिजनशिप दे देंगे। लेकिन अब एक नए डॉक्युमेंट्स की डिमांड की जा रही है जो वहां से नहीं मिलते हैं। जो डाक्यूमेंट्स उनके पास हैं, उनके आधार पर अन्य देशों ने उन लोगों को सिटिजनशिप दे दी जो अलग-अलग देशों से अफगानिस्तान से आए, लेकिन इनको भारत में सिटिजनशिप नहीं मिली है। यहां बहुत से अफगानिस्तानी सिख और हिन्दू भाइओं को सिटिजनशिप नहीं मिली है जबकि उनको यहां आए हुए 20 साल हो गए हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए कोई उपाय कर रहे हैं?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए सिखों को ह्युमेनिटेरियन टच दे रहे हैं। हमारे पास आगे के लिए विकल्प खुला है, हम जो भी कर सकते हैं, करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब तक पालिसी नहीं बनाते है, उसका जिक्र या एनाउंसमेंट करना नामुमकिन है। यह हमारे संज्ञान में है, खास तौर से रिलीजियस माइनोरिटी को गृह मंत्रालय बहुत सीरियसली देख रहा है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam Speaker, because of religious persecution, because of economic consideration and employment generation, citizens from other countries are migrating to our country. India has been accepting a large number of people who are being persecuted because of their religion in our neighbouring countries into our fold with open hands. This is not a new phenomenon. … (*Interruptions*) This has been continuing for the last thousands of years. A large number of people from Persia and other Arab countries had come to our country. … (*Interruptions*) But in recent times, religious persecution is taking place in the Central Asian countries and also in our neighbouring countries. Therefore, there is a need to have a migration policy in our country and we do not have that.

The United Nations has repeatedly said that respective countries where migration is taking place, should have a migration policy. Therefore, would the Government consider to have a migration policy as early as possible so that they can come and settle here with full support from our citizens, from our country?

SHRI KIREN RIJIJU: The hon. Member has given a new dimension to the whole debate. We do not even have a refugee policy so far. India is not signatory to the Refugee Convention. So, to talk about migration policy will be too early because before that, we have to set ourselves in order to ensure how the so-called refugees, who have left their homeland and come into India, need to be categorized with. Once that thing is very clearly stated, then we can talk about migration because these are inter-linked issues. That is why I am not in a position to make any

statement. But, definitely we will give a thought to the matter, which is raised by the hon. Member if anything is possible in that regard.

HON. SPEAKER: Q. No. 208 – Shri Ramen Deka : not present;
Shri Baijayant Jay Panda : not present.

Mr. Minister, you may lay the statement on the Table of the House.

(Q. 208)

SHRI ANIL SHIROLE : Have the Government considered conservation of certain plastics into fuel oil or some other useful products? If so, the details thereof.

श्री प्रकाश जावड़ेकर : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सवाल यह है कि जो चालीस माइक्रोन से ज्यादा प्लास्टिक है, वह तो उठा लिया जाता है और वह रीसाइकिल भी होता है लेकिन अब नयी तकनीक आई है। सवाल उसी से पहले जुड़ा था कि जो चालीस माइक्रोन से कम पतली प्लास्टिक है, पन्नी वाली है, वह कोई नहीं उठाता है और उसी के सारे ढ़ेर सब जगह जमा हैं और पशु भी उसे खा रहे हैं। इसीलिए यह नयी तकनीक अभी आई है जिससे तेल या एनर्जी भी बनती है। इसलिए दोनों के प्रयोग चल रहे हैं। हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें से कौन सी तकनीक आगे चलेगी और कॉस्ट इफैक्टिव रहेगी। मुझे लगता है कि यह दो तीन साल का पीरिएड है जिसमें यह बात एसटेबिलिश हो जाएगी और नयी तकनीक के विकास के साथ ही आगे इसकी भी प्रोसैसिंग होगी।

SHRI G. HARI : Madam, it is by the State Government of Tamil Nadu under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma for the first time in the history of India that roads have been laid in Tamil Nadu by using plastic waste collected from municipal/corporation bodies. This involves huge amount needing the Central assistance.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering to provide with more grants to support this great initiative taken by the Government of Tamil Nadu for the protection of environment as well as direct the other State Governments to follow the footsteps shown by the Government of Tamil Nadu under the leadership of our hon. Amma.

श्री प्रकाश जावड़ेकर : माननीय अध्यक्ष जी, जो प्लास्टिक के कचरे और अवशिष्ट की समस्या है, the issue is that we need to it properly; and therefore, we have revised the rules. The 2015 Draft Rules are on the website for public consultation for the last two months.

I am very happy to state that thousands of people have given their suggestions. Those suggestions will be evaluated and more responsibility will be given on the States -- the State Pollution Control Board, the State Government and Local Bodies. Earlier, Gram Panchayats and small villages were not responsible for collecting of plastic wastes but now, they will also be made responsible. Therefore, these new rules will change the whole scenario on the plastic waste management.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : अध्यक्ष जी, 40 माइक्रो से नीचे जो भी प्लास्टिक बनता है, वह कचरे का रूपांतर होता है और खेती में भी उसका बहुत असर पड़ता है। प्लास्टिक की थैली बेचने वालों के बदले जहां इसकी मैनुफैक्चरिंग होती है, उन यूनिट्स पर पाबंदी लगाने की क्या सरकार की कोई योजना है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : हमने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी राज्यों को फिर से निर्देश दिया गया है। क्या कार्रवाई की गई है, इसका ब्यौरा अलग से दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने भी दिल्ली में कार्रवाई की है और अनेक मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद किया है। जब इनकी मैनुफैक्चरिंग बंद होगी, तभी दुकानदार के पास यह उपलब्ध नहीं होगी। लोगों को और दुकानदारों को समझना चाहिए कि इनका यूज नहीं करना है। इस पर जो बैन लगा है, उसका लोगों को पालन करना चाहिए।

12.00 hrs

FELICITATION BY THE SPEAKER

CONGRATULATIONS TO INDIAN CONTINGENT FOR WINNING MEDALS AT THE SPECIAL OLYMPICS WORLD SUMMER GAMES, 2015 IN LOS ANGELES, THE UNITED STATES OF AMERICA, FROM 26 JULY TO 2 AUGUST, 2015

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं भारतीय दल को 26 जुलाई से 2 अगस्त, 2015 के दौरान लॉस एंजिल्स में आयोजित विशेष ओलम्पिक, यह वास्तव में बहुत ही अच्छा विषय है, इस विशेष ओलम्पिक वर्ल्ड समर गेम्स, 2015 में हमारे भारतीय दल ने 173 पदक जीते हैं जिसमें 47 स्वर्ण पदक हैं, 54 रजत पदक हैं और 72 कांस्य पदक हैं। ये सभी पदक विशेष बच्चों ने जीते हैं। इस पर मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से बधाई देती हूं। यह उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तव में राष्ट्रीय गौरव का विषय है और हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी सिद्ध होगी। हम भारतीय दल को उनके भावी प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं।

____

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now Papers to be Laid on the Table.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 515 (अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 20 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 213 (अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। (Placed in Library, See No. LT 2881/16/15)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the year 2013-2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2882/16/15)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2011-2012.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2883/16/15)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2012-2013.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 2884/16/15)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2013-2014.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 2885/16/15)

(7) A copy of Notification No. S.O. 1783(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 1st July, 2015, making certain amendments in Notification No. S.O. 1174(E) dated 18th July, 2007 issued under Sections 12 &13 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT 2886/16/15)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. गृह मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 676 (अ) द्वारा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक यथाविस्तारित बिहार निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2002 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत चंडीगढ़ प्रशासन निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) नियम, 2007 जो 13 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3/4/02/आरओ(1-2)/534 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2887/16/15)

3. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
   (एक) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2015, जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 311 (अ) में प्रकाशित हुआ था।
   (दो) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2015, जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 312(अ) में प्रकाशित हुआ था।
   (तीन) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) तीसरा आदेश, 2015, जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 313 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(Placed in Library, See No. LT 2888/16/15)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Cement Corporation of India Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2015-2016.

(Placed in Library, See No. LT 2889/16/15)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the National Security Guard, Private Secretary (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 63 in weekly Gazette of India dated 28th March, 2015 under sub-section (3) of Section 139 of the National Security Guard Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT 2890/16/15)

(2) A copy of the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency, Inspector General, Deputy Inspector General, Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police (Group 'A' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 514(E) in Gazette of India dated 26th June, 2015 under Section 26 of the National Investigation Agency Act, 2008.

(Placed in Library, See No. LT 2891/16/15)

(3) A copy of Order No. 26018/133/2012-IC-II (Hindi and English versions) dated 3rd June, 2015, stipulating that all the provisions of the Foreigner's Act, 1946 and may order made thereunder shall not apply to Shri Adnan Sami Khan, Pakistan national, and Shri Adnam Sami Khan is, therefore, exempted from deportation proceedings under sub-section (2) of Section 3A of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 2892/16/15)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): महोदया, आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(Placed in Library, See No. LT 2893/16/15)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 2894/16/15)

12.03 hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
3rd Report

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Madam, I beg to present the Third Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2014-2015).

12.03½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

12.04 hrs

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture *

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : महोदया, श्री राधा मोहन सिंह की ओर से, मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 2895/16/15 and LT 2896/16/15 respectavely.

12.04½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Textiles *

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

12.05 hrs

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment *

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 2897/16/15 and LT 2898/16/15 respectavely.

12.05½

(v) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st and 3rd Reports of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Departments of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers *

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। :-

(1) रसायन और पेट्रोलियम विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

12.06 hrs

(vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 183rd Report of the Standing Committee on Home Affairs on `Problems being faced by Refugees and Displaced persons in J&K', pertaining to the Ministry of Home Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 183rd Report of the Standing Committee on Home Affairs on `Problems being faced by Refugees and Displaced persons in J&K', pertaining to the Ministry of Home Affairs.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 2899/16/15, 2900/16/15 and LT 2901/16/15 respectavely.

12.06½hrs

(vii) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture *

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : माननीय अध्यक्ष महोदया, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2902/16/15

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you want to speak, you can go to your seats. I will allow you, but you have to go to your seats.

… (*Interruptions*)

12.07 hrs

At this stage, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy went back to his seat.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All of you will have to go. It is not like that.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry, Subba Reddyji. All of you must go. It cannot be that four of them are standing here and you are speaking. No, I am sorry. All of them will have to go to their seats. All of them are with you. So, they will have to go.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have already given a ruling. It is not like that.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : स्पीकर्स रूलिंग पर आपने बात की, दुष्यंत जी समझने की कोशिश करें, कृपया बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। ऐसा मामला यहाँ नहीं उठता है। थोड़ा रूल तो समझें। कृपया बैठ जाएं। वह सब नीचे रखेंगे, तो ही अलाऊ होगा। ऐसा नहीं होता है। आप मनमानी नहीं कर सकते हो।

12.07 ¾ hrs

At this stage, Shri Varaprasad Rao Velagapalli and some other hon. Members went back to their seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All of you may please keep your placards down.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr., what is your name? You take your seat.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am asking your people to take their seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, they will have to sit, they will have to take their seats. You cannot show all these things. No, I am sorry.

… (*Interruptions*)

12.08 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i)Re: Need to extend special category status to the successor State of Andhra Pradesh

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Madam Speaker, the State of Andhra Pradesh had been divided in a hurried way, in a very unscientific way. At that time, we had objected to the same thing here on the floor of the Lok Sabha. We had been suspended, the Bill was simply passed and it went to the Rajya Sabha. There also, the Members of Parliament in Rajya Sabha from Andhra Pradesh had objected. At that time, both the Congress, which was in power, and the BJP, which was in the Opposition, were actually interested in dividing the State. They thought that they should divide the State and they did it in a hurried way. At that time, the then Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, had promised to give Special Status to the residuary State of Andhra Pradesh for five years. Then, the BJP Members, Shri Arun Jaitley and Shri Venkaiah Naidu, demanded it for ten years. Further, they went on telling that anyhow, they were likely to come to power and they would definitely extend it to ten years. As they said correctly, they have come to power now. The residuary State of Andhra Pradesh is in great financial troubles. We are in great distress. We do not have anything. We have to start from zero now. We have to start from scratch. We do not have Capital, Secretariat, Assembly or anything. We are in a deficit financial state. We thought that at least the Government of India will give special status so

that Andhra Pradesh State can develop industrially. Once this status is given, we will definitely get 90 per cent grant and 10 per cent loan. Otherwise, it will be the reverse of it. We thought that at least we can develop the State industrially so that in the coming years, the State can come out of this financial crisis.

Now, very surprisingly, almost one year and three months has passed, but the Government of India is dilly-dallying. They are postponing the things and dragging on the things. Some people say that it is still under consideration, and the then State Finance Minister and Minister of State for Planning has categorically declared that no State will be given special status. Even now, some other Ministers are telling that special status to Andhra Pradesh will be given and it is under consideration of the Government of India.

Now, people are agitating in Andhra Pradesh and abusing us. We are not happy to come over there and shout slogans. We are always law-abiding citizens, and we always abide by your directions. But in spite of that, we are being forced to come over there and shout slogans. Otherwise, our people will not excuse us. They will not pardon us. Hence, we are here to protect their rights, and to protect the rights of Andhra Pradesh.

HON. SPEAKER: Yes, I can understand.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY : We demand from the Government of India to declare the State of Andhra Pradesh as a Special Category State. Otherwise, they cannot escape and there is no sanctity for democracy. The then Prime Minister had promised this on the floor of the House, and the then Opposition supported it and said that they will give it for 10 years. … (*Interruptions*) It is also said in the NDA election manifesto. Hence, we sincerely demand from the Government of India to declare Andhra Pradesh as a Special Category State and accord all permissions as per that. Otherwise, we will not … (*Interruptions*) We want a very specific and categorical declaration from the Government of India. Otherwise, our people will not pardon us. We cannot go and show our faces to our people. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Why are you prompting him?

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY : Hence, we demand from the Government of India to declare the State of Andhra Pradesh as a Special Category State. We want a very categorical reply from the Government of India. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri M. Srinivasa Rao, do you want to associate with him?

… (*Interruptions*)

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI) : Madam Speaker, thank you for allowing me to speak on this matter of urgent importance. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, it is not proper. He is also associating with the issue.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, this is not the way.

… (*Interruptions*)

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): Madam, after the Andhra Pradesh Re-organisation Act was enacted by the Parliament in 2014, the previous UPA Government had promised to grant Special Category Status to Andhra Pradesh State for five years to offset losses that it could suffer because of the State's bifurcation. All the political parties, including the BJP, supported Special Category Status to Andhra Pradesh. As the House knows, the Seemamdhra regions vehemently opposed the split and punished the Congress Party in the General Elections as well as in the State elections that were held simultaneously in Andhra Pradesh.

12.14 hrs

At this stage, Shri Y. S. Avinash Reddy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

Madam, the BJP was kind enough to demand in Parliament that Special Category Status be given to Seemandhra for ten to fifteen years. Already, there is unrest among the people of Andhra for not getting Special Category Status. If the

decision is delayed further, then it becomes difficult for elected representatives to convince the people. … (*Interruptions*)

The Central financial assistance to Special Category States is calculated in such a manner that 90 per cent of it is deemed as grant and the remaining 10 per cent is considered as a loan. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Okay, you have made your point.

… (*Interruptions*)

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) : So, with bifurcation of Andhra Pradesh, Seemandhra has suffered huge financial losses. … (*Interruptions*) The IT industries, infrastructure industries, educational institutions and Public Sector Undertakings are concentrated only in Telangana State. … (*Interruptions*) We have to build everything from scratch. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not proper. You are disturbing him. He is saying the same thing.

… (*Interruptions*)

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) : In spite of financial constraints, our hon. Chief Minister, Shri N. Chandrababu Naidu, has embarked on an ambitious programme of building the new Capital city by inviting FDIs and creating infrastructure. … (*Interruptions*) It is a humungous task. … (*Interruptions*) If Special Category Status is given to Seemandhra, then these things can be implemented in a smooth way. There is a demand for grant of special package for the most backward districts of the Rayalaseema Region and three districts of Uttara Andhra. During the financial year of 2014-15, Andhra Pradesh faced a deficit budget. The Central Government has promised in the A.P. Reorganisation Act that they would take all steps to reduce the deficit budget. It is praiseworthy that our State Finance Minister could tame the revenue and fiscal deficit to acceptable levels by trimming the non-Plan expenditure, but he has expressed an apprehension that the State would continue to be a revenue deficit State even under the Fifteenth Finance Commission, that is, from 2020-2025, if the promised

grants, aid and incentives were not extended to the State at the earliest. This needs to be looked into.

For the Telugu Desam Party, the two Ministries are not important, but the interests of the people of Andhra Pradesh are very important. When we had 33 MPs, we had not even asked for a single Ministry, and we supported the Vajpayee Government.

Today, …*(Interruptions)*[*] of the Congress Party came to Andhra Pradesh… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please do not take anybody's name. I understand what you are saying.

… (*Interruptions*)

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) : Today, the position of Andhra Pradesh is very, very bad. I am very happy that my friends from YSR Party, after one-and-a-half years, are demanding a Special Category Status for Andhra Pradesh.

माननीय अध्यक्ष: सपोर्ट करते समय इतना नहीं बोलते हैं। आपकी बात का माननीय राजनाथ सिंह जी ने जवाब दे दिया था।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) : On behalf of all the people of Andhra Pradesh, once again, I request the Government of India to give Special Category Status to Andhra Pradesh. This is our humble request, Madam. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, nothing will go on record.

… (*Interruptions*) *

HON. SPEAKER: Shri Srinivasa Rao, please take your seat. It cannot be like this. माननीय राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री हैं, पहले ही आपकी बात का जवाब दे चुके हैं। यह किसी के हाथ में देने की चीज नहीं है। He has already given an assurance regarding whatever you have said.

---

[*] Not recorded.

जितेन्द्र रेड्डी जी आप कुछ कहना चाहेंगे। If you want to say anything, you will have to go back to your seats. I will allow you, if you do that; otherwise, I am not going to allow you.

… (*Interruptions*)

HON. MEMBERS: बाकी का शून्य काल शाम को लिया जाएगा।

12.17hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to take necessary steps for implementation of proposed industrial area development scheme at Soniyana, Tehsil Gangrar, Chittorgarh district, Rajasthan

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील गंगरार के सोनियाना ग्राम में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना चल रही है । प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेल सुविधा के निकट स्थित है । उपरोक्त क्षेत्र के 10 किलोमीटर दूरी पर ही भीलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध वस्त्र व्यवसाय के कारखाने हैं । प्रस्तावित सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाइल जोन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है । स्थानीय स्तर की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं । वर्तमान में यह पर्यावरण अनापत्ति के लिए विचाराधीन है । रीको द्वारा प्रस्तावित औद्यागिक क्षेत्र के समय पर प्रारंभ होने पर भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले के व्यवसायियों द्वारा तीव्र गति से इस क्षेत्र के विकास की संभावनाएं हैं । सुविधाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रेलवे यार्ड की सुविधा भी नजदीक ही है । वायु मार्ग से भी उपरोक्त क्षेत्र नजदीक ही हमीरगढ़ हवाई पट्टी के निकट स्थित है । सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार एवं भीलवाड़ा जिले की हमीरगढ़ तहसील हैं । औद्योगिक विकास से दोनों तहसीलों के लगभग 5. ग्राम पंचायतों के हजारों परिवार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार से लाभान्वित होंगे । चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित बेरोजगारों एवं कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध होगा । रीको की इस महत्वाकांक्षी योजना से वस्त्र व्यवसाय में राजस्थान का योगदान बढ़ेगा । टेक्सटाइल जोन के रूप में उक्त क्षेत्र के विकास के कारण भविष्य में चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में रेडीमेड एवं गारमेन्ट व्यवसाय भी प्रारंभ हो सकेगा । प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से सरकार को भी आवंटन की आय के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की नियमित आय भी होगी । औपचारिकताओं के शीघ्र पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशानुरूप औद्योगिक विकास समय पर प्रारंभ होकर क्षेत्र के आमजन को रोजगार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायेगा ।

अतः मेरा वन एवं पर्यावरण तथा वस्त्र मंत्री जी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

(ii) Need to run special train between Muzaffarpur and Delhi

श्री अजय निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का एक प्रमुख व्यवसायिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक केन्द्र है और साथ ही इसके चारों तरफ उततर बिहार के लगभग 11-12 लोक सभा क्षेत्र हैं, जहाँ से चलने वाली कोई ऐसी सुपरफास्ट रेलगाड़ी नहीं है जो मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली 14-15 घंटे में पहुँचा सके । इस कारण मुझे एवं इन सभी 11-12 लोक सभा क्षेत्र के माननीय सांसदों को पटना आकर राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आना पड़ता है । मुजफ्फरपुर से पटना जाने में अगर जाम नहीं मिला तो लगभग 3 घंटों और फिर पटना से दिल्ली आने में लगभग 12-13 घंटों का वक्त लगता है । मैं इस संदर्भ में कई बार माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर सांसदों एवं आमजनों को होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए एक स्पेशल गाड़ी मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली चलाने का आग्रह कर चुका हूँ जो मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली 14-15 घंटे में पहुँचा दे । लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि न केवल हम सांसदों अपितु व्यापारियों एवं आमजनों को हो रही दिक्कतों से निजात दिलाने के मद्देनजर शीघ्र ही एक स्पेशल गाड़ी मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के लिए चलवायी जाए जो 14-15 घंटे में इस दूरी को तय करें ।

(iii) Need to ensure distribution of Methane Gas produced in Shahdol district, Madhya Pradesh in the State on priority basis and also provide adequate compensation and employment to farmers whose land has been acquired for production of the Gas

श्री दलपत सिंह परस्ते (शहडोल) : मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कोयले के भंडारों से मिथेन गैस का उत्पादन का कार्यभार रिलायन्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है । मिथेन गैस का वितरण राज्य के जिलों तथा राज्य में होना चाहिए, लेकिन गैसे दूसरे राज्यों में वितरित की जा रही है तथा साथ ही जिन आदिवासी किसानों की भूमि का अधिग्रहण जबरन किया गया है, उन्हें वापस किया जाए या जिन किसानों को उनकी जमीन का अधिग्रहण के बाद भी समान दर से मुआवजा नहीं दिया गया है, उन्हें मुआवजे का वितरण शीघ्र किया जाए । ऐसे भी आदिवासी किसान हैं जिन्हें सरकार की ओर से नौकरी देने का आश्वासन दिया गया लेकिन उन्हें नौकरी भी नहीं दी गई । शीघ्र ऐसे किसानों की सहायता की जाए । गैस के वितरण के प्लांट में मेरे जिले को प्राथमिकता दी जाए ।

(iv) Need to strengthen security to protect the people as well as Public Sector Undertakings from naxal attacks in Giridih Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : झारखण्ड में वामपंथी उग्रवादियों के नाम पर भय का आतंक व्याप्त है । मेरा संसदीय क्षेत्र गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के कई सार्वजनिक लोक उपक्रमों का कार्य क्षेत्र है परंतु इन लोक उपक्रमों एवं आस-पास के क्षेत्रों में नक्सली हिंसा से निपटने के लिए समुचित प्रबंध नहीं किए गए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में नक्सली हमले की संख्याओं में वृद्धि हो रही है । दिनांक 14.07.2015 को रात्रि 9.00 बजे सी.सी.एल. के 'खासमहल परियोजना' में कोयले से लदे करीब दो दर्ज ट्रकों/हाइवा में आग लगा दी गई । जिला परिषद सदस्य/अद्योहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य अभियन्ता, दामोदर घाटी निगम, बीटीपीएस को इस आग बुझाने के लिए दमकम भेजने का आग्रह किया गया क्योंकि घटना स्थल से बीटीपीएस की दूरी 4 किलोमीटर थी परंतु दमकल की गाड़ियाँ आग बुझाने नहीं पहुँचीं ।

हमारे संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का लंबा इतिहास है । अप्रैल, 2006 में खासमहल में ही रात्रि 7.20 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के शिविर को नक्सलियों द्वारा उड़ा दिया गया और लगभग 00.30 बजे तक मुठभेड़ हुई परंतु आधा किलोमीटर पर पुलिस स्टेशन होने के बावजूद पुलिस बल घटना स्थल पर नहीं पहुँची और सीआईएसएफ कैम्प को भी हटा दिया गया । ऐसी स्थिति में पीएसयूज इस क्षेत्र में नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले और निवास करने वाले कितनी असुरक्षा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह कल्पना का विषय है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि हमारे संसदीय क्षेत्र नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए आमजनों और सार्वजनिक लोक उपक्रम के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने हेतु व्यापक सुरक्षा इंतजाम उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

(v) Need to reopen Sports Authority of India Training Centre at Bavdi in Sikar Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मेरे संसदीय क्षेत्र सीकर (राजस्थान) के गाँव बावड़ी में बालिका हॉकी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण का एक सेंटर (साई सेन्टर) है जो वर्ष 2006 से संचालित है । यह सेंटर पिछले वर्षों से लगातार उत्कृष्ट परिणाम दे रहा है । अनेक पदक विजेता तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस सेंटर ने दिए हैं परंतु इन सब के बावजूद पिछले दो वर्षों से अर्थात् 2013 से इस सेंटर को बिना कारण बंद कर दिया गया है । बालिका हॉकी के लिए पूरे राजस्थान में यह एकमात्र सेंटर था । ऐसे में प्रदेश की बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में आने में बहुत कठिनाई हो रही है । हाल ही में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ''** मुहिम की शुरूआत की है । ऐसे में इस ''साई सेंटर'' को पुनः शुरू किए जाने से बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में आगे आने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस ''साई सेंटर'' को शीघ्र पुनः आरंभ कराया जाए ।

(vi) Need to reopen closed sugar mills in Basti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती (उत्तर प्रदेश) में गन्ना एक प्रमुख फसल होने के साथ-साथ किसानों के जीवन का आधार है । रहने के लिए मकान, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, बेटियों की शादी से लेकर किसानों के तमाम सपने गन्ने की फसल से मिलने वाले मूल्य पर ही निर्भर होते हैं । लेकिन कुछ सालों से गन्ना किसान मिल मालिकों और सरकार की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं जिससे इनका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है । मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती में कुल चार चीनी मिलें थीं - बस्ती, वाल्टरगंज, मुण्डेरवा और रूधौली । वर्ष 2002 में कतिपय कारणों से अचानक मुण्डेरवा चीनी मिल बन्द कर दी गई जिसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया । तीन किसान इस आंदोलन में अपनी जान तक गँवा बैठे, फिर भी मिल चालू नहीं हो सकी । वर्ष 2012 में अपने बड़े दाने के लिए मशहूर बस्ती चीनी मिल को भी बंद कर दिया गया । तब से लेकर अब तक मिल गेट पर किसानों का अनवरत धरना चल रहा है, फिर भी स्थिति 'जस की तस' है । दुर्भाग्य से इस वर्ष वाल्टरगंज चीनी मिल को भी बंद कर दिया जा रहा है । बजाज ग्रुप द्वारा संचालित बस्ती और वाल्टरगंज चीनी मिलों में आर्थिक भ्रष्टाचार व कर्मचारियों के शोषण की व्यापक शिकायतें मिल रही हैं । इसकी भी उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के गन्ना किसानों की दशा पर गंभीरता से विचार करते हुए दोनों बंद हो चुकी मिलों को शीघ्र ही चालू कराया जाए तथा इस बार बंद हो रही वाल्टरगंज चीनी मिल को किसी भी दशा में बंद न होने दिया जाए ।

(vii) Need to take corrective measures to improve the services of BSNL and MTNL

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): The service of BSNL and MTNL network is highly unsatisfactory in Delhi. The subscribers of these two services have been facing a lot of network-related problems including call drops, bad connectivity, etc. The BSNL had started its service in 2003 and had very quickly captured the market share. It had occupied number 2 position after Airtel but from the year 2007, it started losing its market share to its competitors due to lack of network expansion. All these years, there has been political interference and poor leadership in BSNL. There has been negative growth in Broadband service leading to a high customer churn. MTNL has been using old TDM technology and poor condition of Copper-cable based access network and poor quality of Drop wire procured by them have all led to their poor service quality. The staff is not trained in latest technology and several top posts have been lying vacant.

I would urge upon the government to remedy the situation in order to provide a satisfactory service to the subscribers of MTNL and BSNL.

(viii) Need to provide adequate civic, educational and employment opportunities in villages under Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : मेरा लोक सभा क्षेत्र खेड़ी (उत्तर प्रदेश) वनाच्छादित तथा कई नदियों से घिरा है । यहाँ बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ रास्तों, शिक्षा, चिकित्सा व बिजली की व्यवस्था नहीं है । इसी क्षेत्र में किशनपुर, कॉपटॉडा, ग्रन्ट नं0 1, एलनगंज बंगाली कालोनी आदि राजस्व ग्राम जो भीरा क्षेत्र की पलिया तहसील में स्थित हैं जिनकी सम्मिलित आबादी बीस हजार के करीब है । इस क्षेत्र के लोग आजादी के 68 वर्ष बाद भी गुलामी झेल रहे हैं ।

वन विभाग के लोग यहाँ के लोगों से गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं तथा विकास की सभी योजनाएं केवल इस कारण रोक दी जाती हैं कि यह वन क्षेत्र है । एक तरफ सरकार सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ने, विद्युतीकरण, शिक्षा व चिकित्सीय सुविधाओं सहित शुद्ध पेयजल व रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रयास कर रही है, वहीं इस क्षेत्र के लोगों को अपनी कृषि उपज गन्ने आदि ले जाने से लेकर शादी-ब्याह व रोगी को ले जाने हेतु एक हजार छः सौ (1600) रूपये की पर्ची कटानी पड़ती है । विद्युतीकरण के विषय में कहा जा रहा है कि बिना वन विभाग की अनापत्ति के विद्युतीकरण नहीं हो सकता। कॉपटॉडा आदि में आवश्यक सुविधाएं न होने के कारण आने वाली पीढ़ी भी अविकसित रह जायेगी जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त गाँवों को सड़कों से जोड़ने, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, रोजगार की उचित व्यवस्था के साथ-साथ सड़कों का निर्माण व विद्युतीकरण कराया जाए ।

(ix) Need to undertake repair and maintenance of road between Gulabpura and Uniyara in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan declared as National Highway No. 148D

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में भारत सरकार ने वर्ष 2011 में गुलाबपुरा से उनियारा तक 203.97 किलोमीटर सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी घोषित किया परंतु आज 4 वर्ष पश्चात भी राष्ट्रीय राजमार्ग 148डी पर कोई कार्य नहीं हुआ है । राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के बाद राज्य सरकार ने उस मार्ग पर मरम्मत का कार्य भी बंद कर दिया है । भारत सरकार भी उक्त् राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई मरम्मत कार्य नहीं करवा रही है, क्योंकि सारी सड़क नई बनाने की टेण्डर प्रक्रिया पिछले चार वर्षों से चल रही है । वर्तमान में गुलाबपुरा से हुरदा एवं जंझावर से नैनवा तक सड़क की हालत बहुत खराब है जिसकी मरम्मत आवश्यक है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी की मरम्मत के लिए आवश्यक बजट स्वीकृत कराया जाए ।

(x) Need to provide better services of Railways in North Eastern States of the country

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): The North East is rich in natural resources but it is considered as the most backward region of the country. Indian Raiwlays can bring sustainable development in North Eastern Region and develop the Tourism industry in that region. At present trains of the region are always running late. Often the trains are running without Pantry Car, Water etc. Many patients from North Eastern region travel by trains because Air Ambulance is too costly. But trains never reach the destination on time which create difficulties for the patients. Further, there is no alternative facility to travel from North East to other States of India.

Hence, I request the Hon'ble Minister of Railways to improve the services of trains for all-round development of North-Eastern States of the country.

(xi) Need to make river Ami in Uttar Pradesh pollution free

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): देश में पवित्र नदी गंगा का सफाई अभियान शुरू हो चुका है । गंगा विशेषकर उत्तर प्रदेश में ज्यादा औद्योगिक कचरा गिरने के कारण् सबसे अधिक प्रदूषित है । उसमें छोटी-छोटी नदियों के द्वारा औद्योगिक कचरे का प्रमुख योगदान है । उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर में बहने वाली 'आमी नदी' जहाँ संत कबीर का निर्माण स्थल भी है, उसके समीप स्थल जनपदों में स्थित औद्योगिक रूदौली बस्ती चीनी मिल द्वारा बेतहाशा कचरा गिरने से आज उसकी स्थिति बदतर हो गई है । मनुष्य क्या जानवरों की भी उसका पानी पीने से मौत हो जाती है । पूर्व में भी यह विषय आया था किन्तु सरकार के पर्यावरण एवं प्रदूषण विभाग के अधिकारियों द्वारा मात्र औपचारिका पूर्ण करने के कारण यह नदी प्रदूषण मुक्त नहीं हो पा रही है । यह आमी नदी राप्ती के माध्यम से बलिया में गंगा से मिलती है । आमी जैसी नदियों को जब तक प्रदूषण मुक्त नहीं किया जायेगा तब तक गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाएगी

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि औद्योगिक कचरा नदियों में गिराने वाली फैक्ट्रियों पर कठोरतापूर्ण कार्रवाई की जाए जिससे देश की नदियाँ प्रदूषण मुक्त हो सकें ताकि उनके किनारे बसे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके ओर सरकार के " अविरल गंगा निर्मला गंगा " के प्रयास को पूर्ण किया जा सके।

(xii) Need to set up North Maharashtra Development Board for overall development of the region

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : महाराष्ट्र के खानदेश, उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र अभी तक विकास से कोसो दूर है । आजादी के 65 वर्षों बाद भी यह क्षेत्र विकास से अछूता है । पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया जिससे यह क्षेत्र कृषि, उद्योग, पेयजल, शिक्षा, रोजगार एवं आधारभूत संरचना में काफी पिछड़ गया है । सिंचाई एवं पेयजल यहां की प्रमुख समस्याएं हैं । इस क्षेत्र की मुख्य फसल केला और कपास हैं । इसके बावजूद केला आधारित प्रसंस्करण उद्योग का नितान्त अभाव है । उत्तर महाराष्ट्र स्थित जलगांव क्षेत्र में केले के साथ-साथ संतरा, आम, नीबू, अंगूर के उत्पादन को देखते हुए यहाँ पर एक 'मेगा फूड पार्क' लगाने की संभावना है । साथ ही कपास उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ 'टेक्सटाइल पार्क' बनाया जाए ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए "उत्तर महाराष्ट्र विकास बोर्ड" की स्थापना जल्द से जल्द की जाए ।

(xiii) Need to increase the procurement price of Copra by NAFED

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): My Pollachi Parliamentary Constituency has about 92000 Hectare area under coconut cultivation which ranks one-fourth of coconut area in Tamil Nadu.

2.02 lakh M.T of Copra is being produced every year. The copra production is not a sufficient one for the coconut growers to eke out their livelihood. The support price for Milling Copra fixed by NAFED is only Rs.5 5.50 per/kg.

The Copra is being traded in the open market for Rs 65 per/kg only and the coconut growers are very much dejected. To ameliorate their financial crisis , the procurement price has to be hiked to Rs. 140 per Kg by NAFED taking into account the cost of production as well as Consumer Price Index.

The monsoon has supported the agriculturists upto some extent this year and therefore, the production of copra is in surplus. It is a pity to note that NAFED is compelling the concerned State Federations to bear the transport charges due to which the States could not open procurement centres in their States.

Therefore, I request the Minister for Agriculture to increase the Procurement Price of Copra by NAFED to Rs.140/- from the existing Rs.55.5O per/Kg and issue necessary orders to waive off the condition of transportation charges to be borne by the concerned States.

(xiv) Need to depute Central Industrial Security Force (CISF) at Mullaperiar Dam in Kerala

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): The Mullaperiar dam is situated in Thekkady district in Kerala and is owned and operated by the Tamil Nadu government. The length of the main dam is 1200 feet and top of the dam is 155 feet. The dam's security is with the Kerala Police and Tamil Nadu pays for it. Water from Mullaperiyar has been irrigating about 2,17,486 acres of land in five districts of Tamil Nadu - Theni, Madurai, Sivaganga, Dindigul and Ramanathapuram, and also generates electricity.

The Tamil Nadu government had moved the Supreme Court on 06.12.2011 seeking deployment of Central forces at the Mullaiperiyar dam, citing incidents of vandalism by certain political parties in Kerala at the dam site.

However, the petition was disposed of following an assurance from Kerala that it would take necessary steps to protect the dam.

But in the month of February 2015, one of the sitting legislatures of Kerala, along with group of journalists visited the Mullaperiar and subsequently damaged the structure of the baby dam. The Kerala police remained a silent spectator and failed to prevent people from damaging the baby dam. The journalists manhandled a member of a sub-committee (technical) under the supervisory committee set by the Supreme Court. The Tamil Nadu PWD officials complained to police, but the Kerala police refused to register an FIR on the complaint.

Tamil Nadu government on 20th February 2015 again moved the Supreme Court seeking directions of the Centre to depute the Central Industrial Security Force (CISF) to ensure the safety of the dam and its appurtenant structures.

(xv) Need to declare the class XII CBSE result of compartmental examination in mathematics as Generally Passed for the candidates who appeared at the said Examination

SHRI BALBHADRA MAJHI (NABARANGPUR): During the Board Examination of 2015 for Class-Xll through CBSE it was reported that the question of Mathematics (optional) was very tough. The matter was also raised in the house by some of the MPS. Inspite of assurance given by the HRD Minister, a number of students with Mathematics (Optional) as subject, failed. Some of students have qualified through entrance examination for Engineering and Medical courses, but are not able to take admission due to delay in result of Compartmental Examination which will take some more time.

Parents and students have requested the institutes to wait for the compartmental result to be out.

Irrespective of anything, some of the bright students, who otherwise scored high in all subjects, will carry the stigma of ‘Compartmentally Passed’.

It is therefore requested that, as an exception, students having compartment in Mathematics (Optional) be treated as “Generally Passed”.

(xvi) Need to regulate the functioning of private coaching institutes in the country

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : शिक्षा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है । हर कोई अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है जिससे बच्चों का जीवन उज्ज्वल हो सके । परंतु आज के युग में किसान एवं जिनकी मासिक आय न के बराबर है, वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहा है ।

आज प्रतिस्पर्धा का दौर है । देश में हर जगह प्राइवेट कोचिंग सेन्टर चलाये जा रहे हैं तथा बच्चों से मनमाफिक फीस वसूली जा रही है । जिनके पास पैसा है, वे अपने बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं और जो किसान और निम्न आय वाले परिवार हैं, वे अपने बच्चों को कोचिंग नहीं करा पाते हैं ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन सभी कोचिंग सेंटरों की समीक्षा की जानी चाहिए और फीस के लिए आवश्यक गाइड लाइन जारी की जानी चाहिए जिससे सभी को उचित कोचिंग मिल सके तथा मनमानी करने वाले सेन्टरों को तुरंत बंद किया जा सके ।

(xvii) Need to grant special category status to Andhra Pradesh

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Union Finance Minister Shri Arun Jaitley while accepting the fact of promise made regarding granting Special Category Status to residuary state of Andhra Pradesh, quoted the negative recommendation made by the 14th Finance Commission and at the same time the possibility of exploring alternatives of giving more than what Andhra Pradesh would have got under the status but this promise of alternate measure has been not made explicit. UPA Government should have included the Special Category Status in the Act itself. Present Government is not keen on amending the State Reorganization Act to accord Special Status to Andhra Pradesh. The Centre cannot deny this on the pretext of the Finance Commission recommendation as the assurance was made much before in Parliament during the debate on State Bifurcation as per the Article 3 and 4 of the Constitution.

(xviii) Need to return Rs. 1274 crore arbitrarily deducted from the state account of the Government of Telangana and transferred to the Income Tax Department by RBI

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): The Reserve Bank of India deducted Rs. 1274 crore from the state account of the Government of Telangana and transferred it to the income tax department. This was done without notice and in violation of a court order issued by the High Court of Hyderabad. The division of assets of the Andhra Pradesh Beverages Corporation Ltd is still going on under the AP Reorganisation Act and calculation of liabilities between Telangana and Andhra Pradesh is not complete. Only when this is done can the amount be deducted and that too from both states. Further, the Government of Telangana is not an income tax assessee. Thus the deducted amount should be returned to the Government of Telangana immediately.

(xix) Need to increase the annual income limit of parents of students belonging to Scheduled Castes to enable them to pursue Post-Matric education

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): I am drawing Government attention towards those students who belong to Scheduled Castes and studying in post metric classes all over India. The yearly income of their parents should be revised every two year as per the norms of the Ministry of Social Justice and Empowerment. On 12/7/2013 Ministry of Tribal Affairs fixed 4.50 lakh annual parental income as ceiling for ST Students. But it was not done by the competent authority of SCD V Section of the annual parental income ceiling under the centrally sponsored scheme of post metric scholarship for the scheduled caste students. However, 2.50 lakh is per annum parental income of Scheduled Caste students. On account this, several SC Students would be deprived of post metric education. Director I/C of SCD-V Ministry of Social Justice said vide their letter No 11036/2/2015-SCD-V dt 29.05.2015 “Keeping in view the limited fund allocation, increased in parental income ceiling under the scheme of PMS-SC will be considered on the availability of required funds from Ministry of Finance.” It is a strange matter that ST Students’ funds is available but SC Students' fund is not available. I request to take necessary action on the above subject immediately.

(xx) Need to increase the Minimum Support Price for paddy

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): The meagre hike of Rs.50/- per quintal in the Minimum Support Price for Paddy from Rs.1360/- to 1410/-for the year 2015-16 is crossly inadequate and unjustifiable. The government has announced that this decision has been taken based on the recommendation of Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP). But, the meagre hike of 3.7% for MSP to paddy would not improve the fortune of the farmers who are already stuck in unexpected miseries like floods, drought, shortage of fertilizers and overall increase in the input cost of production. As a result of this, they continue to be debt-ridden every year. The Swaminathan Commission's report had already urged that the farmers shall be paid 50% profit over the actual cost of production. Therefore, I would like to urge the government to increase the Minimum Support Price for Paddy to Rs. 2500/- per quintal so as to protect the farmers in the country.

(xxi) Regarding the proposal of Airports Authority of India to shift Bagdogra Airport

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): “Bagdogra is the only airport for Sikkim and North Bengal. It also serves as the most important airport for a large area including Bhutan, Lower Assam, Eastern Bihar and Eastern Nepal.

The Airport is the hub for tourists visiting Eastern Himalaya and Sikkim including now Mansarover. It has seen a considerable growth in air traffic, which crossed 1 million for the first time in 2014-15, growing at over 40% percent compared to last year.

A disturbing news regarding the proposal of the Airports Authority of India to shift Bagdogra Airport was reported. I strongly urge the government to desist from taking this step keeping in view both the cultural and economic importance of the airport to the people of the region, any issue can be resolved with State Government through dialogue.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am willing to allow Shri A.P. Jithender Reddy to make his submission, but they will have to go back to their seats. आप अपनी बात तो रखें।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All of them will have to go back to their seats.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Shri Jithender Reddy, please go back to your seat and make your point. … (*Interruptions*) Hon. Speaker has made a request to you, so all of you may please go back to your seats. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Venugopal, do you want to say something? What is your issue? You have not given anything in writing!

… (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL : I just want to make my submission on the issue of suspension; it is not a discussion, but only a submission. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is it? You have not given anything in writing. I do not know what your issue is.

DR. P. VENUGOPAL : Madam, we are the third largest Party and I may be allowed to speak.

HON. SPEAKER: What is the issue? Do you want to speak on the issue of fishermen? If that is so, you can.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा करोगे तो मुझे फिर से शून्य काल शुरू करना पड़ेगा।

DR. P. VENUGOPAL : Madam Speaker, I thank you for giving me the opportunity to express our views regarding suspension of Members… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What are you doing? You cannot speak on that. You told me that you would like to speak on the issue of fishermen, is it not? What is it? Which issue do you want to raise?

DR. P. VENUGOPAL : I just want to express our views, Madam.

HON. SPEAKER: About what?

DR. P. VENUGOPAL : I am not asking for any discussion. It is regarding suspension of the Members.

HON. SPEAKER: You cannot discuss that issue, I am sorry. That issue cannot be discussed here.

DR. P. VENUGOPAL: Kindly consider it, Madam.

HON. SPEAKER: Please give it in writing, if they have agreed.

… (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, seven districts of Odisha are reeling under severe flood situation. Lakhs of people have been marooned. The State Government within its ability and within its limitation has been doing extremely good work. Some of our hon. MPs here have had their constituencies in Odisha affected by flood and incessant rain. Sadly enough, the Government of India has, as yet, not reacted in any way towards the flood situation in Northern and Coastal Odisha. I would like to draw the attention of the Government, through you, that all the districts like Balasore, Bhadrak, Mayurbhanj, Dhenkanal, Cuttack, Puri, Keonjhar, Khurda, Jajpur and Jagatsinghpur have been severely affected by flood. … (*Interruptions*)

12.21 hrs

At this stage, Shri A.P. Jithender Reddy and some other hon. Members went back to their seats.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Therefore, while the House is disturbed, I would like to draw the attention, through you, of the Government that the Government should move with alacrity and rush help to Odisha. Of course, the

people there are being taken care of by the State Government. But that is not enough. The Central Government is sleeping and is not able to do anything for the people of Odisha. A Committee should be sent immediately to study the damages that have taken place. Normally, we have seen that the Committees go one or two months later when people have come to their normal life style, the waters have receded and no particular damage can be seen. So, I would request that while the Government is troubled with the proceedings in the House and while we admire your perseverance and your patience in dealing with the situation which has troubled the whole country, we would request that… (*Interruptions*)* ... So, no Government business should take place without the presence of the Opposition… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Tathagata ji, please do not do. That issue will not go on record.

… (*Interruptions*)… *

12.22 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS ..... Contd

(ii) Re: Situation arising due to failure to establish a separate High Court in Telangana

HON. SPEAKER: Shri Jithender ji, do you want to say something?

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, under Section 31 of the States Reorganization Act, 2014, it has been very clearly written that a separate High Court should be there each for Andhra Pradesh and Telangana. It has been the practice. When the NDA Government was there and the BJP was in power, on 1st November, Chhattisgarh was formed; after that Jharkhand was formed and after that Uttaranchal was formed. No sooner the formation day took place, the Court had to be bifurcated. That has been the practice. I do not know why there is some *mala fide* intention. In the last four Sessions we have been promised. You have given us an assurance and the hon. Home Minister has given

* Not recorded.

us an assurance. Our Chief Minister Shri KCR has met the *Pradhan Mantriji* and he has also met the *Rashtrapatiji*. Everybody has given us an assurance. Our Law Minister Shri Sadananda Gowdaji called us to his home. Not only we but also the advocates from Andhra Pradesh are having an agitation there. Lawyers have come on the road during the last forty to fifty days. As you know, once the State is divided, every person will have his own case. I am not fighting for one individual. Politicians, business men, students and farmers may have to go to a Court for settlement of their cases.

As you know, out of 29 judges in the High Court, 25 are from Andhra and Telangana people are being deprived of justice. We have raised this many times. आज मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि यह सीधा राजाज्ञा का उल्लंघन है। बीजेपी की सरकार रहते हुए उन्होंने तीन राज्य बनाकर तुरंत हाई कोर्ट बनायी थी। आज भी बीजेपी की सरकार के हुकूमत में रहते हुए तेलंगाना की हाई कोर्ट इस तरीके से क्यों डिले हो रही है, इसका हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। हम आपको यही बोल रहे हैं कि 12 साल हमारे लीडर्स ने आंदोलन किये थे। उन आंदोलनों में एक भी आदमी को बुलेट नहीं लगी, एक बार भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन हमारे 1200 बच्चों की आहुति हो गई। आज भी हम वैल में नहीं आना चाह रहे हैं, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहे हैं, हम हाउस की प्रोसीडिंग्स में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाह रहे हैं। आज भी हमारे दस एम.पीज. अपने पैरों पर खड़े रहकर अपने ऊपर कष्ट लेकर घंटों इंतजार करके जस्टिस मांग रहे हैं, हम दूसरा कुछ और नहीं कर रहे हैं। जो राजाज्ञा में है, जो कास्टीट्यूशन में है, जो एक्ट में है, सैक्शन 31 के मुताबिक इस पर अमल किया जाए और हमें न्याय दिया जाए, यह हमारी मांग है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, हम चाहते थे कि कानून मंत्री इसके ऊपर रिस्पांस दें, मगर अभी अचानक बंगलुरू में चुनाव की घोषणा हुई, इसलिए स्थानीय एम.पी. होने के नाते उन्हें वहां जाना पड़ा, इसके पहले के बिजनेस में भी वह नहीं थे, चूंकि वह वहां के लिए निकल गये। श्री जितेन्द्र रेड्डी जी ने जो बोला और इनके पहले श्री राजमोहन रेड्डी जी ने जो बोला, दोनों विषयो में दम है। इसका कारण क्या है कि जो आंध्र प्रदेश विभाजन का जो कानून सदन ने पारित किया।

HON. SPEAKER: Mr. Srinivasa Rao also said the same thing, all Andhra Members.

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : फिर बाद में हरि बाबू भी खड़े हो जायेंगे। जो विभाजन का कानून पारित किया गया, उस विभाजन के कानून के संदर्भ में उसके कारण से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। हालांकि तेलंगाना राज्य बन गया, शुरू-शुरू में लोगों ने उसका बहुत जश्न मनाया, लेकिन बाद में जो-जो कमियां आजकल देखने में आ रही हैं, उन्हें दूर करने में जो समय लग रहा है, उसके कारण से लोगों में थोड़ा असंतोष है। यहां स्पेशल स्टेटस के बारे में 14वें वित्त आयोग के बारे में एक नई स्थिति बन गई कि क्या करना है, इस पर सरकार चर्चा कर रही है, लेकिन उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ। नेचुरली वहां लोग प्रोटैस्ट कर रहे हैं।

दूसरी साइड स्पेसिफिकली एक्ट में बताया कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट अलग होनी चाहिए, तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद में होनी चाहिए। इसमें प्राब्लम क्या है, मैं इसके बारे में आज ज्यादा विस्तार से नहीं कह पाऊंगा। मेरे मित्र जोर देकर बीजेपी-बीजेपी कह रहे हैं, पहले वह भी कुछ दिन बीजेपी में थे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह सराहना कर रहे हैं कि आपने तीन राज्यों में अच्छे तरीके से किया है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : उन्होंने कोई गलत उद्देश्य से नहीं बोला है। वहां की स्थिति, यहां की स्थिति और जो आज की स्थिति है, हाई कोर्ट के सामने एक याचिका दायर की गई है और मुझे जो बताया गया है, मैं उस डिपार्टमैन्ट को हैंडल नहीं कर रहा हूं, वह कह रहे हैं कि यह सबजुडिस है। इसलिए विस्तार से उसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन सरकार की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि I know as a person who has stayed in Hyderabad for long that once you devide the State you cannot have one High Court. It is very clear. If you devide a State, there should be two separate High Courts. That will be good for this region and that region also. We are very clear on that. The Government is trying to address how to go about it and what are the practical problems. I appeal to both Jitender Reddy and also Rajamohan Reddy *garu*, having raised the issue … (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: They are two separate issues.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: They are separate issues but I am only one Minister.

On this High Court issue, I can assure him that the Law Ministry is aware of what is happening. He held one round of discussion with hon. Members also. I will be requesting him again to examine the possibility of coming over this *sub*

judice issue and then try to find a solution at the earliest. In principle, the Government of India is very clear and committed that there has to be separate High Courts for Andhra Pradesh and Telangana. I do not want to go into the details but justice should be done to the advocates of Telangana. They should also get an opportunity to become judges as per the eligibility and merit. That is the feeling there and we are one with that feeling as far as this issue is concerned.

With regard to second issue, I have already made an appeal that it is under examination of the Finance Minister and the 14^{th} Finance Commission. It has become a little complicated because it is not there in the Act. But as he said, it is a promise made in the House. So, that has to be kept in mind. The Ministry of Finance is closly examining it as it is a complicated issue. … (*Interruptions*)

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Hon. Speaker Madam, where there is a will, there is a way.

HON. SPEAKER: He is not saying ‘no’.

SHRI B. VINOD KUMAR : Madam, it is very simple. Section 31, Sub clause 2 categorically says; “The Cabinet has to take a decision and the President will notify.” It is very simple. It is a political decision. The hon. Minister has stated that there is a case in the High Court. Sir, it is already disposed of. That is not coming in the way. If the Government wants to take a decision, it is a simple case of bifurcation of the High Court into two High Courts. The Chief Minister of our State of Telangana Shri K. Chandrasekhar Rao is ready to allocate some building for the High Court of Andhra Pradesh if they want to establish it in Hyderabad. They need not go immediately out of Hyderabad. Our State Government is ready to accommodate the High Court also in Hyderabad because the Chief Minister of Andhra Pradesh is in Hyderabad, the Chief Secretary of Andhra Pradesh is in Hyderabad, the DGP of Andhra Pradesh is in Hyderabad. Why can the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court not stay in Hyderabad the dispose of the cases? It is very simple. The hon. Minister who is also a Cabinet Minister has to take a decision and the President will notify as per the Act.

HON. SPEAKER: He has said it definitely. He has answered you.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Mekapati Raja Mohan Reddy, I am requesting you to go to your seat.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You cannot speak from the well. Please go to your seat.

At this stage, Shri A.P. Jithender Reddy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: I am sorry that nobody is going to their seats.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इतना व्यवस्थित क्लैरिफिकेशन दिया गया है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now you have to take your seats. Shri Jaidevji, please take your seats. They have given very nice clarification. Shri Jagdambika Pal.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप शोर मत कीजिएगा।

…(व्यवधान)

12.32hrs

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 2012-13

HON. SPEAKER: The House will now take up and put the Demands for Excess Grants (Railways) for 2012-13 to the vote of the House.

Motion moved:

"That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 8, 10 and 13."

Demands for Excess Grants (Railways) for 2012-13 submitted to the vote of Lok Sabha

No. of Demand	**Name of Demand**	**Amount of Demand for Excess Grant Submitted to the vote of the House**
		(Rs.)
8	Operating Expenses- Rolling Stock and Equipment	33,88,59,057
10	Operating Expenses- Fuel	658,82,43,046
13	Provident Fund, Pension and other Retirement Benefits	981,95,20,896
	Total	**1674,66,22,999**

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record except Shri Jagdambika Pal's speech. … (*Interruptions*) Shri Jagdambika Pal will start the discussion. After this, we will take up 'Zero Hour'. … (*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि कम से कम आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। जो रेल देश की लाईफ लाईन कही जाती है, जो देश के लगभग तीन करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन 11000 गाड़ियां कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं, आज उसकी अनुपूरक अनुदान की मांगों के संबंध में आपने मुझे उस पर अपनी बात रखने की अनुमति दी है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देश की सबसे बड़ी, ट्रांस्पोर्ट की सबसे सस्ती सेवाएं अगर हैं तो वे रेल की सेवाएं हैं। उस रेल से आज चाहे गरीब हो, अमीर हो, या देश का कोई व्यक्ति हो, रेल की जो यात्रा है, वह उसके जीवन का एक हिस्सा है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों जब अपना बजट प्रस्तुत किया तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का जो बजट था, तब केवल यह नहीं था कि घोाणाएं कर दी जाएं, नई-नई योजनाओं की परियोजनाओं की घोाणाएं कर दी जाएं।

आपने देखा है कि पिछले वर्षों में जो घोषणायें पूर्व रेल मंत्रियों के द्वारा इस सदन में की गईं, आज भी उन योजनाओं के लिए न परिव्यय है और न ही उन योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा है।...(व्यवधान) हमारे तमाम संसद सदस्य चाहे वे इस पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, वे लगातार माननीय मंत्री जी से इस बात के लिए अप्रोच करते हैं कि हमारे यहाँ मीटर गेज से ब्रॉड गेज के कन्वर्जन की बात हुई थी, हमारे यहाँ नई रेल लाइन का सर्वे हो गया, रेल लाइन का सर्वे होने के बाद न लैंड एक्वीजिशन की कार्रवाई हो रही है या तमाम राज्यों के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है।...(व्यवधान) इससे लाखों-करोड़ों जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है।...(व्यवधान) जो रेलवे लाइन की क्षमता है, वह क्षमता आज 100 परसेंट से भी ऊपर हो रही है।...(व्यवधान) जहाँ गाड़ियों को सौ प्रतिशत चलना चाहिए, आज देश की तमाम ऐसी लाइनें हैं, जहाँ पर 130 परसेंट, 140 परसेंट, 150 परसेंट गाड़ियाँ चल रही हैं।...(व्यवधान) आज कहीं न कहीं माननीय मंत्री जी को नई घोषणाओं के बजाए इस बात को तय करना होगा कि हर हालत में कम से कम जो रेलगाड़ियां चल रही हैं, वे अपनी क्षमतानुसार सुचारू रूप से चले और वे गाड़ियाँ जनता को गंतव्य स्थान पर पहुँचाने में सफल हो सकें।...(व्यवधान)

आज कई जगह थर्ड रेल लाइन की बात हो रही है।...(व्यवधान) अभी तक जो डबलीकरण हुआ, उस डबलीकरण के बाद आज दिल्ली से कोलकाता की तरफ चले जाइए या दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर, गुवाहाटी की ओर चले जाइए या दिल्ली से चेन्नई की तरफ चले जाइए या दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए। हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि पिछले दिनों तक देश में जो हमारी ट्रेन की स्पीड थी, उस स्पीड को हमने बढ़ाया है, लेकिन आज भी जब हम जापान को देखते हैं,

चाइना को देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को देखते हैं, आज हमारी रेलवे दुनिया में नम्बर दो पर है, हमसे आगे आज केवल चाइना है।...(व्यवधान) विश्व में आज भारत का रेलवे के मामले में सेकेंड स्थान है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम स्पीडवाइज लें तो शायद अभी भी हम बहुत पीछे हैं।...(व्यवधान) मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार आने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि अब भारत की जनता का भी बुलेट ट्रेन का सपना वास्तविकता के धरातल पर पूरा होगा और उस दिशा में उन्होंने एक घोषणा की।...(व्यवधान) आज केवल वह घोषणा ही नहीं हुई है, बल्कि मुम्बई से अहमदाबाद के सम्बन्ध में डीपीआर तैयार हो रही है, उसकी अग्रेतर कार्रवाई हो रही है।...(व्यवधान) इसी तरह से दिल्ली-कोलकाता की बात है।...(व्यवधान) कई जगहों पर जब हम सौ स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं तो उसके साथ-साथ देश में बुलेट ट्रेन की स्पीड की गाड़ियों को चलाने का सपना पूरा होगा।...(व्यवधान) इसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पाटी, एनडीए की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।...(व्यवधान) हर रेल बजट में केवल यह एक परम्परा होती थी कि हम मॉडल स्टेशंस बना दें या नई रेलगाड़ियों की घोषणा हो जाए, लेकिन वे रेलगाड़ियाँ नहीं चलती थीं। ...(व्यवधान) हमारे पिछले रेल बजट के समय रेल मंत्री जी ने कहा था कि यह रेल बजट केवल घोषणाओं का नहीं होगा, यह रेल बजट क्रियान्वयन का बजट होगा।...(व्यवधान) आपने देखा है कि आज रेल को जो भी बजटरी सपोर्ट मिलता है, 30 से 35 हजार करोड़, लेकिन अगर परियोजनाएं लाखों-करोड़ की घोषित हो जाती हैं तो हम उन परियोजनाओं के लिए कहाँ से संसाधन ला सकें।...(व्यवधान) हमेशा तो यह होता था कि पीपीपी सेक्टर में हम प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप में लेकर आएंगे, हम रेलवे की लैंड बैक का इस्तेमाल करके संसाधनों को मजबूत करेंगे, लेकिन ऐसा कदाचित होता नहीं था।...(व्यवधान)

आज जो रेलवे की आपरेटिंग कॉस्ट है, अगर वह 95 परसेंट, 98 परसेंट हो गई तो स्वाभाविक ही है कि अगर देश में रेलवे सौ रूपया कमा रही है और उसके परिचालन में, रेलवे के एस्टेब्लिशमेंट में, रेलवे की सैलरीज में या रेलवे के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अगर हम 100 रूपए में से 95 रूपए खर्च कर रहे हैं तो पाँच रूपए में स्वाभाविक है कि जितनी परियोजनाएं पिछले वर्षों में घोषित हुई हैं, वे परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस बार निश्चित तौर से केवल पीपीपी मॉडल की घोषणा या बीओटी मॉडल की घोषणा नहीं करेंगे, बल्कि हम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेज के साथ जुड़ेंगें। वे तमाम चाहे विश्व की हों या डोमैस्टिक इनवैस्टमैंट की बात हो या फॉरैन इनवैस्टमैंट की बात हो, उस इनवैस्टमैंट को लाकर हम भारत की रेलवे में उन योजनाओं को पूरा करेंगे, चाहे वह बुलेट ट्रेन की योजना हो या अन्य तमाम परियोजनाओं की बात हो। कम से कम एक नए एक्सपैरिमैंट पर उन्होंने शुरू किया, उससे कम से कम पूरे साल नई

रेलगाड़ियों के चलाने की घोषणा हो सकती थी। अन्यथा पहले क्या होता था कि केवल बजट में जिन रेलगाड़ियों का प्रावधान हो जाता था या माननीय मंत्री के द्वारा उनके अपने रेल बजट के भाषण में जिन गाड़ियों की घोषणा होती है, उसके बाद अगर साल भर कहीं देश की जनता को बहुत आवश्यकता हो गई कि यहाँ पर रेलगाड़ी चलानी है, तो शायद माननीय मंत्री और सरकार के समक्ष यह कठिनाई होती थी क्योंकि नई गाड़ियों का प्रावधान केवल बजट के अंदर हो सकता था। अब मैं इस बात की भी बधाई दूँगा कि माननीय मंत्री जी साल भर नई गाड़ियों को चलाने में सक्षम हैं और जहाँ जन आकांक्षाओं के अनुरूप आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी उस गाड़ी को चला सकते हैं। ...(व्यवधान)

आज पूरे देश में जिस तरह से आज़ादी के बाद रेलवे की नैटवर्किंग बढ़ी है, पिछले दिनों आपने देखा कि प्रधान मंत्री जी गए, जम्मू-कश्मीर के पहाड़ों पर टनल के द्वारा जिस प्रकार से उसको हम रेलवे की नैटवर्किंग पर लाए, नार्थ ईस्ट को रेलवे की नैटवर्किंग पर ले आए, तो आज कहीं न कहीं आज़ादी के बाद, हम देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ने की बात करते थे, लेकिन कन्याकुमारी से रेल कहीं जुड़ी नहीं थी। जुड़ी थी वह मैदानी इलाकों में, लेकिन आज यह रेल कम से कम उन दुर्गम इलाकों में भी, जो नॉर्थ ईस्ट तक के हमारे स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी आज रेलगाड़ियाँ जुड़ रही हैं। यहाँ तक कि जम्मू-कश्मीर, असम, शिलांग में भी हमने इसको जोड़ने का काम किया है। निश्चित तौर से भारत की रेल के बारे में सही कहा जाता है कि जब रेल बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। आज उस परिकल्पना को हम साकार करने की बात कर रहे हैं। हम केवल रेल लाइन को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे हैं। बल्कि अगर किसी देश में सबसे बड़ा विकास का जो पैमाना है, प्रगति का पैमाना है, वह कनैक्टिविटी का पैमाना होता है। अगर देश में हम तेज स्पीड की कनैक्टिविटी देते हैं, अगर हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और देश का एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो वह अच्छा होगा। आज चाइना की स्थिति क्या है कि ग्वांग्झो से बीजिंग अगर 3000 किलोमीटर है, तो लोग बीजिंग से सुबह चार घंटे में ग्वांग्झो पहुँचते हैं और शाम को फिर अपने घर पर आकर रोटी खाते हैं, काम करते हैं। इसी तरह से आज चाइना में तीन-चार हजार किलोमीटर ट्रेन जाती है, जैसे आज दिल्ली में गाजियाबाद से डेमू, मेमू चलती है, मुम्बई में सबर्बन है या कोलकाता और चेन्नई में भी है। अभी जो हम परिकल्पना करते हैं कि कई बड़े महानगरों से सौ किलोमीटर की पैरिफरी या सराउंडिंग्ज़ में लोग सुबह चलेंगे और उन महानगरों में आकर काम करेंगे, दिन भर की मेहनत-मशक्कत के बाद लोग अपने परिवार की आजीविका के लिए रोज़ी-रोटी कमा सकेंगे और फिर शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर सुकून से खाना खा सकते हैं। आज उस परिकल्पना को साकार करने के लिए कि हम उन महानगरों से दूर, जैसे आज दुनिया की बढ़ती हुई स्पीड है, भारत को भी यदि उस स्पीड के साथ चलना है तो निश्चित तौर से हमें नए उपाय करने होंगे और वे नए उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में माननीय

मंत्री जी जरूर अपने उत्तर में बताएँगे कि उन्होंने बजट के समय जो प्रॉमिस किया था कि हम इसके रिसोर्सेज़ के लिए दूसरे डिपार्टमैंट के साथ भी डकटेलिंग करेंगे और स्किल डैवलपमैंट में भी प्रधान मंत्री जी का जो सपना है कि हम देश के करोड़ों नौजवानों को देश से बेरोज़गारी दूर करने के लिए उनमें एक स्किल पैदा करें, तो वह गाँव के लोगों के लिए एक सपना ही था। गाँव के लोग यह महसूस करते थे कि सरकारें हमें रोज़गार कैसे देंगी, शायद उस दिशा में भी पहली बार मंत्रालय बनाकर उस दिशा में पहल कर रहे हैं और जिस तरह से स्किल डैवलपमैंट मंत्री ने कहा था कि हमारा रेलवे के साथ एम.ओ.यू. हो रहा है और उस एम.ओ.यू. को साइन करने के बाद उन्होंने निश्चित तौर से रेल के प्लेटफॉर्म पर हो, आज विपक्ष के द्वारा एक शंका उठाई जाती है कि हम शायद रेलवे का निजीकरण करने जा रहे हैं। यह पहल तो शायद कांग्रेस और यूपीए के समय हुई थी। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि हम भारत की रेलवे का निजीकरण नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों रेल की तमाम यूनियन के लोगों ने इस सवाल को उठाया और मैं समझता हूँ कि शायद यह पब्लिक सैक्टर की सबसे बड़ी संस्था है। 11 हजार गाड़ियाँ प्रतिदिन तीन करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। जिस तरीके से देश के इतने लोगों के लिए घर हैं, रात को तमाम लोग उस ट्रेन में, घर में रहते हैं और वहीं जिस तरीके से उनके लिए कैटरिंग का प्रबन्ध होता है, भोजन का प्रबन्ध होता है या उनके रहने का प्रबन्ध होता है तो मैं समझता हूं कि शायद यह वाकई देश की जो कहते हैं धमनियां हैं, लाइफलाइन है, वह लाइफलाइन है। अब रही बात कि निश्चित तौर से जो रेल की आम जनता की, देश की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को लेकर के निश्चित तौर से हमें संसाधन जुटाने होंगे। मंत्री जी, ज्यादा बजटरी सपोर्ट के साथ-साथ हम वित्तीय संस्थाओं के साथ या हम और लोगों को भी निवेश करने के लिए, फॉरेन इन्वैस्टमेंट के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे तो आज हम उनके उत्तर भाषण में जानना भी चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी उस दिशा में कितना आगे बढ़े हैं।

आज कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति आ रही है कि हमें अपनी उस रेलवे की टैक्नोलोजी को माडर्नाइज़ भी करना पड़ेगा, उसको आधुनिक भी करना पड़ेगा।कौन सी परिस्थितियां पिछले दिनों हुईं कि इटारसी में इंटर लाकिंग सिस्टम खराब हो गया और इटारसी के उस इंटर लाकिंग सिस्टम के खराब होने के कारण नोर्थ इंडिया की सारी गाड़ियों में से अधिकांश गाड़ियां कैंसिल होने लगीं। लगभग 800 गाड़ियां आज तक उस इटारसी के इंटर लाकिंग के खराब होने के बाद कैंसिल हुईं तो स्वाभाविक है कि इसका नुकसान रेलवे को हुआ। जो गाड़ियां कैंसिल होती हैं, उनके पैसेंजर्स को हम पैसा वापस लौटाते हैं और उससे न केवल उस पैसेंजर को पैसा लौटता है, लेकिन हर पैसेंजर, हर यात्री, जिसने एक कार्यक्रम कहीं जाने का निर्धारित कर रखा है, कहीं चाहे उसका कोई कार्यक्रम हो, अस्पताल का हो, शादी-विवाह हो,

उसमें इतनी कठिनाइयां आती हैं कि फिर वह उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाता है। दूसरी तरफ रेलवे की आय में इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। यह भी समझ में नहीं आता कि उस इटारसी के इंटर लाकिंग सिस्टम को ठीक करने में कितने दिन लगेंगे। कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, बड़े अधिकारियों की आखिर कुछ जवाबदेही होगी कि नहीं होगी कि अगर कहीं एक स्टेशन की इंटर लाकिंग खराब हो जाये तो वहां से भोपाल हो, नागपुर हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, इधर की सारी गाड़ियां लेट होने लगीं, कैंसिल होने लगीं और आज कहीं न कहीं उसका फर्क यह पड़ रहा है कि गाड़ियां लेट हो रही हैं। उस सम्बन्ध में भी मंत्री जी को कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा कि आज देश की लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं, देश की लाइनें कहते हैं...(व्यवधान) अब चालू हो गया, लेकिन 45 दिनों में उसके कारण 800 गाड़ियां कैंसिल हुईं। मैं समझता हूं कि उसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इतने दिन क्यों लगे, क्यों नहीं चालू हुई। इसी तरीके से मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि जो ये बजट है, यह अनुपूरक अनुदान में लेकर के आये हैं, उसमें कहीं न कहीं रेलवे पर जो दबाव बढ़ रहा है, उसके सम्बन्ध में विकास करने की आवश्यकता है, जिससे कि आज चाहे रेलवे के प्लेटफार्म्स पर हो या रेलगाड़ियों में हो, जिस तरीके से एक बयान मैंने पढ़ा, अभी पिछले दिनों कुछ सवाल उठाये गये कि लोगों को टिकट लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन आया कि अब एक मिनट में ई-टिकटिंग के माध्यम से पांच से सात हजार टिकट बन जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आज वेटिंग की परेशानी बढ़ रही है, अगर कहीं लखनऊ से, गोरखपुर से, बिहार से दिल्ली आना हो तो महीनों-महीनों ट्रेन की कन्फर्म सीट नहीं मिलती है। आज कम से कम जो पैसेंजर्स रेलवे पर ही निर्भर हैं और जिनके पास रेलवे के सिवाय कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, उनके सम्बन्ध में भी मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में जरूर इस बात को बताएंगे कि सबसे ज्यादा लोग बिहार से, ईस्टर्न यू.पी. से लोग पंजाब जाते हैं, दिल्ली आते हैं, मुम्बई जाते हैं, देश के तमाम महानगरों में जाते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर अधिक खर्च भी हो जाता है, जैसे वर्ष 2012-13 में 1641 करोड़ ज्यादा खर्च हो गया तो आखिर उसकी स्वीकृति भी सदन देगा। मैं समझता हूं कि अगर 2012-13 में बिना सदन की स्वीकृति के अगर खर्च हुआ है तो उस सम्बन्ध में भी भविष्य में अगर रेलवे की कोई एडवांस प्लानिंग हो तो बेहतर होगा। सदन ने जितने बजट का प्रोवीज़न किया है और उसकी स्वीकृति दी है, अगर उससे अधिक पैसा खर्च होता है तो उस पैसे के सम्बन्ध में रेलवे ने कोई एडवांस प्लानिंग की है, उसको भी बताएंगे। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि जो हमारी एन.डी.ए. गवर्नमेंट है, जो पिछली गवर्नमेंट की तुलना में, जैसा पिछले दिनों कहा था कि हम केवल पोपुलिस्ट मैजर्स नहीं उठाएंगे, बल्कि हमारे जो नये प्रोजैक्ट्स होंगे या रेल ट्रैक्स होंगे, हम उनको पूरा करेंगे। हमारी सरकार ने इस बात के लिए जोर दिया था कि हम आने वाले दिनों में ऑन गोइंग प्रोजैक्ट्स को पहले पूरा करेंगे। यह न हो कि ऑन गोइंग प्रोजैक्ट्स

के लिए पैसा न दिया जाये और हम नये प्रोजैक्ट्स की घोषणा कर दें तो इस सम्बन्ध में मैं निश्चित तौर से मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी-एन.डी.ए. की सरकार बनी, उस समय जो गोरखपुर से गोंडा मीटरगेज से ब्रॉडगेज हो रही थी, जो दद्दन मिश्रा जी के क्षेत्र से जाती है, शरद जी के क्षेत्र से, हमारे और पंकज चौधरी जी के क्षेत्र से, उन तमाम क्षेत्रों से जाती है, उसके लिए 100 करोड़ रुपया दिया और फिर जितनी और आवश्यकता हुई, अब बहुत जल्दी ही गोरखपुर से गोंडा मीटरगेज से ब्रॉडगेज हो जायेगी, एक कम से कम 150 किलोमीटर की एक नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन इस देश के ब्रॉडगेज के मैप पर जुड़ने जा रही है तो मैं समझता हूं कि इस तरीके का जो कदम है, इसी तरीके से कम से कम जो नई लाइन के जो अभी इस देश में कम से कम 154 वर्क्स चल रहे हैं और जिसके लिए 121907 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसी तरीके से गेज कन्वर्शन जो है, आज 42 गेज कन्वर्शन के काम इस देश में चल रहे हैं, जिसके लिए 1920 करोड़ की आवश्यकता है। डबलिंग वर्क्स के 166 प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी 34789 करोड़ की है, टोटल इस तरह से जो देश में कार्य चल रहे हैं, वे 362 प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं, जो पेंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं। ये समय-समय पर हुए हैं, ये हमारी सरकार के नहीं हैं, ये पिछले कई वर्षों से, चाहे वह नई लाइन की हो या गेज कन्वर्शन के हों या डबलिंग के हों, 362 प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं। इन पैंडिंग वर्क्स को थ्रो फारवर्ड करने के लिए आज 1,58,616 करोड़ की आवश्यकता है तो इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि मंत्री जी प्रयास करेंगे।...(व्यवधान)

मैं केवल दो मिनट और लूंगा। मैं समझता हूं कि आज जो प्रोब्लम्स परसिस्ट कर रही हैं, मैंने दो चीजों का तो कहा था कि वेट लिस्टेड टिकिट्स का था, ट्रेन्स का था और जो लार्ज नम्बर हमारे पेंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं या इनएडीक्वेट फैसिलिटीज़ एट रेलवे स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस पर भी जैसे पिछले दिनों हमने कुछ मॉडल स्टेशंस बनाये थे, कुछ आदर्श स्टेशंस बनाये थे, लेकिन आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सभी स्टेशंस के खान-पान पर, स्टेशंस की सफाई पर, क्योंकि, प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा इस देश में स्वच्छता अभियान पर जोर दिया था, रेलवे में भी शायद पहली बार ऐसा हुआ कि हम सभी सांसदों को डी.आर.एम. ने या जी.एम. ने पर्सनली फोन किया और कहीं न कहीं स्वच्छता अभियान का, सफाई अभियान का एक सप्ताह कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हम सांसद खुद गये और हमने प्लेटफार्म की सफाई में अपनी हिस्सेदारी की, बाहर की सफाई में की तो वह अभियान यह नहीं कि हम सांसद गये, वह लगातार चलता रहे, क्योंकि, स्टेशंस पर जिस तरीके से पैसेंजर्स की भीड़ होती है और जिस तरीके से अभी भी वह एक सेंस ऑफ रैस्पोंसिबिलिटी नहीं है और स्टेशंस पर गंदगी होती है तो स्वच्छता अभियान के लिए भी ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे, इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि जो पीपुल्स पार्टीसिपेशन की बात है या पीपुल सेंट्रिक है, उसमें एक बैटर फैसिलिटी का जो उद्देश्य है, उस काम को भी आप करेंगे। ...(व्यवधान) जो माननीय

मंत्री जी कह रहे हैं कि उनका जो उद्देश्य था, वह सैल्फ सस्टेनेबल का था कि हम अपनी रेलवे को खुद स्वावलम्बी बनाएंगे और उसमें जो उन्होंने कहा था कि हम ट्रैक लेंथ को 20 परसेंट और बढ़ाएंगे, जो हमारी इस समय 1.14 लाख किलोमीटर ट्रैक लाइन है, उसको 1.38 लाख किलोमीटर करेंगे। ...(व्यवधान)

मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। पिछले दिनों हम कई सांसद मिले थे कि नेपाल के समानान्तर अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बनाई थी, उसके बाद कोई बात बढ़ी नहीं। आज नेपाल का द्वार है, बढ़नी, बहराइच, श्रावस्ती तो उस बहराइच से, श्रावस्ती से लेकर लामपुर, उतरौला, डुमरियागंज, बांसी, खलीलाबाद होते हुए गोरखपुर एक नई रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, मैं समझता हूं कि उसे माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है, उस नई लाइन को निश्चित तौर से उसके लिए बजट की स्वीकृति प्रदान करेंगे, जिससे कि कम से कम जो एक 1600 किलोमीटर टनकपुर से रक्सौल में भारत नेपाल की सीमा मिलती है, वहां के भारत और नेपाल के यात्रियों को सुविधा होगी।

महोदया, जब से प्रधानमंत्री जी नेपाल गए हैं तब से भारत और नेपाल के बीच एक नए रिश्ते की शुरूआत हुई है। हम तो चाहते हैं कि बढ़नी से होकर पोखरा, बुटवल और काठमांडू तक हमारी रेलवे जाए, जिससे भारत और नेपाल के लोग और भी करीब आ सकें।

इतना कहते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Madam Speaker, with your permission I speak from here.

MADAM SPEAKER: All right.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : We have seen that the excessive expenditure has become a perennial problem. It is not new. Every year the Government tries to balances its Budget. But because of faulty assumptions of revenues as well as faulty assumptions of expenditure, every year, for the last four years, we are seeing an Appropriation Bill being put retrospectively. Now, since the Minister is a Chartered Accountant, I am sincerely hoping that he would be able to better balance his books. However, the Railways does not seem to have learnt its lessons. The fact is that the Railways is unable to make most efficient use of the resources that it has in its hands. For example, in the current Appropriation Bill, which seeks to appropriate almost Rs. 2,719 crore for the year 2012-13, we find that despite six revenue grants, one segment of capital grant, ten revenue appropriations, and two segment of capital appropriations, and despite obtaining supplementary provisions, in all five appropriations, we find that there is still an element of outstanding revenue which needs to be appropriated.

This is a failure not only for the Ministry's planning mechanism but also the failure for the Ministry's financial outlays, which they are unable to meet successively for the last four years. This has been mostly on account of an increase in the pensions, an increase in the cost towards human resources, 31 per cent increase towards pension, 19 per cent towards fuel, and 15 per cent towards rolling stock and maintenance.

We know that the fuel prices are down now. In that case, at least for this current year, the hon. Minister of Railways should be able to balance his Budget on account of fuel expenditure. However, we do not understand whether the Railways has actually taken into account the huge outlay it has for the expenses on people. We find that the Ministry is still planning to increase the number of people it has. In fact, I believe that Indian Railways would be having the highest number

of man power for the amount of trains it utilises. That is because of the lack of utilisation of technology and lack of utilisation of innovation. That is why we have successively failed to meet and balance our Budgets.

I hope the hon. Minister will take that into account. For example, let us look at the real estate that the Railways has and the way they have planned to build factories, the way they have planned to build more railway lines, etc. we find massive delays happening in the construction of railway lines. I would like to quote to you the railway line which is very dear to my heart, to the people of my constituency, the Bolangir – Khurda railway line, which was sanctioned 25 years ago. However, we find that the pace of development of that line is extremely slow.

I am glad that the hon. Minister recently signed an MoU with the blessings of the Chief Minister of Odisha. The Chief Minister of Odisha has agreed to give 50 per cent of the cost as well as the land towards this railway line. For that I congratulate both the Chief Minister of Odisha as well as the hon. Minister of Railways. However, if we do not plan the execution of this line correctly, we will find that delays will happen, cost over run will happen, and time over run will happen. We will again come back next year to appropriating more money on this Budget if we are not able to complete the line in time.

Many times the Committees have actually examined the accounts of the Railways, both in the Standing Committee and in the Public Accounts Committee. Consistently they have pointed out that there is poor Budgetary planning, there is poor execution on behalf of the Railways. This is not new. I would like to know categorically from the Minister of Railways, when he gives his reply, as to what steps he has taken to ensure that in the future that the Budget will be balanced and that the Railways will keep to the time line and to the cost line that they have committed to.

For our State of Odisha, some very important works have been kept pending. One is, we have always demanded from the Party's side, the inclusion of a new Rajdhani Express, via Sambalpur from Bhubaneswar to Delhi.

13.00 hrs

This will not only increase revenue generation of the Indian Railways but also add to the viability of one of the most profitable States, Odisha contributes a large mount of revenue to the Indian Railways. It is going to add to the viability of that. In fact, for increasing the passenger as well as freight traffic, a lot of doubling of lines is required. We know that most of the mines are located in Odisha; we know that the Ports are located there; we also know that a lot of Steel Plants are coming up there. So, a lot of doubling of lines is required. A lot of capital contribution is required. I am happy that the hon. Minister has allocated Rs.3300 crore – I think that was the figure for Odisha – for this year. Even with that figure, the East Coast Railway gives a revenue of almost Rs.15,000 crore to the Indian Railways. I think more money should be spent in the State of Odisha to develop the infrastructure to ensure that revenue generating areas actually get the importance they deserve.

Lastly, I would like to say that yesterday we had a Question on Water Vending Machines in the Indian Railways where the hon. Minister of State for Railways was answering. He said that they are going to put some clean drinking water facility in various Stations. There is going to be a requirement of two or three people for each vending machine. Again, I would say that the Indian Railways are going to add to the personnel cost and the operating cost of the Indian Railways. These are small yet important matters. It is important that the Indian Railways and the hon. Railway Minister think of more innovative methods to provide services which are essential and required without adding to the personnel cost and operating cost of the Indian Railways. I would like to suggest to the hon. Minister that he should use the Self-Help Groups to run these Water Vending Machines instead of hiring people for the Indian Railways and increasing the pay roll.

My Party believes that chemical toilets, bio-digestible toilets should be used excessively. While we can aspire to have bullet trains, while we can aspire to

have world-class stations, if we are unable to provide basic amenities and basic services to the rest of the stations, to the rest of the trains, it has no bearing on the people of India unless we can provide these basic services. So, I would also like to ask the hon. Railway Minister to ensure that all major stations get handicapped-access for the people of India.

With these words, I conclude. Thank you.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m.

13.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

14.15 hrs

The Lok Sabha re-assembled at
Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 2012-13 Contd.

HON. CHAIRPERSON Shrimati R. Vanaroja.

SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Hon. Chairman, Sir, *Vanakkam.* I wholeheartedly thank our beloved leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, for this opportunity to take part in the discussion on the Excess Demands for Grants pertaining to Railways for the year 2012-13.

A cursory look at the document presented by the hon. Railway Minister shows that an excess expenditure aggregating to Rs.1,674.66 crore had been incurred under Voted Expenditure of grant Nos.8, 10 and 13; and another Rs.1.29 crore under Charged Appropriation Nos.3, 4, 5, 7, 8, 11 and 13.

Under Grant No.8 - operating expenses rolling stock and equipment – an amount of Rs.33,88,59,000.57 was spent during 2012-13 mainly under Diesel and Electric Locomotives due to more expenditure towards staff cost. The demands for excess grant also include some payments incurred and not anticipated earlier for repairs and maintenance of permanent way and works, plant equipment and motive power.

Another demand for excess grant pertains to fuel expenses due to increase in the prime cost of HSD Oil in diesel locos and increase in rate of energy purchased from outside sources than anticipated. There is a demand for excess grant due to some more payments pertaining to Provident Fund, Pension, and other retirement benefits to employees than anticipated.

The hon. Railway Minister, in his Budget Speech this year earlier, had highlighted the plan of Railways to mobilize an amount of more than Rs. One lakh crore through investments from external sources. The hon. Railway Minister had also proposed a new infrastructure financing mechanism. As a new initiative – first of its kind in the country – the Tamil Nadu Infrastructure Fund Management Company which had been launched by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchi Thalaivi Amma* has been functioning successfully.

The Vision 2023 document released by hon. Dr. *Puratchi Thalaivi Amma* highlights about 10 very important railway projects which are to be implemented in Tamil Nadu at a cost of Rs. 1,88,400 crore. The 10 important rail projects relating to Tamil Nadu are:

1. Complete doubling of Chennai-Kanniyakumari line;
2. Freight line between Sriperumbudur-Guindy;
3. Chennai-Thoothukudi freight corridor;
4. High speed passenger rail link between Chennai, Madurai and Kanniyakumari;
5. High speed passenger rail link between Madurai and Coimbatore;
6. High speed passenger rail link between Coimbatore and Chennai;
7. Chennai-Bengaluru high speed rail link;
8. Chennai-Bengaluru freight corridor;
9. Avadi-Guduvancheri rail link; and
10. Avadi/Tiruvallur-Ennore port link

Other than these 10 projects, another 217 projects are also identified in the Vision 2023 document.

I wish to urge that as stressed by hon. *Puratchi Thalaivi Amma* in the Memorandum submitted to the hon. Prime Minister, these railway projects should be given utmost priority and the State Government concerned should be made a stakeholder. The Government of Tamil Nadu has informed its readiness to the

Union Government regarding implementation of railway projects under Public Private Partnerships.

I urge that a dedicated freight corridor should be set up between Chennai and Tuticorin. I also urge the Railway Minister to organise special fund mobilisation drive for implementation of high speed rail links between Chennai-Madurai-Kanniyakumari and Coimbatore-Madurai.

I urge upon the Ministry of Railways, as demanded by hon. *Puratchi Thalaivi Amma*, for early consideration and approval of these projects.

It is learnt from the Railway officials that some of these projects, most notably the doubling of the Chennai-Kanniyakumari broad gauge line and the Avadi-Guduvancheri and the Avadi/Tiruvallur-Ennor port link are being taken up for implementation. I request the hon. Railway Minister to kindly ensure that adequate funds are allocated for the early completion of these projects.

I expect that the Chennai-Bengaluru freight corridor and the Chennai-Bengaluru high speed passenger rail link would be high priority projects under the Chennai-Bengaluru Industrial Corridor promoted by the Department of Industrial Policy and Promotion of the Government of India.

Tamil Nadu is a progressive State which is at the forefront of attempting innovative means of raising funds for infrastructure development. Tamil Nadu infrastructure Development Board under the Chairmanship of hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchi Thalaivi Amma, has approved the development of the Madurai Thoothukudi Industrial Corridor as an integrated project. This corridor includes two sets of projects, industrial node development and trunk infrastructure projects.

Three of the trunk infrastructure projects proposed under the Corridor are railway projects:

1) Chennai-Thoothukudi freight corridor,
2) Chennai-Madurai-Kanyakumari high speed passenger link, and
3) Coimbatore-Madurai high speed passenger link.

As proposed by Vision 2023 document, these projects are to be implemented in the Public Private Partnership mode through a Special Purpose Vehicle of Indian Railways and Government of Tamil Nadu. Hence, the Government of Tamil Nadu would be willing in principle to enter into a Memorandum of Understanding to set up a Special Purpose Vehicle to promote these three railway projects proposed in the Madurai-Thoothukudi Industrial Corridor.

A good number of projects announced in the previous Railway Budgets had raised public expectation considerably, but the work on these projects has been very slow. Hence, I request you to kindly allocate sufficient funds in the Budget to expedite the completion of these projects.

I would like to mention some of the Railway Projects relating to Tamil Nadu for which the work is yet to commence.

1. New line from Morappur to Dharmapuri
2. (a) 5th and 6th line on Chennai to Villivakkam and
   (b) New line from Villivakkam and Katpadi Sections
3. New line from Chidambaram to Attur *via* Ariyalur
4. Doubling from Trivandrum to Kanyakumari
5. Doubling Jolarpetti-Katpadi-Arakkonam
6. From Bodinayakanur to Kottayam
7. Doubling from Renigunta to Arakkonam
8. 3rd and 4th lines from Attippattu-Gummidipoondi
9. New line from Jolarpetti to Hosur *via* Krishnagiri

10. New line between Mayiladuthurai-Tirukadaiyur-Tharangambadi-Tirunallar-Karaikal

11. New line from Ramanathapuram- Kanyakumari *via* Thoothukudi-Tiruchendur

12. New line between Karaikudi-Thoothukudi *via* Ramanathapuram

13. New line from Karaikal to Sirkazhi

14. New line from Salem (Namakkal)-Karaikal *via* Perambalur, Ariyalur

15. Doubling from Irugur-Podanur

16. Doubling from Thiruvananthapuram to Kanyakumari *via* Nagercoil

17. New BG line between Madurai (Bodinayakanur) and Ernakulam (Cochin)

18. New line between Dindigul to Kumuli *via* Bodi and Theni

19. Doubling and electrification of Madurai-Kanyakumari *via* Tirunelveli including Nagercoil Junction Terminal facilities

20. New BG line between Chennai and Sriperumbudur *via* Saidapet

21. New line between Thanjavur and Ariyalur

22. New line from Madurai-Karaikudi *via* Melur

I earnestly request you to kindly look into the demands pertaining to the railway projects in Tamil Nadu with due consideration so that we are not deprived of infrastructure development especially that relates to Railways.

With these words, let me conclude. Thank you.

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वे पिछले कई दिनों से रेलवे डिपार्टमैंट और रेलवे के कोराबार में सुधार लाये हैं। हम कई सालों से देख रहे थे कि रेल कभी टाइम पर नहीं चलती थी, लेकिन हमारा जो सैंट्रल रेलवे रूट है, साउथ रेलवे रूट हमारी कांस्टीटूएंसी के बाजू से जाता है, वहां सभी गाड़ियां टाइम पर चलने लगी हैं। इसके साथ-साथ गाड़ियों में जो सुविधाएं मिलती हैं, उनमें भी बहुत सारे सुधार किये गये हैं। इसके अलावा वहां कुछ और सुधार करने की भी जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैं बुलढाणा जिला से चुनकर आता हूं, जो महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा जिला है। वहां पर हर रोज दो से चार किसान सूसाइड करते हैं। उस बुलढाणा जिले के लोगों की सौ साल से मांग है कि वहां से शेगांव, खामगांव, जालना तक नयी रेल लाइन बननी चाहिए। इस रेल लाइन का चार साल पहले सर्वेक्षण हुआ था और वर्ष 2012-13 में रेलवे डिपार्टमैंट को 1 हजार 26 करोड़ रुपया का ऐस्टीमेट भी सादर किया गया था, लेकिन अभी उसे मंजूरी नहीं मिली। उस पर अभी भी काम नहीं हो रहा।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि बुलढाणा जिले में अगर यह रेल लाइन बनती है, तो वहां बड़े उद्योग स्थापित होंगे। जबकि हमारे बुलढाणा जिले के हजारों मजदूरों को अपना पेट भरने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। वहां बड़े उद्योग नहीं होने से बेकारी बड़ी तादाद में बढ़ रही है। अगर यह रेल लाइन बन जाती है तो हमारे जिले में भी बड़े उद्योग आयेंगे। इससे हमारे जिले का भी विकास होगा और किसानों को भी लाभ होगा। इसके साथ-साथ वहां जो बेकारी बढ़ रही है, वह भी कम हो जायेगी।

सभापति महोदय, हमारी कांस्टीटूएंसी में शेगांव रेलवे स्टेशन आता है, जो संत गजानन महाराज की पावन भूमि है। वहां पर हर रोज पन्द्रह से बीस हजार यात्री हर रोज रेलवे से आते-जाते हैं, लेकिन उस स्टेशन पर सुविधाएँ बहुत कम हैं। वहां के प्लेटफार्म की हाइट भी कम है, जिससे जो बुजुर्ग लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें चढ़ने-उतरने में बहुत असुविधा होती है। बहुत सारे लोग तो चढ़ते-उतरते समय गिर भी जाते हैं, इसलिए वहां के प्लेटफार्म की हाइट बढ़ाने की जरूरत है। मैंने पिछले साल यह भी मांग की थी कि वहां पर फुटवियर ब्रिज होना चाहिए। वह मंजूर हो गया है और उसका काम भी शुरू हो गया है। लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर किसी एमपी की कांस्टीटूएंसी में रेलवे की तरफ से कोई नया काम शुरू होता है, तो कम से कम उसकी मालूमात उस एमपी को होनी चाहिए। जब काम शुरू हो जाता है और पेपर में न्यूज आती है तब हम पढ़ते हैं। उस समय एमपी को पता लगता है कि जो मांग मैंने पिछले कई

दिनों से की थी, वह आज पूरी होने जा रही है। लेकिन उस एरिया का जो डीएमआर आफिस है, वह एमपी को यह बताने की जरूरत भी महसूस नहीं करता।

सभापति महोदय, शेगांव नगरी एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है। वहां पर गजानन महाराज संस्थान ने आनंद सागर नाम का बहुत बड़ा पर्यटन, जैसे एस्सल वर्ल्ड है, उस टाइप का शेगांव में कम से कम आठ से दस करोड़ रुपये की लागत से बना हुआ है। उसकी वजह से हर रोज हजारों बच्चे वहां आते हैं। देश के हर कोने से लोग वहां दर्शन और पर्यटन के हिसाब से आते हैं। वहां बहुत सारी एक्सप्रैस गाड़ियां ऐसी हैं, जो शेगांव स्टेशन से तो गुजरती हैं, लेकिन वहां रुकती नहीं हैं। उन गाड़ियों के न रुकने की वजह से लोगों की बहुत दिक्कत होती है।

मेरी रेल मंत्री जी से एक विनती है कि शेगांव से जो भी एक्सप्रेस गाड़ी जाती है, उसे वहां रुकना चाहिए, क्योंकि शेगांव में आने वाले लोगों का तादात दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। वहां 15 दिन पहले उत्सव में एक ही दिन में छः लाख लोग आए थे इसलिए मेरा निवेदन है कि एक्सप्रेस गाड़ियों के स्टापेज बढ़ाए जाएं।

कांस्टीटुएंसी के लोगों की बासिम-जालना-औरंगाबाद नई रेल लाइन की मांग है। लोनर क्रेटर वर्ल्ड फेमस है। 50,000 साल पहले आसमान से तारा टूटकर जमीन पर गिरा था जिसके कारण बहुत बड़ा तालाब बना था। इस तालाब के पानी का पीएच लैवल समुद्र से दस गुना ज्यादा है। इस पानी का पीएच लैवल अभी भी 10 है। यहां विदेशों से लोग आते हैं लेकिन यहां आने-जाने के लिए रेल की अच्छी सुविधा नहीं है। यहां तक हवाईजहाज से आने की भी कोई सुविधा नहीं है। अगर बासिम-जालना-औरंगाबाद रेल लाइन बन जाती है तो लोनर क्रेटर में आने वाले पर्यटकों के कारण विदर्भ का पर्यटन बढ़ सकता है और देश को फॉरेन करेंसी मिल सकती है।

मेरी कांस्टीटुंएसी में बुलढाणा जिले में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन शेगांव है, इसके अलावा मलकापुर भी आता है। जिले में रेलवे बुकिंग का आफिस केवल बुलढाणा में है। मेरी माननीय रेल मंत्री जी से विनती है कि हर तहसील लैवल पर एक बुकिंग काउंटर खोला जाए ताकि हर तहसील से जो लोग आते-जाते हैं उनको सुविधा हो जाए।

एमपी के लैटर पर कम से कम दो रिजर्वेशन कन्फर्म होना चाहिए। एमपीज़ रिजर्वेशन के लिए रेलगाड़ी में कार्यकर्ता या क्षेत्र के लोगों को लैटर देते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं होता है। आपकी तरफ से सूचना जानी चाहिए कि अगर किसी एमपी का लैटर आता है तो प्रियारिटी में कम से कम एक गाड़ी में दो या तीन रिजर्वेशन मिलनी चाहिए।

महाराष्ट्र में नागपुर से नागभीड़ नेरो गेज को ब्रॉड गेज करने के काम की घोषणा 2013 में संसद में हुई थी। लेकिन अभी तक सर्वेक्षण का काम शुरु नहीं हुआ है। इस काम में कोई गति नहीं आ रही है। गढ़चिरौली, गोंदिया नक्सल एरिया में आने-जाने की सुविधा बहुत कम है। मेरी माननीय मंत्री जी से विनती है कि नागपुर से नागभीड़ नेरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज किया जाए। अगर यह लाइन ब्रॉड गेज हो जाए तो गढ़चिरौली, गोंदिया जिले में आने-जाने की सुविधा हो जाएगी। यह नक्सल एरिया है, पिछड़ा हुआ इलाका है, इस लाइन के बनने से बहुत से काम करने की सुविधा हो जाएगी।

हम रेलगाड़ी से मुम्बई, नागपुर जाते हैं। हमें जो बिस्तर या कपड़े दिए जाते हैं, इसकी साफ सफाई इतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत सी बैडशीट्स गंदी होती हैं, ऐसा लगता है ऐसे ही प्रैस करके देते हैं। यहां तक कि रेलगाड़ी का खाना कोई पसंद नहीं करता है। मेरा अनुरोध है कि खाने में सुधार करने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि माननीय रेल मंत्री जी छोटी-छोटी चीजों पर भी दिल से काम कर रहे हैं और बहुत सुधार लाए हैं। अभी थोड़ा वक्त और लगेगा लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये सब सुधार जरूर किए जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर रेलवे हमारे विकास का मुख्य आधार रही है। आजादी के पहले और आजादी के बाद इस देश का चाहे आर्थिक विकास हो, औद्योगिक विकास हो, आवागमन के साधन और सुलभता के कारण शहरों का विकास हो, उसमें इस देश में रेलवे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

देश के जितने भी राजकीय उपकरण हों, चाहे सरकारी विभाग हो, उसमें जितनी करपशन में गिरावट आई है, उसके बावजूद भी हमारे देश की रेलवे करोड़ों जनता को अपने गन्तव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचाने के लिए सही तरीके से काम करने के लिए साबित हुई है। दुखद इसलिए रहा कि समय समय पर आजादी के बाद रेलवे विकास का आधार राजनीतिक रहा। जो भी माननीय मंत्री महोदय आए, उसमें उनका राजनीतिक आधार होने के कारण जो देश का व्यापक विकास होना चाहिए था, वह उतना नहीं रहा और उस विकास के विजन में कमी आई है। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद सबसे पहले देश के उस अंतिम गरीब व्यक्ति की ओर ध्यान दिया गया कि देश के अंदर अगर यातायात का कोई सुलभ साधन है तो वह उस गरीब व्यक्ति के लिए रेलवे को ही एक महत्वपूर्ण साधन माना गया। इसलिए सम्पूर्ण रेल को, उस गरीब को भी समर्पित किया गया। सम्पूर्ण रेल को माल भाड़ा के रूप में आज देश के अंदर, मालभाड़े को रेल से ले जाना या ट्रक से ले जाना या समुद्री जहाज से ले जाना हो, उसमें अगर हम रेलवे को और अत्याधुनिक तरीके से अत्यधिक माल वाहक का काम अगर रेलवे विभाग को दे दें तो देश के अंदर जो सड़कें टूटती हैं, जिस तरीके का करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, उससे बचने का काम भी हो जाएगा और सुरक्षित माल पहुंचाने के लिए हम विजन के आधार पर काम करें और मालभाड़ा को कम करते हुए अगर हम इस विजन की ओर ध्यान दें तो रेलवे को काफी लाभ पहुंचाया जा सकता है।

इसीलिए हमारे रेलवे मंत्री जी ने जब पहला बजट पेश किया क्योंकि इससे पहले जब रेल बजट पेश किया जाता था तो नयी ट्रेन्स कहां चलें, ट्रेन्स का ठहराव कहां हो, ट्रेन्स कहां से होकर गुजरें, उस राजनीतिक आधार पर इस संसद में बहस होती थी। लेकिन पहली बार एक लीक से हटकर, एक विजन के आधार पर देश के अंदर रेलवे लाइन का विकास भी हो, रेल यात्रियों को अत्यधिक बेहतर सुविधाएं भी मिलें और मालभाड़े के रूप में किस तरीके से खाद्य सामग्री से लेकर तमाम चीजों को पहुंचाने के लिए एक विजन के आधार पर काम किया जाए, इसके लिए रेलवे ने पांच वर्षीय योजना बनाई कि हम पांच वर्ष के अंदर इस विजन के आधार पर इस देश के रेल के विकास को परिवर्तित करने का काम करेंगे और इसके लिए यह भी इंतजाम किया गया। केवल मालभाड़ा, यात्रा भाड़ा बढ़ाने के आधार पर विकास की योजनाएं

नहीं बननी चाहिए। विकास के अंदर राज्य सरकारों का भी योगदान हो, पीएसयूज का भी योगदान हो, आम जनता के पैसे का भी योगदान हो औऱ पहली बार सरकार ने बहुउद्देश्यीय एजेंसियों को समझौते के आधार पर रेलवे विकास की योजनाओं को आधारभूत बनाया है। वित्त की व्यवस्था करने का आधार भी बदला है। अच्छी प्रबंधन व्यवस्था हो, उसका नया ढांचा तैयार किया है। शासन में पारदर्शिता हो और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके, इस बारे में विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत से परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि देश में साढ़े करोड़ से ज्यादा लोग रेल द्वारा यात्रा करते हैं। हमें रेल के विस्तार के लिए नए रेल मार्गों को बनाने की आवश्यकता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजनैतिक लाभ लेने के लिए नई रेल परियोजनाओं की घोषणा की जाती थी। जो योजनाएं शुरू भी की जाती थीं, मैं एक प्रश्न के संदर्भ में लिखित उत्तर देख रहा था, आज भी बीस साल पुरानी घोषणाओं के पूरा होने का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कारण रेल परियोजनाओं की उस समय की लागत थी, आज इतना समय बीत जाने के कारण उसमें कई गुना इजाफा हो गया है जिसकी वजह से रेलवे को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी ने विजन दिया है कि पहले मौजूदा परियोजनाएं पूरी की जाएंगी जो राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि जनता की सुविधा के लिए पूरी की जाएंगी जिससे कि दूर-दराज के क्षेत्रों का भी विकास हो सके। जनता की आवश्यकता के आधार पर परियोजनाओं का लक्ष्य सुनिश्चित करने का मंत्री जी का विजन निश्चित रूप से सराहनीय है। हम सदन में नए रेल मार्गों की तब तक मांग नहीं करेंगे जब तक कि मौजूदा परियोजनाएं जो जनता के लिए जरूरी हैं, उनके लिए धन की आवश्यकता पूरी होने के बाद नए रेल मार्गों की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें विचार करना पड़ेगा कि यात्री भाड़ा बढ़ाकर या माल भाड़ा बढ़ाकर नुकसान की भरपाई करनी है तो इससे काम नहीं चलेगा।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रेल की जितनी भी सम्पत्तियां हैं, जो अनुपयोगी हैं, ऐसी 15 हजार करोड़ रुपयों की सम्पत्ति है। मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन सर्वे कराना चाहिए कि ऐसी जमीन जिनकी आवश्यकता भविष्य में पचास साल तक रेलवे को नहीं है, तो हमें उन भूमि संसाधनों से रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा रेलों का विद्युतीकरण करने का काम करना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक रेलवे का स्वयं का पावर प्लांट नहीं है। रेलवे को अपनी बिजली का उत्पादन करना चाहिए क्योंकि कोयला लाने का वाहन उनके पास है। अगर रेलवे अपना स्वयं का पावर प्लांट लगाएगी, सस्ती दर पर बिजली का उत्पादन करेंगे तो रेलवे का करोड़ों रुपयों का लाभ होने की सम्भावना है। रेलवे का जितना विद्युतीकरण करेंगे, मुझे लगता है कि तुलनात्मक आंकड़ों पर रेल का परिचालन देखा जाए तो रेल चलाने में किस तरह खर्चे कम किए जा सकते हैं, इसके लिए भी विजन के आधार पर हमारे मंत्री जी ने काम करने की शुरूआत की है। इस देश के अंदर हमारे

प्रधानमंत्री जी का मन है। इस देश में गरीब व्यक्ति ट्रेन से आते-जाते हैं और उनको तीन-चार घंटे इंतजार करना पड़ता है। कई बार गांवों से, दूरदराज़ के इलाकों से व्यक्ति चलता है, आप तो गांव के आदमी हैं, यदि उसे दिन में चार बजे रेल पकड़नी है, तो वह ग्यारह बजे प्लेटफॉर्म पर आता है। कई लोग रात्रि में विश्राम करते हैं। हम लोगों ने यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए इस बार बेहतर प्रबंध करने का काम किया है। किस तरीके से यात्री सुविधाएँ बेहतर हों, यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिलें, सही समय पर ट्रेन मिले, लेकिन साथ ही जो गरीब व्यक्ति स्टेशन पर आता है, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि स्टेशन के बगल में उस गरीब व्यक्ति के ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब वे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो रात में खुले आकाश में एक चादर ओढ़कर गरीब आदमी सोता रहता है। किस तरीके से हम गरीब यात्रियों को ठहरने के लिए, उनकी सुविधाओं के विस्तार करने का काम करें ताकि अर्द्धरात्रि में भी गरीब आदमी आकर सही जगह पर विश्राम कर सके। कई बार दूरदराज़ गांवों में कोई साधन नहीं मिलता है, तो गरीब यात्री रात्रि स्टेशन पर ही बिताता है। उसके लिए यात्री विश्राम की सुविधाओं का विस्तार करने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। खानपान और तमाम सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया गया है, लेकिन गांव का आदमी तो अपनी रोटी खुद बांधकर चलता है, उसे रेलवे के खानपान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन सब चीजों पर तो हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीजें, जो हमारा विज़न है कि हम अधिकतम गरीब व्यक्तियों को सस्ती से सस्ती दर पर और सुलभ सेवाएँ देने का काम करें, उसे उन तक पहुंचाने का काम करें। इसके लिए काम करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने घंटी बजायी है। मैं कोटा के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। कोटा रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। पूरे राजस्थान के अंदर, यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, तो हमारे राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक इलाका है। अभी राजस्थान में रेलवे से संबंधित बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं, चाहे सवाई माधोपुर से जयपुर हो, नागौर का विषय हो, जोधपुर का हो, टोंक के रेल का विषय हो, राजस्थान के तमाम इलाकों में विशेष रूप से रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य करने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान से 25 लोक सभा क्षेत्र के सदस्य हैं। बहुत अपेक्षाओं के आधार पर राजस्थान की जनता ने हमें चुनकर भेजा है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए, चाहे कोटा से जयपुर बुलेट ट्रेन हो, दस साल पहले कोटा को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की बात थी, वे सुविधाएँ अभी वहाँ नहीं मिली हैं, कोटा का डकनिया रेलवे स्टेशन है, जहाँ लगभग एक लाख विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। कोटा रेलवे स्टेशन के ट्रैक का अपग्रेडेशन किया जाए, ताकि कोटा में एक से बीस किलोमीटर की दूरी तक जो यात्री जाते हैं, उनके पैसे भी बचेंगे। जिन यात्रियों को बीस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वे इस दूरी से भी बचेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा यात्री सुविधाओं का विस्तार करें, तो इस क्रम में कोटा के डकनिया रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया जाए। कोटा रेलवे स्टेशन से जो महत्वपूर्ण गाड़ियाँ हैं, जो पूर्वी प्रदेश हैं, जो दक्षिण का इलाका है, उन तमाम इलाकों में हमें नयी रेल चलाने की कार्य-योजना बनानी चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बार माननीय रेल मंत्री जी ने जिस विज़न के आधार पर इस देश में रेल के विकास की योजनाएँ बनायी हैं, भविष्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल का विकास, इस देश का विकास और आर्थिक रूप से इस देश को गतिमान करने के लिए प्रयास करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

First of all, I extend warm greetings and gratitude to the Railway Minister for carrying out such a massive scale service to pilgrims attending the Pushkaram at Rajamundry. The credit for it directly goes to the Railways. Without such a massive scale service of the Railways, Pushkaram would have been a big unmanageable event. Railways have rendered immaculate and impeccable services. The morale of the railway officers was very high. So many trains were introduced by the Railways, without even our asking for them. They have easily attended to all the pilgrims coming from all over India.

We thank you very much, Sir, for extending such a great service during the time of the Godavari *Maha Pushkaram.* On behalf of Telugu Desam Party and on behalf of Shri Chandrababu Naidu Garu, we extend our heartfelt gratitude and greetings to you, Sir.

Sir, Andhra Pradesh has been formed recently. We are lucky to have Madam Sitaraman here in the House. While urging her to use her good offices, we request you to introduce a new A.P. Express. After bifurcation, the earlier A.P. Express has been renamed as Telangana Express. The new A.P. Express should start from Visakhapatnam.

Andhra Pradesh has the longest railway line, almost measuring a 1,000 kilometres, but we do not have any railway maintenance or coach factory, or any such activity related to trains. Therefore, I urge upon the Railway Minister to please consider setting up such facilities in the residuary State of Andhra Pradesh so that it can lead to the generation of some employment.

I would also earnestly urge upon you to please give us the Railway Zone that you have been promising to us. So far, the Minister has not fulfilled that. On behalf of Telugu Desam Party and on behalf of the people of Andhra Pradesh, I would request you to consider the setting up of a Railway Zone. It will create a lot of goodwill for the Railways.

Above all, the Railways have promised the Konaseema railway line a long time back, that is, when the Budget was projected to be Rs. 800 crore, which now has gone up to Rs. 1400 crore, but nothing has been done. In this Railway Budget, the Minister has not introduced any new railway lines or any new trains, and he had only promised that he would complete the pending projects. The demand for this Konaseema railway line has been pending for almost 15 years. On behalf of the people of Andhra Pradesh and on behalf of the people of Konaseema area, I would like to inform you that we do not have a railway line at all; we have not even seen a train. Please think about setting up this Konaseema railway line. It will cater not only to the needs of the people, but also it will encourage eco-tourism. The whole Konaseema is like Kerala. It will also enhance cargo movement generated in the KG Basin. Konaseema is the hub of Krishna-Godavari Oil Basin. It will also give you a lot of revenue. I have already submitted a detailed report on how Konaseema railway line will become economically viable, or how it will become another Western Railway or Central Railway in terms of economic earnings. Please look into this matter earnestly.

I would also request you to please think of ordinary people, for example, BPL card holders, travelling without any facility of water or food in long journey trains. They used to get free and concessional tickets before. Please reintroduce free tickets in respect of BPL card holders. In future, please think of introducing new trains and free tickets to cater to the needs of BPL card holders.

Sir, the train track between Howrah-Chennai *via* Visakhapatnam is the longest train track. The cyclones that usually affect the coastal area disrupt the traffic between Visakhapatnam and Tuni. There is an alternative proposal which was already submitted by the Member of Parliament from Anakapalli. Please look into that matter. It will take care of the cyclone affected railway lines, whenever a cyclone happens.

Kakinada is another town in East Godavari District, which also requires a new railway line connecting Pithapuram with Kakinada. Please think about this.

I thank you very much for the introduction of Tuni-Kotipalli railway line during the *Pushkaram*. I want the Railway Minister to make it a permanent feature for which the people will be grateful to you, Sir. I wish you all the very best. Thank you.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : धन्यवाद सभापति जी। इस समय रेल बजट पर जो चर्चा हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं।

महोदय, निश्चित तौर से नई सरकार आने के बाद रेलवे ने बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है। ट्रेनों की गति ठीक हुई है, जो पहले बहुत लेट चला करती थीं, अब उनका समय पर चलना शुरू हुआ है। उनकी साफ-सफाई की व्यवस्था शुरू की गयी। अन्य तमाम अच्छी योजनाएं लागू की गयी हैं, उनके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं।

15.00 hrs

मैं कुछ सुझाव रेल मंत्री जी को देना चाहता हूं। जो बड़े रेलवे स्टेशंस हैं, वहां पर तो सफाई का काम अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन जो छोटे रेलवे स्टेशंस हैं, वहां पर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में चित्रकूट धाम और बांदा में रेलवे स्टेशंस की यही हालत है। चित्रकूट एक तीर्थ स्थल है, लेकिन वहां के रेलवे स्टेशन पर सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। जब हम इस बात की शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि कर्मचारियों की कमी है। काफी समय से हम लोग इस बारे में लिख रहे हैं कि चित्रकूट धाम और बांदा में रेलवे स्टेशंस पर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

रेलवे की सुरक्षा के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। रेल विभाग की आरपीएफ ठीक ढंग से काम कर रही है, लेकिन जीआरपी ठीक ढंग से काम नहीं करती। उसके वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा आप देते हैं और तमाम तरह की सुविधाएं भी देते हैं, लेकिन जीआरपी प्रांतीय सरकारों पर रहती है। मेरा अनुरोध है कि आपका इतना बड़ा बजट है और इतना बड़ा विभाग है, ज्यादा खर्च नहीं आएगा अगर आप जीआरपी को भी रेल मंत्रालय के अधीन ले लें। इससे आरपीएफ की तरह जीआरपी भी सुरक्षा व्यवस्था में ठीक से काम कर सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो सकेगी। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे। हमने देखा है कि कई जीआरपी के सिपाही टिकट दिलाने की लाइन में लगे रहते हैं और अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं।

अब मैं अपने क्षेत्र की बातें कहना चाहूंगा। झांसी और मानिकपुर की रेल लाइन काफी पुरानी है। बांदा और कानपुर भी काफी पुरानी रेल लाइन है, लेकिन अभी तक इन रेल लाइनों का दोहरीकरण नहीं हो सका है। पिछले एक-दो साल में 100-200 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, सर्वे भी हो चुका है, लेकिन धन एलाट नहीं हुआ है। वहां की रेल लाइनों का दोहरीकरण बहुत जरूरी है। जब वहां नई ट्रेन के बारे में बात कही जाती है तो कहते हैं कि नई ट्रेन इसलिए नहीं मिल रही है कि वहां पर समय लगता है। झांसी-मानिकपुर

की रेल लाइन का दोहरीकरण करने के लिए रेल मंत्री जी शीघ्र ही धन एलाट करेंगे और बांदा से कानपुर की रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए भी शीघ्र धन आबंटित करेंगे तो लोगों को काफी सुविधा होगी।

एक इंटरसिटी एक्सप्रेस कानपुर से चित्रकूट धाम के तक जाती है। वह ट्रेन पूरा समय कानपुर में खड़ी रहती है और दूसरे दिन आती है। वहां से लखनऊ 80 किलोमीटर दूर है और यह प्रदेश की राजधानी भी है। मैं इस बारे में कई बार लिख चुका हूं, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हुई। आपकी सितम्बर में नई गाइडलाइंस आ रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उस ट्रेन को लखनऊ तक बढ़ाने का आदेश आप देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा।

उदयपुर-खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन है जो उदयपुर से चलकर खजुराहो तक जाती है। वहां से चित्रकूट धाम केवल 50-100 किलोमीटर दूरी पर है। अगर उस रेलगाड़ी को चित्रकूट धाम तक और मानिकपुर तक बढ़ा दिया जाए तो दक्षिण भारत के लिए जो हमारे यहां से कोई ट्रेन नहीं है, उसकी कुछ कमी पूरी हो सकती है। इससे वह ट्रेन सीधे मानिकपुर से जुड़ जाएगी। उसमें सम्पर्क क्रांति की तरह केवल एक इंजन लगाने की जरूरत है। वह ट्रेन वहां आधी खाली हो जाती है, अगर उसे मानिकपुर तक भेज देंगे तो अच्छा रहेगा और ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। चित्रकूट और अयोध्या का हिन्दू धर्म में काफी महत्व है और इनका आपसे में नाता है। अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है और चित्रकूट में उन्होंने वनवास 12 वर्ष बिताए थे। हमारी यह मांग पूरी होने पर लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी।वहां पर सरयू एक्सप्रेस आती है और दूसरे दिन अयोध्या जाती है। मानिकपुर तक डबल लाइन हो गई है। वहां से केवल 20 किलोमीटर दूरी पर चित्रकूट पड़ता है। इलाहाबाद से उस ट्रेन को बढ़ाकर अगर चित्रकूट तक कर दिया जाएगा तो उससे चित्रकूट धाम आने-जाने वाले लोगों को बहुत लाभ होगा। उसे यहां से रवाना किया जाए तो उचित रहेगा। उम्मीद है कि इसकी आप शीघ्र घोषणा करेंगे।

तुलसी एक्सप्रेस मुम्बई जाने के लिए पहले से रेलगाड़ी है। लेकिन वह दो दिन ही चलती है। जब आपके अधिकारियों से इस बारे में बात करते हैं तो वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि इसे चार दिन कर देना चाहिए। लेकिन कई बार मुम्बई की रिपोर्ट, इलाहाबाद की रिपोर्ट, नॉर्थ जोन की रिपोर्ट, झांसी की रिपोर्ट, इन तीन रिपोर्टों के चक्कर में यह अटकी पड़ी है। इसको यथाशीघ्र कम से कम चार दिन करवा देंगे तो मेरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा और लोगों को सुविधा भी होगी। इसी तरह से चम्बल एक्सप्रेस जो ग्वालियर से हावड़ा और आगरा से हावड़ा जाती है, उसमें प्रतिदिन इतनी सवारी रहती है कि उसको प्रतिदिन चलाना आवश्यक है अभी चार दिन ही चलती है। मेरा अनुरोध है कि इसको प्रतिदिन कर दिया जाए। ऐसे ही दुर्ग एक्सप्रेस है जो वहां से चलकर कानपुर तक आती है। यह भी

केवल दो दिन ही चलती है और गरीब रथ को भी वहां से कम से कम चार-चार दिन किया जाए, यह मेरा अनुरोध है।

मान्यवर, एक निवेदन बहुत दिन से पड़ा हुआ है, जो स्टॉपेज से संबंधित है। मैं जब भी स्टॉपेज की बात करता हूं तो कहते हैं कि स्टॉपेज हमने पूरे देश में बंद किया हुआ है। लेकिन जहां पर स्टॉपेज बहुत जरूरी है, जैसे मेरे क्षेत्र में बदौसा है, जहां एजीटेशन हो रहा है। वहां लोग लगातार एजीटेशन कर रहे थे, मैंने आश्वासन देकर एजीटेशन खत्म करवाया था कि जैसे ही उधर कोई घोषणा होगी तो आप लोगों को दो मिनट का स्टॉपेज मिलेगा। खुरहंड, शिवरामपुर, बरगढ़ और मारकुंडी इत्यादि दो जिलों में स्टॉपेज दो-दो मिनट का दे दिया जाएगा तो वहां के लोगों को सुविधा होगी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो अंडर ब्रिज बन रहे हैं, वहां अधिकतर में पानी भरा हुआ है। वहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वहां से पानी निकासी की व्यवस्था करेंगे, पम्पसेट लगाएंगे या क्या करेंगे, क्योंकि वहां सीवर सिस्टम नहीं हो सकता है, क्यों कि जमीन से नीचे होता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पर बहुत पैसा लग रहा है और यह बहुत अच्छी योजना है, जिसके कारण फाटक खत्म हो रहे हैं, लेकिन अंडर ब्रिज पर पानी भरा रहता है, इसको आप इंजीनियर्स को दिखाएंगे और ठीक करेंगे, तो अच्छा रहेगा। मेरा एक और अनुरोध है कि मैहर और चित्रकूट बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। मैहर मध्य प्रदेश में आता है और चित्रकूट धाम बहुत सारे यात्री आते हैं। यहां के लिए डीएमयू ट्रेन चलाने की मांग लगातार की जाती रही है। मानिकपुर तक ट्रेन आती भी हैं, लेकिन उनको तीस किलोमीटर और बढ़ा कर चित्रकूट से जोड़ा जाएगा तो अच्छा रहेगा।

अंत में मैं अपनी बात कहता हुआ अपनी बात को विराम दूंगा कि चित्रकूट धाम देश ही नहीं विश्व का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों और हर महीने लाखों यात्री आते हैं, अमावस्या को 4-5 लाख और दीपावली मेले में 25-50 लाख हो जाती है। जो तीर्थ सर्किट ट्रेन चलाने के लिए घोषणा की गयी है, उसमें चित्रकूट का नाम मुझे नहीं दिखायी पड़ा है। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि चित्रकूट धाम को भी इस तीर्थ सर्किट में शामिल किया जाए और स्टेशनों के विस्तार की व्यवस्था की जाए। इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं सबसें पहले हमारे रेल मंत्री और उनके सहयोगी मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से इन्होंने रेल का काम अपने हाथ में लिया है, तब से रेलवे को एक नई दिशा देने का प्रयास इन्होंने किया है। साथ ही साथ मैं अपनी वेदना भी यहां रखना चाहूंगा कि मुम्बई शहर के ऊपर रेल प्रशासन के माध्यम से गत अनेक वर्षों से अन्याय होता दिखायी होता है। इसके बहुत से कारण जब हम खोजते हैं तो पता चलता है कि मुम्बई शहर को कभी रेल मिनिस्टर मिला ही नहीं है। एक वर्ष के लिए इन दिनों में जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब हैं, राम नाईक जी, वे रेल राज्य मंत्री थे तो उन दिनों में कुछ कामकाज आगे बढ़ा था, लेकिन उसके बाद मुम्बई शहर पर हमेशा अन्याय ही हुआ है। हमें फिर से सुरेश प्रभु जी के नाम पर हमें अच्छे रेल मिनिस्टर मिले हैं, जिनके ऊपर बहुत प्रेशर है और बहुत बड़ा बोझ भी उनके सिर पर है और वह अपनी बुद्धि की चतुराई से रेल को संकट से बाहर निकालने का प्रयास दिन-रात मेहनत करके करते हैं, इसके लिए मैं उनका फिर एक बार अभिनंदन करना चाहूंगा।

महोदय, हम मुम्बई के लिए बहुत कुछ मांगना नहीं चाहते हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीजें है, जिन पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम मुम्बई शहर के लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। मुम्बई शहर के जो लोग रेलवे में सफर करते हैं, उनके ऊपर अगर एक प्रदर्शनी लगायी जाए तो मेरा यह विश्वास है कि देश भर में से बहुत सारे लोग मुम्बई आ सकते हैं। वे किस तरह से रेलगाड़ी पकड़ते हैं, किस तरह से रेलगाड़ी से उतरते हैं। खासकर शाम के समय अगर कोई चर्चगेट स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाए तो हमारी बहनें जिस तरह से फास्ट ट्रेन पकड़ती हैं, उन्हें उसके लिए पुरस्कार दिया जायेगा, इस प्रकार की स्थिति मुम्बई में है। इतनी सारी मुसीबतों को लेकर मुम्बई शहर के लोग रेलवे में प्रवास करते हैं, मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में रेल यात्रियों को आसानी से सफर करने के लिए मिले, उसके लिए वारफुटिंग स्टेज पर रेल प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। मैं इसके ऊपर बहुत लम्बा भाषण नहीं करना चाहूंगा, चूंकि समय बहुत कम है। लेकिन मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुम्बई शहर के छः सांसदों के साथ तुरंत एक बैठक करें और देखें कि हमारे मन में क्या है और रेल प्रशासन के मन में क्या है। अगर इन दोनों के साथ बातचीत होती है तो मुम्बई शहर के जो साठ लाख से भी ज्यादा लोग रेलवे में सफर करते हैं, उन्हें हम यह मैसेज दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग ये सारी सुविधाएं रेलवे के माध्यम से देना चाहते हैं।

मैं मंत्री महोदय से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं उनसे कई बार मिला हूं और पत्र व्यवहार भी कर रहा हूं। कांग्रेस सरकार के अंतिम दिनों में क्या हुआ, कांग्रेस के लोग कितने चतुर हैं, ये लोग फायदे का जो विषय होता है, अपने कार्यकाल में पास करते हैं और आने वाले दिनों में जब उन्हें पता चलता है कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है तो आने वाली सरकार के ऊपर ये किस प्रकार का संकट छोड़कर जाते हैं, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि 2010 में जो हमारे बूट पालिश करने वाले लोग हैं, जो गरीब और नीचे के तबके से आते हैं, उनके लिए 2010 के बाद में इन्होंने लाइसेंस देना बंद कर दिया। अब रेलवे में सफर करने वालों की संख्या बढ़ गई है। रेलवे के प्लेटफार्म्स बढ़ गये हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। जो चप्पल पहनता था, वह बूट पहनने लग गया और पालिश करने वालों की संख्या जब बढ़ती है तो नये लोगों को काम देना चाहिए तो कांग्रेस के लोगों ने उन्हें 2010 से नया लाइसेंस देना बंद कर दिया। इनकी मांग है कि हम लाइसेंस की फीस ज्यादा देंगे, हमें आप लाइसेस दीजिए, सरकार के पास से एक रूपये की आवश्यकता नहीं है और लोगों को एक अच्छी सुविधा हो सकती है। लेकिन एक साल हो गया है, उसके ऊपर भी कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं देता है। इसलिए बहुत वेदना के साथ मैं इस विषय को सदन में रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पूरे देश भर में जो रेलवे स्टाल्स हैं, उनके लिए कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, जिनके पास पचास, सौ या डेढ़ सौ स्टाल्स हैं, इन सारे लोगों के लाइसेंस इन्होंने रीन्यू कर दिये और जिनके पास एक, दो या तीन स्टाल्स हैं, इन सारे लोगों के ऊपर इस प्रकार का एक सर्कुलर निकाल दिया कि इनका स्टाल रीन्यू नहीं किया जायेगा और हम नया टेंडर मंगायेंगे। लोकशाही में होना यह चाहिए कि छोटे लोगों को सहूलियत दी जाए और जो बड़े लोग हैं, जो इस प्रकार से रेवेन्यू डुबाते हैं, उनके ऊपर कोई बंधन आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने गलत किया। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार आने के एक साल के बाद भी इस पर कोई सोच-विचार नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जिसके पास दो-तीन स्टाल्स से ज्यादा हैं, जब मैं दो या तीन स्टाल्स की बात करता हूं तो अगर पिता के पास एक स्टाल था, उसने अपने बच्चे के लिए ले एक स्टाल और ले लिया, अगर दूसरा कोई बच्चा है तो उसके लिए भी ले लिया तो एक व्यक्ति के पास अगर दो-तीन स्टाल्स हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन उससे ज्यादा जितने भी स्टाल्स होंगे तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो-जो लोग इन दिनो स्टाल्स चलाते हैं, वे उनके नाम पर किये जाएं। ट्रांसफर के नाम पर बड़े पैमाने पर पैसा भी आयेगा और जो लोग दूसरे के पास सर्विस करते हैं, उनके लिए जीवन भर का एक साधन हो जायेगा कि मेरा एक खुद का स्टाल है। हम एक बड़ा काम कर सकते हैं और जिनके पास पचास, सौ या डेढ़ सौ स्टाल्स हैं, इन सारे लोगों के स्टाल्स कैंसिल करके नये लोगों को मौका देना चाहिए, मैं यह भी मांग करता हूं।

महोदय, मुम्बई शहर में टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई जायेंगी। छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार के दिन एक-एक घंटे लोगों को लाइन लगानी पड़ती हैं। टिकट वेंडिंग मशीन का जो नया आइडिया मंत्री महोदय ने फ्लोट किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन यहां मैंने साथ-साथ एक चीज की मांग की कि जो हैंडिकैप्ड लोग हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा टिकट वेंडिंग मशीन हैंडल करने का काम देना चाहिए। उसका कारण यह है कि रेलवे के लोगों ने एक नई खोज निकाली कि जो रिटायर्ड लोग हैं, उन्हें ही यह काम दिया जाए। इसमें कोई दो मत नहीं हैं। आप 58 साल की जगह साठ साल करो, बासठ साल करो, जो काम करते हैं, उन्हें काम देते जाओ। लेकिन हम नई जनरेशन के लोगों को काम कहां से देंगे। इन्हें रिटायरमैन्ट भी मिलेगा, रिटायरमैन्ट के बाद पेंशन भी मिलती है। मेरी उनके साथ कोई

15.14 hrs (Shri Konakalla Narayana Rao in the Chair)

लड़ाई नहीं है, लेकिन हम लोगों को काम किस तरह से दे पायेंगे, इसके बारे में भी सरकार को सोचने की बहुत आवश्यकता है। नई पीढ़ी के बारे में भी जब हम लोग भाषण करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर भारत में नई पीढ़ी उभरकर सामने आ रही है तो यदि हम इन्हें सही समय पर काम नहीं देंगे तो ये गलत राह पर भटक जायेंगे और उसका खामियाजा भी आने वाले दिनों में देश को भुगतना पड़ेगा। इसके बारे में भी सरकार चलाने वाले लोगों को बहुत सोच-विचार कर काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, रेलवे स्टेशनों के बारे में परसों हमारे रेल राज्य मंत्री जी ने प्रश्न-उत्तर के समय बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि रेलवे स्टेशनों पर हम वाटर वेंडिंग मशीनें भी लगा रहे हैं। आज रेलवे स्टेशनों पर पांच रुपये, दस रुपये और पंद्रह रुपये में बिसलरी पानी की बोतलें बेची जाती हैं। परंतु कोई सामान्य व्यक्ति दस रूपये की पानी की बोतल खरीद कर पानी नहीं पिएगा। वह स्टॉल पर जाता है तो स्टॉल पर भी उसको अच्छा पानी नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो इतने बड़े पैमाने पर पानी पिला करस्टॉल वाले लोग परेशान होते हैं। नए-नए सिस्टम से जब लोग सामने आ रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ भी स्वयं के पैसे से मशीन लगा कर लोगों को एक-दो रूपये में पानी पिला सकते हैं। वॉर्टर फिल्टर का इस्तेमाल करने वाली सोच, इस प्रकार की एक मानसिकता रखने वाले लोग मुंबई शहर में बहुत हैं। लेकिन अगर हम उनको आसानी से बुला कर उनको अनुमति देते हैं, इस प्रकार की सुविधा लोगों तक पहुंचाने की अगर व्यवस्था करते हैं तो बड़े पैमाने पर लोग सामने आ कर हमें मदद कर पाएंगे। प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। एक साल में भी रेलवे में शौचालय की जो मांग है, उसमें कोई बहुत बड़ा काम कोई तेजी से होता दिखाई देता नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि सरकार इसके लिए बजट का प्रावधान करे और रेलवे प्रशासन इस पर कोई खर्चा करे, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो रेलवे के अफसर हैं, वे स्वयं जा कर एनजीओस को ढूंढ-ढूंढ कर, पकड़ कर ला कर यह काम करें। आज की

स्थिति तो यह है कि काम करने वाले लोग मुंबई महानगर पालिका के दफ्तर में जाना नहीं चाहते हैं। कोई रेलवे के पास नहीं आना चाहता है। इनको जो वैलकम करना चाहिए, यह हम लोगों की टेंडेंसी कहिए या मानसिकता कहिए, वह लगभग समाप्त होती गई है। इसलिए कोई आता ही नहीं है। हमें आने वाले दिनों में लोगों को ला कर उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा तो लोग बड़े पैमाने पर इस प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार होंगे। यहां पर बैठे हुए सदस्यों को आश्चर्य होगा कि हमारे मुंबई शहर में रॉटरी क्लब ऑफ मुंबई ने 800 जगहों पर फ्री ऑफ कॉस्ट टॉयलेट बनाने का एक संकल्प इस साल में लिया है। It is only for this year. In one year, they are going to construct 800 toilets in the city of Mumbai. अगर हम सही समय पर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर आदि प्रोवाइड करते हैं, सुविधाएं देते हैं, इनको सम्मानित करते हैं तो ये फिगर और बढ़ा सकते हैं। प्रधान मंत्री जी के आव्हान पर पैसे वाले लोग गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे अधिकारीवर्ग के माध्यम से, उनको जो वैलकम कराना चाहिए, वह होता नहीं दिखाई देता है, इसलिए बहुत कुछ करने की इच्छा होने के बावजूद भी, कुछ होता दिखाई नहीं देता है। यह मेरी वेदना है।

सभापति महोदय, मुंबई से वैलेंकनी एक यात्रा शुरू होने वाली है। वैलेंकनी में सिर्फ कैथोलिक समाज के ही लोग ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। नॉन-कैथोलिक लोग भी बड़े पैमाने पर जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने की सुविधा न होने की वजह से उनको बहुत परेशानी है। मंत्री महोदय मैं चाहूंगा कि तुरंत अपने उत्तर में कम से कम इसकी घोषणा करनी चाहिए कि वैलेंकनी फीस्ट में जाने वाले लोगों को जितनी भी ट्रेन की सुविधा चाहिए, एक्सट्रा कोचेस या तो एक्सट्रा ट्रेन की, हमें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं बहुत बड़े मन से इस बात को कहना चाहूंगा कि जो सामान्य व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उनको देव दर्शन के साथ में एक पिकनिक भी हो जाती है, एक टूरिज्म भी हो जाता है। क्योंकि अन्य जगहों पर वे जा नहीं सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के जब फैस्टिवल्स आते हैं तब बड़े पैमाने पर सामान्य कुटुंब के लोग जाते हैं तो इस प्रकार की भी एक व्यवस्था आने वाले दिनों में करने की आवश्यकता है।

महोदय, मुंबई के बहुत सारे विषय हैं। 3,500 people are losing their lives every year. यह संख्या ट्रेन से गिर कर मृत्यु होने वाले लोगों की है। बहुत दिनों से हम लोग इस बात को उठाते हैं, लेकिन यह संख्या आज के दिन में कम होती दिखाई देती नहीं है। हमारे पुलिस के लोग, हमारे होमगाड्र्स के लोग हैं, हमारे रेलवे के जो अधिकारी हैं, वे अगर इस बात पर ध्यान देते तो मैं गारंटी के साथ इस सभागृह में यह बात कहना चाहता हूँ कि यह फिगर हम बहुत जल्दी नीचे ला सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई काम होता दिखाई नहीं देता है। हम हर चीज़ को कमर्शियल एंगल से देखने लगते हैं कि तरह से पैसा

कमाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसा रेलवे में किस प्रकार से आए। इसमें कोई दो मत नहीं है, पैसा तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ-साथ मानव की जो जान है, उस जान की कीमत बहुत होती है, उसके लिए भी हमको सोचना चाहिए। कारगिल में 700 लोग मर गए तो हम हर साल उनको याद करते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में हर साल साढ़े तीन हजार लोग सिर्फ रेल से गिर कर, कट कर मर जाते हैं, इससे बड़ी विडंबना मुंबई शहर के लिए कोई हो सकती है, ऐसा मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुंबई शहर एक ऐसा शहर है, जो रेलवे को बड़े पैमाने पर रेवन्यु का फायदा देता है। इसलिए मुंबई शहर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। …(व्यवधान) सबसे बड़ी विडंबना यह भी है क इतने बड़े मुंबई शहर के लिए अपनी बात रखने के लिए कम से कम भाषण करने के लिए भी समय नहीं मिलता है। यह सबसे बड़ी दुख की बात इस सभागृह में व्यक्त करते हुए, मैं अपनी बता समाप्त करता हूँ। …(व्यवधान)

श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री का ध्यान अपने चुनावी क्षेत्र परभणी की कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। सिर्फ विकास के मामले में ही पिछड़ा नहीं है, नैसर्गिक भी पिछड़ा है। पिछले तीन सालों से वहां पर बारिश ही नहीं हो रही है, उसकी वजह से सूख पड़ा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे कार्य क्षेत्र में पूर्णा तालुका है, जहाँ रेलवे का पुराना जंक्शन है। उस जंक्शन में हर तरीके की सुविधाएं थीं। वहाँ पर रेलवे के स्कूल हैं, रेलवे के अस्पताल हैं, रेलवे का सेन्ट्रल स्कूल है, इसके अलावा वहाँ पर लोकल डीजल शेड स्ट्रक्चर भी है, क्रू बुकिंग लॉबी भी है, लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी क्रू बुकिंग लाबी नांदेड़ परिक्षेत्र में ये लोग कुछ शिफ्टिंग करना चाहते हैं। क्रू बुकिंग लॉबी नांदेड़ में शिफ्ट न हो और उसे वहीं कार्यान्वित रहना चाहिए, यह मेरी पहली माँग है। उसके बाद पूर्णा में एक होम डीजल शेड कार्यान्वित होना जरूरी है। उसके बाद सी एंड डब्ल्यू वर्कशॉप पूर्णा में होना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पूरी जगह है, पूर्णा में कम से कम पाँच हजार रेलवे के कर्मचारी आज भी रहते हैं जिनमें रिटायर कर्मचारी भी हैं और रेगुलर काम करने वाले कर्मचारी भी हैं। यह सब कुछ होने के बावजूद क्रू बुकिंग लाबी नांदेड़ में शिफ्ट करने के बारे में क्यों ये लोग सोच रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं मंत्री महोदय से विनती करूँगा कि यह नांदेड़ में शिफ्ट न हो और उसी जगह पर इसे कार्यान्वित रहना चाहिए।

उसके बाद मैं माँग करता हूँ कि अकोला-खांडवा ब्रॉडगेज मार्ग तैयार करना चाहिए। हमें दिल्ली आना पड़ता है तो हमें मनमाड होकर आना पड़ता है और फिर खांडवा आते हैं, अगर अकोला-खांडवा चालू होता है तो हमें खांडवा करीब पड़ता है, हमारा 8 घंटे का सफर कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वहाँ पर सीबीएसई पैटर्न का स्कूल चालू किया है, लेकिन वहाँ पर जैसे टीचर होने चाहिए, वे नहीं है, पुराने ही टीचर सीबीएसई का पैटर्न भी पढ़ाना चाहते हैं और इस कारण से छात्रों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसके अलावा मुदखेड-परभणी दोहरीकरण का काम शुरू है, इसे भी ज्यादा राशि मिलनी चाहिए ताकि यह काम जल्दी पूरा हो। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन है, जो सिकन्दराबाद से मुम्बई के लिए निकलती है, लेकिन उस ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। मराठवाड़ा के 6 जिले के लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन उस गाड़ी में बैठने की जगह नहीं मिलती है। मैं विनती करता हूँ कि एक दूसरी ट्रेन नांदेड़ से मुम्बई के लिए चालू की जाए। एक नन्दीग्राम एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि नागपुर से मुम्बई जाती है, लेकिन नागपुर वाले कोई भी उस ट्रेन से मुम्बई नहीं आते हैं। अगर वह ट्रेन नांदेड़ से मुम्बई की जाती है या अकोला से की

जाती है तो निश्चित रूप से मराठवाड़े के लोगों के लिए एक बड़ा सफल काम हो जाएगा। मैं यह मंत्री महोदय से विनती करता हूँ। इसके अलावा गंगाखेड़ में एक स्टॉपेज हम चाहते हैं, एक नांदेड़ से पूना गाड़ी जाती है, वह ट्रेन हफ्ते में दो बार जाती है, वह गाड़ी रेगुलर चलनी चाहिए, लेकिन साउथ सेन्ट्रल रेलवे के जो अधिकारी हैं और मराठवाड़े में चलने वाले जो ट्रैवल्स हैं, इन दोनों की मिलीभगत के कारण नांदेड़-पुणे रेल रेगुलर चालू नहीं की जाती है। वह हफ्ते में दो दिन जाती है, लेकिन उसके अन्दर लूज टाइम पाँच घंटे का है, जबकि कार में आदमी सात घंटे में पूना पहुँच जाता है और ट्रेन से जाने में उसको 14 घंटे लगते हैं। यह सब मिलीभगत का काम है। इसके बारे में मंत्री महोदय को सोचना चाहिए। पूना में रेवेन्यू बहुत बड़ा है, मेरे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे मराठवाड़ा में से जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वह गाड़ी रेगुलर फुल चलेगी, जिस दिन गाड़ी फुल नहीं चलेगी, हम उस दिन उसका भुगतान भरने के लिए तैयार हैं। ऐसी हम आपको हामी देते हैं, लेकिन इन अधिकारियों के ऊपर कुछ अंकुश लगाना बहुत जरूरी है ताकि मिलीभगत न हो।

इसी के साथ मैं सुविधाओं के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि गाड़ियों में सुविधा अच्छी तरीके से नहीं दी जाती है। उस ट्रेन में हमेशा पुराने डिब्बे लगाये जाते हैं। उस ट्रेन में जो बेडशीट आदि दी जाती है, वह भी पुरानी होती है और धुली हुई नहीं होती है। खाने के बारे में भी बताना चाहूँगा कि वह ठीक नहीं होता है और ट्रेनों में सफाई भी नहीं होती है। इसी के कारण मैं माँग करना चाहता हूँ कि साउथ सेन्ट्रल रेलवे में जो नांदेड़ परिमंडल जोड़ा गया है, उसे उससे निकालकर मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे में जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ जगहों पर रेलवे गेट के ऊपर ब्रिज होना चाहिए। ऐसा नहीं होने से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत जगह ट्रैफिक जाम होता है। गंगाखेड, मानवत रोड, कृषि विद्यापीठ, पिंगली, पूर्णा परतूर आदि जगहों पर ब्रिज होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को आसानी हो और उन्हें दिक्कत न हो। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि संत जनाबाई महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हैं। उन्हीं के नाम पर गंगाखेड रेलवे स्टेशन का नामकरण होना चाहिए। यह मैं अपनी तरफ से माँग करता हूँ। इसी के साथ पंढरपुर एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ लाखों लोग हर दिन आते हैं, अषाढ़ कार्तिका, एकादशी के दिन वहाँ बहुत बड़ी यात्रा भरती है, दस-दस, बीस-बीस लाख लोग वहाँ यात्रा में शामिल होते हैं। पंढरपुर के लिए गाड़ी मराठवाड़ा से रोजाना चालू होनी चाहिए और उसमें एक ए.सी. का डिब्बा जोड़ना चाहिए। यह मैं आपसे एक माँग करता हूँ।

इसके साथ ही मैं एक और मांग करना चाहता हूँ। राज्यों में जो असेम्बली का अधिवेशन होता है, उस समय एम.एल.ए. के लिए जो डिब्बा लगाया जाता है, वह ट्रेन में सबसे पीछे लगाया जाता है। इसके कारण वहाँ पर कभी कभी बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए आपके सामने यह समस्या रखते हुए मैं कहना

चाहता हूँ कि हमारी समस्या पर मंत्री महोदय तुरंत ध्यान दें और एक नई ट्रेन नांदेड़ से मुंबई के लिए होनी जरूरी है। नंदीग्राम एक्सप्रैस को नागपुर के बजाय यदि नांदेड़ या अकोला से चलाया जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। यही मांग करते हुए मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूँ कि मैंने जो मांगे रखी हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उनको पूरा करने में आप सहयोग दें। धन्यवाद।

श्री ददन मिश्रा (श्रावस्ती) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं रेल बजट की अनुपूरक अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहली बार हमारे ऊर्जावान रेल मंत्री जी ने एक ऐसा आदर्श रेल बजट प्रस्तुत किया है जो किसी राजनैतिक आधार पर न होकर सार्वभौमिक, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी है। जैसा कि भारतीय रेल के बारे में आम धारणा है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कटक तक रेल दिलों को जोड़ने का काम करती है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के "सबका साथ सबका विकास" के नारे को चरितार्थ करने वाला रेल बजट हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। अभी तक तो राजनैतिक आधार पर निर्णय लिये जाते थे, लोक लुभावन रेल बजट प्रस्तुत किये जाते थे जिसमें क्षेत्रीय संतुलन का सर्वदा अभाव रहता था। उसका खमियाजा आज भारतीय रेल को भुगतना पड़ रहा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि विकास के मामलों में जब सरकारों की तरफ से भेदभाव होता है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होता है। परिणामस्वरूप असंतोष उत्पन्न होता है और यही असंतोष आगे चलकर माओवाद और नक्सलवाद का रूप धारण करता है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूँ., वहाँ दो ज़िले हैं - श्रावस्ती और बलरामपुर। श्रावस्ती महात्मा गौतम बुद्ध की पावन तपोभूमि रही है और बलरामपुर इस देश के अभूतपूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है। हमारे पूरे क्षेत्र में एकमात्र रेल लाइन है जो गोंडा से लेकर बलरामपुर होते हुए बढ़नी तक जाती है। यह अभी तक लूप लाइन थी जिसको ब्राडगेज करने का काम अभी चल रहा है, जिसकी डैडलाइन जून में ही समाप्त हो चुकी है। जैसा कि अधिकारियों ने बताया था कि जून में ही कंप्लीट कर देंगे, लेकिन काम पूर्ण नहीं हो सका है। श्रावस्ती तो मैदानी क्षेत्र का एकमात्र जनपद होगा जहाँ एक सैंटीमीटर भी रेल की लाइन नहीं है, जिसके लिए आज़ादी से लेकर अब तक तमाम आंदोलन होते रहे हैं। 1952 में वहाँ से कांग्रेस के रफी अहमद किदवई जी सांसद चुने गए थे। उन्होंने कुछ प्रयास किया था। उस समय सर्वे भी हुआ था लेकिन तब से लेकर आज तक वह योजना बट्टे-खाते में पड़ी हुई है। तमाम आंदोलन हुए और चुनाव के पहले भी कई आंदोलन हुए। श्रावस्ती को रेल से जोड़ो नामक

कई समितियों का गठन किया गया। क्षेत्रीय जनता के द्वारा चुनाव के पहले जंतर-मंतर पर आकर धरना-प्रदर्शन किया गया। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महाअभियान में अपनी सहभागिता देने का काम किया, इस आशा और विश्वास के साथ कि जो हमारी मांगें हैं श्रावस्ती को रेल से जोड़ने की, उसको हमारी नई सरकार जरूर पूरा करेगी।

मैं तत्कालीन रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने पहले रेल बजट में उत्तर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र नई परियोजना के सर्वेक्षण का आदेश किया था जो बहराइच से चलकर श्रावस्ती, बलरामपुर, उतरौला और डुमरियागंज होते हुए खलीलाबाद तक को जोड़ती है। उसके सर्वेक्षण का भी आदेश हुआ था लेकिन अभी तक कार्य प्रगति पर नहीं है। हालांकि हमारी जो मुख्य मांग थी, श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिनगा को जोड़ने के लिए बहराइच से भिनगा सिसरिया होते हुए तुलसीपुर जोड़ने के लिए हमारी मांग थी लेकिन चूँकि इस योजना में कई सांसदों का क्षेत्र सम्मिलित हुआ था, इसलिए विचार-विमर्श के उपरांत हमारे शरद त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं, आपका भी उसमें समर्थन था, हमारे पाँच सांसदों के क्षेत्र उससे कवर होते थे। इसलिए विचार-विमर्श के उपरान्त इस परियोजना को लेने का निर्णय रेल मंत्री जी ने किया था और उत्तर प्रदेश की एकमात्र नई रेल परियोजना के सर्वेक्षण का आदेश रेल मंत्री जी द्वारा किया गया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक वह कार्य अभी प्रगति नहीं ले पाया है और पिछले बजटों में तो खाली घोषणाएं कर दी जाती थीं, उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम नहीं किया जाता था, क्योंकि, रेल में बजटीय प्रावधान नहीं किया जाता था। 2009-10 के रेल बजट में एक परियोजना की घोषणा तत्कालीन रेल मंत्री जी के द्वारा इसी सदन में की गई थी, वुढ़वल से बहराइच, बहराइच जो हमारा श्रावस्ती का निकटतम रेलवे स्टेशन है, हम लोगों को भी अपार प्रसन्नता हुई थी कि अगर वुढ़वल बहराइच रेलवे लाइन बन जाती है तो श्रावस्तीवासियों को भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पहुंचने का और राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने का सीधा साधन मिल जायेगा, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। बहराइच गोंडा जो लूपलाइन है, अभी भी लूपलाइन चल रही है, जबकि हमारी भारतीय रेल की योजना भी चरणबद्ध तरीके से सभी लूपलाइन और नैरोगेज को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने का तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी के समय में इसका शिलान्यास भी हो गया था। गोंडा बहराइच लूपलाइन को ब्रॉडगेज करने के लिए, लेकिन आज तक उस दिशा में भी कोई ठोस काम नहीं हो पाया है। मैं मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द ब्रॉडगेज करने का काम शुरू किया जाये। हमारे क्षेत्र की जो एकमात्र रेलवे लाइन है, गोंडा से बलरामपुर होते हुए बढ़नी, गोरखपुर तक जाती है, जिसका ब्रॉडगेज का काम अभी कम्पलीट नहीं हो पाया है, जून का डैडलाइन दी गई थी, लेकिन जुलाई भी बीत गई, उसको

जल्द से जल्द पूरा करके वहां पर रेलगाड़ी परिचालन शुरू किया जाये। आदरणीय अटल जी कि जन्म दिन 25 दिसम्बर के अवसर पर भारतीय रेल ने एक तोहफा देते हुए उनकी जन्मभूमि ग्वालियर से उनकी कर्मभूमि बलरामपुर तक एक नई रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की थी, उसका मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिनन्दन करता हूं, लेकिन बलरामपुर की चूंकि रेलवे लाइन अभी कम्पलीट नहीं हुई, इसलिए उसका अभी गोंडा तक परिचालन हो रहा है। जब रेलवे लाइन कम्पलीट हो जाये तो उसको बलरामपुर से भी आगे बढ़ाकर के बढ़नी तक उसको संचालित किया जाये। ...(व्यवधान)

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Hon. Chairperson, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion. I also whole-heartedly thank our beloved hon. Chief Minister of Tamil Nadu for this opportunity to take part in the discussion on the Excess Demands for Grants (Railways) for the year 2012-13.

The document presented by the hon. Railway Minister shows an excess expenditure aggregating to Rs. 1674.66 crore. In my Arani Lok Sabha Constituency, there is a long pending demand for an over bridge at Cuddalore – Chithur State Highway No. SH-9 near LC No. 80 km. 99/100-200 at Polur Yard of Villupuram – Katpadi section Thiruchirappalli Division. The traffic density at this level crossing is very high. The Government of Tamil Nadu has sponsored the above level crossing for construction into ROB. On its part, the Government of Tamil Nadu led by our beloved leader hon. Puratchi Thalaivi Amma has issued the sanction letter in the first quarter of this year. So, I urge upon the Railway Minister to ensure the progress of this project.

I would also like to take this opportunity to draw the attention of the Railway Minister regarding the need to expedite the new Railway line from Tindivanam to Nagari involving a distance of 180 kms linking Vandavasi, Cheyyar, Arani, Arcot, Ranipet, Pallipattu which was announced in 2006-07. Thus a new railway line will be laid and it would connect Tindivanam, Vandavasi, Arani, Cheyyar, Arcot. More than seven years have elapsed but very little progress has been made in this regard.

It was surprising to note that in a meeting with the GM, Southern Railway which was attended by some MPs, the GM said that it will take about 80 years to expedite the Tindivanam – Thiruvannamalai new railway line project covering a distance of 70 kilometers. When I was surprised with this reply, it was explained that sufficient funds are not there. Now that the Railway Minister is talking about mobilizing funds through Special Vehicle arrangement, I would like to request him to accord priority to our industrially backward area.

I would like to draw the attention of the Minister of Railways to the fact that the Government of Tamil Nadu has already extended all possible cooperation from its end. The land acquisition formalities have been completed for this railway project. Hence, there is no reason to delay this project. I urge upon the Minister of Railways to look into this with all seriousness. Thank you.

SHRI THOTTA NARASIMHAM (KAKINADA): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak a few words on the Demands for Grants of Railways. First of all, I would like to thank the hon. Minister of Railways for running special trains to Rajahmundry, East Godavari, Andhra Pradesh on the eve of Pushkaram on behalf of our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu *garu.*

The Railway Minister has taken good steps to increase the overall potentiality of the railways without compromising the quality of services, and security of the passengers. There is no hike in passenger fares, which extends relief to the poor.

I congratulate Shri Suresh Prabhu ji for announcing 'Kayakalp' which intends to set up an innovation council for business re-engineering and introducing a spirit of innovation in the Railways. This way you can make your mark in the Indian Railways.

I observed that the plan outlay proposed is Rs. 1,00,011 crore, an increase by 52 per cent. There is an increase in the quota of berths for senior citizens, pregnant ladies and disabled persons and also there is an increase of 67 per cent allocations for passengers.

I have to appreciate the Minister of Railways for his another decision, that is to mark the 100 years of the return of Mahatma Gandhi ji from South Africa to India, the IRCTC is planning to promote the Gandhi Circuit to attract tourists. It is a very good decision. Every Indian must know about Gandhi. These trips will inculcate patriotism in the minds of the young Indians.

A new Department for keeping stations and trains clean under the Swachh Rail, Swachh Bharat Abhiyan is a welcome step. Bio-toilets and aeroplane-type vacuum toilets in trains will help to keep the railways clean.

There are some other good decisions which have been announced in the Railway Budget. They are: Operation Five Minutes Scheme to ensure speedy purchase of tickets for unreserved class passengers; 200 more stations under Adarsh Station Scheme, provision of wi-fi at B category stations; increasing the

speed of trains from the existing 110 and 130 kmph to 160 and 200 kmph respectively in nine railway corridors; train protection warning system and train collision avoidance system to control the accidents; booking of rail tickets 120 days in advance, which is a good choice for the persons who will plan their schedule in advance, mobile application developed by the IRCTC provides the railway services on mobile platform, SMS alert service really helps to inform passengers in advance about the updated arrival and departure time of trains at starting or destination stations; surveillance cameras in select coaches and ladies compartments for women's safety without compromising on privacy is also a good step.

All these decisions of the Minister of Railways will certainly be applauded by the people. I am thankful to the Minister of Railways for his announcement to launch the works for third line between Kazipet and Vijayawada and also wi-fi access at Visakhapatnam railway station.

I want to appeal to the Minister of Railways that the division of Andhra Pradesh has brought so many unforeseen difficulties. I would request the Minister of Railways to be liberal to Andhra Pradesh till we restore to the normal situation. There is a feeling among the people of Andhra Pradesh that much help is not being extended to Andhra Pradesh in the Railway Budget. Some of the pending issues pertaining to Andhra Pradesh are: declaration of Vizag as a railway zone; dedicated train to Delhi from Andhra Pradesh; railway lines including Vijayawada – Nidadavole – Jaggayyapet – Vishnupuram; Kakinada – Pithapuram and doubling works on Guntur – Tenali route; Obulavaripalle – Krishnapatnam have not found a mention in the Railway Minister's speech in spite of the State Government agreeing to bear fifty per cent of the costs for the development of the lines. They need to be taken up immediately. They need to be taken up immediately.

Finally, Sir, I would request the hon. Railway Minister to pay his fullest attention to the pending issues of Andhra Pradesh and extend a helping hand to the people of Andhra Pradesh to stand on their own legs. Thank you.

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान जम्मू-कश्मीर की ओर दिलाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है, जहां मां वैष्णो देवी जी का बहुत बड़ा देव स्थान है और साथ ही वहां जम्मू और कश्मीर की सुंदरता भी देखने को मिलती है। देश और पूरी दुनिया भर के लोग रेल के माध्यम से जम्मू पहुंचते हैं। वहां पर जो रेलवे स्टेशन है, उसमें टोटल तीन प्लेटफार्म हैं। वहां से रोजाना करीब 30 से 35 रेलगाड़ियां निकलती हैं। जो तीन प्लेटफार्म हैं, वे बहुत ही कम हैं। वहां तीन प्लेटफार्म और बढ़ाए जाएं और उसकी सुंदरता को भी बढ़ाया जाए।

इसके साथ ही मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पर एक बहुत बड़ी एजिटेशन चल रही है। जम्मू और ऊधमपुर के बीच एक रेलवे स्टेशन मनवाल है। मनवाल रेलवे स्टेशन पर कुछ गाड़ियों के ठहराव की डिमांड हो रही है, क्योंकि बीच वाला जितना भी एरिया है, जितने ब्लॉक्स और तहसील हैं, वहां लोग चाहते हैं कि मनवाल रेलवे स्टेशन पर उत्तर संपर्क क्रांति, जम्मू मेल और श्री शक्ति, तीन ट्रेनों का वहां एक मिनट के लिए ठहराव हो, ताकि लोगों को जम्मू और ऊधमपुर न जाना पड़े और लोगों का परेशानियों का सामना न करना पड़े।

मैं रेल मंत्री जी से एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हरिद्वार पूरे देश का बहुत पवित्र स्थान है और जम्मू-कश्मीर की भी उससे आस्था जुड़ी है। जम्मू-कश्मीर के जितने भी लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं, उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए लोग हरिद्वार जाते हैं। उसके लिए एक ही ट्रेन है और उसके डिब्बे भी कम हैं। मेरी प्रार्थना है कि जम्मू से हरिद्वार तक एक ट्रेन और बढ़ायी जाए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू से पुंछ तक का रेलवे लाइन का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। यह बहुत पुरानी डिमांड है। इसके साथ ही कुछ जगह पर रेल क्रासिंग भी हैं, इसकी भी चिंता रेल मंत्री जी करेंगे। इतना कहते हुए मैं आपको और रेल मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Hon. Chairperson, Sir, I would thank you very much for allowing me to participate on an important subject concerning the Railways, the lifeline of our great nation. The Appropriation Bill provides authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services for the purposes of Railways during the financial year ended on the 31st day of March, 2013, in excess of the amounts granted for those services and for that year.

While we debate on the above, I would like to bring to the kind attention of the hon. Railway Minister to an ongoing project. The Tindivanam to Nagari railway line project has been an important railway line concerning the people belonging to Villupuram, Tindivanam, Tiruvannamalai, Vellore and Tiruvallur. The work on the said railway line has commenced very long back. However, the work is moving at snail's speed, the reason being paucity of fund. The need for the appropriation Bill arises because of delay in executing the projects which leads to cost-escalation. Therefore, there is an urgent need to execute the ongoing projects on a time-bound basis so that we can escape from cost escalation. Therefore, I urge upon the hon. Minister to look into it and provide sufficient funds for the early completion of this project.

Another thing which I would like to bring to the kind notice of the hon. Minister is about laying of another track in the sector between Kanchipuram and Arakkonam *via* Tirumalpur. Presently, this sector is having only a single track due to which the railway operations are being affected causing inconvenience to the general public. Therefore, I urge upon the hon. Minister to approve another track in this sector with sufficient fund allocation for the same.

The hon. Minister is aware that Tirumala-Tirupati Temple is an important religious place attracting devotees from all over the world as well as domestic devotees. Therefore, the railway line leading to this temple town always remains a busy sector. Therefore, I urge upon the hon. Minister to direct the Southern Railway to lay another track between Arakkonam and Tirupati *via* Tiruttani.

Presently, this sector is having a double line which is insufficient to deal with the frequency of trains running between these sectors.

I hope the hon. Minister will look into it and do the needful in the interest of the people of Tamil Nadu. Thank you, Sir.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, रेलवे के एक्सेस ग्रांट पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से बोलना चाहता हूं। रेलवे की महत्ता इस बात से देखी जा सकती है कि अलग रेलवे बजट बनाना ही इसकी महत्ता को दर्शाता है। मोदी साहब की सरकार ने इसकी महत्ता को देखते हुए, बहुत ही एनर्जैटिक और एफिशिएंट मंत्री जी को यह मंत्रालय सौंपा है। जो यह दर्शाता है कि इसकी महत्ता को आज की सरकार कितनी तरजीह देती है। मैं समझता हूं कि रेल विभाग ने जो अपना नाम कमाया है, उसे और कैसे आगे ले जाया जा सकता है, वैसे तो हमारे मंत्री जी अच्छी सोच रखने वाले विजनरी व्यक्ति हैं किन्तु मैं भी उन्हें कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

यह कहा जाता है कि रेल विभाग में फायनैंशियल क्रंच आ रहा है, उसको कैसे दूर किया जाये, यह सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि लंबी रूट्स की ट्रेन्स घाटे में नहीं चल सकती हैं और न चल रही हैं। पैसेन्जर्स ट्रेन्स, जिनकी गिनती 200 से भी ज्यादा हो सकती है, वे घाटे में हैं क्योंकि उनकी रूट्स और खासतौर पर उनकी पंक्चुअलिटी नहीं होती है, उनमें सफाई नहीं होती है, लेकिन उसका दोष पैसेन्जर्स को दिया जाता है कि वे सफाई नहीं रखते हैं। उसके लिए रेलवे मंत्रालय को स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे उन रूट्स को लाभकारी बनाया जाये। उसके लिए सफाई और पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। आजकल पैसेन्जर्स ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। बस ट्रांसपोटर्स भी मिल कर उनको आगे-पीछे कर देते हैं, उन पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। जैसे लंबी रूट्स की ट्रेनों का विश्वास बना है, पैंसेन्जर्स ट्रेन्स भी वैसे ही विश्वसनीय होने चाहिए।

हमारे गुड्स ट्रेन्स में ज्यादातर सरकारी माल जाते हैं, प्राइवेट माल कम जाते हैं। 80 प्रतिशत लोग ट्रकों के द्वारा अपना माल ले जाते हैं। मैं देखता हूं कि उनमें चोरी बहुत होती है। दूसरा जो क्लेम है, उसका सिस्टम हुत पेचीदा है। उनको बहुत देर तक क्लेम नहीं मिलता है। तीसरा, ट्रेन की पंक्चुअलिटी का भी सवाल है। कई बार उसमें 8-10 दिन लग जाते हैं। कोई ऐसा सिस्टम बने जिससे गुड्स ट्रेन्स समय पर पहुंचे। मैं समझता हूं कि माल भाड़ा से रेलवे की आमदनी बढ़ सकती है।

इंक्रोचमेंट बहुत है। इनकी जमीन बहुत खाली पड़ी है, उनको कैसे यूज में लाया जाये? जमीन की मल्टिपल यूज के लिए योजना बनायी जाये। जैसे रेलवे स्टेशंस हैं, उन पर मॉल्स बन सकते हैं। उनकी जमीन कॉमर्शियल यूज में लायी जा सकती है। माननीय मंत्री जी की जैसी सोच है, उससे रेलवे और आगे बढ़ सकती है। मैं उनका निजी तौर पर भी धन्यवाद करना चाहता हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब एक ऐसा स्थान है, जिसकी देश में बहुत बड़ी महत्ता है। हमारे लोगों की जो मांग 60-65 सालों में पूरी नहीं हो पायी लेकिन, माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे बजट

पास होने के बाद एक महीने के अंदर श्री आनंदपुर साहिब को श्री अमृतसर साहिब से जोड़ने के लिए ट्रेन चला दी। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। शहिद भगत सिंह जी का जो जद्दी गांव है, वहां आप स्वयं जाकर आयें। वहां के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करके उसे सुंदर बनाने के लिए काम चल रहा है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं जो प्रदेश के लोगों की जरूरत है। अंडर पैसेज जहां आरओबी हैं, उनके लिए पहले खुला काम होता था, अब थोड़ा संकोच में हो रहा है। प्रदेश सरकारों को हिस्सा डालने के लिए कहा जा रहा है। प्रदेश सरकारों के पास पैसे नहीं होते। कनैक्टिविटी की ज्यादा जरूरत होगी। लोगों के साधन ज्यादा बढ़ गए, रोड्स ज्यादा हो गईं। प्रदेश सरकारें कहती हैं कि रेलवे लाइन उनकी रोड्स को क्रॉस करती है, इसलिए रेलवे ही उसका खर्च दे, लेकिन रेलवे कहती है कि प्रदेश सरकारें दें। इसके लिए किसी भी प्रकार आमदनी का साधन बनाया जाए। सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को यही आ रही है कि अंडर पैसेज कैसे बने और आरओबी कैसे बने। उनमें केन्द्र सरकार, रेलवे विभाग कैसे हिस्सा डाले ताकि लोगों की मुश्किल दूर हो पाए।

मैं एक-दो सुझाव और देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर एहसान नहीं किया बल्कि सारे देश पर किया है कि श्री आनंदपुर साहेब जैसी जगह को रेलवे से जोड़ा है। चंडीगढ़ पंजाब की ही नहीं बल्कि हरियाणा की भी राजधानी है। उससे हिमाचल और जे एंड के भी जुड़ता है। राजस्थान के गंगानगर तक चंडीगढ़ से सीधी रेल लाइन जोड़ने के लिए केवल 20 किलोमीटर का गैप - मोहाली से राजपुरा - तक है। अगर वह बन जाए तो चार-पांच प्रदेश सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी। ऐसे ही श्री आनंदपुर साहेब से ट्रेन जोड़ दी, लेकिन एक सीधी रेल लाइन भी बन सकती है। मैंने इन्हें सुझाव दिया था। मैं समझता हूं कि अगर उस पर अमल किया जाए तो अच्छा होगा।

मैं अपनी ओर से एक बार फिर रेलवे की एक्सैस डिमांड्स पर मंत्री जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): Mr. Chairman, Sir, let me first of all thank all the Members who have participated in this very interesting debate. Actually this is Demands for Excess Grants for the year 2012-13. Let me remind the perspective. This is the year in which I presented a Budget which was for the year 2015-16. The year 2014-15 is also over. This is the Demand for the year two years before, for the year 2012-13 and for the Excess Demands which were spent already.

Sir, as you know, the Constitution of India very clearly mandates the Government to spend money. The Executive could spend the money only when it is approved by this august House of Parliament. There is also a possibility that the Executive could draw money from the Contingency Fund. But there are again very well defined systems and procedures. But every amount that the Executive can spend has to be voted by this House and then only we create a charge over the Consolidated Fund of India and then we can draw the money. This is very unfortunate that the money which is now going to be approved by this august House was actually not voted by the Parliament, but we spent more than what was actually decided. Therefore, the matter, as the Constitution demand, had to go to the Public Accounts Committee and the Public Accounts Committee very kindly agreed for this. But they also mentioned that the Financial Advisor of the Ministry should ensure strict adherence to the financial discipline thereby reducing the recurring phenomenon of excess expenditure to the barest minimum, if not eliminated altogether.

So, Sir, we are performing a task which is not directly related to our Government. Our Government was elected to office only 15 months ago. But we are trying to do something for the others because we do not believe in politics, we believe in the smooth functioning of the Parliament. We also believe that democratic principles have to be followed. We also believe that we must make sure that the national interest is above everything else. So, everything is sub-servient to the national interest. Therefore this is something which I hope the

House will approve. The Public Accounts Committee also said that you bring it to the House, so I am actually bringing it to the notice of the House. I am sure, you will take note of this. This is also demonstration of the fact that this Government led by our Prime Minister, Mr. Modi, believes in highest principles of democratic functioning of the Parliament. That is why we really want to move forward and we want to take it forward.

Sir, I am thankful to many Members who talked about it. But the Members talked about not necessarily the year that went by but the year which is going to come. So, obviously, we should look up to the life; we should forget what has happened. Let the bygones be bygones and we should look up to it. Many Members have talked about many new ideas for the current year as well as for the years to come. Let me just briefly try to respond to it.

As you are aware, the Budget was presented on 26th of February, the first Budget, the full Budget of the Modi Government. I am very happy to say that the operating ratio for the year 2014-15 is one of the best in the last seven years. So the revised operating ratio for the year 2014-15, which is the full year of this Government, is the best over B.E. in the last seven years. I can give you the details, if you want because my good friend Tathagata Satpathy asked a very valid question. But, I can tell you about that, if you want.

What is important is, this year we could create the highest ever infrastructure of 1983 kilometres. This is not our claim that in one year we created it. What we are saying is, we commissioned it on one year. So, obviously this was going on. This was going on for years; you cannot construct a new line in one year. It is nobody's claim. But what is important is that we could achieve the highest-ever completion rate. That is because, we put in place all the issues that are necessary for doing that. Therefore, 1983 kilometres of total lines were created, which is highest ever; 1375 route kilometres of electrification was completed, which is also highest ever; 723 kilometres of doubling was completed and we could lay down 1320 kilometres of optical fiber cable.

Sir, for connection to North East – there are many friends of mine – yesterday the Prime Minister signed a historic Accord with our good friends, Nagas. That is not just an isolated act. The Prime Minister is not just trying to sign any Accord to score any point; this is part of our overall strategy of North-Eastern development. We feel that that part of India which has been neglected must be integrated and therefore, Sir, in this year, we have said that Barak Valley will be connected through broad gauge. In the next few days, we will actually start the passenger train. Arunachal Pradesh is connected through Naharlugan, Itanagar; Meghalaya is connected through Mendipathar and foundation for new rail route has been laid for Mizoram. Our target is to make sure that we connect all the important eight sisters that we have. Seven sisters were there; we added Sikkim and we have eight sisters. So, we believe in sisters; we believe that sisters should be remembered not only on Rakhi day but also sisters should be remembered always. Therefore, we are really trying to take it forward.

Sir, I want to take a few minutes to tell you something about the Budget strategy. I do not want to talk about the Budget again but only implementation part. In the first quarter, that is from April to June, our total projected expenditure was Rs. 13,000 crore. We have actually incurred Rs. 17,734 crore which is 134 per cent of the proportionate Budget. We have actually done doubling which is 125 per cent – all this capital expenditure – of the Budget figure. New line is 130 per cent of the Budget figure. Gauge conversion is 108 per cent of the Budget figure. Electrification for the year is 116 per cent of the budget figure at Rs.967.61 crore. This is the amount actually spent. Also, the track renewal is 140 per cent of the Budget. I am saying this because we are trying to spend the money to kick start the economy. The Railways have a bigger responsibility and I am not going into the numbers of how many new lines we have laid etc.

16.00 hrs

I would like to talk about one point which my good friend Mr. Chandumajra has raised. He is my real friend and he shares with me the good

langar prasad which he brings from Gurudwara. With his blessing, we have fast tracked 1,300 ROBs and 5,554 RUBs at a total cost of Rs.54,834 crore. Sanctioning of new work got a quantum jump many times over what was done in the previous year.

Our target for passenger amenities is Rs. 154 crore and we have spent Rs. 160 crore. I do not want to go into the deep of all this. But the point that I would like to raise here is that we are incurring more capital expenditure than what was budgeted for this quarter. I am sure in the next nine months we will exceed the target to make sure that we will actually kick start economy and will complete all the promises that we have made. I was just reviewing each and every budget. Announcements have been converted into action point. It is monitored regularly through eSamiksha. I am happy to say this today that within the first three or four months, 79 items of Budget have already been implemented. The list is also available on the website. You can go through it. I will give the list a little later.

We have organised one of the highest ever programmes of outreach. We call it Rail Yatri Pakhwada. This is a fortnight for rail yatries, beginning from 26th of May, which is the first anniversary of this Government, to 9th June. It was for 15 days. In this period, 233 massive projects worth approximately Rs. 4000 crore were launched or completed for passenger amenities alone. Work on 73 projects related to passenger amenities worth approximately Rs. 550 crore, started.

<u>16.02 hours</u> (Shri Ramen Deka *in the Chair*)

My good friend Gopal Shetty was asking me about NGOs. About 7 million passenger interactions were done through railway officers and staff. All types of NGOs whether they were Lions Club, Rotary Club, religious organisation or any other NGOs they were actually approached and brought here. About 7,500 cleanliness and sanitation drives were done. As a result of which, I am not claiming that the Railways has transformed but the Railways has improved. I got lots of messages everyday on my Twitter account about it. I am also surprised with the pictures of so many stations and other places which have become much

better than what they were before. Again I am saying that we have a long way to go but we have made a beginning. I am telling you that this is the first quarter. This is the first time when I am making a quarterly report. This has not been done before. I will make it a practice. We will put the information about the Railways on the public domain. Around 8,500 inspections have been done by railway officials as a part of intensive safety drive. About 4000 catering services checks had been undertaken during the period 30.05.2015 to 20.06.2015. About 4,600 intensive ticket checking drives resulted into Rs. 9 crore of revenue. So, this was a very comprehensive Pakhwada in which we have done all kinds of programmes. The film is available with us. If you permit me, I will e-mail this film to all the Members of Parliament so that they can also know about it.

As I said earlier, we had the Budget announcements. Many of them have been completed. I am just talking about a few of them. Hon. Members have raised some issues. One of them is about the cleanliness. We have started E-catering in almost 1500 trains. This is giving an option to the passengers. Earlier you had to buy food which is served by the Railways. Now, E-catering provides a possibility or a choice to the passenger to order food from any place. We have started a new programme for getting a feedback from the passenger while he is travelling. There is also a programme where we will take his feedback after he completes his travel. Everyday we initiate about 4 lakh calls to find out as to what a passenger feels about it. If he is facing any problem in between his journey, we will try to take corrective action. This is a new programme which we have launched and it is also going on to make sure that it happens.

Now, I am coming to the question of laundry. Many people talked about it including my friend from Maharashtra. I agree with him. We have started mechanised laundries to address this problem. We have already started about two or three laundries this year, in addition to 35 established earlier. Further we are going to launch, at least, 22 more in the next few years.

There are new ideas which we did, and my good friend Shri Gopal Shetty mentioned about them. Earlier, people have to buy bottled water. I have mentioned in my Budget Speech that we would start a new system whereby people could buy water, not necessarily in bottle but through a vending machine. We have started this on a pilot scale. We have already issued tenders. Already tenders have been allotted by IRCTC. Now, in the next round we will cover even more stations. Then, people do not have to buy water bottle at Rs.10 or Rs.15. They can get it at a fraction of the price. So, they will save money. This will also create jobs for thousands of people who will be actually running these machines.

We started the reservation programme. Now, in the IRCTC portal there are hundreds of complaints. We have changed the software and hardware. Now, people are saying that it is really a seamless experience. Now, one can book a ticket in a few minutes. That is the new thing which we have started.

I know that many Members had raised the issue earlier and said: "Where is the money to spend?" We signed an agreement with LIC for Rs.1,50,000 crore. So, in this year's Budget, there was a shortfall of Rs.17,000 crore. LIC's agreement gives us an opportunity to spend Rs.1,50,000 crore in the next five years. So, if we want, we can spend more. If we have the projects, we can execute them.

Some people mentioned about human resource. We are already doing human resource audit to make sure that all these issues related to this aspect are addressed.

As regards accounting, there are a few recommendations made by the Bibek Debroy Committee. We are already implementing some of them like accounting reforms, delegation, signing MoUs with some of the Zones. We have also done joint ventures. Many of you know that 17 States have agreed to do a joint venture with us. What would it mean? Today, the projects are implemented only by the Railway Ministry. Now, we will be able to implement projects with the participation of the State Governments. I will give you an example. The

Government of Maharashtra has earmarked a sum of Rs.10,000 crore from their Budget as capital for the Railway. This is unprecedented. The Government of Maharashtra has put a sum of Rs.10,000 crore. Similarly, we have this experience in other States also. The Government of Odisha is also doing that. I am just giving you this example. All the 17 States have agreed to set aside money from their Budget. That money along with our capital can be leveraged so that with the money set aside by the Maharashtra Government, we can implement the projects worth Rs.80,000 crore in the State of Maharashtra. We can do the same thing in Odisha also. This is not just decided and agreed. As you know, this is signed, sealed and delivered. In the case of Odisha, we already signed three such deals and we are moving ahead with that.

We have already delegated most of the powers to the local functionaries like General Manager and DRM so that they can do that. We started port connectivity projects. We have already three such projects. One is to connect Dighi port; the second one is to connect Jaigarh port; and the third one is between Gandhidham and probably the port in Gujarat.

One of the problems which we are still facing – I must admit this – is the punctuality problem. Many of the trains particularly going into Uttar Pradesh and Bihar are having this problem. Also in the section between Delhi and Kolkata we are facing a lot of problems. That is because the capacity in that segment is over utilized to the extent of 150 per cent. So, the number of trains which go through the same route are having a lot of problems. In between, we had a double whammy. In Itarsi, there was an accident. Everything in the RRI Panel got burnt. In a record time we restored it but that caused problems. In between, of course, there was Gujjar agitation in Rajasthan, which again caused disruption and caused delay in trains. This issue - delay in trains – is still a challenge. I am trying to monitor it. I have improved it but I am not happy about it. I want to make sure that we must bring in punctuality in the running of trains. The solution to that is augmentation. You can bring in capacity improvement only when you do

doubling and tripling projects. These projects have to be completed. Unfortunately, it takes time to complete these projects. Therefore, we are putting these projects on fast track, as I just explained to you. When that happens, we will be able to not only complete these projects but also bring in punctuality in a much better way.

Some of my friends wanted to know about the bullet train. We are planning in many areas but this is something which is not at the expense of the common man's services. The common man will get the best of the services. The Budget focused on him alone. This was an on-going idea for many years, not just by our Government alone. But we are trying to find out the viability. For one line we have got a Report which has been presented by JICA, the Japanese Government. We are trying to work on that.

We are also trying to introduce a system -- Key Result Areas -- for General Manager, DRM and Station Master, which will be properly identified so that nobody can say that this is not his responsibility. So, somebody will be responsible. We want to fix the responsibility so that they can take it on them.

In case of Mumbai, I absolutely agree with you, that in Mumbai 75 lakh passengers travel everyday. This is the highest number amongst any city; and in fact, it is their lifeline. The Railways lose a lot of money. There is a concept that the Railways make money but the Railways lose a lot of money in that particular segment. Our idea is to improve the system in Mumbai by bringing in Mumbai Urban Transport Project –III, which attracts huge investments. We have already signed an agreement with the Government of Maharashtra. We will take it forward. In between, if you want to make any suggestion, I declare it just now, on the floor of this House that we will create a portal for ideas for Mumbai Transport System. Everybody can give ideas about the solution. If these are better, we will accept them and implement them. But let us not think that we are not trying to do things. We are trying to do as much as possible for Mumbai.

Station development was talked about. We have ideas and we are working on two-three areas. One is that the Railways themselves will develop some stations. The Cabinet has approved a proposal to develop 400 stations, which are all A and A1 stations in India on a very transparent system. Anybody can come and start bidding for it; and the bid again will be put on the website. So, this will be the most transparent exercise. I would appeal to all the Members of Parliament to let this news go to everybody so that more and more people participate. This can get us the maximum benefit in the shortest time and can also get some money that my good friend Prof. Chandumajra was talking about.

It was complained that MPs are not being invited for some of the functions. I take it very seriously. I have told all my officers that we will take individual action if the hon. Members of Parliament are not treated with the type of respect that they deserve. It is a very clear instruction issued and nobody will be allowed to flout it. We have, in fact, gone a step ahead and set up Zonal Committees, which will be chaired by the Members of Parliament. I hope, you all must have got the letter.

SOME HON. MEMBERS: Thank you.

SHRI SURESH PRABHU: I have already done that so that you will be able to work and implement some of the ideas that you have in your mind. You will be supervising it. This has already been decided.

We have also decided about the reservation. You must have got my letter in this respect. I know that the Members of Parliament have this complaint that while they try to make reservation, they send letters. I said that there have been some misuse. I do not want the name of any of the Member of Parliament to be spoiled for no fault of his. Therefore, we want to make sure. I have got acknowledgment from many of them. Some of them may not have got it. I will send them again if anybody has not got it. But we are trying to work on that.

On energy, my good friend, Shri Om Birla has talked about a very good idea -- why not we generate our own energy. In fact, let me tell you that when I

was a Minister of Power and Shri Nitish Kumar was the Minister of Railways, I went to him and told him that we will set up a joint venture. So, we are setting up a project called Nabinagar Project in Bihar, which will be owned by the Railways and the NTPC jointly. But we are also trying to work with the Ministry of Power. In fact, in the next few days, we will sign an MoU so that we will jointly own some of these projects. In the morning, I attended a programme; and we are trying to solarise all the Railway operations. So, solar energy will be generated to the maximum extent. Energy is our focus area. Therefore, we are working on it as well.

One hon. Member mentioned about police -- why not bring the GRP. आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि संविधान के तहत कानून और सुव्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। इसीलिए यदि हम उसमें कुछ करना चाहेंगे तो राज्य सरकार की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को खत लिखा था, उनसे विनती की थी कि आप यह जिम्मेदारी हमें दीजिए ताकि एक सिमिलर पॉलिसी होगी। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपकी राय और आपका सुझाव बिल्कुल सही है कि सही मायने में इसको ज्यादा करना चाहिए।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं जो हम पूरे पीरिएड में अमल में लाएंगे कि हमारे देश में जितने भी अलग अलग तरह के रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका एक इंफ्लुएंस लोगों के ऊपर होता है। वे हमारे अलग अलग धर्म से जुड़े होंगे। हिन्दू होंगे, मुस्लिम होंगे, जैन होंगे, ईसाई होंगे या सिख होंगे, उन सभी से मैंने विनती की है कि आप सभी लोग आइए और हम साथ मिलकर रेल को साफ करने का काम करेंगे तथा यह कार्यक्रम बहुत ही जल्दी होगा और यह कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में ही करने की हमें उम्मीद है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था, जैसे हमारे जगदम्बिका पाल जी ने सुझाव दिया था कि वर्ष 2012 में इतना ज्यादा खर्च हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014-15 में हमने एक भी एक्सैस एमाउंट खर्चा नहीं किया।

सभापति जी, ओडिसा के कुछ लोगों ने सुझाव दिया था, उसके बारे में मैंने बता दिया है। ओम बिरला जी ने कोटा क्षेत्र की बात कही है, उसके बारे में भी जरूर ध्यान रखेंगे। टीडीपी के राव साहब ने कहा है कि स्पेशल ट्रेंस चलाई गईं। ऐसा करके हमने कोई उपकार नहीं किया है बल्कि यह हमारा फर्ज था। हमें काम करना ही चाहिए। ओडिसा में जब जगन्ननाथ जी की यात्रा थी, तब भी हमने ऐसा किया था।

आपने एक नए पर्व के बारे में भी कहा है, उसके लिए भी हम ट्रेंस चलाएंगे। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के लिए भी 240 से ज्यादा ट्रेंस देंगे।

जैसा गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि बूट पालिश करने वालों के लिए समस्या है। बूट पालिश करने वाले भी हॉकर्स हैं। जो आम जनता ट्रेवल करती है, उनकी राय है कि एक भी हॉकर को आने नहीं दिया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हॉकर्स को ज्यादा लाइए। इसे बैलेंस करने की जरूरत है। यदि हम कहें कि सभी हॉकर्स ही चलेंगे तो भी यात्रा करने वालों को तकलीफ होगी और अगर हॉकर्स को नहीं आने दिया तो उन्हें तकलीफ होगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने ज्वायंट ग्रुप बनाया है। पॉच मिनट में टिकट के लिए भी हमने अभियान शुरू किया है। इसका इम्प्लिमेंटेशन हो रहा है। शर्मा जी ने जम्मू-कश्मीर के बारे में कहा है। आपको पता होगा, तीन-चार दिन मैंने जम्मू, खासकर कश्मीर वैली का दौरा किया। वहां के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में जा कर उसे देखने की कोशिश की। जम्मू में भी जरूर जाऊंगा। माजरा जी का कहना भी सही है कि गुड्स ट्रेन का टाइम टेबल ही नहीं है। गुड्स ट्रेन को अहम स्थान देने के लिए डेडीकेटिड फ्रेट कोरिडोर है, वह जितनी जल्दी पूरा होगा, तब हम गुड्स ट्रेन का भी टाइम टेबल कर सकेंगे। आपकी राय सही है कि निजी क्षेत्र से जो माल जाता है, उसे जब तक अपने पास नहीं लाएंगे तब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी। ऐसा करने के लिए हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, रिलायबिलिटी लानी पड़ेगी और चोरी न हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन तीनों चीजों पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर में पिछले छह महीने में टेंडर इश्यू किए, केपिटल एक्सपेंडिचर किया। जब से डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर शुरू हुआ है, तब से ऐसा नहीं हुआ था। अगले 9 महीने में हम सबसे ज्यादा टेंडर देंगे। 82 हजार करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है। केबिनेट ने एप्रूवल दिया है। उसका लाभ यह भी होगा कि यह सिर्फ गुड्स ट्रेन्स के लिए नहीं है। जब गुड्स ट्रेन्स ट्रैक से चली जाएंगी तो पैसेंजर ट्रेन्स पूरी स्पीड से चल पाएंगी। इसका दोहरा लाभ हमें मिलेगा।

यह बात भी सही है कि एनक्रोचमेंट की भी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि राज्य सरकारें हमारी इस काम में मदद करें ताकि आगे आने वाले दिनों में इस समस्या से निजात पाई जा सके। आज डिजिटल मैपिंग का काम शुरू कर दिया गया है ताकि आगे से जो एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसके बारे में पता चल सके। हमारे तमिलनाडु के मित्रों ने काफी अच्छी बात कही है। हम यह भी बताना चाहते हैं कि अम्मा के आशीर्वाद से तमिलनाडु में अच्छा काम चल रहा है। हम जरूर चाहेंगे कि तमिलनाडु के प्रोजेक्ट्स पूरे हों। आपको सुन कर खुशी होगी कि वर्ष 2008 में 900 करोड़ का बजट था, वर्ष 2009-2010 में छह सौ करोड़ रुपए था, वर्ष 2010-2011 में आठ सौ करोड़ रुपए था उसे हमने बढ़ाकर वर्ष 2015-2016 के

बजट में 1452 करोड़ रुपए we have earmarked for the State of Tamil Nadu, increasing it from Rs.809 crore. I am not saying that we are very happy with this. We want more and, therefore, I am very happy to say that the Chief Minister of Tamil Nadu has agreed to sign an agreement with the Government of India. That will allow us to undertake more projects. But you can imagine that finally Tamil Nadu is one of the 29 States. We are trying to do justice to all states like Odisha. The Chief Minister of Odisha has personally said that he has got more than ever imagined in this budget. But that does not mean that Odisha is happy because they want more.

Tamil Nadu got much more money, but that does not mean that they have got everything they wanted. But they must look at it in relative terms. Therefore, to make it happen and to see that we fulfil it, we are trying to make a company which has the State Government as partner. I will meet the hon. Chief Minister and try to take it forward.

So, I am really thankful to all the Members for providing this opportunity to come closer to all the people again, through you. and to let them know about the progress that we have made. Therefore, I really thank all of you and look forward to more support in getting this Bill passed.

Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I shall now put the Demands for Excess Grants (Railways) for 2012-13 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 8, 10 and 13."

The motion was adopted.

16.23 hrs

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL, 2015*

HON. CHAIRPERSON: Item No. 20 – Hon. Railway Minister.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services for the purposes of Railways during the financial year ended on the 31st day of March, 2013, in excess of the amounts granted for those services and for that year.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services for the purposes of Railways during the financial year ended on the 31st day of March, 2013, in excess of the amounts granted for those services and for that year."

The motion was adopted.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I introduce** the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 21 – Hon. Railway Minister.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services for the purposes of Railways during the financial year ended on the 31st day of March, 2013, in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 4.8.2015

** Introduced with the recommendation of the President

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services for the purposes of Railways during the financial year ended on the 31st day of March, 2013, in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: Now, we will take up item No. 22 - Shri Thaawar Chand Gehlot.

16.25hrs

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) AMENDMENT BILL, 2014

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

> "कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, यह कानून वर्ष 1989 से बना हुआ है और कानून लागू भी है, बहुत बार ऐसी घटना होने की जानकारी मिलती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के साथ अन्याय-अत्याचार की घटनाएं होती रहती हैं। कोर्ट में केसेज चलते हैं, कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है और उसके कारण ऐसा महसूस किया जाने लगा कि वर्ष 1989 के कानून में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। बिल पर विचार-विमर्श किया गया, वर्ष 2013 में यह बिल लोक सभा में प्रस्तुत हुआ, किन्तु उस समय चर्चा में नहीं आ सका और पारित नहीं हो सका। उसके बाद वर्ष 2014 में फिर से इस बिल को प्रस्तुत किया गया। यह बिल संसदीय स्थायी समिति के पास भी गया, संसदीय स्थायी समिति ने उस पर गंभीरता से विचार करके अपना प्रतिवेदन भी दिया। इस बिल में सामान्यतया कुछ नई परिभाषाएं शामिल की गयी हैं, मौजूदा धाराओं की शब्दावली में कुछ परिवर्तन किया गया है, पुनर्वास के क्षेत्र को विस्तारित करने की बात कही गयी है, संस्थागत सुदृढीकरण की बात भी इसमें कही गयी है, अपील के संबंध में नियमों में कुछ सुधार करने की बात कही गयी है, पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों को सुदृढ़ करने की कोशिश की गयी है, निरोधक उपायों को भी सुदृढ़ करने का इसमें प्रावधान है। मैं मानता हूं कि यह बिल पारित होने के बाद जब कानून बनेगा तो देशहित में होगा, जनहित में होगा, छुआछूत का जो वातावरण आज यदा-कदा दिखाई देता है, उसे समाप्त करने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। इस देश में समरसता की महती आवश्यकता है और समरसता के लिए कानूनी प्रावधान भी होना चाहिए और साथ ही समन्वय का वातावरण भी बनना चाहिए, तभी समरसता आ सकती है। इन उद्देश्यों को लेकर इस बिल में प्रावधान किए गए हैं। मैं इस अवसर पर

---

* Moved with the recommendation of the President.

इससे ज्यादा कुछ कहूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। विचार-विमर्श के बाद अंत में जब जवाब देना होगा, उस समय अगर कोई बात आएगी तो उसके संबंध में मैं जानकारी दूंगा।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, be taken into consideration."

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : धन्यवाद सभापति महोदय।

महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधन करने के लिए लाया गया है, बहुत ही स्वागतयोग्य है। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2013, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए 12 दिसम्बर, 2013 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तथापि इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी। आज इस पर चर्चा हो रही है और आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही, मैं माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चन्द गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बिल को आज प्रस्तुत किया है और आज इस पर चर्चा हो रही है।

मोदी जी ने शुरू में ही कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी। वह इस बात का उल्लेख जनता के बीच में चुनावों के समय करते थे और फिर सरकार बनने के बाद भी कहते हैं कि हमारी सरकार गरीबों के हित के बारे में काम करेगी। उसी बात को दृष्टि में रखते हुए यह बिल यहां पेश किया गया है। गरीबों को ध्यान में रखकर ही इस सरकार की नीतियां बन रही हैं और कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मोदी जी की मौजूदा सरकार इस बिल को लेकर आई है, यह उस वर्ग के लिए है जो इस देश की 25 प्रतिशत आबादी है और जो हजारों वर्षों से पीड़ित रही है। खासकर अस्पृश्यता का वातावरण इस देश में बना रहा और हमारे समाज में इसे एक कलंक कहा जा सकता है। उसे समाप्त करने के लिए यह बिल 2013 में लाया गया था, जो 1989 का अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे अत्याचारों को रोकने से सम्बन्धित है। यह जो बिल यहां कानून बनने के लिए पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि यह सामयिक भी है और जरूरी भी है।

आज इस बात का हमें खेद है कि सामने की बैंचों पर जो लोग इस देश में 50-60 साल तक राज करते रहे, जिन्होंने दलितों की वजह से अपनी कुर्सियां बचाए रखीं और प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री बने, उस कांग्रेस पार्टी ने लगातार इन वर्गों का प्रयोग अपने हित में किया और काम उनके लिए कुछ भी नहीं किया। दलितों के लिए केवल मात्र इतना किया कि उन्हें वोटों की राजनीति बनाए रखा। आज इस विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही है, जिसे पिछली सरकार 2013 में नहीं ला सकी थी। जब आज यह बिल सदन में आया है चर्चा के लिए तो हमारे सामने की बैंचें खाली हैं। वे लोग नहीं चाहते कि देश की 25 प्रतिशत

आबादी जो दलित वर्ग की है, जिन पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा हो और कोई ठोस कानून उनके हितों के लिए लाया जा सके। मैं समझता हूं कि वे हाउस में नहीं हैं, जिस प्रकार से वे सदन में व्यवधान डालते रहे, जनता उसे अच्छी तरह समझ चुकी है। प्रधान मंत्री जी और इस सरकार ने जो यह बिल पेश किया है, उसमें वे योगदान नहीं करना चाहते, ऐसा मेरा मानना है।

यह जो कानून है, इसकी आवश्यकता थी। मोदी जी की सरकार गरीबों की है और इस देश में अधिकांश गरीब अनुसूचित जाति एवम् जनजाति वर्ग के लोग हैं। जब हमारे प्रधान मंत्री जी जन-धन योजना लाए तो उन्होंने हिन्दुस्तान की जनता को फाइनेंशियली इंक्लूजन की बात की थी कि हर व्यक्ति का बैंक में एकाउंट हो और उसे वह आपरेट करे, जिससे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उसके माध्यम से उसे उनका लाभ मिल सके। यह एक आधार है, जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने का। वे लोग अगर एकाउंट खोलेंगे तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति एवम् जनजाति वालों को जो इतने वर्षों से समाज में उपेक्षित और वंचित रहे हैं, सीधे-सीधे लाभ मिलेगा। अगर 15-17 करोड़ लोगों ने जीरो पैसे पर एकाउंट खोले हैं तो उसका विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि उनमें से 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी गरीबों, दलितों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के हितों के बारे कितनी चिंता करते हैं।

सुरक्षा बीमा योजना की बात होती है तो इस योजना के तहत 12 रुपए में बीमा हो रहा है यानि एक रुपया एक महीने का जमा कराएंगे तो आपका बीमा हो जाएगा। अगर दुर्भाग्यवश कोई घटना आपके साथ घटित हो तो दो लाख रुपए का बीमा जो होगा, वह मिलेगा। इसी तरह पेंशन योजना चलाई गई है और मुद्रा बैंक की बात कही गई है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह बहुत ही अच्छी बात की है। उन्होंने मुद्रा बैंक की स्थापना कर देश में छः करोड़ लोगों की पहचान की है। ये वे लोग हैं जो देश के 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। उनके लिए बैंक सुविधा की व्यवस्था नहीं है। वे गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग से हैं या गांवों में मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, जूते बनाते हैं और छोटा-मोटा काम करते हैं। अब इन लोगों को मुद्रा बैंक से, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है, ऋण आदि की व्यवस्था होगी।

मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे मंत्री श्री थावरचंद गहलोत का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजनाएं लाकर दलितों को आर्थिक तौर से सबल बनाने और समाज को वे कुछ दे सकें और केवल मात्र आरक्षण पर ही निर्भर न

रहें, वे आर्थिक तौर से भी मजबूत हों, इस प्रकार की नीतियां हमारी एनडीए की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार लायी है, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

मैं इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर चर्चा करने से पूर्व हमारे देश के प्रांतों में इस वर्ग के साथ हो रही कुछ घटनाओं को सदन में रखना चाहता हूं। देश में इसके लिए कड़े से कड़ा कानून बनाया गया है। Protection of civil rights Act, 1955 जो कि अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए उसमें ऑफेंस डिक्लेयर किया गया। उसके बाद वर्ष 1989 में विधेयक लाया गया और उसमें कठोर प्रावधानों को रखा गया, लेकिन फिर भी हम रोज अखबारों में देखते हैं और आठ-दस खबरें दलितों पर अत्याचार की होती हैं, महिलाओं पर अत्याचार की होती हैं। असमाजिक तत्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, मैं समझता हूं कि उसमें यह विधेयक लाभकारी होगा। अगर हम नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देखें तो जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ हैं, दलितों पर एट्रोसिटीज़ के मामलों को अगर देखें तो वे लगातार बढ़ रहे हैं और इसी वजह से मैं समझता हूं कि यह कानून लाया जा रहा है। अगर हम वर्ष 2011 का आंकड़ा लें तो इसमें 39401 दलितों पर अत्याचार के मामले दर्ज हुए। वर्ष 2012 में ये बढ़कर 39512 हो गए और इसी तरह वर्ष 2013 में आंकड़ों में उछाल आया और 46114 हो गए तथा इसी प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम यह देखें कि अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के मामलों में अगर पहले दस राज्यों को लिया जाए तो हम देखते हैं कि राजस्थान पहले स्थान पर है। वहां दिनों-दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और इसका प्रतिशत 53 है। बिहार में 40.6 प्रतिशत है, ओडिशा में 36.1 प्रतिशत है, गुजरात में 29.2 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में 26 प्रतिशत है, केरल में 24.9 प्रतिशत है, झारखंड में 24.5 प्रतिशत है, कर्नाटक में 24.5, आंध्र प्रदेश में 23.6 और उत्तर प्रदेश में 17.1 प्रतिशत है। ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के लिए पहले दस राज्यों को देखें तो केरल में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामले सामने आए हैं, जो कि 27.8 प्रतिशत है। राजस्थान में 17.9, कर्नाटक में 12.6, आंध्र प्रदेश में 11.4, मध्य प्रदेश में 8.5, ओडिशा में 8.3, सिक्किम में 8.2, बिहार में 6.8, गोवा में 6.7 और झारखंड में 4.6 प्रतिशत है। इस प्रकार अगर हम इसका विशलेषण करते हैं तो लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए जरूरत है कि कोई कठोर कानून लाया जाए, ताकि समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, जो लगातार गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को टार्गेट बनाते हैं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि रेट ऑफ कनविक्शन कम होता जा रहा है। न्यायालय में दोष सिद्धि के मामले समाप्त हो जाते हैं। न्यायालयों में कितने सारे मामले अनुसूचित जाति और जनजाति के लम्बित पड़े हैं, जो मैं इस सदन के सामने रखना

चाहता हूं। वर्ष 20011 में दोष सिद्धि से 30 प्रतिशत मामले समाप्त हुए, जबकि वर्ष 2012 में 23.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार से वर्ष 2013 का आंकड़ा 22.8 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित न्यायालयों में लम्बित मामले वर्ष 2011 में 79.9 प्रतिशत थे। 2012 में 83.1 और 2013 में यह बढ़कर 84.1 परसैन्ट हो गये, यानी लगातार ये बढ़ रहे हैं। इसी तरह से दलित महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। अगर हम 2009 का आंकड़ा लें तो 1346 मामले हैं, 2010 में 1557, 2011 में 1576 हैं, इस तरह ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और उनके साथ जो न्याय होना चाहिए, वह न्याय उन्हें नहीं मिल रहा है।

महोदय, आज मंत्री जी सरकार की तरफ से जो विधेयक लाये हैं, वह इसलिए भी आया है, क्योंकि आज दलितों को सार्वजनिक स्थलों पर पानी नहीं पीने दिया जाता है। आज उन्हें सहभोज करने की इजाजत नहीं है। श्मशान घाटों पर उनके शवों का दाह-संस्कार नहीं करने दिया जाता है। शादी में घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता है, दूल्हे को सेहरा नहीं लगाने दिया जाता है। दूल्हा घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकता है। महिलाओं को नंगा करके खुलेआम घुमाया जा रहा है। दलित महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटनाएं दिनों-दिन बढ़ रही हैं और मैं यहां तक कहता हूं कि अभी अखबारों में छपा कि शेड्यूल्ड कास्ट के एक बच्चे की परछाई पड़ गई तो उसे प्रताड़ित किया गया। मैं कुछ खबरे, कुछ हैडिंग्स जो आज अखबारों में आ रहे हैं, वे मैं संसद के समक्ष रखना चाहता हूं कि आज ये खबरें हम पढ़ते हैं तो उनसे समाज में क्या मैसेज जा रहा है। Dalit youth killed for talking to upper caste girl. यह पुणे का मामला है। पांच साल का बच्चा कहीं पेशाब कर रहा था तो उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, क्योंकि वहां किसी एक अपर कास्ट के आदमी की मिल थी, जहां वह पेशाब कर रहा था। उसी के साथ Two cousins in Badaun raped and killed when they left home at night to go for toilet. Dalit forced to eat human excreta. यह कितनी खतरनाक बात है कि आदमी के एक्सक्रेटा को फोर्सफुल्ली किसी को खिलाया जा रहा है।

एक मामला मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि एक प्राइमरी स्कूल मेघवालों की ढाणी, यह बीकानेर का मामला है। हमारे श्री अर्जुन मेघवाल जी वहां से आते हैं। वहां स्कूल में कुल 25 बच्चे हैं, जिनमें से 20 बच्चे दलित हैं और दलितों के टीचर को पनिश कर दिया गया, क्योंकि drinking water for teacher की मटकी को उसने टच कर दिया, इसलिए उसे पनिश कर दिया गया। इस प्रकार के मामले आज देश में देखे जाते हैं, इसीलिए आज यह विधेयक लाया जा रहा है। इसी तरह से अम्बेडकर जी पर आधारित रिंगटोन ऱखने पर दलित की हत्या कर दी गई। मैं समझता हूं कि जो ऐसे मामले हैं, इस

विधेयक के लाने से जरूर लाभ होगा और जो प्रतिक्रियात्मक रुकावटें हमारे 1989 के विधेयक में आ रही थीं, उसमें प्रोसीजरल हर्डल दूर हो सकेगी और जो डिले इन ट्रायल्स था, जो कन्विक्शन रेट था, वह पूरा हो सकेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विशेष न्यायालय धारा 14 में लाये जा रहे हैं और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स को नियुक्त किया जा सकेगा। एक नया अध्याय 4क इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि सरकार सामयिक तरीके से इस विधेयक को लाई है और इस विधेयक के पारित होने से हमारे समाज में दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें रुकावट आयेगी।

अंत में मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री मोदी जी, अपने मंत्री जी और अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि दलित समुदाय की अनुसूचित जाति और जनजाति की जो एक लांग अवेटिड डिमांड थी, वह पूर्ण हो सकेगी और समाज में जो गलत काम करने वाले लोग हैं, उन्हें कठोर दंड भी मिलेगा और जो लोग परेशानी में आते हैं, उन्हें न्याय भी मिलेगा।

आपने मुझे बोलने का पूरा समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Hon. Chairman, Sir, Vanakkam!

I extend my regards and respects to my beloved leader hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchi Thalaivi Amma for allowing me to speak on 'The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2014'.

The Father of our nation Mahatma Gandhi said, "My fight against untouchability is a fight against the impure in humanity". The central feature of caste discrimination is the concept of 'untouchability' based on the notion that certain caste groups are considered 'impure', compared to other caste groups, leading to denial of human dignity.

Article 17 of the Constitution outlaws the practice of 'untouchability'. However, despite legal and constitutional provisions as well as affirmative schemes, SCs and STs continue to face untouchability as well as social, economic and institutional deprivations.

The Constitution of India *vide* Article 15 lays down that no citizen shall be subjected to any disability or restriction on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. It also guarantees that every citizen shall have equality of status and opportunity.

The present Bill replaces the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Ordinance, 2014 and seeks to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. The Act prohibits the commission of offences against members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and establishes special courts for the trial of such offences and the rehabilitation of victims.

The term 'atrocity' was not defined until the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act was passed by Parliament in 1989. In legal parlance, the Act understands the term to mean an offence punishable under sections 3(1) and (2).

In specific terms, 'atrocity' is an expression commonly used to refer to crimes against Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India. It denotes the quality of being shockingly cruel and inhumane, whereas the term 'crime' relates to an act punishable by law. It implies any offence under the Indian Penal Code committed against SCs by non-SC persons, or against STs by non-ST persons. Caste consideration, as a motive, is not necessary to make such an offence in case of atrocities. It signifies crimes which give suffering in one form or the other that should be included for reporting. This is based on the assumption that caste considerations are really the root cause of the crime, even though caste considerations may not be the main motive for the crime.

People belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes face persistent discrimination and serious crimes are committed against them ranging from abuse on caste name, murders, rapes, arson, social and economic boycotts, naked parading of SC women, and use of force to drink urine and eat human excreta. There are various types of discrimination against SCs and STs ranging from denial of entry into non-Dalit houses and places of worship, prohibitions against food sharing, denial of access to cremation and burial grounds, denial of access to water facilities, ban on marriage processions, etc.

As per Crime Statistics of India, every 18 minutes a crime is committed against SCs; every day, 27 atrocities are committed against them, which include three rapes, 11 assaults and 13 murders; every week, five of their homes are burnt and six persons are kidnapped or abducted.

The following cases of discrimination against known public figures illustrate the gravity of the problem. In November 2011, a Judge of a High Court stated that he had been humiliated by fellow judges due to his caste since 2001. In June 2011, the Chairperson of the National Commission for Scheduled Castes – himself a Dalit – was denied entry into a Hindu Temple. In July 2011, a Dalit Member of a Legislative Assembly was allegedly not allowed to eat food along with his colleagues at an official meeting.

The Act lists 22 offences relating to various patterns of behaviours inflicting criminal offences for shattering the self-respect and esteem of SCs and STs, denial of economic, democratic and social rights, discrimination, exploitation and abuse of the legal process, etc. As the Act outlines actions by non-SCs and non-STs against SCs or STs to be treated as offences, the Bill amends certain existing categories and adds new categories of actions to be treated as offences. Forcing a Scheduled Caste or Scheduled Tribe individual to vote or not to vote for a particular candidate in a manner that is against the law is an offence under the Act. The Bill adds that impeding certain activities related to voting will also be considered an offence. Wrongfully occupying land belonging to SCs or STs is an offence under the Act. The definition for the term 'wrongful' in this context has been included in the Bill which was not done under the 1989 Act.

The UN Special Rapporteur on violence against women noted that "Dalit women face targeted violence, even rape and death, from State actors and powerful members of dominant castes who employ these methods to inflict political lessons and crush dissent within the community". Assaulting or sexually exploiting an SC or ST woman is an offence under the Act.

The Bill adds that: (a) intentionally touching an SC or ST woman in a sexual manner without her consent, or (b) using words, acts or gestures of a sexual nature, or (c) dedicating an SC or ST woman as a devadasi to a temple, or any similar practice will also be considered an offence. Consent is defined as a voluntary agreement through verbal or non-verbal communication.

To empower the nation, we need to empower women. There should be Special Courts for women. Atrocities against women belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe should be tried by special courts for women with women judges and women public prosecutors preferably belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community. All Women police stations in Tamil Nadu-first of its kind in the world- are the brain child of Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchi Thalaivi Amma. These All Women Police stations provide assistance and

redress the grievances of all women, especially SCs and STs. All other States of the country can try to follow this method to provide protection to Women.

New offences added under the Bill include: (a) garlanding with footwear, (b) compelling to dispose or carry human or animal carcasses, or do manual scavenging, (c) abusing SCs or STs by caste name in public, (d) attempting to promote feelings of ill-will against SCs or STs or disrespecting any deceased person held in high esteem, and (e) imposing or threatening social or economic boycott.

I understand that preventing SCs or STs from undertaking the following activities will be considered an offence: (a) using common property resources, (c) entering any place of worship that is open to the public, and (d) entering an education or health institution.

The Standing Committee of Parliament had recommended that the following acts may be made punishable offences: (i) registration of false cases under the Act, (ii) acquiring false Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates and claiming reservation benefits in jobs, admissions, etc., and (iii) entering into an inter-caste marriage to procure the Scheduled Caste or Scheduled Tribe status so as to acquire land or fight elections.

With regard to false and malicious complaints filed under the Act, the Committee noted that relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860 are insufficient, and a provision addressing this problem should be included within the Act. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 provides for a similar clause. I urge that these recommendations of the Standing Committee be included in the Bill.

In most cases, unwillingness to file a First Information Report (FIR) under the Act comes from caste-bias. Upper caste policemen are reluctant to file cases against fellow caste-members because of the severity of the penalties imposed by the Act; most offences are non-bailable and carry minimum punishments of five years imprisonment. The Act specifies that a non SC or ST public servant who

neglects his duties relating to SCs or STs shall be punishable with imprisonment for a term of six months to one year. The Bill specifies the duties, including: (a) registering a complaint or FIR, (b) reading out information given orally, before taking the signature of the informant and giving a copy of this information to the informant, etc.

Under the Act, a Court of Session at the district level is deemed a Special Court to provide speedy trials for offences. A Special Public Prosecutor is appointed to conduct cases in this court. The Bill substitutes this provision and specifies that an Exclusive Special Court must be established at the district level to try offences under the Bill. In districts with fewer cases, a Special Court may be established to try offences. Justice delayed is justice denied. There should be less pendency of cases in Courts.

Adequate number of courts must be established to ensure that cases are disposed of within two months. Appeals of these courts shall lie with the High Court, and must be disposed of within three months. A Public Prosecutor and exclusive Public Prosecutor shall be appointed for every Special Court and exclusive Special Court respectively.

The Bill further adds a chapter on the rights of victims and witnesses. It shall be the duty of the State to make arrangements for the protection of victims, their dependents and witnesses. The State government shall specify a scheme to ensure the implementation of rights of victims and witnesses. The courts established under the Bill may take measures such as (i) concealing the names of witnesses, (ii) taking immediate action in respect of any complaint relating to harassment of a victim, informant or witness, etc. Any such complaint shall be tried separately from the main case and be concluded within two months.

Hon. Chairman, moreover there should not be any discrimination amongst people belonging to Scheduled Castes. As demanded by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma, I request the Hon. Union Minister for Social Justice and Empowerment to treat Scheduled Caste Christians at par with Hindus,

Sikhs or Buddhists and include them in the SC list. The Tamil Nadu Government led by Hon. Puratchi Thalaivi Amma is committed for the cause of protection of people belonging to Scheduled Castes and Tribes.

Tamil Nadu Government has been implementing several welfare programmes meant for Scheduled Castes and Tribes, particularly women. Steps like grant of Rs.1004 crore as loan assistance with a subsidy of Rs.370 crore for Self Employment Ventures through TAHDCO, Rs. 262 crore loan assistance with subsidy of Rs.116 crore to 6528 Self-Help Groups consisting of 78339 women members and Rs. 200 crore fund allocation for Integrated Tribal Development Programme are some of the pioneering steps, aimed for the empowerment of SCs and STs, taken by Tamil Nadu government under the able guidance of Hon. Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi Amma. A bigger obstacle faces victims who actually manage to lodge a complaint. Failure to follow through with cases is alarmingly apparent at the lowest echelons of the judicial system.

16.59 hrs (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

Seeking justice through the special laws is not an easy task, since it demands adherence to a number of procedures on the part of the victims, accused, police, the special public prosecutor and others concerned at every stage of the case, which often turn out to be very costly, tiresome and time-consuming, particularly for the victims. Invariably, it is during this time the accused indulges in a number of mischievous activities including bribing the police, tampering the evidences, pressurising the victims for an out of court settlement of the case and threatening the victims and their witnesses etc. If they have to pursue the case despite all these, it would be at the cost of their "means of sustenance, dignity, peaceful living, and sometimes their life itself". The law enforcement agencies, the police and the judiciary should be free from caste prejudices to address this perennial social problem.

17.00 hrs

The present Bill is committed to protect basic human rights and principles of justice, equality, liberty, and fraternity. Among the Dalit community and its supporters and sympathizers, Dr. Ambedkar's statement resounds louder today than ever -- "My final words of advice to you are, educate, agitate and organize; have faith in yourself". For ours is a battle not for wealth nor for power. It is battle for freedom. It is the battle of reclamation of human personality.

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधेयक के ऊपर बोलने के लिए मुझे मौका दिया।

जब रिजर्वेशन लागू हुआ, जब 1950 में संविधान बना, तब से रिजर्वेशन हरिजनों और आदिवासियों के लिए लागू हुआ। रिजर्वेशन लागू करने का मकसद क्या था, यह रिजर्वेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं था, क्योंकि, आज के दिन अगर हम देखते हैं तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पियोन से लेकर सैण्ट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट सैक्रेटरी तक नौकरियां सिर्फ पांच करोड़ होती हैं। आज की आबादी के हिसाब से लगभग चार प्रतिशत लोग ही नौकरी कर सकते हैं। वही बात हरिजनों और आदिवासियों के लिए भी लागू होती है। अतएव सिर्फ नौकरी में रिजर्वेशन रखकर आदिवासियों और हरिजनों का कल्याण करने के लिए कतई हमारे संविधान के रचयिता लोगों ने नहीं सोचा था। रिजर्वेशन के पीछे मकसद यह था कि कुछ सालों बाद आदिवासी हरिजन, जो और जातियों से कई हिसाब से पीछे हैं, वे लोग सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और शिक्षागत तौर पर, इन चार तौर पर बराबर हो जायें। रिजर्वेशन रखकर आज लगभग 65 साल हो गये, लेकिन आज जैसा हमारे पहले वक्ता ने बोला कि दिनों-दिन एट्रोसिटीज़, अत्याचार आदिवासी हरिजनों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। यह अत्याचार प्रिवेंशन कानून पहली बार 1989 में आया। इसका मतलब यह है कि पहले अत्याचार था भी तो उस मात्रा में नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ते गये, यह अत्याचार और बढ़ता गया। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि रिजर्वेशन के चलते और जातियों में एक दुर्भावना पैदा हुई कि एक विशेष वर्ग को इतने सालों से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, यह एक मेन मुद्दा अत्याचार का, एट्रोसिटी का है। जब तक हम बाकी जो डिस्पैरिटी है, बाकी जो विषमता है, आर्थिक अवस्था में, शिक्षागत अवस्था में, सांस्कृतिक स्तर में, सामाजिक स्तर में, इन चारों स्तरों में जब तक हम बराबरी लाने का प्रयास नहीं करेंगे तो न यह रिजर्वेशन कभी खत्म होगा, न यह अत्याचार कभी खत्म होगा, चाहे आप कितने भी कानून बनायें। कानून में परिवर्तन लाने के लिए मंत्री महोदय ने जो प्रयास किया है, सरकार ने जो प्रयास किया है, यह सराहनीय है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि, इस कानून को अगर हम अच्छे ढंग से पढ़ लें तो इसमें सिर्फ सामाजिक चिन्ताधारा को ही लगाया गया है। किसी ने साला बोल दिया, किसी ने जाति से कुछ बोल दिया, किसी ने किसी को खींच दिया, किसी को पकड़ लिया, किसी को कुछ कर लिया, इस ढंग के बहुत सारे इसमें प्रावधान हैं, जो विशेष करके 99 परसेंट सामाजिक व्यवहार को इंडिकेट करते हैं, बाकी जैसे अत्याचार और भी हैं, यह इसमें शामिल ही नहीं हुआ है, जैसे अभी इंस्टीट्यूशनल अत्याचार भी होता है। कैसे, अभी कुछ दिन पहले आई.आई.टी. रुड़की में कुछ छात्रों को इंस्टीट्यूशन से बाहर कर दिया गया। किसलिए, कि बच्चे कम से

कम 50 प्रतिशत मार्क्स नहीं लाये, जबकि उनमें से काफी बच्चे पास हुए थे। उसके बाद भी उन 73 बच्चों को निकाल दिया गया। उनमें साधारण वर्ग के भी कुछ बच्चे थे, कुछ ओ.बी.सी. वर्ग के भी थे, लेकिन ज्यादातर एस.सी. एस.टी. के थे। पास होने के बाद भी उनको कालेज से निकाल दिया गया। यह क्या अत्याचार नहीं है? यह प्रावधान इस कानून में जरूर लाना चाहिए था। जब हम लोग स्वाधीन हुए, तब हो सकता है कि आदिवासियों की साक्षरता एक, दो या तीन परसेंट रही होगी। पर, आज तो स्थिति बदली है। आदिवासी में करीब 35-40% लोग शिक्षित हो चुके है और हालत यह है कि कई विभागों में पिउन का पद भी खाली पड़ा है। मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी स्थायी समिति में हूं। हमने जितने विभागों का उस कमेटी में रिव्यू किया है, सभी विभागों में एस.सी., एस.टी. के खाली पद हैं। यहां तक कि पिउन के पोस्ट भी खाली पड़े हैं। उसके बारे में पूछने पर जवाब यह मिलता है कि उसके लिए एलिजिबल कैंडीडेट नहीं मिले। पिउन के लिए भी एलिजिबल कैंडीडेट नहीं हैं। यह जो इंस्टीट्युशनल अत्याचार है, उसका समाधान इस कानून में नहीं है। इससे न ही उस व्यक्ति को नुकसान हुआ, बल्कि देश भी उसकी सेवा से वंचित रहा।

उसी हिसाब से, बहुत सारे शिक्षा संस्थानों की सीट्स में भी यह स्थिति है। जैसे मैं एम.सी.आई. का उदाहरण देता हूं। उसके लिए हम एक साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अगर आदिवासी हरिजन बच्चे 35% तक मार्क्स रखते हैं, तो उन्हें इंट्रैंस में कंसीडर किया जा सकता है। आदिवासी, हरिजनों की सीटों को भरने के लिए उसे और भी रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन एम.सी.आई. उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी वज़ह से कई स्कूलों और कॉलेजों में आदिवासी, हरिजनों की सीटें खाली हैं। क्या यह अत्याचार नहीं है? चाहे हम जितना भी कानून बना लें, पर जब तक यह इंस्टीट्युशनल अत्याचार खत्म नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। हम आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पैरामीटर की बात कर रहे हैं। सामाजिक रूप से तो हम कभी बराबर हो ही नहीं सकते। जहां तक हम शिक्षा में और अधिक बराबर नहीं होते हैं।

महोदय, कई ज़गहों पर, जैसे मेरे राज्य में आदिवासी लोग अपनी ज़मीन को मौर्टगेज करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक लोन नहीं ले सकते हैं। न ही आदिवासी अपनी ज़मीन बेच सकते हैं। यह कानून वर्ष 1956 में बना है। यह हो सकता है कि उस समय आदिवासी लोग पढ़े-लिखे नहीं थे और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में समझ नहीं थी। पर, वह कानून आज भी है कि आदिवासी लोग अपनी ज़मीन न किसी को बेच सकते हैं, न ही अपनी ज़मीन को मौर्टगेज रख सकते हैं और न ही उस ज़मीन पर लोन लेकर कोई उद्योग लगा सकता है या कोई बिजनेस कर सकता है। वे आदिवासी लोग ओडीशा को छोड़

कर किसी दूसरे ज़गहों पर जाकर बस जाएं तो भी वे अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं। यह विशेषकर ट्राइबल सब-प्लान एरिया में है। क्या यह अत्याचार नहीं है? सरकार भी हम लोगों पर अत्याचार कर रही है। जब इस तरह का अत्याचार चलता रहेगा, तो आदिवासी, हरिजनों का कभी कल्याण ही नहीं हो सकता है। इस कानून को बदलने के पहले सरकार बाकी कानूनों को भी बदले। तब ही आदिवासी, हरिजनों का कल्याण हो सकता है। इसके लिए मेरा निवेदन है।

महोदय, इस कानून में है कि आदिवासी, हरिजन अगर कोई केस लड़ता रहेगा, तो उसे आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी। पर, वह सहायता कितनी दी जाएगी, वह लिखा नहीं है। किसी को जेल भेजने के बाद उस पर फाइन भी किया जाएगा। पर, वह फाइन की मात्रा कितनी होगी, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। अगर किसी को फाइन कर रहे हैं तो उस फाइन की मात्रा इतनी हो कि उसे थोड़ी चुभे कि उस पर फाइन लगा है। जैसे स्विट्ज़रलैण्ड में अगर कोई ट्राफिक उल्लंघन का जुर्म करता है तो उसके एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टैण्डर्ड के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जाता है, ताकि उसे चुभे। ऐसा नहीं है कि अगर हम करोड़पति हैं तो एक हजार रुपये देकर बेल लेकर चल दिए और कोई गरीब आदमी है तो ऐसे ही पड़ा रहे। इसलिए यह जो आर्थिक रूप से फाइन लगाने की बात की गयी है तो उसकी परिभाषा को भी थोड़ा बदलें कि किसे कितनी फाइन लगायी जानी चाहिए।

महोदय, इस कानून में यह भी है कि लोगों ने इसे विलफुल (जानबूझकर) किया है या नहीं किया है। इसका मतलब उन्होंने ऐसा जान-बूझकर किया है या नहीं। यह कौन प्रमाणित करेगा कि इन्होंने ऐसा जान-बूझकर किया है या नहीं? यह प्रमाणित करना बहुत मुश्किल है। कल कोई केस आएगा तो यह कहा जाएगा कि पहले इसे प्रमाणित करें कि इसने यह गलती जान-बूझकर की है। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, जिन्हें यहां से हटाना जरूरी है।

महोदय, हमारे कुछ और माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि इसका मतलब यह नहीं है कि समाज में सिर्फ आदिवासी और हरिजन ही अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, बल्कि यह भी है कि कुछ आदिवासी और हरिजन लोग इस प्रिवेंशन कानून को लेकर गलत केस भी करते हैं। उस तरह के केस न हों, उसके लिए भी कुछ प्रावधान इसमें होना चाहिए कि अगर कोई गलत केस कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन किया जाए।...(व्यवधान)

मैं आदिवासी हूं और मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है।...(व्यवधान) इसका मतलब क्या कोई गलत केस करेगा?...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग आपस में बात मत करिए।

…(व्यवधान)

श्री बलभद्र माझी : महोदय, मैं आदिवासी हूं।…(व्यवधान) मैं भी केस कर सकता हूं।…(व्यवधान)

महोदय, इन्हें चुप कराइए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : इसे रिकॉर्ड में न लीजिए।

… (*Interruptions*)… *

श्री बलभद्र माझी: अगर मेरा कहा कुछ गलत है, तो उसे निकाल दीजिए, एक्सपंज कर दीजिए। आप उसमें से निकाल सकते हैं। …(व्यवधान) आप ऐसा समझें तो …(व्यवधान) लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि कोई गलत केस करे। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह ठीक नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह नहीं चलेगा, आप बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : कार्रवाई से हरिजन शब्द निकाला जाए। …(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी (धेंकानाल) : क्यों निकाला जाए? …(व्यवधान) आप आसन पर बैठ जाइए। …(व्यवधान) वह सही बोल रहे हैं। …(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर : यह सही नहीं बोल रहे हैं।

माननीय सभापति : ठीक है, हम देखेंगे। प्लीज आप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिए, हम देख लेंगे।

…(व्यवधान)

श्री बलभद्र माझी : महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसके साथ-साथ बाकी जो प्रावधान हैं, उनको मेरे सुझाव के साथ ग्रहण करते हुए यह भी प्रावधान कानून में रखा जाए कि अगर कोई गलत केस करता है तो उसे भी पनिशमेंट देने का प्रावधान होना चाहिए। गलत केस आने के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। …(व्यवधान) इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

---

* Not recorded.

SHRI MALYADRI SRIRAM (BAPATLA): Sir, I would thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

Sir, even after 67 or 68 years of Independence, India is not free from the atrocities against the Dalits. Even now, atrocities, discrimination and deprivation are going on against the Dalits. I do not know how many years it will take to have an instance-free society in India.

Sir, it is true that atrocities have been happening all over India for the last 60 to 70 years. Though several laws have been enacted – the Prevention of Atrocities Act, 1989 has been enacted – yet, even after that also, atrocities against the Dalits, especially the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities have not come down. I thank the NDA Government for introducing some amendments at least now. Especially, my sincere thanks are due to the hon. Minister of Social Justice and Empowerment to push through this Bill.

It is a very long-pending demand from the communities which are very backward, which require the support of the Government for their development. The Dalits continue to face oppression. Governments may come and go, leaders can rise and fall. Promises can be made and broken. Issues can emerge and fade. But one thing constant in Independent India is the unbelievable degree of oppression encountered by the Dalit community.

While the system of reservation has helped to some extent in providing opportunities for the Dalits in education and employment but social relations are still stuck in a time warp.

A brutal assault on the Dalits such as the shocking instance of a Dalit youth being murdered because he is having an Ambedkar ring-tone on his mobile phone has appeared recently. It happened in Maharashtra. In this context, I just want to bring to your kind notice two instances which happened in Andhra Pradesh, one in 1985 and another in 1992. Judgments have been rendered by the lower courts and higher courts after 30 years. In one court, the hon. Judge let off the culprits by saying: “It is true that 7 to 8 people have been murdered but the prosecution could

not establish who has committed the murder." This is the way the courts are also acting.

In another case, even after 30 years, it has not reached the finality. Even the ...* are also against the Dalits' interests of this country. Therefore, I want to bring to your attention the distressing rise in the incidents of atrocities against Dalits across the country.

Besides public damning, awareness campaigns and threats of punitive action, nothing substantial so far has been initiated to erase caste discrimination. I do not mind even referring to the case of discrimination. Some of the people, who have been suppressed and oppressed are thinking of going to some other faith also. I think the society has to seriously think of the reason behind this. Why are people trying to change their faith? I request my brethren and colleagues in this august House to consider this.

A comprehensive review of the effectiveness of the machinery for ensuring safety and security of SCs and STs should be taken up. There should be an effective control of crimes committed against them in the country. Day by day a number of cases of atrocities against members of SCs registered under the SCs and STs Prevention of Atrocities Act, 1989 are increasing. I urge upon the Union Government to make earnest efforts towards effective implementation and further strengthening of Prevention of Atrocities Act.

Several factors like land disputes, land alienation, indebtedness, non-payment of minimum wages and non-economic causes like caste prejudices, deep rooted social resentments, etc. may manifest in offences of atrocities.

The Prevention of Atrocities Act was enacted and brought into force in early 1990s with a view to preventing atrocities against the members of SCs and STs and the provisions of the Act are implemented by the State Governments.

I would like to request the Central Government to monitor its functions and periodically strengthen the Act by setting up Special Police Stations, SCs and STs

* Expunged as ordered by the Chair.

Protection Cells. Efforts should be made for setting up exclusive Special Courts; relief and rehabilitation should be provide to the victims affected by atrocities.

Therefore, I urge the Union Government to launch the awareness generation programme among the vulnerable sections of the society and open legal recourse to SCs and STs and to identify the atrocity-prone areas for taking preventive measures.

I wish to bring it to the notice that the Central Government has also been advising them from time to time to implement the Prevention of Atrocities Act in letter and spirit with specific emphasis on sensitization and training of the police personnel, law enforcement agencies, and to minimize delays in investigation of cases of atrocities against the SCs and STs, and to improve the quality of investigation, setting up of exclusive special courts for speedy trial of cases under the Act, and review of cases ending in acquittal. In most of the cases, investigations are not properly taken up. The SHOs should be made very responsible and Inquiring Officer should be at the level of DSP so that the percentage of successful cases is high. Unfortunately, the success rate in regard of these cases is negligible. So, I demand a fair and impartial enquiry in the case so that guilty are punished as per law. While stressing the importance, institutional machinery charged with the welfare and protection of Dalits should be strengthened and made accountable.

The august House and the Ministry should be seriously concerned about the rising crimes against women belonging to the SCs and STs. Keeping in view the fact that the SC and ST women are quite often subjected to sexual harassment and given pain and trauma, and they suffer. Thereafter, due to pressure, fear and shyness, these women also remain diffident and hesitant while deposing before the court proceedings which are conducted mostly in a male dominated atmosphere. This is more pronounced in the rural areas. The Committee are of the firm view that the need of the hour is to address this vital issue by setting up special courts

for them with women judges and women public prosecutors, preferably belonging to the SCs and STs community.

Some of the provisions which have been added are really good. Action should be taken under the Act against registration of false cases. The relief and rehabilitation provided to the affected persons should be enhanced. The Government of India is thus making earnest efforts towards effective implementation and further strengthening of the Prevention of Atrocities Act, 2014.

Issues raised by me are important. Hence, I strongly urge the hon. Minister to come forward and take up issues, and make an assurance to the hon. House. With these words, I conclude, Sir.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for very much for giving me this opportunity. I also would like to congratulate the present Government and the previous Government for bringing this amendment which is very much needed to bring in social equality. But the unfortunate thing is, irrespective of the number of Acts, all over the country the atrocities against Dalits are increasing day-by-day and, in fact, the atrocities are worsening.

The recent very unfortunate development is, the Backward Classes who have been suppressed for several decades, now they are the main perpetrators of committing atrocities on poor Dalits. These atrocities are committed frequently in States like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh and Mahrashtra. So, I would request the leaders of Backward Classes in these States to make an appeal to their communities not to commit atrocities against Dalits. My appeal to them is to treat these Dalits also with human dignity.

Then, any number of Acts will not serve any purpose unless the police are also properly sensitized. To stop the atrocities against women, several States in our country have started Police Stations exclusively run by women. Similarly, if there is really political will to stop the atrocities against Dalits, the only way is to start Police Stations exclusively manned by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, only then the atrocities can be contained. Otherwise, the main culprits here are the police because they do not register cases, do not bring the witnesses, there is inordinate delay and they resort to compromises and collude with other communities. Therefore, I am of the strong view that wherever the number of cases is more, the Special Courts as well as the Special Police Stations should be manned exclusively by Dalits.

Sir, several Members who have spoken before me have mentioned about some worst incidents of atrocities against Dalits. It is extremely unfortunate and it is unpalatable to repeat those things. But still for the benefit of all the Members here, I want to mention them here. Some of the instances are as follows. A minor

Dalit girl was beaten up because her shadow has fallen on a man of other community. The Scheduled Castes cannot share food in Madhya Pradesh. They cannot even look into the eyes of other community people. Thirteen families were socially boycotted in Maharashtra. A Dality youth was brutally killed just because he played in the Ambedkar Tournament in Maharashtra. Five Dalit women were stripped and paraded in Uttar Pradesh. A Dalit groom was attacked for riding a horse. A Dalit boy was burnt to death. Three members of a Dalit family were killed and dumped in a dry well. No hair cut is done for Dalits in Karnataka villages. Dalits were forced to eat human excreta. Dalits were punished for drinking water meant for the teachers.

So, wherever there is a leakage in the system, particularly at the courts and police stations, unless it is plugged, any number of Acts will not bring justice to Dalits. I would like to reiterate to the hon. Minister here that after nearly 70 years of Independence, if we really want to treat these poor people with human dignity, the only way is that the Special Courts and the Special Police Stations should be manned by the people from these communities. Otherwise there is no solution to this problem.

Sir, we have a proper legal system in the country. But unfortunately the legal system meant for the poor is working separately. If it works in close coordination with the Department of Social Justice and Empowerment, the legal aid which is available to the poor could be made use of. I would like to submit here that 93 per cent of the people who are hanged to death are from the Dalit community. The only reason for this is that they are not able to engage a proper advocate.

Although, for the namesake we have the legal aid system in the country, it is not effective for the simple reason that dalits are not able to engage a proper advocate. Therefore, I would submit to the hon. Minister here that special courts should be there, the police stations should be manned by them, and the legal aid system should be linked with the departments so that it would be effective. Whenever there is a death penalty or life imprisonment, proper and good advocates should be given to them for legal advice.

I do not know why SC/ST officers were excluded from this for their negligence. Along with the non-dalits, if there is negligence by SC/ST officers of not doing their duty, they should also be equally punished for the simple reason that there is every possibility that they may collude with the people. There is a possibility that they might take a bribe and ignore this kind of activities. Therefore, along with the non-dalits, dalit officers should also be punished for negligence. In extreme cases of inhumanness, just as we are punishing with death penalty for atrocities against women – this is also involved with the human dignity – I am also of the strong opinion that whenever there is an extreme inhuman atrocity against dalits, the exemplary punishment including death penalty should be given. That is only the solution; otherwise, atrocity will continue to be unabated. Unfortunately, they are being treated as third-class citizens here. Therefore, I am of this opinion that some of these suggestions could also be taken into consideration so that the dalits could also live with dignity in the country. Thank you very much.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं भारत के लाल जननायक नरेन्द्र मोदी जी और आरदणीय थावर चंद गहलोत जी को बधाई देना चाहता हूं। आज सारा राष्ट्र बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहा है और उस अवसर पर दलितों की रक्षा के लिए, उनके ऊपर उत्याचार को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल इस महान सदन में लाया गया है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। 68 साल की आजादी के बाद बार-बार यह मांग क्यों उठती है, क्यों दलितों के ऊपर अत्याचार दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी महिलाओं को बलात्कार का निशाना बनाया जा रहा है? उनकी प्रोपर्टी को नष्ट किया जा रहा है, उनको मेनटली टार्चर किया जा रहा है। अभी दो-तीन साल पहले दिल्ली से एक चिंगारी उठी, वह मेरी बेटी, वह मेरी बहन, निर्भया के गैंग रेप के बाद देश में एक बहुत बड़ी बहस चली और उस बहस में यह निष्कर्ष निकल आया कि महिलाओं के ऊपर रेप का संबंध अधिकतर मनुष्य की मेनटलिटी से है। अगर हम उस अत्याचार को कम करना चाहते हैं तो हमें इंसान की मेनटलिटी को बदलना होगा। आज 68 साल की आजादी के बाद दबंग लोग दलितों को अपने पांव के नीचे क्यों कुचलना चाहते हैं। क्या भगवान ने उनको इंसान नहीं बनाया है, ये लोग इन्हें रेंग-रेंग कर चलने पर क्यों मजबूर करते हैं? एक दलित का लड़का दुल्हा के रूप में घोड़े के ऊपर चढ़ कर घुड़चढ़ी की रस्म अदा करे यह भी इन्हें नहीं भाता और इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अपने मोबाइल का रिंगटोन लगाने से ही किसी के दिलो दिमाग पर पहाड़ टूट पड़ता है जिससे वह उस बच्चे की निर्मम हत्या कर देता है। यह वही मेन्टैलिटी है। आज 68 साल बाद उस मेन्टैलिटी को बदलने की जरूरत है।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत लंबी सोच के तहत हिन्दुस्तान में एक स्वच्छता अभियान चलाया। यह न केवल स्वच्छता अभियान है, बल्कि इसका संबंध गरीबों पर होने वाले अत्याचारों को भी कम करना है। हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में आज भी 60-65 प्रतिशत महिलाएं रात्रि के समय या सूर्य निकलने से पहले जब शौच के लिए जाती हैं तब ये रेप के दरिंदे सक्रिय हो जाते हैं और उनकी अस्मत को लूटते हैं। आज इस ओर भी बहुत सख्त कानून बनाये जाने की जरूरत है।

सभापति महोदय, इस बिल में कहा गया है कि एक्सक्लूसिव, स्पेशल कोर्ट्स बनायी जायें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान 125 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला देश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक भी शैड्यूल कास्ट का जज नहीं है। इस देश की विभिन्न हाई कोर्ट्स में एक भी दलित चीफ जस्टिस नहीं है। यह क्या इंडिकेट करता है? मैं भारत माता के लाल प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से इस प्रजातंत्र के मंदिर के माध्यम से, इस महान सदन के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यूपीए शासन के दस वर्षों मे हमारे ऊपर जो मेन्टली टार्चर हुआ है, एट्रोसिटीज हुई

हैं, उन सबका निराकरण करने के लिए भारत सरकार तुरंत कदम उठाये। इन सब बातों का संबंध मान और मर्यादा से होता है, डिग्निटी से होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया और इन दबे-कुचले लोगों की आवाज को उठाया। वे एक बहुत बड़ा कारवां अपने पीछे छोड़कर चले गये थे। आज इस महान सदन में जो हमारे जन-प्रतिनिधि बैठे हैं, उस कारवां को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब पर आयी है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें कन्विक्शन रेट 25 परसेंट, यानी बड़ी मुश्किल से कन्विक्शन हो पाती है और जो 75 परसेंट कातिल हैं, जो अत्याचारी हैं, वे बचकर निकल जाते हैं। इस दृष्टि से भी कानून के शिंकजे को और सख्त बनाना होगा। हर रोज सेक्सुअल हरासमैंट के केस आते हैं। मेन्टैलिटी का इस बात से भी पता चलता है कि आपने किसी को किस नीयत से छुआ है। इसके ऊपर भी सख्त कानून बनने चाहिए और अत्याचारों की परिभाषा को स्पष्ट तौर से कहा जाना चाहिए। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दलित महिलाओं को सरेआम से नंगा करके घुमाया गया। क्या सभ्य देश को यह अच्छा लगता है कि किसी एक वर्ग की महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाये? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ये बातें हो चुकी हैं, इसलिए कृपया करके आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं। वहां पर एक ...* शासन था, दस साल तक कांग्रेस का शासन रहा। मिर्चपुर की घटना मेरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के शासन काल में हुई थी, जहां पर दलितों को जिंदा जला दिया गया था। इससे पूरी दुनिया में भारत का सिर झुक गया था, नीचा हुआ था। ...(व्यवधान) मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं और आदरणीय थावर चंद गेहलोत जी को बधाई भी देना चाहता हूं कि इस विषय में सख्त से सख्त कानून बनाकर हमारे इस दलित समाज को राहत प्रदान की जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* Not recorded as ordered by the Chair.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति जी, आज एक अच्छे कानून का प्रावधान लोकसभा सदन में हो रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो बहुत दर्द होता है। दर्द इस बात का है कि सभापति जी, आप और हम राजनीति में जिस दिन से आए, शिवसेना में गए। हमारे नेता वंदनीय शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे जी ने हमारी कच्ची मिट्टी पर संस्कार दिए, वह संस्कार जाति निर्मूलन का था। जब शिव सेना का निर्माण हुआ तो उन्होंने कहा था कि 80 प्रतिशत सामाजिक कारण हैं और 20 प्रतिशत राजनैतिक कारण हैं, जब चुनाव हों तब राजनीति करो। उन्होंने उस वक्त 80 प्रतिशत सामाजिक नीति पर मराठी में कहा था-

ब्राहमण ब्राहमणेतर, मराठा मराठेतर,
इाहाण्णव कुली, ब्याण्णव कुली
उच्च नीच दलित दलितेतर,
कोंकणी ये सारे जाति भेद निकालकर एक हो जाओ।

मैंने पहले मराठी में बोला है ताकि गहराई से पता चल जाए। इसका मतलब है कि सारे भेद से निकलकर मराठी इकट्ठे हो जाओ तब तुम्हें न्याय मिलेगा और हम यही संस्कार लेकर हम बड़े हुए। बालासाहब ने अपनी जिंदगी में किसी की जाति नहीं पूछी। आपको याद होगा जब मंडल आयोग आया तो इस देश में किसी ने विरोध किया तो बालासाहब ठाकरे जी ने किया, हमारे आदरणीय नेता ने किया, इसलिए किया क्योंकि जाति की दीवारें टूटनी चाहिए। लेकिन इसे तोड़ने के बजाय हमने इसे ज्यादा दृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्त यहां बैठे थे, हम बात कर रहे थे कि हमने स्कूल में पास बैठे दोस्त से कभी नहीं पूछा कि तेरी जात क्या है। अब पता चला जब चुनाव का समय आया। चुनाव के समय में आरक्षण आया तब बाला साहब जी को पूछना पड़ा कि तेरी क्या जात है, मेयर बनाना है। विधान सभा या जिला परिषद का चुनाव आया, तब पूछना पड़ता था, तब वे कहते थे कि किसी को यह पूछने में बहुत दर्द होता है। यहां जितने भी महाराष्ट्र के सदस्य हैं, उनसे पूछ लीजिए कि उन्हें यह पूछने में कितना दर्द होता था। हम इस संस्कार के साथ आगे आए हैं।

महोदय, यह ठीक है कि इस कानून में 'स्पेशल कोर्ट का' प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता पूर्व तिलक जी और अगरकर जी की लड़ाई होती रही क्योंकि तिलक जी कहते थे कि इस देश को स्वतंत्रता की जरूरत है जबकि अगरकर जी कहते थे कि देश को समाज सुधार की जरूरत है। पहले स्वतंत्रता लेंगे और फिर समाज सुधार करेंगे, इसमें उनकी लड़ाई होती रहती थी और आज हम लोकसभा में स्वतंत्रता मिलने के 60 वर्ष बाद दलित भाइयों के लिए स्पेशल कोर्ट का प्रावधान कर रहे हैं। क्या सामाजिक सुधार हुआ? मैं इससे ज्यादा व्यथित हूं। मेरे दोस्त कह रहे थे कि स्पेशल कोर्ट बनाओ, दलित पुलिस लगाओ, अगर दलित पुलिस सही काम नहीं करती है दलित पुलिस को कानून में सजा दो। मेरा कहना है कि

मानसिकता सही होनी चाहिए। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की मां के संस्कार थे, वह अपने मायके नहीं गई क्योंकि उनका मायका रईस था। वह कहती थी कि नहीं जाऊंगी, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सोने की रस्सी पर कपड़े सुखाउंगी। यह बात अंदर से आती है कि मुझे कुछ करना है। दलितों के संबंध में महाराष्ट्र में बहुत प्रगति है। मुझे बहुत दर्द होता है बुरी चीजें जैसे अत्याचार हुआ, ब्लात्कार हुआ, अखबार और मीडिया में पहले पेज पर होती हैं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है लेकिन इसे इतना बढ़ावा दिया जाता है ताकि लोगों के मन में कभी जाति के आधार पर, कभी प्रांत के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर और जहर फैलाया जाए। गुनाहगार तो गुनाहगार है चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। उसे सजा देनी चाहिए, कड़ी सजा देनी चाहिए। अभी यहां जो कहा जा रहा था, मुझे बुरा लग रहा था। अभी हाल ही में घटना हुई, छोटी बच्चियां जो कलियों की तरह फल रही हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। मुझे सुनकर दर्द होता कि तीन-चार वर्ष की बच्ची पर अत्याचार हो रहा है, 70 वर्ष की मां पर अत्याचार हो रहा है। यह कौन सी मानसिकता है? ये चीजें सोशल मीडिया की वजह से हो रही हैं। कल कोर्ट में 'पॉर्न' और 'गे' के बारे में बात होने लगी थी। हमें कहां गे के बारे में पता था? क्या हमें बचपन में गे सोसाइटी के बारे में मालूम था? अब तो इसकी सोसाइटी हो गई है।

महोदय, मेरी बिल्डिंग में पंजाबी सिख लोग रहते थे, जब बच्चा पैदा होता था तो कुछ लोग नाचने आते थे, मैं क्षमा चाहता हूं, उनको महाराष्ट्र में हिजड़ा कहा जाता है। यह संसदीय है या नहीं, अगर नहीं है तो निकाल दो। वे नाचने के लिए आते थे। बाकी हम जानते थे कि गे सोसाइटी क्या होती है। इसके जरिए जो बुराइयां हैं, वे गांव तक जाती हैं। अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे, इजरायल में किसी का खून हुआ तो छोटी सी न्यूज आ जाती है लेकिन किसी ने संशोधन किया तो पहले पेज पर न्यूज आएगी। हमारे यहां वह नहीं होता। मैं इसीलिए व्यथित हूं कि कानूनन प्रावधान करने के बावजूद क्या अत्याचार रुकने वाले हैं? इसका डिसएडवांटेज भी लिया जाता है। किसी को बोलो तो वह कहता है कि, अच्छा, मुझे बोला। अब मैं तुझे बताता हूं। अरे, क्या पता, तेरी जात क्या है? हमने महाराष्ट्र सदन में रोटी नहीं खिलाई थी, पता नहीं था कि कौन है तो फिर पन्द्रह दिन बाद तक न्यूज आती रही कि रोटी खिलाई। वह रमजान का समय था। वह मुसलमान था। अरे, हमें क्या मालूम। होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, अगर बाल मिला तो भी हम उठाकर कहते हैं कि इसमें बाल मिल गया। क्या हमें मालूम है कि होटल का मालिक मुसलमान है या हिन्दू है? उस मामले को तुरंत ही रंग दिया गया कि मुसलमान को रोटी खिलाने की कोशिश की गई जबकि रमजान का समय था। ऐसा क्यों करते हो? इसलिए रोक लगाते समय पहले इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

मैं एक उदाहरण देता हूं। नगर जिले में एक हादसा हुआ। हमारी दलित महिला पर अत्याचार हुआ। खून भी हुआ। अखबारों में 8-10 दिन न्यूज चलती रही। दलितों के सारे नेता वहां भी जाते रहे। रोज टी.वी. अखबार में आता रहा लेकिन जिस दिन गुनहगार पकड़ा गया, उन्हीं के परिवार का आदमी था। अब क्या करोगे? अब किस पर अत्याचार का आरोप लगाओगे? दिलीप गांधी जी बैठे हैं, तब तक अत्याचार की बात चलती रही। समाज में ज़हर फैलाया जाता है।...(व्यवधान) दिलीप गांधी जी यहां बैठे हैं। वह नगर जिले के हैं। उनसे आप पूछिए। इसलिए मैं कानून का स्वागत करता हूं लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं पर हम संस्कार में कम हो रहे हैं। दलितों को अगर ऊपर लाना है तो सिर्फ नौकरियों में आरक्षण दे दो, प्रमोशन के लिए क्यों भागते हो? Do not teach the child to eat the fish; teach the child to catch the fish. बच्चे को मच्छी पकड़ना सिखाओ। फिर खाना सिखाओ। पकड़ना सिखाने के लिए उसको पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी को सिखाओ, वैसे ही मैं भी बात कर रहा हूं। Do not teach the child to eat the fish; teach the child the catch the fish. इस माध्यम से कानून का स्वागत करते समय मैं एक चीज की मांग करता हूं कि हम दलितों के संबंध में कानून लेकर आए हैं। बच्चों को शिक्षा मिले लेकिन नहीं मिल रही है। हमारे मुसलमान समाज की भी वही समस्या है। शिक्षा से वे दूर हैं। एजुकेशन में जिस दिन आएंगे, सारी चीजें भूल जाएंगे। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करते समय कानून का कोई नाजायज फायदा तो नहीं लेगा, इस बात को भी देखना चाहिए। इसका भी उसमें प्रावधान होना चाहिए कि यदि किसी ने अत्याचार के बारे में गलत शिकायत की तो गलत शिकायत करने वाले को भी सजा होनी चाहिए क्योंकि समाज में जाति पांति के आधार पर वह दीवारें खड़ा कर रहा है। इस बिल का स्वागत करते समय एक बात और कहूंगा कि दलित भाइयों के लिए ऊंची शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हमारी सरकार कोशिश करती रहे। धन्यवाद।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2014 पर बोलने की अनुमति दी है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारी सरकार एवं हमारे विद्वान मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत जी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं बधाई देता हूं।

महोदय, मैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार और हमारे विद्वान मंत्री श्री थावर चंद गहलोत का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती चल रही है और जो अधिनियम वर्ष 1989 में बना था, उसमें जिस तरह से प्रावधान थे, उस तरह से वह सफल नहीं हुआ था। कब से वह अधिनियम लम्बित था और हमारी सरकार ने आर्डिनेंस 2014 में लाकर आज सदन में पारित करने के लिए पेश किया है, मैं इसके लिए गर्व महसूस कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रृद्धांजलि हमारी सरकार द्वारा दी गई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक दलित लोगों का सवाल है, ये लोग अस्पृश्यता का भोग बनते आ रहे हैं। आज के समय में अस्पृश्यता कम हुई होगी, मगर इसकी जगह आज " मैंटल अनटचेबिलिटी " ने ले ली है। मैं समझता हूं कि मैंटल अनटचेबिलिटी शारीरिक अनटचेबिलिटी से भी ज्यादा भयानक है और इसका निवारण हम नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बैंगलूरू में सम्पन्न हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है कि आज भी लोग सिर पर मैला उठाते हैं, यह हमारे लिए नेशनल शेम का विषय है। हमें इस प्रथा को समाप्त करना है और एक अभियान के तहत हम इस प्रथा को समाप्त करने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यहां तक कहा है कि इस कार्य में हमारे एससी और एसटी कार्यकर्ता सम्मिलित नहीं होंगे बल्कि इस कार्य में अपर कास्ट के लोग शामिल होंगे। कानून बनाने से ज्यादा जरूरी जनआंदोलन चलाना जरूरी है। लोगों की सोच को बदलने के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, उसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल दलितों के लिए ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने महिलाओं के लिए भी किया है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं चाहे पाकिस्तान हो, मालद्वीप हो, श्रीलंका हो कहीं भी लोकतंत्र नाम की चीज बची नहीं है। आज लोकतंत्र की सबसे ज्यादा जड़े भारत में मजबूत हुई हैं। अगर इसके लिए किसी को श्रेय दिया जाना चाहिए तो बाबा साहब अम्बेडकर को दिया जाना चाहिए। भारत के आजाद होने के बाद बाबा साहब ने संविधान दिया फिर भी उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। मैं गर्व महसूस करता हूं कि जिस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के स्मारक का शिलान्यास किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की एक लम्बी सोच है। कानून बनाना और लोगों की सोच बदलना तथा दलितों को कैसे सामाजिक न्याय दिया जाए, इस दिशा में

हमारी सरकार काम कर रही है। दलितों के लिए वर्ष 1989 के बाद अत्याचार कानून बनाया गया, अगर आप आंकड़े देखें तो लगभग 75-80 परसेंट से भी ज्यादा है लेकिन किसी को सजा नहीं मिली है। इस कानून का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसकी जो जांच प्रक्रिया है चाहे वह एफआईआर का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे इसमें पोस्टमार्टम करने की बात हो, हर जगह दलितों के साथ अन्याय किया जाता रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो पोस्ट-मॉर्टम होता है, उसमें एक पैनल पोस्ट-मॉर्टम की तरह पोस्ट-मॉर्टम किया जाना चाहिए। जिस प्रकार यदि कहीं पर युवा महिला की डेथ होती है, तो पैनल पोस्ट-मॉर्टम होता है, दो-तीन डॉक्टर मिलकर पोस्ट-मॉर्टम करते हैं, इसी तरह से इसमें प्रावधान करना चाहिए।

जहाँ तक केस रजिस्ट्रेशन का सवाल है, उसमें एस.पी. लेवल के अधिकारी उसे करते हैं। उसमें भी पैनल होना चाहिए। अभी-अभी पिछली लोक सभा में जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उसमें एक ऐसी बात हुई थी कि दलितों के स्पेशल कंपोनेंट प्लान का 700 करोड़ रुपया घोटाले के रूप में ट्रांसफर किया गया था। सरकार से मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी ऐसा करता है, उस पर एट्रोसिटी ऐक्ट लागू करना चाहिए और कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। सरकार इस बिल को लेकर आयी है, तो मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि पूरा सदन एकजुट होकर इस बिल का समर्थन करेंगे।

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ।

सदन की शुरुआत होने से पहले, राष्ट्रीय गीत से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है, तो इतिहास याद आता है कि हमारा भारत देश साढ़े छः सौ सालों तक मुगलों का गुलाम था तथा डेढ़ सौ सालों तक अंगरेज़ों का गुलाम था। इस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए तमाम वर्गों के लोगों ने आपस में सुर में सुर मिलाकर भाईचारा बनाकर भारत माता के नारे को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए भारत माता के वीर सपूतों तथा वीर महिलाओं ने अपना बलिदान देकर देश को आज़ाद कराने का काम किया था। उनके साथ-साथ देश के तमाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े समाज के लोगों ने भी अपना बलिदान देकर देश को आज़ाद कराने का काम किया था। उनको भी आशा थी कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, तो हम भी स्वतंत्र होंगे। हमको दो जून की रोटी मिलेगी, तन पर कपड़ा होगा, रहने के लिए मकान होगा, खेती के लिए जमीन होगी, पढ़ने के लिए स्कूल होगा और दवा के लिए अस्पताल होगा। लेकिन, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के 68 वर्षों के बाद भी आज भी 30 प्रतिशत लोग गुलामी की जंज़ीरों में जकड़े हुए हैं। उनकी दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

हमारे देश में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। लेकिन, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश में हमारे समाज के लोगों की बहुत दुर्दशा हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तमाम सरकारें आयीं और गयीं, लेकिन दलितों पर अत्याचार, शोषण, बलात्कार, सामूहिक हत्याएँ, आगजनी आदि की घटनाएँ होती रही हैं तथा आज भी हो रही हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों की दशा जस की तस है। अत्याचार को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम कानून बनाकर राज्य सरकारों को भेजा जाता है। किन्तु राज्य सरकारों की दलितों के प्रति साफ मानसिकता नहीं है। इसलिए कानून जस की तस धरी की धरी रह जाती है। इस संबंध में मैं कुछ उदाहरण बताना चाहती हूँ। महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले में तीन दलित परिवारों की हत्या करके शव को सूखे कुएं में डाल दिया गया, अमृतसर में पैसे के लेन-देन के लिए दलित को पिंजरे में बंद करके उसी में कुत्ता छोड़ दिया गया, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक बाल्मीकि को पूजा करने से मंदिर से भगा दिया गया, उत्तर प्रदेश में बागपत में एक दलित के शव को दबंगों द्वारा श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा पर माला पहनाने पर मूर्ति की धुलाई की गयी, मध्य प्रदेश के कुँवरपुर गांव में दलित महिला को गोबर खिलाया गया, राजस्थान के जलेसर तहसील के गांव सिकन्दरपुर में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गयी। मध्य प्रदेश के

रतलाम के नेगरूण गांव में दलितों की बारात पर पथराव किया गया क्योंकि दूल्हा घोड़ी पर सवार था। महाराष्ट्र कि शिरडी नगर में युवा दलित होटल में बैठा था, उसके मोबाइल पर बाबा अम्बेडकर साहब की टोन बजी तो आठ लोगों ने पवन कुमार को मोटरसाइकिल से जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में दलितों को नल से पानी लेने से मना कर दिया गया, आज वे लोग दो किलोमीटर दूर से पानी लेने जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के दातारामगढ़ गांव में जमीन के मामले में दलितों का पूरा गांव जला दिया गया। राजस्थान के नागौर जिले के ही डांगावास गांव में जमीन के मामले में तीन दलितों को गोली मार दी गयी और एक महिला की आंख में लकड़ी भोंक दी गयी। राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में ही पांच दलितों की जमीन विवाद को लेकर हत्या कर दी गयी। बिहार के सासाराम के मोहनपुर में खेत में बकरी के जाने की वजह से दलित को जिन्दा जलाया गया। बिहार के गया जिले के पुरागांव में तीन सौ दलित परिवार दबंगों के डर से गांव छोड़कर चले गए। हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव की चार दलित लड़कियों को घसीटकर कार में डाल दिया गया और दो दिनों तक दर्जन भर लोग बलात्कार करते रहे। हरियाणा के जींद जिले के रैवासा गांव में बच्ची को दूध पिला रही महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। हरियाणा के हिसार जिले के गांव ढोवी में एक दलित युवा की हत्या करके शव को पानी की टंकी में डाल दिया गया। हरियाणा के रोहतक जिले के मदीना गांव में दो दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। मैं कहां तक प्रमाण दूं।

मैं कहना चाहती हूं कि हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पैंतालीस-पचास साल तक रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्या दिया है - भेड़ पालन के नाम पर कर्ज, बकरी पालन के नाम पर कर्ज, सुअर पालन के नाम पर कर्ज, मुर्गी पालन के नाम पर कर्ज, गधा पालन के नाम पर कर्ज देकर उनका वोट लेती रही और उनके साथ धोखा करती रही। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की दशा और दिशा में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आज भी वे लोग मरे जानवरों का चमड़ा छीलकर, गन्दी नालियों की सफाई करके, गन्दे कपड़े धुलकरके, दूसरों की गुलामी करके अपनी दो जून की रोटी चलाने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जिस तरीके से देश में हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, बहन-बेटियों के साथ अत्याचार हुए हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, उनके गांव के गांव फूंक दिए जाते थे, सामूहिक बलात्कार होते थे, सामूहिक हत्याएं होती थीं और सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रहती थी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यदि भारतीय संविधान में हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की होती तो आज अनुसूचित जाति के लोगों को न नौकरी

में, न शिक्षा में, न राजनीति में आगे बढने का मौका मिलता। यदि उनको यह मौका मिला है तो यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत मिला है। आज मुझे भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बोलने का जो अवसर मिला है, यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत मिला है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कृत्यों का नमन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में वर्ष 1950 में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। उस समय अनुसूचित जाति के लोगों की पापुलेशन बहुत कम थी, लेकिन आज की तारीख में अनुसूचित जातियों की पापुलेशन काफी बढ़ चुकी है, आज उस अनुपात में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में भी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था दी गयी है, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह किसी भी पद पर हो, आज भी उनके साथ धोखा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज अनुसूचित जाति के लोग नौकरी से वंचित हैं। तमाम ऐसी जगहें हैं, जिस पर आज भी अनुसूचित जाति के लोग नहीं पहुंच सके हैं।

ऐसी स्थिति में आज मैं इस सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य सताए गए समाज के लोगों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को पूरे तरीके से लागू किया जाए। जब तक पूरे तरीके से उस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे, तब तक अनुसूचित जाति के लोगों का मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो सकती है।

मैं कहना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों को आजादी के 68 साल बीत जाने के बाद यह लगा कि हमें भी सम्मान चाहिए, हमें भी घर चाहिए, हमें भी रोटी चाहिए, हमें भी व्यवस्था चाहिए तो माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का इस देश में उदय हुआ।

18.00 hrs

जब मोदी जी इस देश का नेतृत्व करने के लिए हर राज्य और हर जिले में तथा गांव-गांव जाते थे तो लोगों से कहते थे कि हमारी सरकार जो होगी वह दलितों की, गरीबों की सरकार होगी। हम जब सरकार में आएंगे तो सब बेघरों को घर देंगे, सबका विकास करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। इसीलिए उन्होंने 'सबका साथ सबका विकास' का नारा दिया था। तब चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों ने विश्वास करके वोट दिया, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। चाहे जन-धन योजना हो या बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना हो, इस तरह की कई योजनाओं को शुरू करके उन्होंने हम लोगों को लाभ देने का काम किया है। हमारे प्रधान मंत्री मोदी

जी और मंत्री थावर चंद जी की मैं आभारी हूं, जिन्होंने अनुसूचित जाति का सम्मान करने और उन्हें सुरक्षा देने के बारे में चिंता करके उस पर कार्य करने का प्रयास किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति जी आपको भी धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

माननीय सभापति : अभी छः बज रहे हैं, इस बिल पर तीन-चार और सदस्यों को बोलना है, फिर मंत्री जी जवाब देंगे। उसके बाद हम शून्य काल लेंगे। अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य: ठीक है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय सभापति जी, हमारे कई साथियों ने हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जो स्थिति है, उस पर विस्तार से अपनी बातों को रखा है। हमारे मंत्री थावर चंद जी जो विधेयक यहां लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत सारी घटनाओं को बताते हुए कई वक्ताओं ने अपनी बातों को कहा है। लेकिन इन सारी बातों के साथ-साथ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहां पर विभिन्न प्रकार की संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक स्थितियां हैं। जब तक हम समाज की कमजोरियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता।

इस समय जो सरकार है, इस सरकार ने ऐसी बहुत सी चीजों यानि कमजोरियों को चिन्हित किया है, चाहे उत्तर-पूर्व का क्षेत्र हो या जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र हो। उसके साथ ही साथ जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और अन्य मामलों में भी पिछड़े हुए हैं, उन्हें देश की मुख्य धारा में लाने की बात इस सरकार ने कही है, क्योंकि यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसी जिम्मेदारी के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक यहां पेश किया गया है।

कई वक्ताओं ने कई घटनाओं का वर्णन यहां किया है। इन घटनाओं का घटना हमारी मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। मानसिक स्थिति शिक्षा और सामाजिक संस्कारों का पूरी तरह से प्राप्त न होने के कारण प्रभावित होती है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं, उनमें कुछ न कुछ खामियां रह जाती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए ही यह संशोधन विधेयक यहां पेश किया गया है।

ऐसी कई बातें हैं, जिनके द्वारा हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को देश की मुख्य धारा में ला सकते हैं, पर जरूरत है प्रयास करने की और कानून को सही ढंग से लागू करने की। हम यह भी नहीं कहते कि कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, आज़ादी के बाद बहुत सारी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। जिसके चलते कई अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग समाज में बड़े-बड़े स्थानों पर बैठे हैं। मैं यह भी चाहूंगा कि क्रिमीलेयर के जो लोग हैं, संविधान और कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन अनुसूचित जाति के भाइयों में भी जो लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, वह आरक्षण का लाभ न लेना और अपने दूसरे भाई जो नीचे हैं, उनको ऊपर लाना, ये सारे प्रयास उन लोगों को करने चाहिए, जिससे ये स्थितियां सुधरेंगी।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें यहां रखना चाहता हूं। अभी सावित्री बाई फूले बोल रही थीं। इनका क्षेत्र बहराइच है और मेरा लखीमपुर है। यह क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है। जिसमें बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जो

जंगल में बसे हुए हैं। वहां के कुछ लोगों को जनजाति का दर्जा प्राप्त है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जनजाति के दायरे में आने चाहिए, लेकिन वे नहीं आ पा रहे हैं। वोठ और गुर्छिया जातियां लखीमपुर और बहराइच में है। मैंने उनके बारे में पूर्व में भी निवेदन किया था। उन जातियों के बारे में भारत सरकार के जनजाति आयोग के समक्ष 19.08.2013 में एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। निदेशक जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को भेजा गया था, अपनी संस्तुति करने के लिए। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजनैतिक कारणों से प्रदेशों की सरकारें ऐसी संस्तुतियां नहीं करती हैं, वह केवल राजनैतिक लाभ के लिए ही संस्तुतियां करती हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि कानून में यह संशोधन किया जाए कि ऐसी जितनी भी जातियां हैं जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से जनजाति के दायरे में आने योग्य हैं, अगर प्रदेश की सरकार उनकी संस्तुति नहीं करती है तो भारत सरकार स्वयं संज्ञान लेकर ऐसी जातियों को जनजाति का दर्जा दे, यह मेरा आपसे निवेदन है। उसके साथ-साथ मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि मुझे अभी-अभी व्हट्स-एप के द्वारा सूचना मिली है जो मेरे जिले संबंधित है और जनजाति के लोगों से संबंधित है। इसमें मुझे यह मिला है कि जंगल से हटाए जांएगे 1899 घर। यह हो रहा है। लखीमपुर जिले में ऐसे 5-6 गांव हैं, सूरमा और कांपटांडा जैसे कुछ गांव हैं, जहां थारू जनजाति के लोग रह रहे हैं। उनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि वहां से बाहर जमीन खरीद कर उन जनजाति के लोगों को अपने गांवों से, जहां वह पचासों सालों से रह रहे थे, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ मैं अपने क्षेत्र के गांव कांपटांडा की ओर ले जाना चाहता हूं। जहां जंगल का क्षेत्र होने के कारण जंगल के अधिकारी कोई भी विकास का काम नहीं होने दे रहे हैं। सड़के, बिजली और पीने का साफ पानी नहीं है। हद तो यह है कि उनके यहां अगर कोई शादी ब्याह होता है तो बारात जाने के लिए उनको गाड़ी भी ले जाने नहीं देते हैं। गाड़ी ले जाने के लिए 1600 रुपये उनसे लिया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि संशोधन करके वोठ, गुर्छिया जैसी जातियां जो मेरे जिले की हैं। कांपटांडा और सूरमा जो गांव हैं, उनको राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए और राजस्व गांव का दर्जा देकर जो विकास कार्य हो सकते हैं, उन कामों को करने का काम किया जाए।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा जो जंगल का क्षेत्र है, वहां बहुत सारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं। रेलवे का ब्रॉड गैज कनवर्जन का एक बड़ा काम होने जा रहा है। मैलानी और बहराइच स्टेशन के बीच एक बड़ा जंगल का क्षेत्र है। लेकिन वन विभाग के द्वारा एनओसी न देने के कारण वहां रेल लाइन का ब्रॉड गैज में कनवर्जन नहीं हो पा रहा है, जिससे रेल की यात्रा धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर हम ऐसी

जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो उनको शिक्षा और परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इसमें माननीय मंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को इसका परिणाम मिलेगा। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि विधेयक में संशोधन करके ऐसी जातियों को जो पात्रता रखती हैं, लेकिन उनको अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भारत सरकार सीधे-सीधे संज्ञान ले और वोठ और गुर्छिया जाति को जनजाति का दर्जा दे।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, I thank you for giving me this opportunity. It is such an important Bill. It is very unfortunate that even now in India when we are talking about computers, super conduction, bullet trains and airports; we are still talking about atrocities. What are these atrocities? Why are these atrocities there on Scheduled Castes and Scheduled Tribes? What is their fault? Are they not human beings? Are they not born to their mother and father? Are they born with any other animal? Why are they ill-treated? Why are they being killed, raped and discriminated? This is not the solution. Any Act will never offer any solution. This will never end as long as we do not diagnose the disease. The disease is the deep-seated prejudice in the minds of the people. Caste is such a peculiar thing that it is available only in India. It is not available anywhere in the world. कास्ट सिस्टम कहीं भी नहीं है। पता नहीं अपने देश में यह कैंसर कैसे आ गया है, यह कैंसर कौन लेकर आया है, इस कैंसर को कैसे खत्म करना है, इसका इलाज कैसे करना है। एट्रोसिटीज एक्ट की वजह से इस कैंसर का निर्मूलन कभी नहीं हो सकता। कैंसर नहीं आना चाहिए, लेकिन आने के बाद जो एक्ट लाया जा रहा है, यह इसका ट्रीटमैन्ट है। लेकिन बार-बार यह कैंसर क्यों आ रहा है। Why this cancer is affecting the body of Indian polity? It is because there is a deep-seated prejudice in the minds of the people. Therefore Dr. Ambedkar said that political freedom is meaningless unless you get social freedom, unless the people of India feel proud of being Indian. I should feel that I belong to India. I should not feel that I belong to a Dalit caste. I should not feel ashamed of my caste or my birth. It is the birth which determines the caste, not the profession.

Sir, there is apartheid in South Africa where there is racial discrimination against which Gandhiji fought. In America also, there are blacks who are racially discriminated. We can understand this because they are discriminated on the basis of colour of their skin or their profession. But here, all Indians look the same. Still, we discriminate on the ground of caste because one is born in a Scheduled Caste family and not because of any fault.

There is reservation provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The reservation should be made an Act. Atrocities Act is on one side, but reservation should be made an Act. We are thankful to the Government, we are thankful to the Indian system. People are so gracious that they have allowed the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by giving them some reservation at the entry level allowing five years relaxation. I earnestly urge the Government of India to give five years extension to Scheduled Castes and Scheduled Tribes at the time of retirement also so that all officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes may be available to become empanelled as Secretary level officers. My colleague already said that there are no judges from Scheduled Castes and Scheduled Tribes in High Courts or Supreme Court because the entry is very late. Therefore five years extension should be given for retirement. Thank you.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक, 2014 पर अपना मत रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि विशेषकर जब हमारे देश का संविधान बना तो देश में जो पिछड़ी जातियां थीं, उन पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था निर्माण की गई थी, पिछले 68 सालों में आज भी वे जातियां मुख्य धारा में नहीं आईं और उसी का परिणाम है कि हम लोगों को पिछड़ी जातियों को न्याय देने के लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाने का काम करना पड़ता है, ऐसा प्रावधान लाना पड़ता है।

महोदय, आर्टिकल 340, 341 और 342 इन तीनों आर्टिकल से पिछड़ी जातियों को एजूकेशनली और फाइनेंशियली मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था की गई। परंतु क्या इतने सालों में आज भी संविधान की उस धारा के आधार पर ये जातियां मुख्य प्रवाह में आई हैं? मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि इतने सालों में डा.बाबासाहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसका उपयोग पिछड़ी जातियों के उत्थान में नहीं हुआ और उसके परिणामस्वरूप एट्रोसिटीज जैसे कानून को लाना पड़ता है। आज जो पिछड़ी जातियां हैं, उनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, डीएनटी आदि जातियां, जो समूहों में रहती हैं, उन समूहों को आपस में लड़ाया जाता है। आज यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एट्रोसिटीज एक्ट का मिसयूज किया जाता है। आज भी देश में जिनती एट्रोसिटीज़ के गुनाह दाखिल हुए थे, उसमें से कितनों को

हमने शिक्षा दी? उसमें से अगर एवरेज़ में देखा जाए तो 95% लोग बेगुनाह निकले। सभापति महोदय, जिन लोगों पर गुनाह दाखिल किया गया, वह नॉन-बेलेबल ऑफेंस रहता है। उन लोगों की क्या स्थिति रहती है, उनके ऊपर क्या अन्याय होता है? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सौ लोग होंगे और उसमें 99% प्रतिशत लोग अगर दोषी हैं और एक निर्दोष हो तो एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस कानून के माध्यम से हम लोग निर्दोष लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल करते हैं। कानून में एक प्रावधान करने की गरज है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि जो इसका मिसयूज़ किरेगा तो उसके ऊपर भी गुनाह दाखिल करने की व्यवस्था इस कानून में होनी चाहिए। मैं यह मांग यहां पर करता हूँ।

सभापति महोदय, गुनहगार की कोई जात नहीं होती है। उसको हम जात के आधार पर तौलते जाएंगे तो निश्चित रूप से इस कानून का असर नहीं होगा। निश्चित रूप से पिछड़ी जातियों के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए उस तरह के प्रावधान करने का समय अब आ गया है। हम लोग अगर यह नहीं करेंगे तो हम आपस में लोगों को लड़ाते रहेंगे और उससे हमारा देश टूटता जाएगा। मैं इस बिल के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि गलत मिसयूज़ करने वालों पर इसके ऊपर कार्यवाही करने की व्यवस्था, इस कानून के माध्यम से होनी चाहिए। शेड्युल्ड कास्ट, शेड्युल्ड ट्राइब्स और ओबीसी, आज ओबीसी की व्यवस्था क्या हुई है? हम लोग न तो उनको आरक्षण देते हैं, न उसकी एजुकेशन की व्यवस्था का निर्माण करते हैं, न नौकरी में उनका रिज़र्वेशन है, न उनको हम मौका देते हैं और एससी, एसटी और ओबीसी की लड़ाई ग्रामीण और शहरी भागों में देखने को मिलती है। मैं इस माध्यम से इतना ही कहूंगा कि ओबीसी के लिए भी एक कानून बनाया जाए, जिसके माध्यम से उनके एजुकेशन और रिज़र्वेशन की भी सब व्यवस्था वहां निर्माण की जाएं। मैं बताता हूँ कि जिस दिन शेड्युल्ड कास्ट के लोगों को और शेड्युल्ड ट्राईब के लोगों को हम एजुकेशनल मज़बूत करेंगे, उनको मुख्य धारा में लाएंगे तो इस कानून की गरज नहीं पड़ेगी और इसके आधार पर निश्चित रूप से यह व्यवस्था सरकार निर्माण करे। इस कानून में थोड़े संशोधन किए जाएं, और निश्चित रूप से इस कानून का मैं समर्थन करता हूँ और एक अच्छा कानून इस देश में बने, इतनी ही मांग करता हूँ।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, आदरणीय थावर चंद गहलोत जी के प्रस्ताव का मैं अभिनंदन करती हूँ। वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार के निवारण के लिए जो संशोधन लाए हैं, वे बहुत ही जरूरी संशोधन हैं। आज हम लोग सोचते हैं कि आजादी के बाद क्या हो रहा है। इतने वर्षों के बाद भी इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। इन लोगों पर जिस तरह के कष्ट होते हैं, हम लोग जा कर देखते हैं कि इनको घर का अधिकार नहीं मिलता है, जो अनाज का अधिकार है, वह नहीं मिलता है। इन लोगों को किस तरह दबाया जाता है, आज इन सारी स्थितियों को देखने के लिए मैं खड़ी हूँ। प्रत्येक वर्ग में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वे समझिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं सभी जाति वर्ग की तुलना इसलिए कह रही हूँ कि अगर किसी वर्ग की महिला आती है, तो उनको नीची दृष्टि से देखा जाता है। उन पर किस तरह की लांछनाएं लगाई जाती हैं और किस तरह दबा कर रखा जाता है। आज मैं सदन में खड़ी हूँ। मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि कितनी बार मैं इस चीज़ को रखना चाहती हूँ कि चाहे कोई विषय हो, मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है। मैं मुख्य सचेतक जी का अभिनंदन करती हूँ कि कभी-कभी तकलीफ होती है कि अगर बोलने के लिए हम खड़े होते हैं, हम सांसद हैं, हम किसी को सांस देने के लिए आए हैं, सांस छीनने के लिए नहीं आए हैं। हम अंदर की भावना को रखने के लिए आए हैं। जब हम नहीं रखेंगे, जब हम नहीं बोल पाएंगे तो यहां पर बैठ कर हम क्या करेंगे? हम जिस परिस्थिति को झेलते हैं, उससे बड़ी तकलीफ होती है।

सावित्री बाई फूले ने बहुत सारी बातों को रखा है, जिनमें बिहार और यूपी की परिस्थिति दर्शायी है, मैं उनको दिल से स्वीकार करती हूँ। आज बिहार में क्या परिस्थिति है, वहाँ किस तरह लोग जी रहे हैं, यह भी हमने देखा है। कांग्रेस पार्टी की जो पिछली सरकार थी, उसने कैसे लोगों को जीवित रखा, उसने किस तरह से दलितों को छोटा-छोटा उपहार देकर उसका वोट लेने का काम किया और उसे गरीब रखने का काम किया। आज जो परिस्थिति है, जहाँ तक भी हम देखते हैं, किसानों की भी बुरी हालत हो गई है। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जब खेतों में काम करने जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, यह भी हमने देखा है। किस तरीके से उनके अधिकारों को छीनने का काम होता है। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जनजातियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय मिले। परिस्थिति ऐसी आती है कि केस होता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। बहुत देर हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ तक किस बात को कहें? हमारे ऊपर भी हरिजन एक्ट लगाया गया। ऐसी स्थिति को सांसद होते हुए भी मुझे झेलना पड़ा। आज की परिस्थिति को देखते हुए, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मंत्री जी को कि वे इसे लाए हैं, इसका निवारण करने के लिए इसे लाए हैं, उस चीज को करने

के लिए आगे बढ़ें। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया, उनके बनाये कानून के तहत ही हम लोग यहाँ खड़े हैं। अगर वे कानून नहीं बनाते तो हमें यहाँ खड़े होने का अधिकार नहीं होता। जिस परिस्थिति से हम लोग लड़ाई लड़े हैं, हम कहना चाहेंगे-

"मजबूर की मजबूरियों को सोचकर देखो और प्रेम की इन झोपड़ियों को बीच में खोजकर देखो,

अगर इंसानियत को फिर से धरती पर बुलाते हो, किसी रोते हुए के आंसू को पोछकर देखो।"

तब जाकर यह नियम कानून आपका बरकरार रहेगा। नियम बनते रहेंगे, उसका पालन अगर नहीं होता है, तो रमा देवी ऐसी आग में तड़पती रहती है, बोलती रहती है, लेकिन असर नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि दुरूपयोग होने वाले जितने एक्ट हैं, जो आदमी गलत केस करते हैं, उन पर भी केस हो, जाँच सही हो, नहीं तो आज जो बिहार सरकार में हो रहा है, उससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हम लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी आए, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जो हिम्मत मिली है, उनको लगता है कि उनका अधिकार वापस आएगा, इसीलिए हमेंइतने बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला है। आज जो लोग चिल्ला रहे हैं कि इनका अधिकार कैसे मिल जाएगा और अच्छे दिन कैसे आ जाएंगे? अच्छे दिन नहीं आए, ऐसा बोलकर इन पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी एक हल्ला बोलकर तमाशा बनाए हुए है और इतने दिनों से सदन को नहीं चलने दे रही है। हम समझते हैं कि करोड़ों रूपए प्रतिदिन खर्च होते हैं। जिस स्थिति में हमें अच्छे दिन लाने हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके अच्छे दिन आएं, उनको पीने का पानी मिले, उनको जनवितरण की दुकान से अनाज सही मिले, उनका जो घर बनने का काम है, वह हो और जो एपीएल, बीपीएल की गड़बड़ियां हैं, उसे ठीक करने का मौका मिले। अब बिहार सरकार देखती है कि किसी तरह से वोट ले लें और दलित, महादलित करके वोट को बाँटते हैं। हम लोग तो जानते भी नहीं हैं कि कौन-कौन जाति का है और वहाँ जाति की प्रथा बहुत जड़ पकड़े हुई है। वहीं नहीं हर जगह ऐसा है और वो लोग चाहते हैं कि ये लोग इसी तरह से गरीब बने रहें।

माननीय सभापति : कृपया, कंक्ल्यूड कीजिए।

श्रीमती रमा देवी : मैं कंक्ल्यूड कर रही हूँ। मुझे बोलने का बहुत कम समय मिलता है। मैं एक शायरी कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी।

"कि आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की,
मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की।।

हिम्मत और हौसला बुलंद है, मैं खड़ी हूँ, अभी गिरी नहीं हूँ, अभी बाकी है और मैं हारी भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उस काम को करने आई हूँ, करके जाऊंगी, चाहे कितनी भी बाधाएं आएंगी, कितना भी संघर्ष करना

पड़ेगा, मैं संघर्ष करूंगी और उस स्थान पर पहुँचाऊंगी जिन्होंने बहुत वर्षों से पीड़ा झेली है, बहुत वर्षों से उनका अधिकार छीना गया है। मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज को स्थापित करके जाऊँ। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

डॉ. यशवंत सिंह (नगीना): माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को इस संशोधन विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूँ। महोदय, आज मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, इसलिए मुझे पाँच मिनट के बजाय छः-सात मिनट दे दिए जाएँ, मैं छः-सात मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। ...(व्यवधान)

महोदय, 1947 से पहले जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जहाँ पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो कुछ लोग असमानता से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं उन सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो न सिर्फ गुलाम हैं, बल्कि गुलामों के द्वारा भी गुलाम बनाए जाते हैं। इस देश की बड़ी विचित्र सी स्थिति है। जो व्यक्ति यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम करता है, कष्टकारी और दुर्गन्ध वाला काम करता है, उसको सबसे कम वेतन मिलता है। एक सफाई कर्मचारी जो सुबह चार बजे से शुरू हो जाता है और सबसे अधिक मेहनत करता है, दुर्गन्ध के बीच रहता है, उसे स्थायी नौकरी नहीं मिलती। ठेका प्रथा में उसके सभी अधिकारों का हनन कर लिया जाता है। सरकार भी उसके बच्चों का ख्याल नहीं रखती। अगर बीमार हो जाए तो चिकित्सा सुविधाएँ भी उसको नहीं मिल पातीं। लेकिन जो व्यक्ति बड़े-बड़े पदों पर सरकारी नौकरियों में हैं, उनके परिवार वालों को भी मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं। एक मज़दूर जो सारे दिन मेहनत करके बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज़ बनाता है, अपनी जान का जोखिम उठाता है, उस व्यक्ति को इस देश में सिर ढकने के लिए एक छत नहीं मिल पाती। जो लोग खाना नहीं खा पाते, उन्हें ड्राई फ्रूट्स का नाश्ता इस देश में मिलता है। लेकिन जो भूखा है, उसे इस देश में दो जून की रोटी तक प्राप्त नहीं हो पाती। यहाँ पर मंदिरों में भगवान को छप्पन भोग लगाए जाते हैं, टनों दूध से उन मूर्तियों को नहलाया जाता है पर मंदिर के सामने बैठा हुआ गरीब और दलित भूख के मारे दम तोड़ देता है। बड़ी विचित्र स्थिति इस देश की है। दलित इन सब पीड़ाओं को रोज़ सहन करता है। इसका मतलब यह नहीं कि दलित समाज के पास बुद्धि की की कमी है, इसका मतलब यह भी नहीं कि दलित समाज के लोगों के पास किसी क्षमता की कमी है। अगर कमी है तो इस देश के सभ्य समाज के द्वारा उनके अधिकारों के हनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थिति से उनके पास संसाधनों की कमी है।

महोदय, अगर हम देखें तो दलित समाज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बड़ा शायद ही कोई बिल्डर इस देश में होगा, शायद ही कोई बड़ा उद्योगपति इस देश में होगा, शायद ही कोई बड़ी शिक्षण संस्था का मालिक इस देश में होगा, शायद ही कोई बड़ा ठेकेदार इस देश में होगा और इस देश के उन 9000 परिवारों में से जो इस देश की 70 प्रतिशत संपत्ति पर अपना अधिकार रखते हैं, अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं होता। यह सब दलितों को उनके अधिकार न मिलने के कारण है। महोदय, ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति अपने आपको आगे बढ़ाना नहीं चाहता, परंतु उसके साथ

कदम-कदम पर अन्याय होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, उसे गरीब बनाए रखने के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं चाहे वह सरकारी स्तर पर हों या सामाजिक स्तर पर। उदाहरण के तौर पर अगर हम बैंकों के द्वारा लोन देने वाली प्रक्रिया को देखें तो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन का 0.04 परसेंट से भी कम इस समाज के लोगों को दिया जाता है। तरह-तरह के बहाने बनाकर इस समाज के लोगों को लोन से वंचित रखा जाता है जिससे वे अपने उद्योग स्थापित नहीं कर पाते। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कोई अलग योजना बनाकर बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए लोन की सुविधा दिलाई जाए।

महोदय, यहाँ मुझे यह कहते हुए गुरेज़ नहीं कि सरकार की नीतियाँ अभी तक दलितों के पक्ष में नहीं रही हैं। जो भी योजनाएँ चलाई गई हैं, उनका स्वरूप ऐसा रखा गया है कि उनमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से घर कर गया है। आज चाहे प्राइवेट शिक्षण प्रणाली के कारण सरकारी स्कूल सिर्फ एस.सी. एस.टी. के संस्थान बनकर रह गये हैं, जिसके कारण वहां पढ़ाने वालों की रुचि समाप्त हो गई है और वहां का शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता चला जा रहा है। प्राइवेट कम्पनियों में भी जो नौकरियां दी जाती हैं, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का रिप्रेजेण्टेशन बहुत कम है, क्योंकि, उसमें तो नाम के आगे और नाम के पीछे लगने वाले सरनेम को देख कर ही रोजगार दिया जाता है।

मैं यहां भी कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में जो अभी तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की नौकरियों का जो आरक्षण नहीं भरा गया है, यह भी एक साजिश के तहत है। इसको भी एट्रोसिटीज़ के अन्दर लाना जरूरी है कि जो नोट सुटेबल बताकर लोगों को सरकारी नौकरियों का रिप्रेजेण्टेशन न देकर वंचित रखा जाता है, इसको भी एट्रोसिटीज़ एक्ट के अन्तर्गत लाना बहुत जरूरी है। हम दलित एवं पिछड़े समाज के लोग बहुत मजबूत मिट्टी के बने हुए हैं, जो हर कष्ट सहन कर लेते हैं, परन्तु दिल तो जब दुखता है, जब हमारे बराबरी के सामाजिक अधिकारों का हनन होता है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में एक दलित महिला को इसलिए बुरी तरह से पीटा जाता है, क्योंकि उसकी परछाई दबंगों के ऊपर पड़ जाती है। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। महाराष्ट्र में दलितों को मजबूरन गांव छोड़कर जाने के लिए विवश कर दिया जाता है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ...(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : पाइंट ऑफ ऑर्डर। अगर यह बात गलत है तो मैं कार्रवाई से निकलवाने के लिए कहता हूं, लेकिन मैं इनको प्रूफ दूंगा। आपसे बाद में बात करूंगा।...(व्यवधान) मैं आपके साथ खड़ा होकर बात करूंगा कि किसको बाहर निकाला, बताओ।

डॉ. यशवंत सिंह : डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के गाने की रिंगटोन मोबाइल पर लगाने पर दलित को पीट-पीट कर मार दिया जाता है। ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जिसमें दलित महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है।

माननीय सभापति : ऐसी घटनाएं बहुत आई हैं, अभी बन्द करो।

डॉ. यशवंत सिंह : महोदय, हद तो तब हो जाती है, जब माननीय न्यायालय द्वारा भी बिहार में रणवीर सेना द्वारा मारे गये 23 लोगों के हत्यारों को बरी कर दिया जाता है और यह इसलिए किया जाता है, क्योंकि, कोई गवाह नहीं मिलता। …(व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय सभापति महोदय, अभी तक 14 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं आभारी हूं, आदरणीय वीरेन्द्र कश्यप जी का, डॉ. गोपाल जी का, बलभद्र जी का, मलायाद्री जी का, वी.रामा प्रसाद जी का, रतन लाल कटारिया जी का, अभिजीत जी का, किरीट सोलंकी जी का, साध्वी सावित्री जी का, अजय मिश्रा जी का, पी.वी. रविन्द्रन जी का, नाना पटोले जी का, रमादेवी जी का, अरविन्द सावन्त जी का और डॉ. यशवन्त सिंह जी का। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, जो कुछ बिन्दु आये हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। सरकार ने पिछले एक वर्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वे नहीं हों, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर के एक नहीं, अनेक प्रयास किये हैं। जैसे हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का एक एक्ट लागू किया है और उस एक्ट पर अमल कर दिया है। हमें जैसे ही पता लगता है कि हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा के अन्तर्गत कोई सफाई कर्मचारी काम में लगा है, उसको उससे मुक्त कराते हैं। चालीस हजार रुपये एकमुश्त उसको आर्थिक सहायता देते हैं और 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उनको मानदेय भी देते हैं और ट्रेनिंग के बाद में स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की ओर से सस्ते ब्याज पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। पहले जो लोग परमानेंट थे, उनको काम पर रखने की भी हम कार्रवाई करते हैं। जो महिलाएं सफाई कर्मचारी के परिवार से संबंधित हैं, ऐसी 250 महिलाओं को कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस देने की दृष्टि से मोटर मैकेनिक और ड्राइविंग का काम सिखाने के लिए हमने एक कैम्प आयोजित किया है। वह तीन महीने से चल रहा है। अगर माननीय सदस्यगण वहां जाकर उसे देखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें खुशी होगी। कुल मिलाकर, पहले जो अन्याय, अत्याचार होता था, उसको परिवर्तित करके ठीक करने की दिशा में यह कदम है। लोगों की मानसिक परिस्थिति और मानसिकता को परिवर्तित करके 'हम सब एक हैं' ऐसा भाव, और सबके प्रति हमारा जो कर्तव्य बोध है, उसका अहसास कराने की दृष्टि से अम्बेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ को साल भर मनाने की दृष्टि से हमने एक कार्य-योजना बनाई है।

देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया है। यह स्वच्छता अभियान निश्चित रूप से सफाई कर्मचारियों के हित संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि असत्य प्रकरण दर्ज कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत की जो दंड प्रक्रिया संहिता है, उसमें आई.पी.सी. की अनेक ऐसी धाराएं हैं कि अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ न्यायालय को कार्रवाई करने का अधिकार है और अनेक

अवसरों पर इस प्रकार की कार्रवाई हुई भी है। इसलिए इसके लिए अलग-से कुछ संशोधन लाने की या इसके लिए अलग-से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं।

महोदय, यहां रिक्त आरक्षित पदों की भी बात आई है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है और इसके लिए एक कमेटी भी बनी है कि जितने भी आरक्षित पद रिक्त हैं, उसके लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें भरने की कार्रवाई की जाएगी।

महोदय, विशेष थाने और विशेष न्यायालय स्थापित करने की भी बात आई है। वर्तमान में जो प्रोवीजन है, उसमें ऑलरेडी यह प्रावधान है। वर्ष 1995 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित जो कानून बने थे, उसमें इसका उल्लेख है। जहां तक विशेष न्यायालय बनाने की बात है तो आज भी इसके लिए प्रावधान है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के यहां आवेदन करने पर, उनसे अनुरोध करने पर वे विशेष न्यायालय की अनुमति देते हैं। विशेषकर, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्यालयों पर अलग-से विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं और वकील की भी सहायता दी जाती है। इस प्रकार, कुल मिलाकर पहले से ही बहुत सारे प्रावधान विद्यमान हैं। अभी यह जो हम बिल लाए हैं, इसमें भी हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं।

महोदय, हम जो-जो प्रावधान इस कानून में जोड़ रहे हैं, मैं सोचता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद उस कानून का युक्तियुक्तकरण भी हो जाएगा। इसके लिए उचित प्रावधान होने के कारण कुछ अंकुश इससे भी लगेगा। लोगों की मानसिकता को परिवर्तित करके अमन-चैन का वातावरण बनाने की दृष्टि से हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के सदस्य के रूप में दूसरे परिवार के सदस्य के प्रति हमारा जो कर्तव्य-बोध है, उसका अहसास कराने की दृष्टि से भी हमने अनेक कार्य-योजनाएं बनाई हैं। हम उन सब कार्य-योजनाओं पर अमल करने का काम कर रहे हैं।

महोदय, मैं इससे ज्यादा कुछ कहूं, इसकी आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित करने में अपना योगदान दें।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That the Bill to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

> "That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of Section 2

HON. CHAIRPERSON: Now, Dr. A. Sampath to move the amendment Nos. 30 and 31. He is not present.

Shri N.K. Premachandran to move amendment Nos. 38 and 39. He is not present.

The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 Amendment of Section 3

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury to move Amendment No.3. He is not present.

Shri B. Vinod Kumar to move Amendment Nos. 12, 13 and 14. He is not present.

Shri Jitendra Chaudhury to move Amendment No. 28. He is not present.
Dr. A. Sampath to move Amendment Nos. 32 and 33. He is not present.
Shri Balabhadra Majhi to move Amendment No. 35. He is not present.
Shri N.K. Premachandran to move Amendment No.40. He is not present.

The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 Substitution of new Section for Section 4

HON. CHAIRPERSON: Shri B. Vinod Kumar to move Amendment No.15. He is not present.

Dr. Shashi tharoor to move Amendment Nos. 18 and 19. He is not present.
Shri Balabhadra Majhi to move Amendment No. 36. He is not present.
Shri N.K. Premachandran to move Amendment No.41. He is not present.

The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

Clause 8 Substitution of new Section for Section 14

HON. CHAIRPERSON: Shri Rabindra Kumar Jena to move Amendment Nos. 10 and 11. He is not present.

Shri B. Vinod Kumar to move Amendment Nos. 16 and 17. He is not present.

Dr. Shashi Tharoor to move Amendment Nos.20 and 21. He is not present.

Shri Balabhadra Majhi to move Amendment Nos. 37 and 46. He is not present.

The question is:

That Clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10 Substitution of new Section for Section 15

HON. CHAIRPERSON: Dr. Shashi Tharoor to move Amendment No.22. He is not present.

Dr. A. Sampath to move Amendment No.34. He is not present.

Shri N.K. Premachandran to move Amendment No.42. He is not present.

The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11 Insertion of new Chapter IV A

HON. CHAIRPERSON: Shri Jitendra Chaudhury to move Amendment No.29. He is not present.

Shri N.K. Premachandran to move Amendment Nos. 43, 44 and 45. He is not present.

Shri Balabhadra Majhi to move Amendment No. 47. Are you moving your amendment? He is not moving.

The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13 Ordinance 1 of 2014

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury to move Amendment Nos. 4 and 5. He is not present.

The question is:

"That clause 13 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 1 Short title and commencement

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, to move amendment No.2.

<u>संशोधन किया गया :</u>

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3, में "2014" के स्थान पर "2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री थावर चंद गहलोत)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, to move amendment No.1.

संशोधन किया गया :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "पैसठवें" के स्थान पर " छियासठवें" प्रतिस्थापित किया जाए।" (1)

(श्री थावर चंद गहलोत)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

श्री थावर चंद गहलोत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON : Now, we take up `Zero Hour'. Each Member would get two minutes to speak.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Mr. Chairman, Sir, I want to draw your kind attention to the fact that the All India Railway Engineers Federation (AIREF) representing around 80,000 Junior Engineers and Senior Section of Indian Railways has been working for safe movement of millions passengers daily. The AIREF, keeping in view nature of duties, responsibilities, mode of recruitment, training, promotion, service status, etc. of its engineers has been demanding since long for recognition in order to represent their problems appropriately. In this regard, the Railway Safety Review Committees (Khanna, Wanchoo Committees, etc.) have recommended separate platform. As the Engineers are coming under the supervisory category, they should not be clubbed with the labour unions of Railways similar to Defence Ministry, etc. Hence, I would like to urge upon the Government to look into the matter and accord the status of separate federation for railway engineers like RPF, Group `C' and Group `D' Associations of Railway Board to represent their grievance in view of betterment of Railways safety and economy.

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance.

Neyveli Lignite Corporation, a Government of India enterprise, is a mining and power generating company which provides water to Chennai. It is in the news recently due to its disinvestment plans and indefinite strike by its 27,000 employees. Neyveli Lignite Corporation is one of the main sources of power for Tamil Nadu as it gets 1,450 MW of power. Around 12,000 workers of Neyveli Lignite Corporation are on indefinite strike from 20th July, 2015 demanding higher wages. Though they have been given interim relief, their wage settlement is due from 1st January, 2012. So far no decision has been taken on this issue. If this

strike continues, it may harm the industries and power crisis may occur in Tamil Nadu.

Our beloved leader and hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchi Thalaivi Amma* has sought the intervention of the hon. Prime Minister regarding the grievances of NLC workers. *Amma* has also requested the Prime Minister to instruct the Coal Ministry to hold talks with the management of NLC and trade unions to end the strike at the earliest in the better interests of Tamil Nadu. So I would request the Government to take immediate action in this regard.

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the Government on the establishment of Divisional Post Office and Sorting Office at Koppal as well as construction of own buildings to Post Offices in my constituency.

Sir, in the year 1997-98, the Government of Karnataka declared seven new districts including Koppal. Now all the newly declared districts except Koppal are having their own Divisional Post Office and Sorting Office. Due to this, the people of Koppal are facing a lot of problems due to the long distance between Gadag and Koppal. Now Koppal is connected to Gadag Divisional Office for all administrative works. It is very difficult for the public and employees of Post Office to get the service from Gadag Divisional Office which is nearly at a distance of 100 kms.

Another issue is relating to the construction of own buildings for Post Offices in Karnataka, especially in Koppal district. There are 271 Post Offices in my constituency. Out of 271, only 11 Post Offices are having their own buildings and the remaining are functioning from rented buildings while the Government can construct their own buildings to avoid paying rent. Due to non construction of own buildings, the Department of Posts is paying a huge amount every month as rent for these buildings.

So, I would request the hon. Minister of Communications to look into the matter and do the needful to have a Divisional Post Office and Sorting Office at

Koppal by which people can do their work easily and avoid traveling a distance of 100 kms. I would also request the Minister to draw a plan by which all the Post Offices could be shifted to their own buildings thereby the Government of India can save a lot of money being paid as rent to these buildings now.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से झारखंड के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय को यहां शून्यकाल के माध्यम से उठाना चाहता हूं। जैसे आप जानते हैं, बिहार राज्य से 15 नवम्बर, 2000 को 81 विधान सभा के साथ झारखंड राज्य बनाया गया था। झारखंड की भौगोलिक संरचना एक पहाड़ी क्षेत्र की है। साथ ही जनसंख्या का घनत्व भी कम है और फैला हुआ है। विधान सभा क्षेत्र भी काफी फैला हुआ है जिससे इस पिछड़े राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 में संशोधन कर झारखंड विधान सभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 150 की जाएं। इस संबंध में झारखंड विधान सभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव दो बार केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य में विधान परिषद का भी प्रावधान था और है जिसमें झारखंड की सहभागिता थी। लेकिन अलग राज्य बनने से झारखंड में विधान परिषद नहीं बनाई गई है। झारखंड राज्य में कई ऐसे जिले हैं जिसमें सभी विधान सभा सीटें आरक्षित हैं। मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए झारखंड राज्य में विधान परिषद के गठन की आवश्यकता है जिससे समाज का समन्वित स्वरूप राज्य में प्रतिनिधित्व करते हुए दिखे और एक स्थायी राजनीतिक दिशा मिल सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री सुनील कुमार सिंह को श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Hon. Chairman, Sir, the great Swami Vivekananda said, “Give me 100 energetic young men, I shall transform India”. Dr. A.P.J. Abdul Kalam is destined to motivate, shape and guide crores and crores of youngsters to transform India. Dr. Kalam, who has inspired an entire generation to develop our nation, is a great visionary, scientist and humanist. Rameswaram connects India spiritually. Dr. Kalam connected Rameswaram and the nation scientifically and politically.

In remembrance of Dr. Abdul Kalam, our beloved leader hon. Tamil Nadu Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has declared Dr. Kalam's birthday to be celebrated in Tamil Nadu State as 'Youth Revival Day' owing to the former President's attachment to the youth. Hon. Chief Minister Amma announced a prize in the name of Dr. A.P.J. Kalam which includes eight gram gold medal and five lakh rupees in cash to be presented to persons who work with merit in the field of science, humanities and for welfare of the students from Tamil Nadu State, on Independence Day every year.

In remembrance of the great leader, I would request the Union Government to introduce a new modern super-fast daily train from Delhi to Rameswaram *via* Sivaganga in Tamil Nadu. The new train should be named as 'Dr. A.P.J. Abdul Kalam Super-fast Express' with concessional fare for students and a separate coach for the students with a library that has Dr. Kalam's biography, the books written by Dr. Kalam, the books written about Dr. Kalam by others and the books which are liked by Dr. Kalam.

Apart from a memorial in Rameswaram, a memorial must be made in the National Capital at No. 10, Rajaji Marg in his honour. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON : Shri Arvind Sawant, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Rahul Shewale, Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu, Shrimati V. Sathyabama, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri P.P. Chaudhary, Shri Arjun Ram Meghwal and Shrimati Kothapalli Geetha are permitted to associate with the issue raised by Shri P.R. Senthilnathan.

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : महोदय, मैं गोवंश आधारित कृषि के संवर्धन हेतु अपील करना चाहता हूं। क्या सरकार महंगी कृषि से आहत कृषकों के कल्याण हेतु मशीन व ट्रैक्टर आधारित कृषि से मुक्ति दिलाकर गोवंश आधारित कृषि के विस्तार पर ध्यान देगी? सरकार पिछले वर्षों में बंजर होती कृषि भूमि व डार्क जोन में बदलते क्षेत्र से मुक्ति पाने हेतु रसायनिक खादों के बजाए जैविक कृषि के विस्तार पर ध्यान देगी? क्या सरकार प्रतिवर्ष डीजल व विदेशी बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर अनावश्यक सब्सिडी दे रही है। क्या गोवंश के सदुपयोग से रसायनिक खाद व कीटनाशकों पर हो रहे व्यय को कम नहीं किया जा

सकता है? क्या देश में पिछले 10-12 वर्षों में 1 करोड़ कृषकों ने कृषि से नाता तोड़ा है, कई कृषकों ने आत्महत्या की है, ऐसी स्थिति में गोवंश उत्पाद (जैसे गोमूत्र से कीटनाशक, केंचुआ खाद, कम्पोस्ट, अमृतपानी, गोमूत्र अर्क टिकिया, मालिश तेल, मच्छर क्वाइल, फिनाइल, कागज जैसे वैज्ञानिक प्रमाणित 40-50 श्रेष्ठ उत्पाद) पर आधारित सहकारी संस्थाओं को 6 लाख गांवों में गठन कर रोजगार के अवसर नहीं बढ़ा सकती है? प्रदूषित अन्य व जल से मानव स्वास्थ्य पर दूषित प्रभाव पड़ रहा है ऐसी स्थिति में रोगप्रतिरोधक क्षमता ए-2प्रोटीन जो देशी गाय के उत्पाद में पाया जाता है उसके उत्पादन वृद्धि से स्वस्थ राष्ट्र के स्वप्न को नहीं बढ़ाया जा सकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर के कृषक प्रतिदिन 1 लाख लीटर दुध दिल्ली भेजते हैं, क्या उन्हें देशी नस्ल की गाय के दुध उत्पादन हेतु सब्सिडी योजना पर विचार करेंगे क्या? मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि स्वस्थ, सम्पन्न और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना गोवंश आधारित कृषि से ही संभव है मशीन आधारित कृषि से नहीं।

माननीय सभापति : श्री सी.आर.चौधरी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल और श्री भैंरो प्रसाद मिश्र को श्री सुधीर गुप्ता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में तीन ऐसे स्थानों के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो धामिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ से 45 किलोमीटर दूर नेशनल हाइवे - 27 पर 12वीं सदी के राजा पृथ्वी राज चौहान द्वारा ऐतिहासिक महत्व का एक मंदिर शिवालय जिसे वास्तु और शिल्पकला की वजह से मिनी खुजराहो के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक जलप्रपात के कारण देश और विदेश के पर्यटकों का वहां आना-जाना लगा रहता है।

19.00hrs

यह स्थल सघन वन क्षेत्र से हरा-भरा है। उसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बून्दी, रणथम्भौर व सरिस्का के पर्यटकों का भी यहां आना-जाना रहता है। 28 जून, 2015 को आकाशवाणी के मन के कार्यक्रम में पूरे देश से जनता द्वारा भिजवायी गयी दुर्लभ प्राकृतिक स्थानों में से माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा मैनाल जल प्रभात का स्मरण करना अपने आप में उस स्थान के महत्व को प्रकट करता है।

सभापति महोदय, मैं एक ऐसा स्थान मातृकुण्डिया के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेवाड का हरिद्वार कहलाता है। वह भगवान परशुराम की तपस्थली रही है। उस तप स्थली पर एक बहुत बड़ा जल कुण्ड है, जिसके कारण उसे मातृकुण्डिया का स्थान कहा गया है। प्रतापगढ़ जिले में अरनोद के पास एक गौतमेश्वर महादेव गुफा में बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ नहाने से ही पाप से

मुक्ति मिल जाती है। ये तीनों ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटक स्थल हैं और पुरातत्व विभाग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग इसके लिए एक विशेष पैकेज बनाकर बजट आवंटित करे। इससे निश्चित रूप से हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक, पुरातत्व और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को विकसित करने का काम होगा।

माननीय सभापति : श्री सी.आर. चौधरी को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : माननीय सभापति जी, आपने हमें बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हू। मैं एक अति लोक महत्व का विषय शून्य काल में उठाना चाहती हं। हमारे संसदीय क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ जनपद में पड़ता है। आजमगढ़ जनपद में व्याप्त गौहत्या व गौमांस की तस्करी का कारोबार उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के संरक्षण में धड़ल्ले से जारी है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि जनपद के थाना दीदारगंज के ग्राम दरियापुर में भारी मात्रा में गौमांस की बरामदगी है। पिछले माह गौवध के लिए ट्रकों में भरकर सरायमीर, कप्तानगंज, अतरौलिया और कंधरापुर में ले जा रही गायों की खेप का जनता द्वारा पकड़ा जाना और प्रशासन द्वारा गायों से लदी ट्रक को छोड़ देना और इस घृणित कार्य का विरोध करने वाली जनता को गंभीर धाराओं के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाना घोर निंदनीय है। मैं इस सदन के माध्यम से इस घृणित मामले और उत्तर प्रदेश शासन-प्रशासन की घोर निंदा करती हूं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि दरियापुर की घटना में लिप्त मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाये और कानून बनाकर पूरे देश में गौहत्या पर रोक लगायी जाये तथा गौ संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाये जायें। सरकारी खर्च से देश के सभी जिले मुख्यालयों में गौशाला की स्थापना की जाये। इसके साथ मैं यह भी मांग करना चाहती हूं कि जो वाहन इस गौमांस के साथ पकड़ा जाये, उस वाहन का लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाये।

सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री अजय मिश्रा टेनी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री सी.पी. जोशी, श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवाले, श्री राम मोहन नायडु किंजरापु को श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में तरह-तरह के बदलाव देखने में आ रहे हैं। बाढ़, सूखा, भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटना और चक्रवात आदि की घटनाओं

से पूरा देश परेशान है। अभी वर्तमान में देश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं कई राज्यों में अल्प वर्षा या वर्षा हुई ही नहीं है। इस कारण किसानों के समक्ष बहुत गंभीर संकट खड़ा हो गया है। किसानों के साथ-साथ खेती के काम में लगे हुए मजदूरों के सामने भी मजदूरी, रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।

सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों जैसे उज्जैन, रतलाम और झाबुआ में बहुत भीषण बारिश हुई। अभी पिछले दिनों उज्जैन के बारे में समाचार आये थे कि वहां पर सिंहस्थ होने जा रहा है। वहां सारे मंदिर डूब गये हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और बुन्देलखंड के लगभग 19 संभाग सूखे की चपेट में हैं। वहां सामान्य से कम बारिश हुई है। गुजरात में अति वर्षा से दस शेर और 90 चीतलों की जान गयी। वहीं राजस्थान में भी लगभग 80 मौतें अति वर्षा से हुईं। मणिपुर में भी 30 लोगों की मृत्यु हुई। नागालैंड में भी काफी जनधन की हानि हुई। मध्य प्रदेश में 37 लोग बाढ़ के कारण मरे और 70 जानवर बाढ़ की चपेट में आये। इसके साथ-साथ पश्चिम बंगाल में 50 लोगों की मौत अति वर्षा से हुई है। ओडिशा में भी बड़ी संख्या में लोग कालगर्भित हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे देश में इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जहां किसानों ने बोनी कर दी थी, वहां पर पानी नहीं गिरा, तो उनकी फसलें खराब हो गयीं। जहां पर बोनी करने के बाद अति वर्षा हो गयी, वहां पर भी उनकी फसलें नष्ट हो गयी हैं। जहां अति वर्षा से नुकसान हुआ है या जहां अल्प वर्षा होने के कारण पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया है, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से अनुरोध करना चाहता हें कि केंद्र सरकार ऐसे सभी राज्यों का सर्वे कराकर किसानों को राहत देने के लिए बीज, खाद, चारे, डीजल में सब्सिडी देने की कार्य योजना बनाए। मेरा यह भी कहना है कि जहां पेयजल का संकट है, वहां परिवहन के माध्यम से पेयजल की सुनिश्चित व्यवस्था कराने के लिए कदम उठाए जाएं।

माननीय सभापति : श्री पी.पी. चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री अजय मिश्र तेनी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : माननीय सभापति जी, मैं इस विषय को पहले भी सदन में रख चुका हूं और आज फिर रख रहा हूं। देश में भारतीय संविधान धारा 340 के अनुसार पिछड़े वर्ग को आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक अधिकार है। मंडल आयोग के अनुसार ओबीसी 27 प्रतिशत का हकदार है। देश में 27 प्रतिशत आरक्षण होने के बावजूद भी ओबीसी के लिए 19 फीसदी आरक्षण देने का सरकारी रिकॉर्ड है।

इससे ओबीसी समाज को पूरी तरह आरक्षण का लाभ नहीं देने की बात सामने आई है। इन पर शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश, डेमिसाईल, क्रीमीलेयर आदि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में पर्याप्त आरक्षण एवं सुविधा ने देने के कारण अन्याय हो रहा है। गत छः वर्ष से महाराष्ट्र में विद्यार्थियों को शिक्षावृत्ति अनुदान राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके परिणामस्वरूप कई विद्यार्थियों को शैक्षणिक क्षेत्र में नुकसान हुआ है, भविष्य खराब हुआ है। सरकारी नौकरी में पदोन्नति संबंधी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र में गड़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी समाज को सिर्फ छः परसेंट आरक्षण दिया जाता है। इस तरह देश के कई राज्यों ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है। वर्ष 1921 से अभी तक ओबीसी समाज की जातीय जनगणना नहीं हुई है।

2011 में देश में जातीय जनगणना हुई थी, सरकार को इसे बारे में घोषणा करनी चाहिए। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि देश में ओबीसी समाज के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिए।

माननीय सभापति : श्री प्रहलाद सिंह पटेल को श्री नाना पटोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 एवं राष्ट्रीय राजमार्गज- 6 के बहरागाड़ा से जमसोला ओडिशा सीमा तक के जर्जर हालत एवं दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 जिसे झारखंड की जीवनरेखा माना जाता है, एक लम्बे अरसे से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यह मार्ग जगह-जगह पर गड्ढों में तब्दील हो चुका है। कई लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। इस मार्ग पर एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक वर्ष 50 से 60 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। रांची से बहरागोड़ा तक लगभग 200 किलोमीटर सड़क पर गड्ढे जगह-जगह पर दुर्घटनाओं को आमांत्रण देते रहते हैं। बारिश की वजह से स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि जहां-तहां जाम लग जाता है और 12 से 14 घंटे तक जाम लगा रहता है। यह मार्ग झारखंड को पश्चिम बंगाल और ओडिशा से जोड़ता है तथा खूंटी, रांची और जमशेदपुर तीन संसदीय क्षेत्रों में विस्तारित है। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर बदहाली के कारण विकास योजनाएं भी बाधित हो रही हैं जिसके कारण अक्सर कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। इस राजमार्ग को दो से चार लेन में बदलने हेतु स्वीकृति मिली है जिसके तहत रांची से मोहली तक 112 किलोमीटर की लंबाई का कार्य एक कंपनी को दिया गया है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां कार्य की प्रगति काफी धीमी है, वहीं दूसरी ओर किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। इसी तरह मोहली से बहरागोड़ा होते हुए खड़गपुर तक

लगभग 80 किलोमीटर की लंबाई का कार्य जिस कंपनी को दिया गया है, वह कंपनी काम बंद करके चली गई है। इस कारण तीनों राज्यों के लोगों को यातायात हेतु काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे आग्रह पर राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 पर हो रही दुर्घटनाओं से मौत का शिकार हो रहे लोगों के हित को ध्यान में रखकर हाइवे पर त्वरित चिकित्सा सुविधा सेवा हेतु रांची से मोहली तक एंबुलेंस सेवा का प्रारंभ किया है जिससे लोगों में हर्ष का माहौल है। मेरा निवेदन है कि अब उक्त सेवा को मोहली से बढ़ाकर बहरगोड़ा तक किया जाए।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 को चार लेन मार्ग बनाने की प्रक्रिया के कार्य में तेजी लाई जाए तथा यथाशीघ्र जनहित में मोहली से बहरागोड़ा तक अविलम्ब जीर्णोद्धार किया जाए। मोहली से बहरागोड़ा होते हुए खड़गपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 की लगभग 80. किलोमीटर की लंबाई के कार्य की निविदा जल्द से जल्द की जाए एवं राष्ट्रीय राजमार्ग - 33 पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से मौत का शिकार हो रहे लोगों के हित को ध्यान में रखकर हाइवे पर त्वरित चिकित्सा सुविधा हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था रांची से मोहली से बढ़ाकर बहरागोड़ा तक की जाए।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Hon. Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance concerning children.

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act was made by this Parliament on 4th August, incidentally the same day, in 2009. But it has not been implemented properly. It had come into force from 1st April. The Government has emphasis on providing education and promoting cent per cent literacy in the country. We are entering a young India and the present children are the future citizens of this country. In this particular situation, I would like to draw the attention of this august House regarding the facilities that are provided to the children in the welfare hostels in the rural areas.

Children are suffering because of lack of infrastructure. They do not have proper food to eat. We are talking about healthy mind in healthy body but the problem is that the children are being given substandard food. The food supplied to them is not being monitored at all. Not only that, they are not given nutritious food. The children are lying on the bare floor without beds in my Constituency.

In the rural India, this problem is being faced in so many schools and welfare hostels.

Not only that, Sir, the schools and hostels are very far away; and the children are walking from the school to the hostel. In many areas, people are making the children to work like labourers. Children are not being given healthy atmosphere to study. All these problems have been persisting in all the welfare hostels. We have been visiting welfare hostels and such is the situation there. Though there is a Diet Chart but it is not being followed by the management of the schools. There is no proper monitoring also. Though the Member of Parliament is the Chairman of the Vigilance and Monitoring Committee of a particular District and is submitting reports to the Government, yet no action is being initiated against these wardens.

There are so many schemes that the Central Government has come up with for the children but these schemes are not being implemented in the right spirit. I would, therefore, request the hon. Minister for Social Justice as well as the HRD Minister to intervene and pass such laws as may be right to provide good education for the children. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairo Singh Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kothapalli Geetha.

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

पारिवारिक एक लाख रुपये की आय वाले विद्यार्थियों के लिए केन्द्र शासन से राज्य शासन को 100 फीसदी स्कॉलरशिप मिलती है परंतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने विद्यार्थियों को केवल पचास प्रतिशत राशि ही वितरित की जाती है। पचास प्रतिशत स्कॉलरशिप की रकम कहां खर्च होती है, इस बारे में केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से ब्यौरा लेना चाहिए। वर्ष 2002 से लेकर 2014 तक राज्य सरकार ने करीब 74 लाख विद्यार्थियों के लिए 63 करोड़ 1 लाख 80 हजार 893 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की है परंतु शेष 60 करोड़ रुपये की जो केन्द्र सरकार से राज्य शासन को रकम प्राप्त हुई, उस रकम का क्या हुआ? यह बची हुई पचास प्रतिशत रकम जो कहीं अन्य काम के लिए खर्च की जाती है, उसका ब्यौरा राज्य शासन से

लेना जरूरी है। सरकार को यह ब्यौरा राज्य सरकार से लेना चाहिए। केन्द्र से राज्य सरकार को मिलने वाली स्कॉलरशिप की रकम न मिलने से कम स्कॉलरशिप के कारण लाखों गरीब विद्यार्थियों को भारी नुकसान हो रहा है। चालू शैक्षणिक सत्र में 2015 में स्कॉलरशिप नहीं मिलने से लाखों गरीब विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा देनी भी मुश्किल लग रही है। इन विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में रखने का काम राज्य सरकार द्वारा होता है। मेरी सरकार से विनती है कि केन्द्र और राज्य सरकार के विवादों में लाखों गरीब विद्यार्थियों का नुकसान न होने पाए, इसका ध्यान सरकार रखे और उनका भविष्य बर्बाद होने से बचाए। तत्काल प्रभाव से स्कॉलरशिप का वितरण गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए जिससे विद्यार्थी 2015 की अंतिम परीक्षा दे सकें। धन्यवाद।

श्री राजन विचारे (ठाणे) : सभापति जी, मैं सदन का ध्यान बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसका संबंध मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे से है। कल आधी रात को करीब सवा दो बजे मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे के डी-केबिन परिसर में कृष्णा निवास अपार्टमेंट की तीन मंजिल इमारत गिर गई। इस भयंकर दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई एवं लगभग सात लोगों के घायल होने की जानकारी है। मृतकों में छह पुरुष और छह महिलाएं हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे शहर में जर्जर इमारतों की संख्या 2697 है और मेरे मीरा भायेन्द्र में जर्जर इमारतों की संख्या 16 है और नवी मुम्बई में जर्जर इमारतों की संख्या 92 है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए आदेश हो चुका है लेकिन अभी तक इस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है जिसके कारण सैकड़ों लोग इन जर्जर इमारतों में रहने के लिए मजबूर हैं।

मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दे कि महाराष्ट्र सरकार ने जो जर्जर इमारतों के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना मंजूर की है, उस योजना को तुरंत लागू करे और इस घटना में मारे गए लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए मुआवजा दे।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र अम्बाला में रेलवे कनेक्टिविटी की तरफ दिलाना चाहता हूं। यद्यपि भारत सरकार ने अम्बाला रेलवे स्टेशन को ए-1 और यमुना नगर रेलवे स्टेशन को ए-क्लास बनाने का निर्णय किया है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का पूर्वी हिस्सा मेरे लोकसभा क्षेत्र पंचकुला में आता है। वहां 700 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। वहां रेलवे यात्री निवास बनाया जा सकता है। वहां बिजनेस काम्प्लेक्स खोला जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि उसे इस्तेमाल में लाया जाए।

इसके साथ हमारी एक बहुत पुरानी मांग यमुना नगर से चंडीगढ़ रेलवे लाइन की है। पिछले कई सालों के बजट सत्र में उसका जिक्र हुआ लेकिन उसके लिए पैसे की अलाटमेंट आज तक नहीं हुई है। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से भी इस बारे में कई बार बात की है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हरियाणा को मिलकर कमेटी बनाई है, जो इस बारे में विचार करे। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुरंत इस विषय पर निर्णय लिया जाए। इसके अतिरिक्त पंचकुला के सैक्टर 19 में एक अंडर ब्रिज बनाने का मामला है। अम्बाला रेलवे रोड पर अंडर ब्रिज बनाने का मामला है। रदौर रोड पर अंडर ब्रिज बनाने का मामला है। मुस्ताबाद में ओवर ब्रिज बनाने का मामला है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जन हित में इन सभी अंडर ब्रिजिज और ओवर ब्रिजिज को बनाया जाए ताकि जनता को सहूलतें प्रदान की जा सकें।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Sir, most of the domestic workers are illiterate and they come from backward areas. Among them, a good number of them are migrants. Many of them are trafficked and sold and they end up as bonded labourers. Their work is undervalued, underpaid and poorly regulated. Lack of decent wages and working conditions, defined work time, false promise, abuse and sexual harassment at work place are some of their major issues.

The Government has to provide social security to the unorganized workers, including domestic workers as per the Unorganized Workers' Social Security Act, 2008. It, however, neither regulates their work nor protects them from abuse and exploitation. The 100th International Labour Conference adopted a convention supplemented by a recommendation on decent work for domestic workers on 16th June, 2011. Most of the countries, including India voted in favour of the convention. It affirms that they must have some basic labour rights that are available to other workers.

Sir, I appeal to the Government through this august House to protect their rights through a comprehensive national legislation for domestic workers. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri K. Ashok Kumar.

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसी लोक मांग के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो अब एक राष्ट्रीय गूंज बन चुकी है।

इतिहास में कभी भी क्रूरता को जगह नहीं मिली और भविष्य में कभी उसे याद भी नहीं किया जा सकता है। वहीं पर उदारता को याद किया जा सकता है। अभी अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम जी का निधन हुआ, जब वे स्वर्गस्थ हुए, तो पूरा राष्ट्र शोक-मग्न था। मैंने स्वयं देखा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन्हें सलामी देकर श्रद्धांजलि दी थी। करोड़ों युवा आज उन्हें आदर्श मानते हैं। लेकिन, इसी दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, यहीं पर एक रोड है, जो औरंगज़ेब रोड के नाम से जाना जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि औरंगज़ेब जो एक शासक था, उसकी क्रूरता का उदाहरण इतिहास में है। ऐसे क्रूर शासक के नाम पर भारत में औरंगज़ेब रोड है। इतिहास में जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को भविष्य में सुधारने का यही अवसर है।

मैं यह मांग करता हूँ, हमारे मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी यहाँ पर हैं, यह उनके विभाग के अंतर्गत आता है। मैंने उन्हें भी पत्र दिया है। मैंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को भी पत्र दिया है। मीडिया और सोशल मीडिया के लाखों लोगों ने मेरी इस मांग का समर्थन किया है। संसद के कई मित्रों ने समर्थन किया है। मैं यह मांग करना चाहता हूँ कि आने वाले 15 अगस्त, राष्ट्रीय पर्व के दिन उस औरंगज़ेब रोड को डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड के नाम से घोषित किया जाए और उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए। यह मेरा आग्रह है।

माननीय सभापति : सर्वश्री अरविन्द सावंत, राजन विचारे, श्रीरंग आप्पा बारणे, राहुल शेवाले, राम मोहन नायडू किंजरापु, एम. मुरली मोहन, निशिकांत दुबे, प्रह्लाद सिंह पटेल, भानुप्रताप सिंह वर्मा, पी.पी. चौधरी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, सुधीर गुप्ता, अजय मिश्रा टेनी, अर्जुन राम मेघवाल, भैंरो प्रसाद मिश्र तथा सुनील कुमार सिंह को श्री महेश गिरी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विष्णुपद राय- उपस्थित नहीं।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र संभाजीनगर, महाराष्ट्र में लगभग 107 एकड़ में फैला भारतीय खेल प्राधिकरण(एसएआई) का हरा-भरा परिसर है। यह परिसर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने 99 वर्ष के लीज़ पर दिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के इस खेल परिसर में बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और बहुत-सी अन्य सुविधाओं को निकट भविष्य में शुरू किया जा सकता है।

पिछले दो वर्षों से मैं संभाजीनगर, महाराष्ट्र के भारतीय खेल प्राधिकरण को क्षेत्रीय केन्द्र (रीजनल सेंटर) का दर्जा देने की मांग कर रहा हूँ1 परन्तु आज तक मेरी यह मांग पूरी नहीं हुई है1 इस केन्द्र को अभी उप-केन्द्र का दर्जा प्राप्त है और इसे पश्चिमी क्षेत्र के ट्रेनिंग सेंटर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से मेरी मांग है कि संभाजीनगर, महाराष्ट्र में भारतीय खेल प्राधिकरण को क्षेत्रीय केन्द्र (रीजनल सेंटर) का दर्जा तुरंत दिया जाए। इसके साथ ही साथ इस केन्द्र में आवश्यक खेल सुविधाएँ जैसे सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी सरफेस, इंडोर शूटिंग रेंज और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का निर्माण तुरंत किया जाए एवं इसके लिए आवश्यक बजट जारी किया जाए। इस प्रकार की खेल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त केन्द्र अब मिल पाना मुश्किल है। 25 फरवरी, 2015 को संभाजीनगर में ही भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय केन्द्र बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को लिखित रूप से पत्र के माध्यम से सिफारिश किया है।

अतः संभाजीनगर में भारतीय खेल प्राधिकरण की 107 एकड़ जमीन, हरा-भरा क्षेत्र, यहाँ की सुविधाएं और विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए तुरंत इसे क्षेत्रीय केन्द्र घोषित किया जाए, मैं ऐसी मांग करता हूँ।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा जनहित में कई ऐतिहासिक योजनाएँ शुरू की गयी हैं, जिनका देश के प्रत्येक नागरिक द्वारा खुले मन से स्वागत किया गया है। बैंक खाते खुलवाना हो, बीमा बचत, पेंशन की योजना हो, कौशल विकास की योजना हो या डिजीटल भारत योजना हो, देश के हर व्यक्ति के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कोई न कोई योजना के माध्यम से देश के गरीब से गरीब को मुख्य धारा में शामिल किये जाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन, धरातल पर उन योजनाओं की सफलता आज हम सब के सामने है। योजनओं का पूर्णतः सफल होना, योजना का लाभ केवल लाभार्थियों तक पहुंचाने पर ही निर्भर करता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका योजना की जानकारी पहुंचाने की है।

सरकारें इस विषय पर सैकड़ों-करोड़ों रुपये की धनराशि खर्च करती आ रही हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सरकार की योजना का विवरण संबंधित शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल किया जाए जिससे छात्र-छात्राओं को उनके विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा इन सभी योजनाओं के उद्देश्य, लक्ष्य आदि के बारे में अध्ययन कराया जाए, तो निःसन्देह इन योजनाओं की पहुंच आसानी से देश के हर घर में हो जाएगी। प्रत्येक घर मैं मौखिक जानकारी और लिखित जानकारी पहुंचाने का यह एकमात्र सुलभ रास्ता है, जिसमें देश के गरीबों को उन योजनाओं का फायदा पिछले 65 वर्षों तक नहीं मिला है, उनको फायदा

मिलना शुरू होगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं को लागू किया है, उन योजनाओं का टारगेट था कि वे घर-घर तक पहुंचे और इसी वजह से इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अतः सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सरकारी योजनाओं को समावेश शैक्षणिक पाठ्यक्रम में विशेष विषय के रूप में किए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई दक्षिण-मध्य में सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र धारावी है। वैसे धारावी स्लम क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं बनाईं, कुछ पर कार्य भी हुआ, परन्तु यदि मुंबई के धारावी स्लम क्षेत्र को केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत लाया जाए तो इस स्लम क्षेत्र का विकास अच्छे से हो सकेगा। मेरा सुझाव है कि धारावी डेवलपमेंट अथारिटी को स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत लाया जाए, जिससे धारावी के विशाल स्लम क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित किया जा सके। धारावी के निवासियों के लिए इस योजना के तहत पुनर्वासन के लिए बहुमंजिली इमारतें बनाकर मकान उपलब्ध कराए जाएं। इस तरह से मुंबई के सबसे बड़े और पुराने स्लम को एक नई विकसित वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप किया जा सकेगा।

अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि धारावी डेवपलमेंट अथारिटी को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लाकर मुंबई धारावी स्लम क्षेत्र का समुचित विकास किया जाए और इस विशाल क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने पर कार्य किया जाए। धारावी को एक नया रूप और नई पहचान केन्द्र सरकार के माध्यम से देनी चाहिए। धारावी रिडेवलपमेंट अथारिटी के माध्यम से ग्लोबल टेंडर निकालने वाले हैं। अगर ये ग्लोबल टेंडर स्मार्ट सिटी के नाम से निकालेंगे तो निश्चित रूप से हम धारावी को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकते हैं और धारावी को एक नई पहचान देते हुए, पूरे विश्व में धारावी का नाम कर सकते हैं।

माननीय सभापति : श्री अरविंद सावंत और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Mr. Chairman, Sir, I want to raise an important issue in the ‘Zero Hour’. We do not have specific standards for diagnostics in the country. Values change from lab to lab. Almost every hospital in India has its own lab. Doctors want the patients to get the tests done in their labs

only. There is a big question mark over the standards of those labs. The poor people are losing their money and, sometimes, their valuable lives due to inconsistent reports being delivered by those standard-less labs. Diagnostic services have become a big business not only to the corporate hospitals, but also to the small private practitioners.

It is high time that we frame rules of ethics for doctors and clinical laboratories in the form of an Act to be administered by respective State Governments under the overall control of MCI and CVC.

Standards of labs in Government hospitals are also not up to the mark. We are investing huge money for purchasing diagnostic machinery, but we are neglecting their maintenance in Government hospitals. Let us outsource lab services in Government hospitals to the best and reputed diagnostic labs. The standards should be prescribed at the country level. The cost of such services should be controlled and made available at lowest possible prices under the corporate social responsibility. This will help our poor people to protect their lives as well as their hard earned money. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Shri Nishikant Dubey is permitted to associate with the issue raised by Shri Thota Narasimham.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, there are 25 extra speakers. If each one of them speaks for only one minute, then we will allow all of them to speak.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, the House will have to be adjourned by eight o'clock because we have other programmes to attend to. Keeping that in mind, the Chair may decide whatever it wants to decide.

HON. CHAIRPERSON: We will close it by eight o'clock.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति जी, मैं यह मामला पूर्व में भी उठाना चाहती थी, लेकिन कारणवश यह अधूरा रह गया था इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे इस मामले को यहां उठाने के लिए कृपया

दो मिनट का समय दें। मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम, मल्लावा के ग्राम बीकापुर, ब्लाक मल्लावा की ओर दिलाना चाहूंगी। बीकापुर में करीब 24 साल पहले एक निजी कम्पनी ने चीनी मिल लगाने के नाम पर 284 किसानों की 300 बीघा जमीन अधिग्रहीत कर ली थी। इस जमीन पर न तो अभी तक मिल लगी है और न ही इन किसानों को कोई मुआवजा मिला है। जिला प्रशासन भी इस मुद्दे पर चुप है। करीब तीन साल पहले किसानों ने हंगामा किया तो मिल प्रबंधन ने जमीन पर कुछ सामान रखवा दिया। जब विरोध थमा तो सामान सहित गार्ड भी गायब हो गए। ये किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बीकापुर में 1991 में पेट्रान शूगर लिमिटेड का बोर्ड लगा दिया और किसानों को सपना दिखाया गया कि यहां चीनी मिल लगने से सैंकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन न तो वहां लोगों को रोजगार मिला और न वहां चीनी मिल स्थापित हुई। आएदिन वहां के किसान धरने पर बैठ रहे हैं, वे जिला पर भी बैठते हैं और ब्लाकवाइज भी बैठते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि जो जमीन बीकापुर, बरौना, बारापुर, राघौरामपुर और नवादा गांव के किसानों से ली गई है, उस पर वह संज्ञान ले। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी, उन्हें वर्तमान मूल्य पर उचित मुआवजा दिया जाए तथा अधिग्रहीत जमीन पर मिल स्थापित कराकर वहां रोजगार मुहैया कराया जाए। वहां का किसान जो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वह भुखमरी की हालत है, अपनी जिंदगी को फिर पटरी पर ला सके।

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Hon. Chairman, Sir, there is a quote inscribed in English in the North Block and in Persian in the South Block which says:

> "Liberty shall not descend to people; people must raise themselves to liberty. It is a blessing that must be earned before it can be enjoyed. "

India attained freedom from the British in the year 1947. But it is quite unfortunate that the imprints of the colonial legacies still exist in the form of certain names of certain roads in the National Capital of Delhi like Minto Road, Hailey Road and Chelmsford Road. An independent nation has no compulsion to continue with such names which reflect colonial legacy. Hence, I would urge the Government that these names are changed and the roads are re-named after the freedom fighters of India.

HON. CHAIRPERSON: Shri Arvind Sawant, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Rahul Shewale, Shri Ram Mohan Naidu, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Anupriya Patel.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Chairman, Sir, it so happens that I am here in the capacity of a Member of Parliament from New Delhi. Two of my friends, both Shri Mahesh Giri and Shrimati Anupriya ji have raised a very valid point. These issues have been pending before the NDMC since 2014. I have already written in the year 2014 and in May 2015 there was a blackening which happened of Aurangzeb Road. I had already written. I assure both my friends यह पुराने मसले हैं जो 2014 और 2015 में कौंसिल की मीटिंग में लिए गए हैं। इसके बावजूद आप दोनों का जो आग्रह आया है, मैं एनडीएमसी कौंसिल को अवगत कराऊंगी। मैं पूर्व में इसकी चेयरमेन थी। मैं आपको एश्योर कराती हूं कि जो मसले पहले मैं उठा चुकी हूं और आपकी भी स्वीकृति है, तो हम इस पर काम करेंगे। लेकिन आज जिस मसले को लेकर मैं सदन के सामने आई हूं, वह मसला है कि बाहर कई तरह के नारे लग रहे हैं। कोई कहता है कि मर्डर आफ डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि मर्डर आफ डेमोक्रेसी इस ऑगस्त हाउस का हुआ, जब डिसकशन, डिबेट और डिसेंट जैसी परम्पराओं को छोड़कर लोग प्राइवेट टीवी चैनल्स पर आकर बोलने लगे। जब से टीवी चैनल्स ने इस सदन को कवर करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने पैम्फलेटबाजी और तरह-तरह के जो पोस्टर्स हैं, उनका चलन सदन में शुरू किया। मेरा यह मानना है कि अगर देश का, लोकतंत्र का सर्वोच्च सदन, जो कि यह संसद है, इस संसद का इस्तेमाल अपने विषयों और मुद्दों को उठाने के लिए होना चाहिए। जो मुद्दे हम यहां उठाते हैं, वे टीवी चैनल्स पर चलने चाहिए, न कि इसके विपरीत अवरोध हो।

We have seen the frequent disruptions which this House has undergone. People have elected us and have given us a duty and a responsibility. The duty and the responsibility means we are accountable to the people of this nation. As per some reports, something like Rs.81 crore has been the loss to the exchequer, something like Rs.145 and odd crore was lost in 2013. I think this is not the way. Our answerability is to the people of this nation. It is high time we take a vow to abide by the rule book. The rule book also has been made by this House and this

House has to abide by the rule book. When people are criticising the suspension of certain Members of Parliament, I can only say that the Speaker has exercised utmost restraint in executing this particular methodology. Finally her patience was getting tested and under the rule book she has taken the particular recourse which has been taken in the past. I only want this House to welcome this and we should take a pledge that we will not disrupt the proceedings.

HON. CHAIRPERSON : Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Nishikant Dubey, Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Meenakshi Lekhi.

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : महोदय, माहवार और राज्यवार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करके तथा एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली कहा जाता है, राज्य संस्थानिक एजेंसियों जैसे मार्कफेड आदि माध्यम से रेलवे रैक इंडेंट देकर आपूर्ति को कारगर बनाया है। उर्वरक प्रेषित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। एफसीओ राज्य सरकारों को तर्कसंगत कीमतों पर अपने-अपने राज्यों में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की शक्ति प्रदान करता है। उर्वरक की समय पर उपलब्धता के लिए जनपद लखीमपुर खीरी के मैगलगंज में रेलवे रैक उतारी जाए, जिससे समय पर खाद उपलब्ध होने का प्रभाव उत्पादन पर व किसान की आमदनी पर प्रभाव पड़ेगा। कीटनाशक रसायनों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है तथा उर्वरक सब्सिडी का सीधा लाभ किसानों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण द्वारा देने की व्यवस्था की जाए। इन प्रयत्नों से किसानों को सीधा लाभ प्राप्त होगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदय, आठवीं बार नोटिस देने के बाद आज मुझे बोलने का मौका मिला है।

महोदय, मैं मणिपुर के एक संवेदनशील मामले को सदन में उठाना चाहता हूं। 8 जुलाई से एक छात्र का मृत शरीर वहां रखा है, जिसकी अंत्येष्टि नहीं हो सकी है। उसका दुष्परिणाम यह है कि 8 जुलाई से 14 जुलाई तक दिन और रात का कर्फ्यू रहा है। रात में सरकार का कर्फ्यू रहता है और दिन में हड़ताल का कफ्यू रहता है। यह बात मैं सदन को इसलिए बताना चाहता हूं कि जब किसी की टीआरपी नहीं होती है तो शायद उस राज्य की चिंता नहीं होती है। वहां बाढ़ भी आयी है। उसके कारण कुछ और हो सकते हैं। मैं सरकार का ध्यान सिर्फ इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्याहरवीं का छात्र रॉबिनहुड सिंह की मौत एक मामूली सी मांग के पीछे होती है। यदि किसी का सस्पैंशन होना चाहिए तो वहां की राज्य सरकार जो इतना भी काम नहीं कर सकती है और पूरे राज्य को आफत में, आग में झौंक देना चाहती है। उस राज्य के आधे हिस्से में प्रकृति के तांडव के कारण बाढ़ है और तीस लोग मर चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां जाकर काम करना चाहती है, लेकिन माणिपुर की सरकार कुछ करने के लिए तैयार

नहीं है। मैं इसके पीछे सिर्फ एक कारण देखता हूं कि वहां जो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, वे दब जाएं। इसलिए चाहे राज्य जल जाए और मैंने पहली बार देखा कि वहां के वकील और वहां के आम लोग, पॉलीटिकल पार्टियां नहीं बोल पा रही हैं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इस पर तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उस बच्चे का मृत शरीर जो रखा है, उसे उसके मां-बाप लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उसकी अंत्येष्टि करा कर उस राज्य की शांति बहाल करनी चाहिए।

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): Sir, I am thankful to our beloved Tamil Nadu Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma.

Tiruppur is the hub for knitted and hosiery textiles and is a major exporter in the world market. A large quantity of global blends of T-shirts and knitwear are exported from here and most of these are made by small traders fetching huge revenue to the Union Government. These traders are used to book small parcels from Tiruppur to various parts of the country.

Railways have now reduced the duration of train stoppage from five minutes to two minutes at Tiruppur and as a result they are not accepting the parcel booking for transportation. Small traders do not have the financial strength to transport their parcels to other stations by other means which adds substantial cost to their produce. The move of the Railways will increase the cost of Tiruppur manufacturers and put them at a great disadvantage in the competitive world market.

Therefore, I humbly request the hon. Minister of Railways to increase duration of train stoppages to five minutes at Tiruppur or Special Parcel Trains may be operated at frequent intervals from Tiruppur in order to facilitate the local manufacturers.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिला जो हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां गिरिडीह-कोडरमा रेललाइन 12 बरस से अधूरी पड़ी हुई है। इस विषय के बारे में हम कई बार मंत्री जी से मिले हैं, लेकिन सब लोगों के द्वारा यह आश्वासन मिलता गया कि बहुत जल्दी यह पूरा किया जायेगा और जिसके कारण कोडरमा-हजारीबाग रेल लाइन का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है, हालांकि वह चालू हो चुकी है।

मेरा रेल मंत्रालय से दूसरा निवेदन है कि आठ वर्ष पहले हावड़ा-दानापुर रेलगाड़ी में हावड़ा और पटना के लिए कोच लगती थीं, अब उन दोनों कोच को हटा दिया गया और उन्हें आनन्द विहार जाने वाली ट्रेन में लगा दिया गया, जो आठ-आठ घंटे लेट चलती है। इस विषय के बारे में भी हम लोग आठ वर्ष से मंत्री जी से कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है।

इसके साथ-साथ गोमो स्टेशन, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रेल स्टेशन है, वहां एक साल पहले आरओबी के लिए शिलान्यास हुआ था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब इस पर कार्रवाई की जाए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रवासी भारतीयों की कुछ मुश्किलें हैं, जिन्हें मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय और विदेशी मामलों के मंत्रालय के सामने रखना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों कनाडा और यूएसए गया था। वहां हजारों लोग ऐसे हैं, जिन्हें हमारी ऐम्बेसी की ओर से पासपोर्ट्स इश्यु नहीं हो रहे हैं। आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि वहां माननीय प्रधान मंत्री जी गये थे, उन्होंने वहीं पर बहुत सारी मुश्किलों का समाधान ढूंढा और उन्हें हल किया। किंतु बहुत सारी मुश्किल ऐसी थीं, जिनका समाधान करने का उन्होंने वायदा किया था। यह पासपोर्ट का मामला है, जिसके बारे में लोग जानते हैं कि बहुत से लोग इल्लीगल मीन्स से वहां जाते हैं और वहां एक कानून है कि जिसके पास पासपोर्ट नहीं होता है, उसे वे पोलिटिकल शरण दे देते हैं, जिसे राष्ट्रीय शरण कहते हैं। उन लोगों को राष्ट्रीय शरण तो मिल गई है, लेकिन वे अब अपने देश में अपने बच्चों के पास आना चाहते हैं, यहां इनवैस्टमैन्ट करना चाहते हैं। परंतु हमारी भारत सरकार का कानून उन्हें आने नहीं देता है। जबकि उनके विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं हैं।

इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि उन लोगों के पासपोर्ट जारी करने के लिए भारत सरकार कानून में अमैंडमैन्ट करें, ताकि वे अपने परिवार और अपने बच्चों के पास आ सकें और यहां निवेश भी कर सके।

इसके अलावा जो कांसुलेट जनरल के आफिसेज हैं, वे विदेशों में बहुत दूर-दूर हैं। जैसे एल.ए. के लोग हैं, उन्हें हजारों मील दूर स्थित दफ्तर में जाना पड़ता है। इसी तरह से डेनबर्ग के लोगों को 1500 मील दूर स्थित कांसुलेट जनरल के आफिस में जाना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है कि वहां सब-ऑफिस बनाये जाएं, जिससे कि वे अपनी समस्या का हल ढूंढ सकें।

इसके अलावा कुछ लोगों की ब्लैक लिस्ट बनी हुई है, लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं है, इसलिए ब्लैक लिस्ट खत्म होनी चाहिए। जिनके ऊपर एक भी केस नहीं हैं, उनकी ब्लैक लिस्ट खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को वहां से अपने देश में वापस नहीं आने दिया जा रहा है। इसलिए ब्लैक लिस्ट को तुरंत खत्म किया जाए। धन्यवाद।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गंभीर प्रकरण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तराखंड जैसी देवभूमि में एक ऐसा स्टिंग आपरेशन सामने आया है, जिसने न केवल देवभूमि को शर्मसार किया है, बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की गरिमा को भी गिराया है। मुख्य मंत्री के सचिव उस स्टिंग आपरेशन में पकड़े गये हैं, जिसमें शराब के कारोबारियों के साथ बीस करोड़ रुपये के लेनदेन के दौरान कहा गया कि मुख्य मंत्री, जिनसे बात होने के बाद यह लेनदेन दिल्ली में होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि आज तक उस सीडी के सामने आने के बाद भी न तो मुख्य मंत्री, उत्तराखंड, श्री हरीश रावत ने इस्तीफा दिया है और न ही वह सचिव, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, सीनियर आईएएस है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और न मुकदमा दर्ज हुआ है। यह बहुत गंभीर विषय है। जब वर्तमान सी.एम. यहां पर कैबिनेट मंत्री थे, गुजरात कैडर का वह अधिकारी दिल्ली में लाया जता है और उसके बाद उसको उत्तराखण्ड ले जाया जाता है और बजाय उसके खिलाफ कार्यवाही हो, सीबीआई की इंक्वॉयरी हो, वहां धमकी दी जाती है और धमकी यह दी जाती है कि उत्तराखण्ड का पानी नहीं पिया, यदि सीडी का बदला नहीं लिया और उसी प्रकरण पर आज एक पत्रकार के मकान को ढहाया गया। लोग सड़कों पर हैं और यही हाल आपदा में भी हुआ। देश के 24 राज्यों के हजारों लोग हताहत हुए थे, हजारों लोग आज भी लापता हैं।

श्रीमन, उसमें भी करोड़ों रूपये का घोटाला हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम में बहुत स्पष्ट आ गया है। सूचना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई की इंक्वॉयरी होनी चाहिए। लेकिन आज तक नहीं हुई है, इसलिए वह सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वॉयरी होनी चाहिए।

HON. CHAIRPERSON : Shri Nishikant Dubey is permitted to associate with the issue raised by Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय, सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में सौ शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है और यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक राज्य अपने शहर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहता है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पिंपरी चिंचवड़ शहर आता है, जिसकी आबादी लगभ 20 लाख से ज्यादा है, यहां पर स्कूल, अस्पताल, विज्ञान केंद्र, ऑडिटोरियम तथा ऑटो कलस्टर, बीआरटी बस

सेवा सुविधा है। इसके साथ ही साथ यहां पर दो आईटी पार्क भी हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, बजाज, अन्य छोटी-मोटी दो सौ से ज्यादा कंपनियों के साथ-साथ विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, आईबीएम, साइनटेल जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं और पिंपरी चिंचवड़ भारत के बिगेस्ट कॉर्पोरेशन में से एक बेहतरीन कॉर्पोरेशन भी है और यह शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सभी मापदंडों को पूरा करता है।

वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार ने पंपरी चिंचवड़ शहर को पुणे शहर के साथ जोड़ कर स्मार्ट सिटी बनाए जाने का प्रस्ताव किया है, जबकि पिंपरी चिंचवड़ शहर पुणे से अलग शहर है और जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनर्निर्माण योजना के तहत एक अलग सिटी के रूप में विकसित हुआ है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पिंपरी चिंचवड़ शहर को स्मार्ट सिटी योजना के फेज 1 के अंतर्गत पृथक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए इसको अलग से दर्जा मिले।

HON. CHAIRPERSON: Shri Arvind Sawant and Shri Rahul Ramesh Shewale are permitted to associate with the issue raised by Shri Shrirang Appa Barne.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, 19 जुलाई, 1978 को बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच जो नदी जल का बंटवारा हुआ, जो समझौता हुआ, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ, संथाल परगना, वहां दुमका में मसानजोड़ डैम है, जो मयुराक्षी नदी पर है। उसकी जो पूरा जमीन है, जिस पर यह डैम बना है, वह झारखण्ड में है। क्योंकि वह उस वक्त बिहार का पार्ट था, लेकिन उसका जो पानी है, वह पानी हमारे राज्य को नहीं मिलता है। पीने का जो पानी दुमका जिले को मिलना है, उसमें भी पश्चिम बंगाल सरकार हमेशा रोड़ा अटकाती है। जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ का पानी पूरे दुमका जिले को डुबो देता है।

सभापति महोदय, 19 जुलाई 1978 का, जो समझौता है, यह केवल मयुराक्षी नदी का नहीं है या केवल मसानजोड़ डैम का नहीं है, पंचैट है या मैथन डैम है, ये सारे डैम आपको आश्चर्य होगा कि सब झारखण्ड की धरती पर बने हैं, लेकिन इसके सिंचाई का कोई भी साधन जो है, वह झारखंड की सरकार को नहीं मिलता है। उसी तरह से अजय बेसिन है, जो कि मेरे इलाके देवघर में है। जहां हम लोग पुनासी डैम बना रहे हैं, अजय डैम बनना है या वहां बुढ़ैयी डैम बनना है, पुनासी डैम बनना है, इसका जो पानी है, वॉटर का जो सोर्स है, पश्चिम बंगाल सरकार कहीं न कहीं इस डैम को बनने में भी रोड़ा अटकाती है। मैं आपके माध्यम से इस सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह 1978 का समझौता है, 37 साल हो गए हैं, इस समझौते को रिव्यू किया जाए और झारखण्ड के हिस्से का जो पानी है, झारखण्ड के जो विस्थापन का

पानी है, झारखण्ड के किसानों को जो पानी चाहिए, झारखण्ड के लोग जो बाढ़ और सुखाड़ से दोनों तरफ जूझते हैं, उनके साथ न्याय कर के इस फैसले को पुनः पुनर्जीवित किया जाए।

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Thank you, Sir, for giving me time to raise an important issue.

National Highway No.5A connects the road from Daitari to Paradip in Odisha. This is one of the important highways of the country from the view point of transportation of minerals to Paradip Port. The iron ore and coal-laden trucks that are running in large numbers from mining areas of Keonjhar and Jajpur to Paradip port have been creating severe traffic congestion thereby affecting the daily life of people of the adjoining districts of Kendrapara, Jagatsinghpur, Jajpur and Keonjhar. Keeping in view the enormous traffic jams and increasing incidents of accidents, the Government has constituted a high-power Committee comprising of the Collectors of Kendrapara, Jagatsinghpur, Keonjhar and Jajpur districts which has literally failed to address the problem. In my opinion, the better solution to this problem could only be achieved if the said highway is converted to four laning road.

In this regard, I urge upon the Government to initiate action for making the National Highway No.5A, which connects Daitari to Paradip, as a four laning road so as to check accidents and smooth transportation of minerals to Paradip Port.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, पूरा सदन आपका आभारी है कि आपने कम से कम इस शून्य प्रहर में हमारे सहयोगियों और माननीय सम्मानित सदस्यों को इतने महत्वपूर्ण विषयों को उठाने का अवसर दिया है, जो सीधे देश की जनता की समस्याओं से जुड़े हुए ज्वलन्त प्रश्न हैं। आपने देखा कि देश के बाढ़ के हिस्सों की भी चर्चा हुई, किसी इलाके में सूखे की बात है, महा पुरूषों की और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात है, निश्चित तौर से देश की जनता यही अपेक्षा करती है और जनता की आकांक्षायें भी होती हैं, जिसके प्रति हम सबका उत्तरदायित्व है, हमारी जवाबदेही है। अभी हमारे साथियों ने इस प्रश्न को उठाया और इस सदन में जब हम पूरी शिद्दत से उठाते हैं, जैसे आज अगर देश के पाँच राज्यों में इस समय जिस तरह से जल प्लावन है, जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है, वह गुजरात हो, राजस्थान हो, मणिपुर हो, वेस्ट बंगाल है, ओडीशा है, इन राज्यों में गृह मंत्रालय का आँकड़ा है कि 86 मौतें हो चुकी हैं।

लगभग 25 लाख लोग प्रभावित हैं, फसल का बहुत नुकसान है और जब यह बात उठती है, तमाम राज्यों में केन्द्र की ओर से नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड (एनडीआरफ) की टीमें गई हैं। फिर हम मुआवजे की बात करते हैं, अभी-अभी एक माननीय सदस्य बाढ़ में हुए नुकसान के लिए मुआवजे की बात कर रहे थे कि बाढ़ है और मुआवजा दिया जाए। मैं उससे हटकर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर केन्द्र सरकार किन्हीं राहत कार्यों के लिए, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, अगर उस नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से राज्यों को पैसा देती है तो निश्चित तौर से वह एक मानक के आधार पर पैसा देती है। केन्द्र अपनी एक सर्वे टीम भेजता है, वह सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट देती है और फिर उसके आधार पर राज्यों को पैसा मिलता है। पिछले दिनों अभी जहाँ यह बाढ़ आई थी, मार्च-अप्रैल में पूरे देश के उत्तर भारतीय इलाकों में, राज्यों में जिस तरह से ओलावृष्टि हुई थी और फसल का नुकसान हुआ था। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में मथुरा हो, आगरा हो, सिद्धार्थ नगर हो, बस्ती हो, वहाँ काफी मौतें हुई थीं। उसमें निर्देश हुआ था और गृह मंत्री जी ने 503 करोड़ रूपया पहले दिया रिलीफ फंड और अभी दो हजार करोड़ रूपया गया है। लेकिन आज स्थिति यह है कि वहाँ उस वितरण के काम में पक्षपात हो रहा है। अगर बस्ती जनपद के 14 विकास खंडों में वितरण हो रहा है तो सिद्धार्थ नगर के केवल दो विकास खंडों में वितरण हो रहा है। कम से कम एक पैरामीटर यह हो कि अगर कोई जनपद ओलावृष्टि से पूरा प्रभावित है, किसान की फसल का नुकसान हुआ है, अगर उसको किसी आधार पर पिक एंड चूज करके प्रशासन के लोग मुआवजा बांटते हैं तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से माँग करता हूँ कि निश्चित तौर से भारत सरकार के मानकों के अनुसार अब जो दो हजार करोड़ रूपया गया है, उसका ठीक से वितरण हो।

•SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI): Hon'ble Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity. Everyone should get everything and poverty should be wiped out of this country. Having this fore-sighted vision, the Tamil Nadu government led by Hon. Chief Minister Dr. Puratchithalaivi Amma provides an additional 4% interest subsidy to farmers besides the subsidy for crop loans by the Union government. Short term agricultural loans are converted as interest free loans and as a result of which farmers repay these loans well in time. In an agro-based country like ours, farmers should be encouraged to avail agricultural loans to ensure growth in agricultural sector. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma has, time and again, stressed that changes in the crop loan subsidy should be made only after arriving at a consensus at the meetings of National Development Council and Niti Aayog. I therefore urge upon the Hon. Prime Minister to look into this issue and ensure that the current interest subvention scheme on agricultural loans should be continued with present rates of interest till a consensus is arrived for effecting changes. Thank you.

• English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक बड़े सैंसिटिव मामले पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं आपका ध्यान महिला सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर दिलाना चाहता हूँ जिसमें दिल्ली की राज्य सरकार ...* कर रही है। जनता की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर उस ...* में बर्बाद कर दिया। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि दिल्ली की इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए दखल दें।

दिल्ली भी अन्य देशों की राजधानियों की तरह राष्ट्रीय राजधानी है। विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, सभी की राजधानियाँ सीधे राज्यों के अधीन न होकर केन्द्र शासित होती हैं। केन्द्र सरकार का नैतिक अधिकार है कि दिल्ली की राज्य सरकार की ...* से दिल्ली की जनता को निजात दिलाएँ।

मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो महिला सुरक्षा की बात का डंका पीट रही है, उनके पूर्व मंत्री व विधायक की पत्नी मुख्य मंत्री व महिला आयोग से अपने साथ हुए अत्याचार के लिए गुहार लगाती रहीं। उक्त महिला के अनुसार उनको गर्भावस्था के दौरान कुत्तों से कटवाया और उनको प्रताड़ित किया गया, जिसके लिए वे अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए मेडिकल जांच की रिपोर्ट तक दिखाती रहीं। उसकी सुरक्षा का क्या हुआ? उसी नेता द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है कि अगर पुलिस हमारे अंडर आ जाए तो सुन्दर महिलाएँ खुले रूप से घूम सकती हैं। उनकी पत्नी की टिप्पणी आई है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ये अत्याचार करते हैं।

इनके ही एक बहुचर्चित कवि नेता ने केरल की हमारी बहनों के बारे में कहा था और केरल की नर्सों के बारे में टिप्पणी की थी। इन्हीं के उस नेता के खिलाफ मुख्य मंत्री से वह महिला गुहार लगाती रही कि मैं चुनाव के दौरान काफी गई थी, जिससे इनके-मेरे संबंध के कारण से मेरा घर बिगड़ रहा है और मेरी रक्षा की जाए। इन्होंने उसकी बात नहीं सुनी।

एक समाचार पत्र के मुताबिक उनके पूर्व मंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अश्लील वैबसाइट के डोमेन नेम्स बेचने में लिप्त पाए गए। एक महिला प्रशासनिक अधिकारी के मात्र दस दिन के लिए कार्यकारी मुख्य सचिव बनने पर अभद्र टिप्पणियों द्वारा उसका शोषण करना, क्योंकि महिला अधिकारी होने के कारण वे उनके काले कारनामों में सहयोग नहीं कर पाती थीं।

---

* Expunged as ordered by the Chair

ऐसे ...* ने जो बजट में पैसा बर्बाद किया, जिस महिला की हत्या को लेकर इन्होंने ...* की है कि 32 चाकू उसको मारे गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 8 चाकुओं के निशान आए। उस परिवार के लोग कल उस सदन को देखने जाने वाले थे, लेकिन उस महिला मीनाक्षी के परिवार को सदन में आने की इजाज़त नहीं मिली। यह महिलाओं की ...* जो ...* कर रहा है, चुनाव से पूर्व उन्होंने जो वायदे किए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड लगाने थे, वह नहीं लगे। 10 हजार महिलाओं की भर्ती करनी थी, वह नहीं की गई। इन्होंने कहा था हम सुरक्षा दल बनाएँगे, वह नहीं बनाए। ऐसे ...*के खिलाफ निश्चित रूप से केन्द्र सरकार निर्णय ले, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to raise an important.

Rajahmundry parliamentary constituency which I represent having a population of 4,78,199. There are talented young Indians in this soil in the field of sports and games. However, I am sorry to inform that even after passage of 68 years of Independence, not a single sports stadium has been constructed at Rajahmundry. I personally feel that encouraging young Indians in the field of sports and games is the need of the hour. They should be encouraged by constructing more indoor stadiums. We have 4.5 acres land readily available for this purpose. We need financial help to construct the stadium. I am very glad that under the able and dynamic leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji, and the Ministry of Youth Affairs and Sports with theme line "Transforming Lives Through Sports" have raised hopes among many unidentified GEMS in the mines of sports throughout country.

As a measure for promotion of sports, I would therefore, earnestly urge upon the Sports Authority of India (SAI), Union Government, to construct an indoor stadium at Rajahmundry under Urban Sports Infrastructure Scheme of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : सभापति जी, आज देश में कैंसर एक भयानक महामारी के रूप में फैल रहा है। जगह-जगह बड़ी संख्या में कैंसर के रोगी मिल जाते हैं। यह एक ऐसी समस्या है कि अधिकतर अंतिम

---

* Expunged as ordered by the Chair

स्टेज पर पता लगता है। प्रथम और द्वितीय स्टेज तक तो थोड़ा बहुत थैरेपी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंतिम स्टेज पर लोगों को भारी असह्य शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है और लोग आर्थिक रूप से हर प्रकार से टूट जाते हैं। उनके घर-परिवार भी तबाह हो जाते हैं। केन्द्र सरकार ने उनकी सहायता के कई उपाय तो किये हैं, लेकिन वे नाकाफी साबित हो रहे हैं।

20.00 hrs

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसकी रोकथाम के पर्याप्त उपाय करने व मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा चित्रकूट में एक कैंसर हॉस्पिटल यथाशीघ्र खोलने हेतु निर्देश देने व बजट एलाट कर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही कैंसर रोगियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairman, Sir, the Tamil Nadu State Haj Committee has received 15,032 applications from pilgrims in Tamil Nadu for Haj 2015. The Haj Committee of India has allotted a quota of 2585 seats only to Tamil Nadu for this year. As per the guidelines for Haj 2015, out of the quota, 1699 pilgrims have been selected under the reserved category, while 886 seats have been utilized for the general category pilgrims. This leaves 12,000 disappointed applicants.

During earlier years, the Government of India had released additional seats over and above the quota which enabled a larger number of pilgrims from Tamil Nadu to perform Haj. A total of 3696 and 2858 pilgrims have performed the Haj during Haj 2013 and 2014 respectively.

Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma had written a letter to the hon. Prime Minister in this regard. In conclusion, the Ministry of External Affairs, Government of India should release additional quota for Tamil Nadu to enable more pilgrims to perform the Haj this year and necessary provisions should be made to increase the quota for Tamil Nadu in the coming years so that more pilgrims can perform Haj every year.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, अप्रैल से स्कूल-कालेजों में नए सत्र की शुरूआत हुई तो नई कक्षाओं में प्रवेश हुए हैं। प्रवेश के समय अभिभावकों को पब्लिक स्कूलों द्वारा किस प्रकार लूटा जाता है, वह चिन्ता पैदा करने वाला है। पब्लिक स्कूलों में फीस की मनमानी के साथ ही अभिभावकों को स्कूलों की ओर

से तय किए गए पुस्तक और ड्रैस विक्रेताओं से सामान खरीदने के लिए विवश किया जाता है। कितने ही स्कूलों के द्वारा अपनी कापियों के कवर पेज भी अलग डिजाइन कराकर एक ही दुकान से खरीदने की शर्त रख दी जाती है। इतना ही नहीं सी.बी.एस.ई. के स्कूल होने के बावजूद किताबों की संख्या और रेट में भारी अन्तर देखने को मिलता है। केन्द्रीय विद्यालय में जो किताबें 150 रुपये में मिल जाती हैं, वे इन स्कूलों में दो हजार रुपये तक में दी जाती हैं तथा इसके अलावा अन्य प्राइवेट किताबें खरीदने को भी मजबूर किया जाता है। पुस्तक विक्रेता किताबें लगवाने के लिए 30 से 40 प्रतिशत तक का कमीशन विद्यालयों को देते हैं। इस प्रकार कुछ विद्यालयों को केवल किताबों और कापियों के कमीशन से ही 20 लाख रुपये तक की अवैध आय हो जाती है। कमीशन का यह खेल यूनीफॉर्म में भी चलता है तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की प्रत्याशा में अभिभावक इस आर्थिक शोषण का शिकार होते रहते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि विद्यालयों में प्रतिवर्ष चलने वाली इस लूट की जांच कराई जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार की लूट भविष्य में सम्भव न हो।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालोन गरौठा भोगिनीपुर में जो हमारा क्षेत्र कानपुर से लेकर झांसी के बीच एन.एच. 27 पर आता है, उसमें पूरे दस साल पूर्व कानपुर से लेकर झांसी तक होल लॉक बना दिया गया है, मात्र कालपी नगर के पास, जो मात्र 1.7 किलोमीटर है, पौने दो किलोमीटर के करीब, वहां ओवरब्रिज न बनाने की वजह से आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोगों की वहां मौतें हुई हैं और निश्चित ही वहां पर आये दिन जाम लगा रहता है। जाम की तो यह स्थिति है कि रात-रात भर वहां जाम लगा रहता है और सारा आवागमन ठप्प हो जाता है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है, माननीय परिवहन मंत्री जी से मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर, जो मात्र 1.7 किलोमीटर जो रोड है, वहां ओवरब्रिज बनना था, कालपी नगर के पास, उसके दोनों तरफ कालपी नगर बसा हुआ है। वहां शीघ्र ओवरब्रिज बनायें, जिससे वहां आवागमन सुचारू रूप से हो सके। धन्यवाद।

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Hon. Chairman, Sir, interlinking of rivers is the only way to maximize the use of water available in the country and to redress the issue of water deficit States like Tamil Nadu. The Chief Minister of Tamil Nadu, hon. Dr. Puratchi Thalaivi Amma is much concerned about the interlinking of rivers as it involves crores of people of Tamil Nadu and their welfare. Our Chief Minister had demanded that the Government should come out with a law for interlinking of rivers and demanded that the Government should give priority to it.

Our hon. Chief Minister has also demanded that the work on interlinking of rivers such as Mahanadi-Godavari-Krishna-Kaveri-Vaigai-Kundaru be expedited. Our Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has also demanded to divert Pampa river as it will benefit Tamil Nadu with 22 TMC water which is presently going into the sea.

Therefore, priority should be given for interlinking of Pampa – Achhankovil – Vaippar rivers. This will benefit both Tamil Nadu and Kerala. Our Chief Minister has also demanded that the Government should allocate funds for interlinking of six rivers in Tamil Nadu, namely Pennaiyaru – Palaru at both Sathannoor and Nedunghaal dams, Kaveri – Sarpangha, Athikadavu – Avinashi, Thamiraparani – Nambiyaru.

I urge upon the Government to give priority for interlinking of all these rivers as demanded by our hon. Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi Amma as this is the core issue concerning the welfare of crores of people of Tamil Nadu.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अत्यंत लोक महत्व का एक विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। केन्द्र और राज्य सरकारें विद्युत आपूर्ति के लिए हाई-टेंशन तारें विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाते हैं। लेकिन, जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, उन तारों के नीचे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग अपनी ज़मीनों पर रहने के लिए आवास बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास वही ज़मीन है। वे अपना आवास और कहां बनाएंगे? इस परिस्थिति में कभी-कभी हाई-टेंशन की तारों की दुर्घटना में जान-माल की क्षति होती रहती है। हाई-टेंशन तारों से स्पर्श होने के कारण लोगों की जानें चली जाती हैं। अभी मेरे क्षेत्र चन्दौली के लाखापुर गांव में श्री विजय गोस्वामी की 11,000 वोल्ट के हाई-टेंशन की तार के स्पर्श से मृत्यु हो गयी। उसे अभी कोई सहायता भी नहीं दी गयी है। मैं उसके परिवार के लिए सहायता की भी मांग करता हूं।

महोदय, भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गांवों के विद्युतीकरण के लिए बहुत बड़ी राशि 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' के अंतर्गत दिया है। शहरों के लिए सरकार ने 'आई.पी.डी.एस.' के लिए भी बहुत बड़ी राशि दी है। मेरा निवेदन है कि हाई-टेंशन तारों से होने वाली दुर्घटना से मरने वाले लोगों की जिंदगी बचाई जाए। उस परियोजना की गाइडलाइंस में यह निर्देश चला

जाए कि अगर जरूरी हो तो इसमें हाई-टेंशन के तारों को भी शिफ्ट करने पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसमें भारी राशि दी जा रही है।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Dr. Mahendra Nath Pandey.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां हैं, जो अपने पिछले कार्यकाल में ग्रामीण विकास मंत्री थे।

महोदय, मैं अभी कुछ दिन पहले अपने जिला-परिषद् की बैठक में था। वहां के जनप्रतिनिधि जो वहां बैठे थे, मनरेगा की गाइडलाइंस के बारे में तीन समस्याएं थीं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आप उन तीनों प्वायंट्स पर ध्यान दें। पहला प्वायंट यह था कि सरपंच साहब, जो मनरेगा के तहत पक्के कार्य करवाते हैं, उसके लिए उन्हें टेन्डर इंवाइट करने होते हैं, जबकि वहां बी.एस.आर. रेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। That is being decided by the district committee. टेन्डर्स के द्वारा अधिकतर उनके जो विपक्षी लोग हैं, वे उन्हें नीचा दिखाने के लिए बी.एस.आर. रेट से 30-40% नीचे टेन्डर करते हैं। मैं यह अपने जिले की ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की बात बता रहा हूं। कृपया मनरेगा के गाइडलाइंस में यह तय किया जाए कि यदि 10% से नीचे के टेन्डर्स आते हैं, they will not be accepted. इससे गुणवत्ता बनी रहेगी।

My second point is very important. Kindly give me one minute more. मेरा दूसरा प्वायंट यह है कि पक्के कार्यों के अंदर 49% मैटेरियल कॉम्पोनेंट किया जाए। अभी जो 40% मैटेरियल कॉम्पोनेंट और 60% लेबर कॉम्पोनेंट हैं, उससे पक्के और ड्यूरेबल कार्य नहीं हो रहे हैं।

My third point is also very important. भूमिहीन किसान, लघु, सीमांत और इसी प्रकार एस.सी. और एस.टी. किसान जैसे चार प्रकार के लोगों के लिए कार्य किए जाते हैं। इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 60% एग्रीकल्वर की राशि मनरेगा पर खर्च करने के आदेश दिए हैं। अब 60% राशि खर्च नहीं हो पाएगी। इसका कारण यह है कि Scheduled Castes and Scheduled Tribes are already covered. अब सीमांत किसानों को इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह था कि उसे समान करके सीमांत काश्तकारों को भी इसके साथ लिया जाए। यह नहीं होना चाहिए कि एस.सी., एस.टी. के बाद सीमांत काश्तकारों को लें। आप चारों को एक साथ लें।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी रेल का जो सप्लीमेंट्री बजट आया, उस पर चर्चा हो रही थी। बहुत सारे लोग बुलेट ट्रेन्स आदि माँग रहे थे। मैं जब

अपने क्षेत्र की तरफ देखता था तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। जनपद लखीमपुर खीरी भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और नेपाल का सीमावर्ती जिला है, जो बाढ़ से भी प्रभावित है। जंगल और अच्छी सड़कें न होने के कारण वहाँ परिवहन के साधनों का अभाव है, जो इस क्षेत्र के अविकसित रह जाने का प्रमुख कारण है। रेल परिवहन की दृष्टि से भी यह जिला अत्यंत पिछड़ा हुआ है। केवल यहाँ पर मीटर गेज की रेल लाइन है और दो रेल मार्ग हैं। एक लखनऊ-लखीमपुर से मैलानी होते हुए पीलीभीत तक है और दूसरा मैलानी से बहराइच है, जो इस जिले के मात्र 20 प्रतिशत हिस्से को ही छूता है और केवल 20 प्रतिशत आबादी को रेल परिवहन का लाभ मिल पाता है। यहाँ पर जो प्रथम मार्ग है, उस पर तो ब्रॉड गेज का कन्वर्जन का काम प्रारम्भ हो गया है, लेकिन मैलानी और बहराइच जो रेलवे लाइन का दूसरा हिस्सा है, वहाँ पर अभी केवल मीटर गेज की रेल लाइन है। रेल यातायात प्रारम्भ है। उसका कुछ हिस्सा दुधवा नेशनल पार्क में पड़ता है। जिनकी आपत्ति के कारण वहाँ पर गेज कन्वर्जन का काम नहीं हो पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय से यह माँग करता हूँ कि उनको एनओसी दी जाए, क्योंकि अगर वह रेल लाइन बंद हो गई तो हमारे जिले का बहुत बड़ा हिस्सा रेल यातायात के कारण बुरी तरह से प्रभावित होगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एनओसी देकर के ब्रॉड गेज कन्वर्जन का काम मैलानी-बहराइच रेल लाइन पर कराया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): महोदय, मैं बिहार से से आता हूं। पूरे बिहार में सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई है, खासकर उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण में। मेरे संसदीय क्षेत्र में त्रिवेणी कैनाल के साथ-साथ दोन कैनाल, तिरहुत कैनाल है, जिसके माध्यम से किसानों का पटवन हुआ करता था, लेकिन इधर कुछ सालों से कैनाल का टेंडर नागार्जुन कंपनी को दिया गया, जिसमें कंपनी द्वारा भारी पैमाने पर अनियमितता बरती गई। नहर की खुदाई इतनी गहरी कर दी गई कि नहर से खेतों में पानी जाना मुश्किल हो गया है। बिहार में ट्यूबवेल की कमी है और व्यवस्था नहीं है। इस कारण किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और केवल मानसून के भरोसे ही बैठे हुए हैं। आधा मानसून बीत जाने के बाद भी अभी तक बारिश का नामोनिशान नहीं है, खेतों में दरार पड़ गई है, किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। इसको देखा भी जा सकता है।

अतः सदन के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस संवेदनशील बिंदु पर ठोस कदम उठाया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

दूसरा, एक तरफ हमारे यहां किसानों को गन्ना का पेमेंट नहीं मिल रहा है और वह उधर भी मार झेल रहा है। ...(व्यवधान)

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : महोदय, मैं शून्य काल में अति लोक महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ब्राम्बे, रांची स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वहां व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में मैं बताना चाहूंगा। उस विश्वविद्यालय के हॉस्टल में खराब भोजन के कारण 35-40 लड़कों की तबियत खराब हो गई थी। इस कारण छात्रों ने धरना दिया। जब वे धरने पर बैठे तो उन लोगों को 31 तारीख को 12 घंटे में हॉस्टल खाली करने का आदेश वहां के प्रबंधन ने दिया है। एक वर्ष से वहां कोई कुलपति नहीं है। प्रभारी कुलपति के भरोसे एक साल से विद्यालय चल रहा है। जिन छात्रों को 12 घंटे में हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया है, उनमें बाहर के भी बहुत से छात्र हैं। वे 12 घंटे में कहां जाएंगे और क्या खाएंगे? वहां अव्यवस्था फैल गई है और छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी में रहना पड़ रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से और शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि वहां कुलपति की नियुक्ति की जाए।

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Chairperson, under the guidance of our hon. Tamil Nadu Chief Minister Puratchithalaivi Amma, I would like to bring to the notice of the Government about the increase in the number of cesarean deliveries across the country and absence of data about the cesarean deliveries undertaken in many private hospitals. According to WHO guidelines, cesarean deliveries should constitute about 10-15 of the total deliveries and cesarean deliveries are meant only for complicated pregnancies.

But some studies show that cesarean deliveries are on the rise in our country and they outnumber normal deliveries in many private hospitals. Reports also suggest that cesarean deliveries are being deliberately done by some private hospitals for financial gains.

Unlike normal deliveries, unwanted cesarean deliveries have many complications for the mothers and the babies. Complications for the mother include prolonged pain, infection, blood loss, reactions to anaesthesia, clots in the legs and lungs. More importantly, they increase the risk of death of the mother by three-fold.

Therefore, I urge the Central Government to enact a law to regulate cesarean deliveries and also instruct all hospitals, particularly private hospitals to report the Government of the State and Centre about the number of cesarean deliveries conducted by the particular hospital so as to control the number at least in future keeping in view the health of child and women.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुन कर आया हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहां पर अधिकारियों पर दबाव बनाने के कारण दिन प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में छात्राओं का विद्यालय जाना भी कठिन हो गया है। मेरे यहां बेंवार गांव में समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा एक छात्रा से बदतमीजी की गयी है। जब उसके परिवार के लोग थाने में गये लेकिन वहां एफ.आई.आर. नहीं लिखी गयी तो उसने अपने घर जाकर आत्मदाह कर लिया, जिसके कारण पूरे गांव के लोग आंदोलित हो गये। उसके बाद जब उन्होंने हाईवे जाम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर वहां की पुलिस ने, प्रशासन ने वहां पर गोली चलायी, एक छात्र को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गयी। पिछले सात दिनों से वहां पर पूरा बाजार बंद है, सभी लोग सड़कों पर हैं, जिला मुख्यालय पर धरणा चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाये और वहां पर जितनी भी अराजकता का वातावरण है, उससे निजात दिलायी जाये।

HON. CHAIRPERSON : Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Kunwar Pushpendra Singh Chandel. The House stands adjourn to meet tomorrow 5 August, 2015 at 11.00 a.m.

20.17 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Wednesday, August 5, 2015/ Shravana 14, 1937 (Saka).